राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का उनतीसवां दिवस [संख्या : 13

मंगलवार,

24 अप्रैल, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

धरना

श्री यशवंत सिंह (रामू) माननीय सदस्य का धरना

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई उसके कोई भी मायने नहीं हैं। इसमें निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और जो सच्चाई है उसको दबाया जा रहा है। जो दोषी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं इसके खिलाफ सदन में धरना देता हूं और आशा करता हूं कि इस सरकार को सद्बुद्धि मिले।

(श्री यशवंत सिंह (रामू) सदन कूप में धरने पर बैठे)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : + + + (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : प्रश्न संख्या 303.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको सद्बुद्धि मिले इसलिए आह्वान कर रहे हैं। (व्यवधान) अक्षत वितरित किये गये हैं। (व्यवधान) अक्षत वितरित किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : पहले यह आपके साथ दौड़ रहे थे, आप उनके लिए दौड़ रहे थे, अब क्या अलग हो गये हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अलग नहीं हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) के ग्रामों को विद्युत आपूर्ति

303. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत निगम, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नन्दलाल मीणा)

कितने गांव ऐसे हैं जहां पर स्वीकृत विद्युत आपूर्ति के बाद भी गत दो वर्षों से विद्युत लाइन नहीं खींची गई है? यदि हां, तो क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के जिन कृषकों ने फरवरी, 2001 तक मांग पत्र की राशि जमा करा दी उन्हें कुओं पर विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये? गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पंचायत समितियों में विद्युत लाइनों के ढीले तारों की खिंचाई पर कौन-कौन से गांवों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है? वर्तमान में कितने गांवों में विद्युत लाइनों के तारों की खिंचाई नहीं की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ उप खण्ड में विद्युत आपूर्ति निम्बाहेड़ा से की जा रही है जिसके कारण पर्याप्त बिजली नहीं दी जाती है? प्रतापगढ़ उप खण्ड को अन्य क्षेत्रों की तुलना में बिजली मिले, इसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) अधिशासी अभियन्ता, प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया गया कोई ऐसा ग्राम नहीं है जहां गत दो वर्षों में लाइन न खींची गई हो।

(2) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद में क्रमशः 175 व 190 आवेदकों ने माह फरवरी, 2001 तक मांग पत्र राशि जमा करवाई थी। इनमें से पंचायत समिति प्रतापगढ़ में 81 व अरनोद में 126 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा शेष क्रमशः 94 व 64 आवेदकों को सामान की उपलब्धतानुसार कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) उक्त पंचायत समितियों के 41 गांवों में तार ढीले होने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन लाइनों को ठीक कर दिया गया है जिसका ग्रामवार विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन के पटल पर रख दिया गया है। इस वर्ष भी 15 अप्रैल से 15 जून, 2001 तक क्रैश मेंटीनेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें ढीले तार वाले स्थान/गांवों को चिन्हित कर उनको सही करने व अन्य मेंटीनेंस सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी।

(4) प्रतापगढ़ उप खण्ड में 220 के.वी., जी.एस.एस. निम्बाहेड़ा से 13 के.वी., जी.एस.एस. प्रतापगढ़ के माध्यम से निर्धारित नीति के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है। उक्त क्षेत्र में निम्बाहेड़ा से विद्युत आपूर्ति करने से कोई समस्या नहीं है। प्रतापगढ़ क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों के समान ही विद्युत आपूर्ति निरन्तर की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भाग-दो में आपने दर्शाया है कि फरवरी, 2001 तक पंचायत समिति प्रतापगढ़ के 175 काश्तकारों की डिमाण्ड राशि जमा होने के एवज में 81 कृषकों को ही आपने कुओं पर कनेक्शन दिया और इसी तरह से 190 के मुकाबले कुओं पर

(श्री नन्दलाल मीणा)

126 कनेक्शन पंचायत समिति अरनोद में आपने दिये। इसके साथ आपने सूची भी दी और यह कारण भी बताया कि सामान की उपलब्धता नहीं होने की वजह से ये कनेक्शन नहीं दिये गये। माननीय मंत्री महोदय, पंचायत समिति प्रतापगढ़ में जिन 33 गांवों की लिस्ट आपने यहां दी है, जहां पर एक, दो या तीन कनेक्शन दिये गये हैं, यह परिशिष्ट "अ" पर देख लीजिए आप, कि प्रतापगढ़ में अवलेश्वर में दो कनेक्शन दिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि अवलेश्वर में फरवरी, 2001 तक कितने काश्तकारों ने डिमाण्ड की राशि जमा की थी जिनके एवज में आपने केवल दो ही कनेक्शन दिये? इसी तरह से हर गांव की लिस्ट है। लोगों ने डिमाण्ड तो ज्यादा जमा कराई किन्तु वहां पर एक आम चर्चा है कि ऊपर तक पहुंचाया जाता है इसलिए जो कनेक्शन लेगा उसको राशि देनी पड़ेगी रिश्वत के तौर पर। मुझे समझ में नहीं आया। अगर ऐसा नहीं है तो यह बताएं कि किस गांव में फरवरी, 2001 तक कितने काश्ताकरों ने डिमाण्ड की राशि जमा कराई थी, उसके एवज में आपने कितने काश्तकारों को कनेक्शन दिये? (व्यवधान) यह नहीं बताया।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, इनका सवाल यह था खण्ड दो में कि मांग पत्र की राशि फरवरी, 2001 तक कितने काश्तकारों ने जमा कराई है समिति में। वह मैंने बता दिया 175 और 190 और कनेक्शन 81 को दिये गये हैं और 126 को दिये गये हैं। यदि आप यह चाहेंगे कि किस गांव में कितने लोगों ने मांग पत्र जमा कराये और उनमें से कितनों को कनेक्शन दिये हैं, अध्यक्ष महोदय, यह अलग से सवाल है, मैं उसका जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : परिशिष्ट "अ" में माननीय मंत्री महोदय ने मुझे सूची दी है जिसमें प्रत्येक गांव का ब्यौरा दिया गया है कि कितने काश्तकारों को फरवरी, 2001 तक डिमाण्ड के अगेंस्ट कनेक्शन दिये गये हैं। तो मेरा सीधा सवाल यह है कि अगर आपने अवलेश्वर गांव में दो कनेक्शन दिये हैं तो वहां कितने काश्तकारों ने डिमाण्ड की राशि जमा कराई थी? इसी तरह से अरनोद में भी...

डा. चन्द्रभान : मैंने बता दिया इसमें जो कनेक्शन दिये गये हैं, उनके बारे में आपने लिखा है, पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के जिन कृषकों ने फरवरी, 2001 तक मांग पत्र की राशि जमा करा दी उन्हें कुओं पर विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये हैं, उसका मैंने जवाब दिया। जिनको दे दिया वह संख्या आपको बता दी, नहीं दिया उनको सामान की उपलब्धता के अनुसार देंगे। नम्बर दो, गांववार सूची... (व्यवधान) आप सुनिये।

श्री नन्दलाल मीणा : यह सामान कौनसा है? मंत्री महोदय, यह सामान कौनसा है जिसकी उपलब्धता होने के बाद कनेक्शन दिये जाएंगे? (व्यवधान) चर्चा यह है कि सामान प्रतापगढ़ से लेकर ऊपर

(श्री नन्दलाल मीणा)

तक पहुंच रहा है जिनकी वजह से काश्तकारों को कनेक्शन नहीं दिये गये हैं। (व्यवधान) छांट-छांट कर गांव-गांव में कनेक्शन दिये....

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बार-बार ऊपर और नीचे की बात कर रहे हैं, उसका आपका तात्पर्य क्या है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : लाखों रुपये खाये हैं कनेक्शन के नाम पर। लाखों रुपये खाये हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप किसी अधिकारी के खिलाफ यदि कोई चार्ज लगाएंगे, किसी अधिकारी के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शन के नाम पर लाखों रुपये खाये हैं, ट्रांसफार्मर लेने में पैसे खाये हैं। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं, मेरा सीधा-सा सवाल है। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : कनेक्शन के मामले में 5 से दस हजार तक खुल्लमखुल्ला ले रहे हैं उसी को सामान दे रहे हैं, अन्यथा सामान के लिए महीने-महीने, दो-दो महीने तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, आप खण्ड दो को देखें, इन्होंने कहा है कि कनेक्शन नहीं दिये गये उन लोगों को, क्यों नहीं दिये गये। वह कारण मैंने बता दिया। कनेक्शन नहीं दिये गये उनकी गांववार सूची इन्होंने मांगी है, वह मैंने सदन की मेज पर रख दी। यदि आप चाहेंगे कि कितनों ने जमा कराये, कितनों को कनेक्शन नहीं दिये गये तो वह जानकारी भी मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

दूसरी बात आप जो कह रहे हैं बार-बार सामान को लेकर, आप किसी भी अफसर के खिलाफ यदि कोई स्पेसिफिक शिकायत करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, उसके खिलाफ जांच कराई जाएगी और कार्यवाही की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि वर्ष 2000-2001 के अन्तर्गत कुल 25 हजार काश्तकारों को कनेक्शन देने थे उसके अगेंस्ट 26 हजार 75 काश्तकारों को कनेक्शन दिये गये हैं। नम्बर दो, चित्तौड़गढ़ जिले में 1098 का टार्गेट था उसके अगेंस्ट में 1145 को कनेक्शन जारी किये गये हैं। इसी के साथ... (व्यवधान) बैठ जाइये, आप बैठ जाइये, आपका सवाल नहीं है। मैं उनको जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रतापगढ़ का बताओ न।

श्री नन्दलाल मीणा : आपने तो राजस्थान में सब जगह पर बिजली पहुंचा दी लेकिन मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि 01 फरवरी, 2001 तक प्रतापगढ़ और

(श्री नन्दलाल मीणा)

अरनोद पंचायत समिति में जिन काश्तकारों ने डिमाण्ड की राशि जमा कराई उन सबको कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया? छुटपुट गांव और पंचायतों में से आपने पैसा लिया। अध्यक्ष महोदय, यह सीधा-सा मेरा आरोप है इस सदन में कि वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी छांट-छांट कर पैसे देने वाले व्यक्तियों के कुएं पर कनेक्शन करते हैं और जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी हैं, भूमिहीन हैं और जो पैसा जमा नहीं करा सकते उनके कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। यह मेरा चार्ज है। क्या मंत्री महोदय, इस चार्ज के आधार पर उस इलाके में कोई जांच कराना चाहते हैं कि क्यों कोई कनेक्शन नहीं हुए?

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : अध्यक्ष महोदय, खिवाड़ा गावं में देसूरी तहसील के दो किसानों से डबल डिमाण्ड भराया गया। (व्यवधान) एक्स. ईएन. के पैसे सैट नहीं हुए ए. ईएन. के पैसे सैट नहीं हुए। एक-एक को ....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक यह सवाल प्रतापगढ़ का है।

श्री केसाराम चौधरी : काश्तकारों से दो-दो बार डिमाण्ड भरवाये गये मगर आज दिन तक उनको कनेक्शन नहीं दिया गया है। केवल रिश्वत के पैसे नहीं देने की वजह से किसान अड़ा हुआ है और बिजली विभाग दो-दो बार उनसे डिमाण्ड ले रहा है।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : जो हालत प्रतापगढ़ की है वही हालत हमारे बागीदोरा, डूंगरपुर की है। हमारे आदिवासी इलाके की भी यही हालत है, लाइन खिंची रहती है... (व्यवधान) बांसवाड़ा और डूंगरपुर की भी यही हालत है।

श्री केसाराम चौधरी : एक बार डिमाण्ड निकाला वह भर दिया, दूसरी बार डिमाण्ड निकाला वह भी भर दिया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ और अरनोद में 190 और 175.... (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने सदन में कहा है कि अगर किसी अधिकारी की शिकायत है तो मुझे बताएं, मैं इन्क्वायरी करवाऊंगा, मैं कर रहा हूं शिकायत। मैं इस पवित्र सदन में ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि बाड़ी में ए. ईएन. और जे. ईएन. बिना पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। मैं इस पवित्र सदन में ईमानदारी के साथ कह रहा हूं एईएन. और जे. ईएन., अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं इन्क्वायरी करवाऊंगा, तो .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्वीपिंग चार्जेज लगा रहे हैं। आप प्रतापगढ़ और अरनोद तक सीमित रहिये। प्रश्न यह है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ का सवाल है लेकिन भ्रष्टाचार के सवाल पर पूरे राजस्थान का सवाल उठाया जाएगा।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने सदन में कहा है कि जांच कराई जाएगी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्रीजी ने सदन में यह बात कही है कि अगर कोई शिकायत है तो जांच कराई जाएगी।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का मामला है पूरे राजस्थान के लिए उठाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम भी ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं। हो रहा है, बिजली विभाग में हो रहा है तो क्यों नहीं हाउस में उठाया जाएगा?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अभी सदन में मंत्रीजी ने... (व्यवधान)

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : यह क्या किया जा रहा है?

श्री सांवर लाल (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा सवाल है कि कम्पनियां इनकी मानती हैं या यहां पर केवल जवाब देने के लिए खड़े होते हैं? आज पूरे राजस्थान में हालत खराब हो रही है। (व्यवधान) एम.एल.ए. और एम.पी. फण्ड के कनेक्शन नहीं हो रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, शिकायत के बारे में अभी मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य दिया कि अगर किसी अधिकारी की शिकायत हो तो मुझे बताएं, मैं इन्क्वायरी करवाऊंगा।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : इनके कार्यकाल में किया गया है। इनके 8 वर्षों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा है कि रिश्वत का आरोप हो तो बताएं। मैं सदन में कहना चाह रहा हूं कि धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में ए. ईएन. और जे. ईएन. दोनों बिना पैसे लिये काम नहीं करते हैं।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रिश्वत का आरोप हो तो बताएं, यह कहा। खिवाड़ा में दो किसानों के दो बार डिमाण्ड निकाला। पहली बार किसानों ने भर दिया, दूसरी बार डिमाण्ड और दिया वह भी भर दिया। उसके बावजूद भी उनके पैसे नहीं देने की वजह से अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मंत्रीजी ने यह सदन में कहा है, मैं कहना चाहता हूं.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : दो किसानों को।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आप इनकी इन्क्वायरी करवाएं।

श्री अध्यक्ष : जसवन्त सिंहजी, बैठिये। केसारामजी, बैठिये आप। श्री अमरारामजी।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जीवन-मरण का प्रश्न है। दो-दो बार डिमाण्ड भर रहे हैं, दो-दो बार डिमाण्ड, उसके बावजूद भी नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मंत्रीजी ने जो कहा है उसमें....(व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरे हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान) पंचायत के अन्दर...(व्यवधान) गांव है, वहां के ए. ईएन. पांच हजार रुपये खुल्लमखुल्ला...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, तहसील देसूरी के खिवाड़ा गांव में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज, बैठिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से 190 प्रतापगढ़ पंचायत समिति और 175 अरनोद पंचायत समिति के फरवरी, 2001 तक जो डिमाण्ड नोटिस जमा हुए हैं उसमें सामान्य श्रेणी, एस.सी., एस.टी. और विशेष प्रायोरिटी के कितने-कितने कनेक्शन थे और क्या सिक्योरिटी जमा होने की तारीख की प्रायोरिटी के हिसाब से कनेक्शन दिये गये हैं?

श्री अध्यक्ष : 81 और 126 तो जारी हुए हैं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह जो जारी किये गये हैं, एक सवाल...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : और जो शेष रहे हैं वे 94 और 64 रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 190 और 175 जो सिक्योरिटी जमा हुई है उसमें जनरल प्रायोरिटी से कितने हुए हैं, एस.सी. और एस.टी. के कितने हुए हैं और स्पेशल प्रायोरिटी के कितने हुए हैं? जो कनेक्शन दिये गये हैं उसके अनुसार प्रायोरिटी से दिये गये हैं या उनकी तारीखों को तोड़ कर अपनी सुविधा के अनुसार सुविधा शुल्क लेकर दिये गये हैं, यह बता दें, मंत्री महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे को भी पूछना है, मेरे को अलाउ करा दो। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कभी पूछता ही नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले आप उत्तर आने दीजिए, बैठिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह चिन्ता प्रकट की है और उनकी चिन्ता वाजिब है। मैं आपके माध्यम से उनको और पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 365 लोगों के डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हुए फरवरी, 2001 तक, उनमें से 207 काश्तकारों को कनेक्शन मिल गये और जो शेष कनेक्शन रहे हैं उनको भी जल्दी ही आगामी एक माह में दो महीने में जारी कर दिया जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरी चिन्ता भी दूर करें।

श्री अमराराम (धोद) : मेरा प्रश्न है।

डा. चन्द्रभान : धोद से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) उनका भी जवाब दूं मैं आपको। कैटेगरीवाइज बताता हूं, आप धैर्य रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उनका प्रश्न तो कैटेगरी के बारे में है, सामान्य श्रेणी और.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह भी बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति प्रतापगढ़ में 2000-2001 में जारी किये गये मांग-पत्रों में से सामान्य श्रेणी के 24, अनुसूचित जाति के 21, जनजाति के 77, विशेष योजना के 53, कुल 175 मांग-पत्रों की राशि जमा हुई। इसी प्रकार पंचायत समिति अरनोद में सामान्य श्रेणी के 38, अनुसूचित जाति के 8, जनजाति के 101, विशेष योजना के 43, कुल 190 मांग-पत्रों की राशि जमा हुई।

सन् 2000-2001 में पंचायत समिति प्रतापगढ़ में सामान्य श्रेणी के 16, अनुसूचित जाति के 11, अनुसूचित जनजाति के 23, विशेष योजना के 31, कुल 81 कनेक्शन जारी किये गये। इसी प्रकार से पंचायत समिति अरनोद में सामान्य श्रेणी के 26, अनुसूचित जाति के 8, जनजाति के 75 और विशेष योजना के 17, कुल 126 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं।

श्री अमराराम (धोद) : जारी किये गये हैं वे सिक्योरिटी जमा करने की तारीख के अनुसार किये गये हैं या उनकी प्रायोरिटी को तोड़ कर दिया गया है, यह पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं, चूंकि सीकर जिले से आते हैं, कि इसमें प्रायोरिटी कट आफ डेट होती है, नम्बर वन।

इसके बाद में जो डिमाण्ड नोट का पैसा जमा करा देता है उसकी प्रायोरिटी, मान लीजिए हमने 200 लोगों को डिमाण्ड नोट जारी किये जो एक ही कट आफ डेट के हो सकते हैं। किसी का फरवरी का है, किसी का मार्च का, अप्रैल का या जनवरी का हो लेकिन जो डिमाण्ड नोट का पैसा पहले जमा करा देता है, उसकी प्रायोरिटी निश्चित हो जाती है। निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि डिमाण्ड नोट के पैसे जमा कराये गये हैं उसी प्रायोरिटी के अनुसार कनेक्शन दिये गये हैं। यदि कोई कहीं भी इर्रेगुलरिटी हो गई तो निश्चित रूप से जांच कराई जाएगी और सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, इसमें मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खिवाड़ा गांव में...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने सदन में कहा है कि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताएं, मैं इन्क्वायरी करवाऊंगा। मैं सदन में शिकायत कर रहा हूं कि बाड़ी के ए. ईएन. और जे. ईएन. दोनों बिना पैसे लिये काम नहीं करते हैं, क्या उनके खिलाफ आप इन्क्वायरी करवाएंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा विशेष अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : श्री हेमारामजी। आप बैठिये।

डा. चन्द्रभान : आप मेरे को अभी लिखित में दे दीजिए, मैं इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, खिवाड़ा गांव के दो काश्तकारों के एक बार डिमाण्ड निकाला उसके 15 हजार रुपये भर दिये, पर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केसारामजी, बैठिये, मैंने आपको काल नहीं किया है। कोई वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं है, आप बाद में। ठहरिये, मैं आपको अवसर दे दूंगा। श्री हेमारामजी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी दोनों हाथ से पैसे ठोक रहे हैं विधान सभा में उनको बचाने का ही रह गया है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या ठोक रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी : ठोक रहे हैं, साहब। अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्वीपिंग चार्ज, यह एलीगेशन मत लगाइये। आप कोई स्पेसिफिक बात हो तो पूछिये क्वेश्चन के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं। सही बात कहना ही गुनाह है तो वह एक अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, सिणधरी पंचायत समिति में ए. ईएन. के खिलाफ मैंने और सिवाना एमएलए. गोपारामजी ने शिकायत की थी। शुरू में चुनाव हुए उस वक्त की बात है। ज्यों ही चुनाव हुए हम जयपुर पहुंच गये थे, पीछे काश्तकार धरने पर बैठे थे। कई दिनों तक हड़ताल चली थी और उसकी शिकायत हुई थी। आज दिन तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है। जब इसका आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय, तो फिर कोई अधिकारी क्यों डरे और क्यों परवाह करे? और काश्तकारों में तो यह भय बैठ गया कि बिना दिये तो कोई कनेक्शन होने का ही नहीं है। वे भेंट-पूजा करते हैं तो कनेक्शन होता है, यह बात तो सही है। आप लीपापोती करें और यह कहें कि बी.जे.पी. वाले चोर हैं और बी.जे.पी. वाले कहें कांग्रेस वाले चोर, लेकिन किसानों की तो हालत खराब हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सही बात तो यही है। सही कहा, यह गुनाह मैंने जरूर किया है, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप जनरल बात कर रहे हैं। आप सिणधरी की बात कहने लगे, क्वेश्चन प्रतापगढ़ का है। श्री सुरानाजी। श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री सांवर लाल : बिना लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एमएलए., एमपी. फण्ड के पैसे दिये हुए हैं, वहां कनेक्शन तक नहीं कर रहे हैं। उन गांवों में इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना। प्रो. सांवर लालजी, आपको अवसर नहीं दिया है। श्री सुरानाजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी कर रखे हैं कि जिन के डिमाण्ड नोट के पैसे पहले जमा हो जाएंगे उनको ही प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन रिलीज किये जाएंगे? क्या ऐसे कोई पुख्ता आदेश आपके उच्चाधिकारियों ने या चेयरमैन ने....(व्यवधान) नहीं, जारी कर रखे हैं या नहीं? अरनोद और प्रतापगढ़ के मामले में यहां आपने कहा कि प्राथमिकता से कनेक्शन रिलीज किये गये हैं, क्या आपने वह रिकार्ड देखा है कि ये सारे कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर रिलीज किये गये हैं? आप यदि यह कह रहे हैं दुबारा, तो आप ध्यान करके कहें कि हां, रिकार्ड देख कर मैं यह कह रहा हूं कि प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन रिलीज किये हैं।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। निश्चित रूप से एक निश्चित प्रक्रिया है कनेक्शन देने की। डिमाण्ड नोट जारी होता है, डिमाण्ड नोट का पैसा जमा होता है उसी के बाद में कनेक्शन रिलीज होता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह थोड़े ही पूछ रहे हैं। पैसा जिस दिन जमा हो गया क्या उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनकर उसी के अनुसार कनेक्शन रिलीज होता है क्या, यह पूछ रहा हूं?

डा. चन्द्रभान : जी, हां।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने हां कह दी। अब प्रतापगढ़ और अरनोद के मामले में क्या आपने इस बात को एग्जामिन कर लिया है क्या, या अब एग्जामिन करेंगे?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, यह तो मैंने कह दिया है कि यह स्पष्ट प्रक्रिया है इसमें प्रायोरिटी...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : देखिये, आपने एग्जामिन नहीं किया है। आप इस लिस्ट को एग्जामिन करेंगे तब आपको अपने आप जानकारी हो जाएगी कि इसमें क्या आपाधापी चल रही है।

श्री अमराराम (धोद) : प्रक्रिया तो है परन्तु इसमें लागू हुई क्या?

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, यह सवाल माननीय सदस्य ने खड़ा किया है, मैं तो यही मानकर चलता हूं और सदन यही मानकर चलेगा और पूरा विभाग यही मानकर चलता है जो निश्चित प्रक्रिया है उसके अनुसार प्रायोरिटी डिमाण्ड नोट के पैसे जमा होने से ही निश्चित होती है। यदि उसमें कहीं कोई अनियमितता है.... (व्यवधान) एक सैकण्ड, प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह सवाल नहीं उठाया है और यदि कोई....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने उठाया है, नहीं उठाया, इसका सवाल भी सदन की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सम्पत्ति है और हमको उठाने का अधिकार है। हमको यह अधिकारी है कि हम यह सवाल उठाएं।

श्री अमराराम (धोद) : मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जे. ईएन. ए. ईएन. और एक्स. ईएन. यही प्रायोरिटी तोड़ने के लिए एक साथ सस्पैण्ड हुए हैं। जो नियमों की बात कर रहे हैं, एक साथ तीनों हुए हैं। और अगर सबकी जांच कराई जाए तो बिजली कम्पनी का एक भी इंजीनियर नहीं बचेगा जो इनके नियमों के अनुसार गलत रूप से प्रायोरिटी को तोड़ नहीं रहा है। यह हालत है पूरे राजस्थान की।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि उन अधिकारियों ने प्रायोरिटी तोड़ी तो उनको सस्पैण्ड कर दिया। अब और कोई अधिकारी प्रायोरिटी तोड़ेगा तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। मैं केवल प्रतापगढ़ नहीं, पूरे राजस्थान के, एग्रीकल्चर कनेक्शनों का सवाल आता है, सबकी जांच करा लूंगा और डिमाण्ड नोट राशि जमा करने को ही प्रायोरिटी का आधार माना जाएगा।

दूसरा, गुड़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो डेढ़ साल पुराना प्रकरण अभी यहां उठाया है, यह कह रहे हैं कि जांच नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, उसमें जांच हुई है, वरिष्ठ अधिकारी को जांच के लिए भेजा गया। वह अधिकारी लापरवाह था उसका स्थानान्तरण भी किया। (व्यवधान) और सुनिये, इनकी मांग थी कि पहले इसका स्थानान्तरण होना चाहिये और फिर जांच होनी चाहिये। हमारे निगम ने, बोर्ड ने उसको नोटिस भी दिया और उसको हटाकर जांच करायी गयी। जांच में यह भी पाया गया कि जिन काश्तकारों के धरना देने की बात कर रहे हैं, वे काश्तकार, हमारे ट्रांसफार्मर पड़े रहते हैं उन ट्रांसफार्मरों को जबरदस्ती से उठा कर ले गये।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे?

डा. चन्द्रभान : आप कह रहे हैं ले जाएंगे, तो अब सवाल यह उठता है...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बारां जिले में एक भी ट्रांसफार्मर बिना रिश्वत के नहीं दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : 10 हजार रुपये दे दिये फिर भी आप नहीं लगाओगे तो क्या करेंगे? नहीं ले जाएंगे तो आपका इंतजार करेंगे? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह खुद मानते हैं शिकायत का नतीजा यह होगा। उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा ट्रांसफार्मर का...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारां जिले में.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी व्यवस्था कैसे बनेगी ? कोई ट्रांसफार्मर उठा कर ले जाए, कोई पोल उठा कर ले जाए, कोई तार उठा कर ले जाए, कोई जूनियर इंजीनियर को उठा कर ले जाएगा तो यह व्यवस्था कैसे बनेगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष : श्री केसारामजी। श्री अमराराम, आप बैठिये। आपकी जनरल बात थी, आ गयी। श्री केसाराम जी।

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से सीधा सवाल पूछता हूं कि किसानों को कनेक्शन देने में कितनी बार डिमाण्ड भरने पर आप कनेक्शन देते हैं ?

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीसरी बार यह सवाल किया है। डिमाण्ड नोटिस जारी होता है, कई बार उसकी शिकायत भी करता है। काश्तकार शिकायत करते हैं, दूसरे लोग भी शिकायत करते हैं और हो सकता है कि हमारे अधिकारी भी कोई गलती करते हों, तब उसका रिवाइज एस्टीमेट बनाया जाता है। रिवाइज एस्टीमेट बनने के बाद में एक विवाद की स्थिति पैदा होती है, दूसरा एस्टीमेट यदि कम होता है तब तो काश्तकार सन्तुष्ट होता है। यदि दूसरा एस्टीमेट ज्यादा होता है तो फिर काश्तकार नाराज भी होता है और कई तरह के आरोप भी लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, डिमाण्ड नोट की राशि एक ही जमा होगी। एस्टीमेट हो सकता है कि एक बार नहीं, दो बार भी बन जाते हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : एक मिनट, मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। हीरासिंहजी, एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, खिवाड़ा के दो काश्तकारों ने नोट डिमाण्ड निकले वह जमा करा दिये। फिर बाद में उनका रिश्वत का प्रोग्राम सैट नहीं हुआ, दुबारा डिमाण्ड और निकाला, उन्होंने दुबारा भी भर दिया। एक बार 15 हजार भरे, दूसरी बार 20 हजार भरे। 20 हजार भी भर दिये पर दोनों काश्तकारों के आज दिन तक कनेक्शन नहीं हुए। करीब तीन साल से बिजली बोर्ड और एक्स. ईएन., जे. ईएन. के चक्कर लगा रहे हैं मगर आज दिन तक खिवाड़ा के उन दो काश्तकारों के कनेक्शन नहीं हुए। उसमें से किसी काश्तकार को कह देते हैं तेरे खेत से लाइन नहीं निकलने देंगे, मेरे को पैसा देगा तभी तो लाइन निकलेगी। इस तरह से दो किसानों को बरबाद कर रहे हैं और तीन साल से उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे स्पेसिफिक प्रश्न कर रहा हूं यह। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार नहीं है। दो-दो डिमाण्ड भरे हैं उन्होंने। दो-दो, आप तो कहते हो रिवाइज की बात। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य मुझसे रोज मिलते हैं, कभी इन्होंने यह

(डा. चन्द्रभान)

शिकायत मुझ को नहीं की और आज कर रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आज कर रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आप डिपार्टमेंट सम्भालते हो, आपको मालूम रहना चाहिये।

डा. चन्द्रभान : आज कर रहे हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि खेत में से लाइन जाने को लेकर कोई विवाद है। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं कि एक काश्तकार दूसरे खेत में लाइन नहीं जाने देता है, उसके कारण भी कई बार कनेक्शन देने में देरी होती है।

श्री केसाराम चौधरी : दूसरी बार भी डिमाण्ड जमा कराने के बाद में कौनसा रगड़ा रह गया? उन्होंने दुबारा जमा करवा दिया फिर उसमें किस बात का लफड़ा है?

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, डिमाण्ड नोटिस जमा करने के कितने दिन बाद किसान को कनेक्शन दे दिया जाएगा, क्या आपने यह नीति तय कर रखी है? अगर यह नीति तय कर रखी है तो क्या कारण है कि डिमाण्ड नोटिस जमा होने के बाद छह-छह महीने तक किसानों को कनेक्शन नहीं दिया जाता है? दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या कारण है कि बिना कोई शिकायत हुए रायपुर विधान सभा के पीपलिया के ए. ईएन. पद पर पिछले दो सालों में दस ए. ईएन. लगाये गये? क्या कारण है इनको दो-दो, तीन-तीन महीने में बदलने का? कोई आदमी टिककर नहीं बैठता है, एरिये को समझ नहीं पाता है, वहां की आवश्यकता को समझ नहीं पा रहा है और लगातार ट्रांसफर किये जा रहे हो। किसने शिकायत की और किसने लगाने के लिये कहा? क्यों ट्रांसफर करते हो बार-बार? किसी को काम करने दोगे कि नहीं करने दोगे? हमने किसी ए. ईएन., जे. ईएन. को लगाने के लिये दो साल में आज दिन तक नहीं कहा। फिर तीन महीने, छह महीने बाद में लगातार हटा रहे हो। आज दिन तक किसी भी डिमाण्ड नोटिस के अनुसार रायपुर विधान सभा में कोई कनेक्शन नहीं दिया गया। स्थिति वो की वो बनी हुई है। जो डिमाण्ड नोटिस भर दिया, उसकी आपकी कोई पालिसी नहीं है कि इतने महीने में, इतने दिनों में जिसका डिमाण्ड नोटिस भर दिया गया है उसको कनेक्शन मिल जाना चाहिये। मेहरबानी करके आज आप सदन में घोषणा कीजिए कि डिमाण्ड नोटिस भरने की इतनी अवधि के अन्दर-अन्दर किसान का एग्रीकल्चर कनेक्शन हो या घरेलू कनेक्शन हो, किसी प्रकार का कनेक्शन हो, उसको दे दिया जाएगा।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, यह भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, आसन से कोई व्यवस्था दीजिए। आधा घण्टा हो गया, एक प्रश्न आया है। माननीय सदस्य, पूरे राजस्थान के.... (व्यवधान) एक क्वेश्चन

(श्री जनार्दन गहलोत)

आया है, दूसरे सदस्यों का क्या होगा? अन्य सदस्यों के क्वेश्चन आते ही नहीं हैं, रोजाना एक क्वेश्चन ही आ पाता है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन आवर निकल जाता है। और माननीय सदस्यों की भी कोई भावना है, उनका क्वेश्चन लगा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा हो गया।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, साहब। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, खण्ड 4 में....

श्री अध्यक्ष : आधा घंटा हो गया है, बैठिये। मीणा साहब, बैठिये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं।

श्री अध्यक्ष : दो अनुपूरक पूछ सकते हैं आप, आपने 10 क्वेश्चन पूछे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक पूछना बाकी है।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मेरा नीति सम्बन्धी सवाल है, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से जवाब दिलवाइये।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर चोरी का जो मुकदमा दर्ज कराया, क्या हुआ? (व्यवधान) चालान हुआ या एफ.आर. लगी? यदि एफ.आर. लगी तो झूठा मुकदमा करने वाले के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अभी मंत्री महोदय ने यह बताया कि हमारे जो प्रायोरिटी तय होगी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णमुरारीजी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : झूठा मुकदमा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे, इसका जवाब दे दें।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : जो प्रायोरिटी तय होगी किसानों को कनेक्शन देने के लिए, उन्होंने बताया कि हम डिमाण्ड नोटिस जमा होने के आधार पर प्रायोरिटी तय करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी किसान ने डिमाण्ड नोटिस के पैसे भी जमा करा दिये और उसने फिटिंग नहीं करायी तो क्या आप उसको कनेक्शन दे देंगे? मान लो उसने फिटिंग नहीं करायी तो क्या आगे वाली प्रायोरिटी देखेंगे? कौनसी प्रायोरिटी तय करेंगे आप? डिमाण्ड नोटिस जमा करा दिया, एल फार्म नहीं दिया तो क्या आप उस प्रायोरिटी को मानेंगे, यह मैं आप से पूछना चाहता हूं? यह जो डिले होता है वह इसलिए होता है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शनों में एल फार्म की शर्त तो हटा

(डा. चन्द्रभान)

रखी है लेकिन अगला फिटिंग ही नहीं कराएगा तो कनेक्शन कैसे लेगा ?

रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया, अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होने के 60 दिन के भीतर कनेक्शन देने का प्रावधान है लेकिन कई बार सामान उपलब्ध नहीं होने पर नहीं दे पाते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : एक-एक साल से डिमाण्ड नोटिस जमा हैं और आज तक (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जैसा मैंने कहा, 34 हजार लोगों ने डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा कराये इनमें से 26 हजार को कनेक्शन दे दिये। जो 8 हजार बचे हैं वे ज्यादातर वे लोग बचे हैं जिन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च में पैसे जमा कराये हैं और हमारा टार्गेट 25 हजार को क्रास कर गया था। इनको भी अब जल्दी से जल्दी इसी मई, जून के महीने में कनेक्शन दे देंगे हम। पहले उन्हीं को कनेक्शन देंगे जिनके डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन श्री रामलाल गुर्जर।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री सवाल पूछने की इजाजत दी जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री रामलाल गुर्जर। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां दो साल हो गये एक किसान को डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराये हुए....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आधा घंटे से ऊपर हो गया, आप देखिये। (व्यवधान) 35 मिनट तक एक प्रश्न चलता रहा है।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सवाल है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : किसान को दो साल से बयाना पंचायत समिति के ग्राम थाना गांव में....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामलालजी गुर्जर। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मैंने दूसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा है इसलिए मैं पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नन्दलालजी, आप बैठिये। आप सीनियर आदमी हैं सदन के, आप जानते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रश्न के खण्ड चार में...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब कुछ मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये किसान को डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा कराये हुए, दो साल में उसको क्वेश्चन नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : खण्ड 4 में यह पूछा है, "क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ उप-खण्ड में विद्युत आपूर्ति निम्बाहेड़ा से की जा रही है. जिसके कारण पर्याप्त बिजली नहीं दी जाती है?" माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि "निम्बाहेड़ा से 132 के.वी., जी.एस.एस. प्रतापगढ़ के माध्यम से निर्धारित नीति के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है।"

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलालजी, आप बैठिये। नहीं....(व्यवधान)....

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ में.... (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने दो साल पहले डिमाण्ड नोटिस जमा कराये उनको कब तक कनेक्शन दे देंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामलालजी गुर्जर। बैठिये, आपकी पार्टी के हैं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं।

श्री अध्यक्ष : अब आप क्यों खड़े हो रहे हैं? इसका क्या मतलब है? बैठिये आप।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 के डिमाण्ड नोटिस जमा हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, हेमारामजी, बैठिये आप।

देव डूंगरी मालासेरी (भीलवाड़ा) में पर्यटन स्थल का विकास

304. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वर्ष 2000-2001 में राजस्थान में नये पर्यटक स्थलों की स्वीकृति दी गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां?

(2) क्या सरकार देव डूंगरी मालासेरी तहसील, आसीन्द को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्रीजी कहां हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : आप इसके मंत्री कहां से हो गये?

श्री अध्यक्ष : मेरी अनुमति से बोल रहे हैं। मैंने अनुमति दी है।

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) जी, नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन स्थलों को स्वीकृति नहीं दी जाती है।

(2) जी, नहीं। पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है।

श्री रामलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार पर्यटकों को स्थल विशेष

(श्री रामलाल गुर्जर)

की ओर आकर्षित करने की मंशा नहीं रखती है ? क्यों ?

क्या देव नारायण आराध्य देव की जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मंशा सरकार नहीं रखती ? क्यों ? स्थल विशेष को अगर पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है तो फिर किसे किया जाता है ? स्पष्ट करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया, पर्यटन स्थल राज्य में कहीं भी घोषित नहीं किये जाते हैं और जब घोषित नहीं किये जाते हैं तो इसका भी कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री मानिक चन्द सुराना : राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनेक स्थानों की पर्यटन संभावनाओं का परीक्षण नहीं करती, निरीक्षण नहीं करती है कि जिससे राजस्थान में पर्यटन बढ़ सके ? जो स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आज पर्यटन के मैप पर नहीं हैं, ट्यूरिस्ट वहां पर नहीं जाते हैं, क्या उन स्थानों को चिन्हित करके, उनका विकास करके पर्यटन स्थल बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में यह पूछा है कि पर्यटन स्थल घोषित किये जाते हैं, वह तो आ गया। अब रहा यह सवाल, तो जहां पर्यटकों की आवाजाही होती है, ट्रैवल एजेंसी अथवा जिला पर्यटन कार्यालय द्वारा या जिलाधीश कार्यालय द्वारा समय-समय पर जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसके आधार पर पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मूल प्रश्न के उत्तर में यही बात कहनी चाहिए थी। आप हमेशा सरकार की नकारात्मक नीति को ही आगे रख रहे हैं। माननीय कल्लाजी, जो सकारात्मक है उसको भी नकारात्मक बना कर पेश कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह पूछा था कि पर्यटन स्थल घोषित किये जाते हैं, वह राजस्थान में परम्परा नहीं है। आप स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं, कोई पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता।

श्री मानिक चन्द सुराना : वित्त मंत्री रनहे से या नहीं रहने से...(व्यवधान)...

श्री बुलाकी दास कल्ला : लेकिन जहां देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही होती है वहां वह विकसित किया जाता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रश्न यह है कि जहां आवाजाही नहीं भी है और उस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की गुंजाइश है तो राज्य सरकार का दायित्व है कि उसको भी विकसित करे और उसको पर्यटन के मैप पर लाए। माननीय प्रश्नकर्ता की भी यही मंशा है और यही बात आपसे पूछी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की कोई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर्यटन नीति है? पर्यटन चूंकि राजस्थान का एक मुख्य निवेश का केन्द्र है, क्या सरकार की कोई पर्यटन नीति है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, केवल-मात्र एक देव डूंगरी का प्रश्न था, पर्यटन नीति के बारे में तो आप अलग से प्रश्न कर लें, बता देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नीति है या नहीं, यह बता दो।

श्री रामलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि यह देव नारायणजी का जन्म स्थान तो है ही, लेकिन पर्यटन स्थल के नाते भी इसका महत्व है। पुष्कर से आते हैं, बाहर से पर्यटक आते हैं और लाखों यात्री दर्शनार्थ आते हैं। अगर स्थान विशेष नहीं होता है तो अभी 26 से लेकर के 8 तारीख तक जो फंक्शन था, करीब 10 लाख यात्री आये थे, पूरे हिन्दुस्तान से आये थे। उसमें कई पर्यटक भी थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जानकारी दी है, प्रश्न कोई पूछा नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि जिला कलक्टर द्वारा रिकमण्ड करने पर किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है। जनता की मांग होती है, जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, स्थानीय संस्थाएं होती हैं वे बराबर लिखती हैं आपके विभाग को, जिला कलक्टर को लिखती हैं। क्या कोई ऐसी पालिसी बना रखी है जिसके तहत नये पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए सरकार इन पर आवश्यक कदम उठाएं? क्या इस प्रकार की कोई नीति है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जैसा मैंने पूर्व में बताया, राजस्थान में पर्यटन स्थल कहीं घोषित ही नहीं किये जाते हैं। जहां पर्यटकों की आवाजाही होती है वहां पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से, हमारे जिलाधीश कार्यालय से और अन्य एजेंसियों के माध्यम से जो उस क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे ट्रैवल एजेंसी हैं, उन सब की सूचनाओं के आधार पर वहां कुछ पर्यटन के विकास के काम किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : देव डूंगरी मालासेरी में पर्यटकों की आवाजाही है क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला : वहां पर सावन-भादवे में देव नारायणजी का मेला लगता है, उस समय करीब 50-60 हजार आदमी आते हैं।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो कह रहे हैं कि 10 लाख आये थे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, एक पूरक प्रश्न है। श्रीगंगानगर में पिछली विधान सभा में यह घोषणा की गयी थी कि वहां पर मिड-वे बनाया जाएगा क्योंकि वहां जापानी लोग और पंजाब और हरियाणा के लोग बहुत आते हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक सवाल है भीलवाड़ा जिले का।

श्री राधेश्याम गंगानगर : कपास और नरमा खरीदने के लिए जापान से, रशिया से डाइरेक्ट लोग आते हैं। घोषणा की गयी थी कि अगले सत्र में यहां मिड-वे बना दिया जाएगा, क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण हुआ, क्यों नहीं बना आज तक?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है यह।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्री महोदय, लोक देवता हैं देवनारायण भगवान.... (व्यवधान) बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता।

डा. रतन लाल जाट : मैं माननीय मंत्री महोदय से सीधा पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता आपके पीछे खड़े हैं। (व्यवधान) प्रश्नकर्ता।

श्री रामलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 50-60 हजार यात्री सावन और भादवा में आते हैं ये तथ्य गलत बताये हैं, वहां दर्शनार्थी रैगुलर आते रहते हैं। जो तथ्य 50-60 हजार के बताये, सौ परसेंट गलत बताये। जानकारी, जिला कलक्टर महोदय या किसी ने भी दी तो यह गलत दी। (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ने सीधा पाइंटेड सवाल पूछा है देव डूंगरी....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील आसीन्द का जो स्थान है क्या उसको सरकार पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्यवाही करेगी? हाउस में उठा लिया, हम सब कह रहे हैं, अब कौनसी एजेंसी है, कौनसा आपका ऐसा बना हुआ है जिसके हिसाब से पर्यटक स्थल घोषित किया जाता है? (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : सीधा पाइंटेड सवाल है, क्या इसको पर्यटक स्थल घोषित करना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : इनको साथ ही पूछने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया है, पर्यटक स्थल तो कहीं घोषित किया हुआ ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि दो महीने में 50-60 हजार आते हैं ये आंकड़े कहां से लाये आप? इसके कोई आंकड़े हैं क्या? यह बताओ कौनसे आंकड़े हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, एस.डी.एम. से जानकारी प्राप्त करने पर यह पता लगा कि वहां पर सावन-भादवा में मेला लगता है और अन्दाजन वहां पर इतने पर्यटक आते हैं। पर्यटन विभाग ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखता। मूल प्रश्न तो मात्र यह

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

था कि यहां पर पर्यटक स्थल घोषित किये जाते हैं या नहीं किये जाते हैं, वह मैंने बता दिया कि नहीं किये जाते हैं। वहीं प्रश्न समाप्त हो जाता है। लेकिन पूरक प्रश्न पूछना चाहेंगे इस कारण से मैंने अपने स्तर पर एस.डी.एम. से जानकारी प्राप्त करवायी और उनसे यह पता लगा कि वहां लगभग 50-60 हजार टूरिस्ट आते हैं।

श्री सांवर लाल : कौनसे एस.डी.एम. से? भीलवाड़ा जिले के एस.डी.एम. से करवायी क्या? (व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : अध्यक्ष महोदय, अभी इस साल के फंक्शन में दस लाख लोग वहां पर आये हैं। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। (व्यवधान) पर्यटन की इन्होंने कोई नीति ही नहीं बना रखी है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, यह तो बताओ कि कौनसे एस.डी.एम. ने रिपोर्ट भेजी आपको जिसके आधार पर आप बता रहे हो? कौनसे एस.डी.एम. ने रिपोर्ट भेजी कि पचास हजार का आंकड़ा है? यह तो बताओ हमको कि वह रिपोर्ट कहां है कि पचास हजार आते हैं? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त की थी।

डा. रतन लाल जाट : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, लाखों आदमी नियमित रूप से आते हैं और मंत्रीजी कह रहे हैं कि वैसे ही एस.डी.एम. से जानकारी ले ली। अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप हर वक्त खड़े हो जाते हैं और हाथ हिला रहे हैं। बात यह है कि वह तो प्रश्नकर्ता ने पूछा है, फिर चौहान साहब ने पूछा है, इनका उत्तर आने दीजिए। आप बीच में ही खड़े हो जाते हैं। भंवरलालजी ने पूछ लिया।

श्री सांवर लाल : हम भी पूछ रहे हैं, हमें भी अधिकार देओ, साहब, पूछने का।

श्री अध्यक्ष : आप इनका जवाब आने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्पेसिफिक प्रश्न है मंत्री महोदय से।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पहले इनका जवाब आने दीजिए। श्री गोयल, बैठिए।

श्री सुरेन्द्र गोयल : राज्य सरकार पर्यटन स्थल घोषित नहीं करती है परन्तु क्या इस देव डूंगरी स्थान को विकसित करने का राज्य सरकार विचार रखती है?

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में यह देव डूंगरी का ही प्रश्न नहीं है, हमारे राजस्थान के अन्दर ऐसे कई स्थान हैं जहां लाखों की संख्या में दर्शनार्थी और ट्यूरिज्म के लोग दर्शन करने के नाम पर आते हैं। चाहे वे पर्यटक हों या नहीं हों, लेकिन उनके आने-जाने की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए ट्यूरिज्म

(श्री जनार्दन गहलोत)

डिपार्टमेंट क्या उनकी फैसिलिटीज के लिए कोई व्यवस्था करने की नीयत नहीं रखता है? देव डूंगरी के अलावा कैलादेवी के अन्दर 45 लाख आदमी आते हैं, महावीरजी के अन्दर आते हैं... (व्यवधान) राजस्थान भर में कई ऐसे स्थान हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर लाखों की संख्या के अन्दर पर्यटक और दर्शनार्थी आते हैं। ट्यूरिज्म विभाग कम से कम ऐसे स्थानों को डवलप करने की नीयत रखता है या नहीं रखता है? पर्यटकों की सुविधा के लिए क्या योजना है राज्य सरकार की? राजस्थान व्यापी प्रश्न है, यह खाली देव डूंगरी का ही मामला नहीं है। राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं जहां मेले भरते हैं परबतसर का भरता है, नागौर में भरता है, पुष्कर का मेला है, रामदेवरा का मेला है, कैलादेवी का है, महावीरजी का है। राजस्थान के अन्दर ऐसे स्थानों पर जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहां ट्यूरिज्म विभाग उनकी सुविधा के लिए क्या करने जा रहा है? उसके बारे में कोई नीति है तो आप बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। बहुत से किले, गढ़-गढ़इया, मंदिर....(व्यवधान) नहीं, यहां पर मन्दिर, दरगाह सभी चीजें हैं...

श्री जनार्दन गहलोत : वह काम तो भैरोंसिंहजी के लिए ठीक था आप तो दूसरा लो। वह भैरोंसिंहजी ने कर लिया देवरी, राजा महाराजा....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार मालूम पड़ा है, आपने ज्ञानवर्द्धन जोरदार किया है कि यहां बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। यह मालूम ही नहीं था। यह है ज्ञान की बात। वाह, साहब!

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक मिनट। पर्यटन स्थल इतने अधिक हैं। इनके आधार पर पर्यटन विभाग ने अभी कैबिनेट के पास में पर्यटन नीति का मसौदा भेजा हुआ है। जैसे ही कैबिनेट पारित करेगी आपके सामने वह नीति आ जाएगी। जहां तक इन्होंने प्रश्न से अलग कैलादेवी वगैरह का मामला यहां उठाया है, मैं समझता हूं कि जहां धार्मिक मेले होते हैं....

श्री जनार्दन गहलोत : राजस्थान भर का है, चाहे खाटू श्यामजी का मामला हो, पूरे राजस्थान में कई स्थान हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेलों के आधार पर या वर्षपर्यन्त जो पर्यटक आते हैं इन सबको आधार मानकर ही पर्यटन स्थल विकसित किये जाते हैं। मूल प्रश्न तो इतना ही था कि पर्यटन स्थल सरकार घोषित करती है या नहीं करती है। मैंने बता दिया घोषित करती नहीं है और जब घोषित करती ही नहीं है तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मूल प्रश्न तो केवल इतना था कि देव डूंगरी को क्या पर्यटन स्थल घोषित करने का सरकार विचार रखती है। हमारी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

नीति नहीं है, पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थान को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है और जब पर्यटक स्थल घोषित सरकार नहीं करती है, पर्यटक विभाग नहीं करता है तो इसका भी प्रश्न नहीं उठता। जहां तक पर्यटन स्थलों के विकास का सवाल है उसके बारे में मैंने बताया कि जहां पर्यटकों का वर्षपर्यन्त आवागमन होता है उसको पर्यटन विभाग विकसित करता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री धर्मपाल चौधरी।

जिला अलवर में वृद्धावस्था पेंशनरों की बकाया

305. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला अलवर के सभी विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कुल कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कुछ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने के उपरान्त कुछ समय पश्चात् बन्द कर दी गयी ? यदि हां, तो किन-किन की व क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की माह फरवरी, 2001 तक कितनी पेंशन बकाया है ?

(4) क्या सरकार उक्त पेंशनधारियों को पेंशन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री बनवारी लाल बैरवा) : (1) जिला अलवर के सभी विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1999-2000 में 11307 व्यक्तियों को तथा वर्ष 2000-2001 में 1236 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गयी।

(2) जी, हां। यह सही है कि जिला अलवर के विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में स्वीकृत पेंशन प्रकरणों में कुछ की पेंशन बन्द कर दी गयी। विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कुल 1710 व्यक्तियों की पेंशन बन्द कर दी गयी जिसमें से राष्ट्रीय वृद्धावस्था के 1684, राज्य वृद्धावस्था के 2 एवं विधवा के 24 प्रकरण हैं। जांच एवं सर्वे में जो प्रकरण नियमों के अन्तर्गत पेंशन की पात्रता नहीं रखते थे, उनकी स्वीकृति निरस्त कर दी गयी। सूची संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की माह फरवरी, 2001 तक कुल बकाया अनुमानित राशि 90,000/- रुपये है।

(4) जी, हां। इन पेंशनधारियों को भुगतान की व्यवस्था के अनुसार बारी आने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में कितनी राशि केन्द्र सरकार से और कितनी राशि राज्य सरकार से मिलती है? क्या कारण है कि अलवर जिले में 1999-2000 में आपने 11307 लोगों को पेंशन दी तथा 2000-2001 में सिर्फ 1236 व्यक्तियों की पेंशन बनायी? तीसरा, मण्डावर में 1860 लोगों को आप टोटल पेंशन देते थे और 1710 आदमियों की आपने पेंशन बन्द कर दी, उसका क्या कारण है?

खण्ड तीन में मंत्रीजी ने फरवरी, 2001 तक कुल 90,000/- की राशि बकाया बतायी है वह राशि कब से बकाया है? आपने विधान सभा के बजट सत्र में यह घोषणा की थी कि हम वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे और विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, इस अभियान को कब चालू करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बैठिए, बैठिए।

श्री जनार्दन गहलोत : बड़ी महत्वूपर्ण बात है। मेरा प्रश्न आलरेडी 313 नम्बर है। यह मामला मण्डावर तक ही सीमित नहीं है, पूरे राजस्थान भर का मामला है। राज्य सरकार ने पेंशन बढ़ाने का फैसला किया है, बहुत स्वागत योग्य है। पूरे राजस्थान के अन्दर राज्य सरकार की बहुत सराहना हुई है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उन पेंशनर्स की जिन्होंने फार्म भरे थे, फिर दुबारा जांच हुई और राजस्थान के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में काफी लोगों की पेंशन बन्द कर दी गयी।

एक ही गांव में एक ही हैसियत वाले आदमी, एक को पेंशन मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही है। मेरे 313 नम्बर क्वेश्चन पर राजस्थान भर का मामला है। अध्यक्ष महोदय, इसको क्लब कर दें, बहुत अहम् मसला है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन तथा राज्य वृद्धावस्था पेंशन, दो पेंशश यहां से जारी होती हैं। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में केन्द्र सरकार की ओर से 75 रुपये केवल मात्र 1.57 हजार लोगों के लिए निश्चित थे, जबकि राजस्थान सरकार 3.73 हजार से अधिक लोगों को पेंशन जारी करती है। 75 रुपया भारत सरकार देती है, लेकिन हमने बढ़ाकर इस पेंशन को 14.6.99 से ज्यादा कर दिया। 125 रुपया राजस्थान सरकार दे रही है। इस तरीके से कुल मिलाकर 200 रुपये की पेंशन आज वृद्धावस्था पेंशन के तौर पर दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मण्डावर का प्रश्न है, मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया है कि 1710 व्यक्तियों की पेंशन बंद हुई है चूंकि....

श्री धर्मपाल चौधरी : कितनों में से? कुल कितनी संख्या थी, वह बताओ न

(श्री धर्मपाल चौधरी)

1860 में से 1710 की आपने बंद कर दी और दूसरी तरफ कहते हो कि हम 3.57 हजार लोगों को पेंशन दे रहे हैं। जब एक विधान सभा क्षेत्र में कुल 100-125 आदमी रह गये हैं तो आपके पास 3.57 हजार की संख्या कहां से आ गयी? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, इस समय मण्डावर के अन्दर 182 लोगों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, राज्य वृद्धावस्था पेंशन 227 लोगों को दी जा रही है, 26 विधवाओं को दी जा रही है, 74 विकलांगों को दी जा रही है। यह इसलिए चूंकि...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह थोड़े ही सवाल है, कितनों को बंद किया यह पूछ रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : बंद करने का कारण क्या है? 1710 की जो पेंशन बंद की है....(व्यवधान) इनको देने लग रहे थे, पूरे राजस्थान में बंद कर दी। यह मण्डावर का सवाल नहीं है। आप एक तरफ तो बजट में घोषणा करते हो... (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : केवल मण्डावर का सवाल नहीं है, अध्यक्ष महोदय, लाखों का सवाल है।

श्री धर्मपाल चौधरी : बजट में तो बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हो, पेंशन को बढ़ाएंगे, विधवाओं को पेंशन देंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : कोई विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं, पूरे राजस्थान का सवाल है, लाखों का सवाल है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब देना नहीं चाहते, आपके पास जवाब है नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : वोट लेने के लिए चालू की थी और अब बंद कर दी। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरे खुद के क्षेत्र में 400 लोगों को पेंशन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले मण्डावर से आने वाले प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है, हां, आप पूछिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : कुल 1860 लोगों को आप पेंशन देते थे, 1710 की आपने बंद कर दी। एक तरफ तो आंकड़े बता रहे हो कि एक लाख से तीन लाख सत्तावन हजार पहुंचा दिये, लेकिन 1860 में से 1710 बंद हुए तो डेढ़ सौ आदमियों को पेंशन दे रहे हो आप। 3.57 हजार को कहां पेंशन दे रहे हो? इस बारे में बताओ। और 1710 की बंद कैसे की? क्या कारण था उसका?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बता दो आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि पेंशन कुछ नियमों के आधार पर दी जाती है। जो निश्चित नियम हैं उनका दुबारा चूंकि बहुत सारे केसेज... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पूरे राजस्थान के अन्दर यही हालत है। पूरे राजस्थान के अन्दर वृद्धावस्था पेंशन आप द्वारा बंद कर दी गयी, यह पूरे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पहले नियमों के खिलाफ दी थी क्या? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पेंशन पहले प्रारम्भ की गयी और (व्यवधान) बंद कर देना यह कौनसा नियम है? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : आप कहते हो यह गरीबों की सरकार है.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : साल-साल भर लोगों ने वृद्धावस्था पेंशन उठा ली उसके बाद बंद करने का क्या कारण है, समझ में नहीं आता है। सारे राजस्थान में इस प्रकार आपने पेंशन बंद की है और गरीबों की सहायता व कल्याणकारी राज्य की बात करती है यह सरकार। वृद्ध व्यक्तियों का पालन-पोषण करना चाहते हैं तो यह नीति में खोट कैसे आया, यह आप बताएं? पहले प्रारम्भ करने के बाद बंद करने का क्या रीजन है?

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 119 या 120 लोग हैं और उनका 90 हजार रुपया बकाया है, तो इन्होंने दी कब है? इसका मतलब एक भी नया पैसा जिनकी चालू बता रहे हैं उनका भी नहीं दिया। क्या जो स्वीकृत हुई थी पहले, वह नियम विरुद्ध हुई थी? आपने नियम लागू किये कि लड़का बीस साल से ज्यादा होने के बाद भी हलफनामा दे दे कि वह उनकी परवरिश नहीं करता है तो उनकी स्वीकृति हो जाएगी, उसको आपने विथड्रा करके वापस उठा लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जवाब देना नहीं चाहते, माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सवाल किया है (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : राजस्थान के गरीब लोग तबाह हो रहे हैं।

श्री सांवर लाल : पांच-पांच साल से मिल रही थी उनकी बंद कर दी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : बुड्ढे अपाहिज जिनकी कोई सेवा करने वाला नहीं है, कल्याणकारी राज्य है यह, इस प्रकार (व्यवधान) तबाह किया जा रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गरीब जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह कौनसी नीति है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने राज में क्या किया था? (व्यवधान) सवाल तो आपने कर लिया, जवाब तो सुनो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी जवाब देना नहीं चाहते। इनके पास जवाब है नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर, बैठिये।

श्री हीरासिंह चौहान : हमको दो साल हो गये वृद्धावस्था पेंशन के लिये (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : गरीबों का शोषण हो रहा है, गरीबों की आवाज को दबाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। आर्डर, आर्डर प्लीज। (व्यवधान)... श्री प्रताप सिंह सिंघवी, अपनी सीट पर जाइये। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व समाज कल्याण मंत्रीजी ने कितनी बढ़ायी थी, आप जानकारी लीजिये इनसे।

श्री जीतमल खांट : यह वृद्धावस्था पेंशन बंद कर देना गरीब जनता के साथ में धोखा है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, सीरियस मामला है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि बैठे तो सही। जरा उत्तर तो सुनें। अपने स्थान पर बैठकर उत्तर तो सुनें। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह वृद्धावस्था पेंशन चालू की जाए।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपने प्रश्न कर दिया ठीक है, लेकिन उसका उत्तर तो सुन लें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रमजान खान जी, चलिये, चलिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप बैठो तो जवाब दूं। अध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार के अन्दर अटरू से आने वाले माननीय सदस्य के पास समाज कल्याण मंत्रालय था, जरा इनसे यह जानकारी ले लें कि इन्होंने पांच रुपये भी इन वृद्धों के बढ़ाये थे क्या? हमारी सरकार है जिसने 28 करोड़ से बढ़ाकर 182 करोड़ तक पेंशन दी है। हमने कम नहीं किया है लेकिन... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय? यह किस सरकार की बात कर रहे हो? (व्यवधान) 1800 लोगों में से 1700 लोगों की पेंशन बंद कर देते हो। यह अपनी सरकार की बात कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों ने अपने कुछ तथ्य छिपा लिये थे, बहुत ज्यादा तादाद में थे, हमारे पास शिकायतें आयीं। दुबारा इनकी जांच करायी गयी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पेंशन चालू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, यह बता दें आप?

श्री बनवारी लाल बैरवा : जांच कराने में जो भी फैक्ट्स हमारे सामने आये, जो पात्र थे उनकी स्वीकृत कर दी गयी और शेष को निरस्त कर दी गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 3.73 हजार लोगों को यह कहते हैं कि हमने पेंशन दी है...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार को डायरेक्शन दीजिए, लताड़ दीजिए कि सारे वृद्धों की पेंशन वापस चालू करें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, जिलेवार सूची आप इनसे सदन की मेज पर रखवाएं, कितने लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है? (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 करोड़ से 182 करोड़ किया है हमने, 182 करोड़ कम नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, कितनी पेंशन दी जा रही है, कितने लोगों को दी जा रही है?

श्री बनवारी लाल बैरवा : हमने 200 रुपये दिये हैं। जिनको ये 125 देते थे उनको हमने 200 किये हैं। जिन विधवाओं को ये सवा सौ देते थे उनको हमने 200 किये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : इन्होंने 3.73 हजार लोगों को पेंशन देने की बात कही है। अलवर जिले में मात्र 11,360 को पेंशन देने की बात कही और विधान सभा क्षेत्र में आते ही 1860 में से 1710 की पेंशन बंद कर दी, मात्र 150 लोगों को दी जा रही है एक विधान सभा क्षेत्र में जो विपक्ष का है, 1710 वृद्ध लोगों की पेंशन इन्होंने बंद कर दी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, वह तो वहां के लोगों की दरखास्तें लेकर किया गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी 5.80 हजार का आंकड़ा बता रहे थे अपने गवर्नर स्पीच के जवाब में (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सब जगह बंद है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आज इन्होंने 3.73 हजार बता दिये। कहां तो 5.80 और आज यह कह रहे हैं कि 3.73 हजार को हम पेंशन दे रहे हैं, कितना बड़ा फर्क है। इसलिए जिलेवार आंकड़े इनसे रखवाये जाएं कि कौनसे जिले में कितने लोगों को पेशन दी। (व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : यह संख्या 9.18 लाख तक पहुंच गयी थी तब सरकार

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

को दबाव में ये आदेश करने पड़े। (व्यवधान) यह करा लिया गया। शिकायत नहीं आए, माननीय सदस्य ने कहा कि... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित फरमा दें आप। दुबारा आ जाए, दुबारा पूछ लेंगे हम। स्थगित फरमा दें आप। अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब आया नहीं, मंत्रीजी तैयार होकर आये नहीं, इसको स्थगित करा दें।

श्री अध्यक्ष : काहे के लिए, यह उत्तर दे रहे हैं सब।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये आंकड़े ही सब गलत* हैं। मुख्य मंत्रीजी ने जो आंकड़ा दिया वह गलत* पांच लाख अस्सी हजार का, आप 3.73 हजार कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल बैरवा : आप सुनिये तो सही, पुरानी सरकार ने...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम किसको सही मानें ? मुख्य मंत्रीजी को सही मानें या मंत्रीजी की बात को सही मानें ? (व्यवधान) निर्देश प्रदान करें...

(12.00 बजे)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इनको आवश्यक निर्देश प्रदान करें कि विस्तृत स्टेटमैंट (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पूरा स्टेटमैंट आए... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : जो सेन्टर से पैसा मिल रहा है...(व्यवधान) क्या आदेश हुए...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : स्टेटमैंट के लिये निर्देश फरमाये जाएं।

श्री जगत सिंह दायमा : सिर्फ 75 रुपये देने के आदेश हैं। (व्यवधान)

(श्री मदन दिलावर द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, प्रश्न काल समाप्त।

(श्री मदन दिलावर, माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

श्री बनवारी लाल बैरवा : वैल में बैठने वाले माननीय सदस्य यह बताएं कि इन्होंने कितना बढ़ाया था ?

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, इनकी व्यवस्था तो फरमाएं कोई विस्तृत वक्तव्य देने के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी, प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान) नहीं, कटारिया जी, बाद में। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वक्तव्य देने के लिये तो निर्देश फरमाएं...(व्यवधान)

---

* शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया।

श्री अध्यक्ष : बाद में। नहीं, कटारियाजी। (व्यवधान) राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल का संदेश सुनिये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक मिनट के लिये केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अभी, कटारियाजी, आप बैठिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्वेश्चन नहीं है, आपसे छोटा-सा निवेदन है। आपसे सिर्फ निवेदन है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपसे निवेदन इतना ही है...

श्री अध्यक्ष : अब इस संबंध में बात नहीं होगी, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपकी बात समझ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कोई बात कहनी हो तो आप मेरे चैम्बर में आ जाना, मैं आपकी बात सुनूंगा लेकिन अभी नहीं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह इतना उलझा हुआ विषय हो गया है कि इसमें आप अलग से समय देकर...(व्यवधान)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला अलवर में निजी इंजीनियरिंग कालेज द्वारा आवंटन से अधिक भूमि पर अतिक्रमण

522. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में एकमात्र निजी इंजीनियरिंग कालेज को रीको की ओर से भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितने वर्ग गज?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त इंजीनियरिंग कालेज ने रीको को 1200 वर्ग गज भूमि से अधिक पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है? क्या सरकार उक्त भूमि की पुनः पैमाइश करायेगी? क्या सरकार उक्त कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। रीको द्वारा जिला अलवर में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में निजी इंजीनियरिंग कालेज हेतु निम्नानुसार भूमि आबंटित की गई है :—

(अ) औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में सेन्ट मार्गेट एजूकेशन सोसायटी को 1,01,175 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन दिनांक 16.12.99 को किया गया है।

(ब) औद्योगिक क्षेत्र मत्स्य विस्तार में आल इण्डिया सोसायटी फार एजूकेशन

(उद्योग मंत्री)

एण्ड रिसर्च को 40,480 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन दिनांक 2.5.98 को किया गया है।

(2) औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में मैसर्स सेन्ट मार्गेट एजूकेशन सोसायटी के पास आबंटित भूमि से अधिक भूमि नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र मत्स्य में आल इण्डिया सोसायटी फार एडवांस एजूकेशन एण्ड रिसर्च को आबंटित भूमि पर चारदीवारी बनाने के पश्चात् पुनः पैमाइश दिनांक 1.11.99 को करने पर उनके पास 295.40 वर्ग मीटर भूमि अधिक पाई गई। भू-खण्ड आबंटन किए जाते समय भूमि का क्षेत्रफल मानचित्र में दर्शाए गए साइज के अनुसार लिखा जाता है जिसका सत्यापन पूर्ण रूप से आबंटी द्वारा मौके पर चारदीवारी के निर्माण के पश्चात् ही किया जाता है। इस प्रकार आवंटी द्वारा अनधिकृत रूप से रीको की भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है तथा इस प्रकरण में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। इस प्रकार के प्रकरणों में अतिरिक्त भूमि की राशि पार्टी से वसूल की जाती है तथा इस प्रकरण में भी अतिरिक्त भूमि की राशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को प्रोत्साहन हेतु स्टेडियम

523. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या व किस प्रकार की?

(2) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में स्टेडियम बनाने हेतु आर्थिक सहयोग दिया जाता है? यदि हां, तो कितना व किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) भारत सरकार की "खेल उपकरण तथा खेल मैदानों के विकास के सम्बन्ध में ग्रामीण स्कूलों को अनुदान योजना" के अन्तर्गत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सहायता भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है। खेल मैदानों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा भी खेल अनुदान नियमों के अन्तर्गत व्यय अनुमानों का 25% अथवा 2.00 लाख रुपये में जो भी कम हो दिये जाने का प्रावधान है।

जिला जैसलमेर में पूर्ण हाइड्रोलोजीकल सर्वे

524. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के बहुत बड़े भू-भाग में पर्याप्त मात्रा में भू-जल उपलब्ध है।

(2) क्या पूर्ण हाइड्रोलोजीकल सर्वे न होने के कारण पेयजल हेतु लम्बी लाइन

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

बिछाई जाती है तथा बाद में स्रोत मिलने से वे लाइनें बेकार हो जाती हैं?

(3) क्या सरकार जिला जैसलमेर में पूर्ण हाइड्रोलोजीकल में सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर के कुल क्षेत्रफल 38145 वर्ग किमी. में से पोटेंशियल जोन के 9342.80 वर्ग किमी. क्षेत्र (जो कुल क्षेत्रफल का 24.49 प्रतिशत है) में पर्याप्त मात्रा में भू-जल उपलब्ध है। भू-जल पुनर्मूल्यांकन प्रतिवेदन 1.1.1998 के अनुसार जैसलमेर जिले में तीनों पंचायत समितियां "सुरक्षित श्रेणी" में वर्गीकृत हैं तथा इनमें भू-जल अवशेष की उपलब्धता का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पंचायत समिति	पोटेंशियल जोन क्षेत्र (वर्ग किमी.)	वार्षिक भू-जल रिचार्ज (एम.सी.एम.)	वार्षिक भू-जल ड्राफ्ट (एम.सी.एम.)	भू-जल बेलेंस (एम.सी.एम.)	भू-जल विकास की दर (प्रतिशत)	श्रेणी
1.	जैसलमेर	2197.72	15.8807	8.8612	7.0195	55.80	सेफ
2.	सम	5985.28	20.0543	3.7702	16.2841	18.80	सेफ
3.	सांकड़ा	1159.80	11.4913	4.6997	6.7916	40.93	सेफ
	योग	**9342.80**	**47.4263**	**17.3311**	**30.0952**		

(2) जी, नहीं। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के द्वारा, पेयजल योजना की स्वीकृति से पूर्व स्रोत के चयन हेतु हाइड्रोजियोलोजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है एवं उसी के अनुसार स्रोत चिन्हित किया जाता है तथा स्रोत के सफल होने पर पाइप लाइन का कार्य किया जाता है इसलिये लाइन बेकार नहीं होती है।

(3) जी, हां। पूर्व में जैसलमेर जिले का विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण हो चुका है जिसकी सर्वेक्षण रिपोर्ट 1987 में भू-जल विभाग द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। वर्तमान में जिले में पूर्ण हाइड्रोलोजिकल सर्वे (भू-जल का पुनर्मूल्यांकन) 1.1.2001 का कार्य करवाया जा रहा है।

पंचायत समिति सायला (जालौर) में डार्क जोन क्षेत्र का सर्वे

525. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(1) पंचायत समिति सायला (जालौर) में डार्क जोन क्षेत्र का अन्तिम सर्वे कब करवाया था और उक्त सर्वे का क्या परिणाम रहा था?

(2) क्या सरकार अब पुनः सर्वे करवाने का विचार रखती है?

(3) क्या डार्क जोन घोषित क्षेत्र में बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों के किसानों की माली हालत सुधारने हेतु ऋण उपलब्ध करवाने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सायला (जालौर) में डार्क जोन क्षेत्र (जिसे अब "क्रिटिकल" क्षेत्र कहा जाता है) का अन्तिम सर्वे 1.1.1998 को किया गया था जिसके परिणाम अनुसार पंचायत समिति-सायला क्षेत्र को समग्र रूप से "अति-दोहित (ओवर-एक्सप्लोइटेड)" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया।

(2) जी, हां। जिले के नवीनतम सर्वे (1.1.2001) के अनुसार भू-जल संसाधन के पुनर्मूल्यांकन का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है।

(3) जी, नहीं। डार्क जोन घोषित क्षेत्र (जो अब "क्रिटिकल" श्रेणी में वर्गीकृत है), में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा भू-जल दोहन हेतु नये कुएं एवं ट्यूबवैल बनवाने बाबत ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

जी, नहीं। विभाग द्वारा "क्रिटिकल" तथा "अति-दोहित" (ओवर-एक्सप्लोइटेड) क्षेत्रों में भू-जल दोहन हेतु नये कुएं एवं ट्यूबवैल हेतु ऋण/पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि नाबार्ड द्वारा अतिदोहित क्षेत्रों में भू-जल दोहन हेतु नये कुएं, ट्यूबवैल आदि बनवाने के लिए ऋण/पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रश्न संख्या-526

(स्थगित)

जिला पाली में जलग्रहण विकास कार्यों में अनियमितता

527. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली में भू-संरक्षण के तहत कितने जलग्रहण विकास कार्यों की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परियोजनाओं में प्रारम्भ से अब तक कितना-कितना व्यय किन-किन कार्य पर किया गया?

(3) क्या गत पांच वर्षों में उक्त परियोजनाओं में हुई अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों की प्रति मय जांच रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(4) उक्त जांच में दोषी पाए गए अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला पाली में जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण संबंधी कुल 82 विकास कार्य क्रमशः राज.प्र.वि., डी.डी.पी. और आश्वासित रोजगार योजना के अन्तर्गत चल रहे हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार सदन के पटल पर रख दिया गया है :—

(अ) मरु विकास कार्यक्रम	56 कार्य
(ब) आश्वासित रोजगार योजना	17 कार्य
(स) राज.प्र.वि. योजना	9 कार्य
कुल कार्य	**82 कार्य**

(2) उक्त परियोजनाओं के प्रारम्भ से फरवरी, 2001 तक कुल 1079.220 लाख की राशि कार्यों पर व्यय हुई है, जिसका योजनावार विवरण निम्नप्रकार है :

(अ) मरु विकास कार्यक्रम	688.308 लाख रुपये
(ब) आश्वासित रोजगार योजना	243.222 लाख रुपये
(स) रा.ज.प्र. योजना	147.690 लाख रुपये

कार्यवार व्यय राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) उक्त परियोजनाओं में गत 5 वर्षों में अनियमितताओं संबंधी 13 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों एवं शिकायतों की जांच रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) उक्त 13 शिकायतों की जांच का निष्कर्ष एवं दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

जिला बांसवाड़ा में कृषि महाविद्यालय की स्थापना

528. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जिला बांसवाड़ा में कृषि महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं। क्योंकि बांसवाड़ा की कृषि शिक्षा संबंधी आवश्यकताएं उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ण हो रही है।

जिला कोटा में पौध संरक्षण कीट नाशकों की जांच

529. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि तिलहन उत्पादन में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत पौध संरक्षण रसायनों पर पचास प्रतिशत या पांच सौ रुपये जो भी कम हो अनुदान दिया जाता था? यदि हां, तो कोटा में इल्ली के प्रकोप के समय उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा कितना अनुदान किस प्रकार से दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समय कोटा में काम में लिया गया पौध संरक्षण रसायन घटिया स्तर का था जिसके नमूने लेकर जांच भी की गई थी? यदि हां, तो उक्त संबंध में विभाग ने क्या कार्यवाही की? जांच रिपोर्ट की प्रति व सप्लाई करने वाली फर्मों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कोटा में उक्त प्रकरण के समय कृषि निदेशक भी मौजूद थे? यदि हां, तो उन्होंने क्या-क्या कार्यवाही की?

(4) पौध संरक्षण, कीटनाशकों के लिये अनुदान कितना-कितना किस सीमा तक तथा किस प्रकार से दिया गया? क्या उक्त संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित है या कोई आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। कोटा जिले में इल्ली के प्रकोप के समय राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानित दर पर पौध-संरक्षण रसायन 200/- रुपये (दो स्प्रे/भुरकाव हेतु) प्रति हैक्टेयर या कीटनाशक रसायन की कीमत का 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, की दर से उपलब्ध कराये जाने हेतु 12.45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। उक्त प्रावधान के अन्तर्गत 10.56 लाख रुपये कोटा जिले में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अनुदान उपलब्ध करवाने पर व्यय किये गये। जिससे 10,566 हैक्टेयर प्रभावित क्षेत्र उपचारित किया गया।

(2) जी, नहीं। कीटनाशक रसायनों के नमूनों की जांच हेतु विभाग द्वारा आबंटित लक्ष्यों के परिपेक्ष में इल्ली प्रकोप के समय कोटा जिले में कीटनाशक रसायनों के 43 नमूने विश्लेषण हेतु लिये गये, जिनमें से 35 नमूने मानक तथा 8 नमूने अमानक पाये गये। अमानक पाये गये नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट की फोटो प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है तथा संबंधित फर्मों का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, हां। निदेशक कृषि, राजस्थान, जयपुर द्वारा माह सितम्बर, 2000 में कोटा संभाग में रहकर सोयाबीन की फसल में प्रभावी कीट नियंत्रण हेतु निम्न कार्य किये :—

1. प्रभावित जिलों में क्षेत्र भ्रमण उपरान्त अतिरिक्त निदेशक कृषि स्तर के उच्चाधिकारियों को प्रभावित जिलों में प्रभारी नियुक्त कर टीमों का गठन किया गया एवं स्थिति की प्रतिदिन समीक्षा की गई। प्रभावित

(कृषि मंत्री)

क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया गया एवं भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्व विद्यालयों के विशेषज्ञों का प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण करवाकर उनकी अभिशंसा के अनुरूप नियंत्रण कार्य करवाया गया।

2. प्रभावित जिलों के जिला कलक्टर एवं संभागीय आयुक्त से सम्पर्क स्थापित कर सभी संबंधित विभागों में सामंजस्य बिठाकर कीट नियंत्रण कार्य को अभियान के रूप में सम्पन्न करवाया।

3. आवश्यकतानुसार अन्य जिलों से अतिरिक्त तकनीकी स्टाफ लगाकर अभियान को सघन बनाया तथा आवश्यकतानुसार कीटनाशक दवाओं की उपलब्धि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्यवाही की गई। जिसके परिणामस्वरूप माहमारी के रूप में उभरे कीट प्रकोप पर सम्पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया है।

4. आवश्कतानुसार डस्टर भी विभिन्न स्थानों से मंगवाकर क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वितरण करवाये।

(4) पौध संरक्षण कीटनाशक रसायनों के लिये कोटा जिले में कुल 10.56 लाख रुपये का अनुदान 200/- रुपये (2 स्प्रे/भुरकाव हेतु) प्रति हेक्टेयर या कीटनाशक रसायन की कीमत का 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, की दर से दिया गया। आदेशों की प्रति परिशिष्ट "स" सदन की पटल पर रख दी गई है। जिससे 10,566 हैक्टेयर प्रभावित क्षेत्र को उपचारित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय तिलहन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 500/- रुपये प्रति हैक्टेयर या कीटनाशक रसायन की कीमत का 50 प्रतिशत में से जो भी कम हो, का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन विभाग द्वारा अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने हेतु प्रति हैक्टेयर अनुदान की अधिकतम सीमा 200/- रुपये निर्धारित की गयी थी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला जयपुर में कृषि विभाग में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

530. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000 में उप निदेशक कृषि (शस्य), जयपुर को कितने प्रकरण किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा जिला जयपुर में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने या किसी अभ्यर्थी का एजेण्ट/काउंटिंग एजेण्ट बनने के कृत्यों की जांच हेतु जांच अधिकारी बनाया गया है ?

(2) उक्त प्रकरणों में उप निदेशक (शस्य) ने राजनैतिक गतिविधियों में भाग

(श्री ललित भाटी)

लेने या किसी अभ्यर्थी का एजेण्ट बनने के प्रकरणों पर क्या-क्या जांच, किस-किस प्रकार से की है और जांच के क्या परिणाम रहे? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जांच अधिकारी ने एजेण्ट हेतु भरे गये फार्म संख्या-10 जो दोषियों द्वारा भरकर खुद ने सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को दिनांक 31 जनवरी, 2000 को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रस्तुत किया, की भी जांच की है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या खुद के द्वारा भरे गये प्रपत्रों/फर्मों की जांच का कोई औचित्य है? जब फार्म में खुद की हैण्डराइटिंग है और हस्ताक्षर असल है तथा रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष भरा गया है और उसके समक्ष हस्ताक्षर किये गये हैं तो फिर और जांच किस प्रकार की जायेगी?

(5) उक्त प्रकरण में उप निदेशक (शस्य) ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है और जांच के क्या परिणाम रहे हैं? उक्त प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले और एजेण्ट बनकर राजनैतिक कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शीघ्र कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? क्या उक्त जांच अधिकारी ने जांच कार्य में अनावश्यक विलम्ब किया है? यदि हां, तो क्यों?

(7) अब उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर उन्हें निलम्बित कर दिया जायेगा?

(8) क्या उक्त प्रकरण में जांच अधिकारी दोषियों को बचाने का कृत्य कर रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त जांचों का निस्तारण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां, वर्ष 2000 में उप निदेशक, कृषि (शस्य) को श्री रामकिशोर मीणा, सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा, जिला जयपुर द्वारा गत सरपंच के चुनाव में काउंटिंग एजेण्ट बनने संबंधी राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने बाबत एक प्रकरण में जांच अधिकारी बनाया गया था।

(2) उक्त प्रकरण में उप निदेशक, कृषि (शस्य) ने दोषी कर्मचारी के द्वारा ग्राम पंचायत-धिनोई के पंचायत चुनाव में सरपंच का काउंटिंग एजेण्ट बनने संबंधी प्रकरण में जिला कलक्टर (चुनाव) से प्राप्त चुनाव संबंधी फार्म-10 अभिलेखों की गहनता से जांच की है। फार्म-10 की जांच के दौरान कर्मचारी द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं कर्मचारी द्वारा वेतन बिलों पर प्राप्त भुगतान संबंधी हस्ताक्षर आदि का भी मिलान किया गया। जिसमें परिणामतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री मीणा द्वारा गणन अभिकर्ता के रूप में भाग लिया है। जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृषि मंत्री)

(3) जी, हां। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) फार्म-10 की कर्मचारी ने खुद के हैण्डराइटिंग में स्वयं के हस्ताक्षर से रिटर्निंग आफिसर के समक्ष भरा है। उसके हस्ताक्षरों का मिलान उपरोक्तानुसार वेतन बिलों से व क्षेत्रीय व्यक्तियों से पूछताछ कर ली गई है। जिससे यह पाया जाता है कि कर्मचारी ने राजनैतिक गतिविधियों में भाग लिया है। अतः अन्य किसी प्रकार की जांच का कोई औचित्य नहीं है।

(5) उप निदेशक, कृषि (शस्य) ने उक्त प्रकरण की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी द्वारा धिनोई सरपंच के चुनाव में एक अभ्यर्थी का गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करना पाया गया। उक्त प्रकरण में इस कृत्य के लिये कर्मचारियों को सी.सी.ए नियम, 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया है। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(6) जी, हां। सी.सी.ए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकरण में नियुक्त जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्य तत्परता से पूर्ण किया है।

(7) दोषी के विरुद्ध सी.सी.ए नियम 16 की कार्यवाही चालू कर दी है अगर उचित हुआ तो निलम्बन किया जावेगा।

(8) जी, नहीं। प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषी कर्मचारी को सी.सी.ए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी कर दिया गया है, तथा सी.सी.ए नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही जारी है। विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में जांच हेतु नमूने लेने का निर्धारित समय

531. श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के केन्द्रीय प्रयोगशाला के भंडार प्रभारी पद पर वर्तमान में कौन पदस्थापित है? क्या यह सही है कि प्रभारी/अधिकारी द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग कर अपने अधिकार किसी कनिष्ठ चिकित्सक/अन्य कर्मचारी को दे रखे हैं? यदि हां, तो क्यों एवं किसको? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त चिकित्सालय कौन-कौनसी प्रयोगशाला में किस-किस प्रकार की जांच की जाती है? उक्त प्रयोगशालाओं में मरीजों से जांच हेतु नमूने लेने का समय

(श्री जीतमल खांट)

क्या-क्या है और जांच परिणाम संबंधित वार्ड में भिजवाने का समय क्या है?

(3) क्या यह सही है कि बायो केमेस्ट्री लैब में जांच हेतु नमूने दोपहर 2.00 बजे तक लिये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों एवं किस आदेश से? संबंधित आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के केन्द्रीय प्रयोगशाला में भण्डार प्रभारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(2) इस चिकित्सालय में होने वाली जांचों व प्रयोगशालाओं की सूची संलग्न है। आउटडोर मरीजों की जांच के लिए नमूने आउटडोर समय में लिये जाते हैं तथा इन्डोर मरीजों के नमूने सर्दियों में मध्यान्ह एक बजे तक तथा गर्मियों में 12 बजे तक लिए जाते हैं। जांच कार्य पूर्ण होते ही रिपोर्ट दे दी जाती है, जबकि इन्डोर मरीजों की रिपोर्ट संबंधित वार्ड में जांच पूर्ण होते ही पहुंचा दी जाती है।

(3) जी, नहीं। बायोकेमिस्ट्री लैब का जांच कार्य 24 घंटे चलता है। इसलिए बायोकेमिस्ट्री जांच के नमूने केन्द्रीय प्रयोगशाला में मध्यान्ह 2 बजे तक एवं इसके बाद आपातकालीन बायोकेमिस्ट्री लैब में लिये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

आपातकालीन स्थिति में निजी चिकित्सकों को मेडिकल जूरिस्ट के समान अधिकार

532. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिन दुर्घटनाओं में मेडिकल जूरिस्ट की जांच होना आवश्यक होता है, निजी चिकित्सकों को तत्काल उपचार की अनुमति नहीं है? चाहे पीड़ित व्यक्ति को अविलम्ब चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना कितना ही आवश्यक क्यों न हो?

(2) क्या विशेषज्ञों की यह राय है कि ऐसी आपातकालीन स्थिति में निजी चिकित्सक को मेडिकल जूरिस्ट मान लेना चाहिये?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार की व्यवस्था करना लोक हित में आवश्यक समझती है? यदि हां, तो सरकार क्या उक्त संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बल्कि वस्तुतः स्थिति यह है कि दुर्घटना जैसे मामले में पीड़ित व्यक्ति को अविलम्ब चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराना प्रत्येक चिकित्सक का परम कर्तव्य है, भारतीय चिकित्सा परिषद् (एमसीआई) व भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित कोड आफ मेडिकल ऐथीथस में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के दायित्व में

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

भी यह शामिल है तथा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने निर्णय परमानन्द बनाम भारत संघ याचिका संख्या-270/1988 में प्रतिपादित किया है। (प्रति संलग्न है)

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग के पत्रांक 15(143)एमपीएच/2/2000 दिनांक, 13.12.2000 में यह दर्शाया गया है कि निजी नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को सड़क दुर्घटना वाले केसेज (राष्ट्रीय राज मार्गों पर) में एम.एल.सी. केसेज के लिए अनुमति लेना आवश्यक है जिसके लिए निजी चिकित्सालयों को राज्य सरकार को आवेदन करना होगा।

(3) जी, हां। विचार किया जा रहा है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा दुकानों का निरीक्षण

533. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 में ड्रग विभाग द्वारा प्रदेश की कुल कितनी दुकानों का निरीक्षण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्षों में ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण नहीं किये गये? यदि हां, तो ऐसे निरीक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि फार्मासिस्ट के अनुपस्थित पाये जाने पर प्रोपराइटर के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है? यदि नहीं, तो फिर उक्त वर्षों में कितने खुदरा प्रोपराइटरों से स्पष्टीकरण लिया गया व क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि दवाई की दुकान में अन्य सामान विक्रय करना प्रतिबंधित है? यदि हां, तो कितने लाइसेंसधारियों के विरुद्ध उक्त अवधि में कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 से 1999-2000 में औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा 22179 दुकानों का निरीक्षण किया गया। सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। उक्त वर्षों में 8 औषधि निरीक्षकों ने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण नहीं किए। इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर चेतावनी दी गई।

(3) जी, नहीं। फार्मासिस्ट के अनुपस्थित पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत सृजित नियमावली, 1945 के नियम 66 के तहत फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(4) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरियावद (उदयपुर) में चिकित्सकों के रिक्त पद

534. श्री नगराज (लसाड़िया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील धरियावद, जिला उदयपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों पर कितने चिकित्सक पदस्थापित हैं तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में दो चिकित्सक ही पदस्थापित है? यदि हां, तो उक्त में से कौनसा चिकित्सक अनुपस्थित रहता है?

(3) क्या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर को उक्त सम्बन्ध में कई बार अवगत कराया गया फिर भी उक्त समस्या का समाधान नहीं किया गया है? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरियावद, जिला उदयपुर में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :—

पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1	—	1
2. कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1	—	1
3. चिकित्सा अधिकारी	1	1	—

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरियावद में दो विशेषज्ञ तथा एक चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत है तथा वर्तमान में एक चिकित्सा अधिकारी निरन्तर सेवाएं दे रहा है।

(3) समानीकरण के पूर्व धरियावद में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के दो पद एवं चिकित्सा अधिकारी का एक पद स्वीकृत था, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. चतुर्भुज मेघवाल, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी के पद पर डा. वन्दना अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी पदस्थापित थे।

समानीकरण में दिनांक 5.12.2000 को धरियावद में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के दोनों पदों को कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) एवं (गायनी) में परिवर्तित कर दिये गए। इस प्रकार धरियावद में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद कनिष्ठ विशेषज्ञ में परिवर्तित होने के कारण डा. चतुर्भुज मेघवाल का दिनांक 17.3.2001 को अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया, धरियावद में एक चिकित्सक ही कार्यरत रहने के कारण डा. कपिल गोयल, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लसाड़िया एवं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

डा. जयप्रकाश मीणा मुगाणा से लगाकर समस्या का समाधान किया गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर कनिष्ठ विशेषज्ञ के रिक्त पदों को भरा जाना संभव होगा।

कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों पर पदोन्नति

535. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल, 2000 से जून, 2000 तक चिकित्सा अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पद के विरुद्ध लगाया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर उक्त रिक्त पदों पर पदोन्नतियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में कनिष्ठ विशेषज्ञों के 333 पद रिक्त हैं।

(2) जी, हां। विभिन्न विशिष्ठताओं में कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर रिक्त पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।

तहसील क्षेत्र आसीन्द के चिकित्सालयों में रिक्त पद

536. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) में डाक्टर, कम्पाउण्डर व, नर्सों के कितने पद कहां-कहां पर रिक्त हैं?

(2) अब कब तक उक्त रिक्त पद भर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र आसीन्द में डाक्टर, कम्पाउण्डर व नर्सों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है :—

पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	संस्थान का नाम
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी/गायनी)	2	सामु. स्वा. केन्द्र, आसीन्द
2. नर्स श्रेणी-II	3	1. प्रा.स्वा.केन्द्र., कालीयास 2. प्रा.स्वा.केन्द्र, शम्भूगढ़ 3. उच्चीकृत उपकेन्द्र, कटार
3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता।	1	उप केन्द्र तीलोली

(2) पद भरने की कार्यवाही जारी है।

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में कार्डियोग्राफी मशीन द्वारा अर्जित शुल्क राशि

537. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में 2 डी. इको कार्डियोग्राफी का उपकरण किस वर्ष में क्रय किया गया था? उक्त उपकरण की कुल लागत कितनी थी?

(2) उक्त इको मशीन से अब तक कुल कितने रोगियों की जांच की गई?

(3) उक्त मशीन से कितने रोगियों की जांच निःशुल्क की गई व कितने रोगियों से उक्त जांच का शुल्क लिया गया?

(4) उक्त मशीन से अब तक शुल्क के द्वारा कितनी राशि वर्ष 2000 तक अर्जित की गई?

(5) गत वर्षों में उक्त मशीन कब-कब खराब रही?

(6) गत वर्षों में उक्त मशीन की मरम्मत पर कितनी राशि व्यय की गई?

उत्तर

(1) इस चिकित्सा में 2 डी ईको कार्डियोग्राफी मशीन जून, 1997 में खरीदी गई थी तथा उपकरण की कुल 73.15 लाख रुपये लागत आई थी।

(2) इस मशीन से अब तक 25060 रोगियों की जांच की गई है।

(3) उक्त मशीन से 8858 रोगियों की जांच निःशुल्क की गई तथा 16202 रोगियों से जांच शुल्क लिया गया।

(4) उक्त मशीन से वर्ष 2000 तक 82.63 लाख रुपये अर्जित किये गये।

(5) उक्त मशीन अब तक भली भांति कार्य कर रही है। कभी भी खराब नहीं रही।

(6) उक्त मशीन माह 8/2000 तक गारंटी अवधि में थी। उसके उपरान्त अभी तक इसकी मरम्मत पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयुपर में खराब उपकरणों की मरम्मत

538. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कितने उपकरण कब से खराब हैं? उनकी मरम्मत के लिए क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में 16 उपकरण खराब हैं, उपकरणों के नाम व ठीक किये जाने के सम्बन्ध में किये गये प्रयास का विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

जिला पाली के चिकित्सालयों में कार्यरत एक्स-रे मशीनें

539. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला पाली के किन-किन अस्पतालों में एक्स-रे मशीनें कार्य कर रही हैं और किन-किन में खराब हैं? खराब की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मशीनों के लिए कितने तकनीशियन लगा रखे हैं?

(3) उक्त चिकित्सालयों में एक्स-रे करवाने पर कितनी फीस ली जाती है?

उत्तर

(1) जिला पाली के अस्पतालों में कार्यरत एवं खराब एक्स-रे मशीनों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त मशीनों के संचालन हेतु 12 तकनीशियन कार्यरत हैं।

(3) उक्त चिकित्सालयों में 40/- रुपये प्रति एक्स-रे तथा डेन्टल एक्स-रे के 20/- रुपये एक्स-रे फीस ली जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

तहसील पीपल्दा (कोटा) में चिकित्साकर्मियों के रिक्त पद

540. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील पीपल्दा (कोटा) के उप स्वास्थ्य केन्द्र, हास्पिटल में ए.एन.एम. व कम्पाउण्डर के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील पीपल्दा क्षेत्र में नर्स श्रेणी-प्रथम के 2 पद, नर्स श्रेणी-द्वितीय के 8 पद एवं प्रसाविका के 6 पद रिक्त हैं।

(2) जी, हां। उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के सड़क विहीन गांव

541. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के कितने गांवों को अभी सड़क से जोड़ा जाना बाकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त गांवों को सड़क से कब तक जोड़ दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा के 119 गांवों को अभी सड़क से जोड़ा जाना बाकी है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर 1000 के ऊपर की आबादी वाले 3 गांवों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को वर्ष 2003 तक एवं 500 से 1000 के बीच की आबादी वाले 19 गांवों को वर्ष 2007 तक डामर सड़क से जोड़े जाने का प्रस्ताव है। शेष 97 गांव जिनकी आबादी 500 से कम है, उन्हें जोड़ने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, यह राज्य की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

विधायकों को राजकीय आवासों में सुविधाएं

542. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माननीय विधायकों के सरकारी आवासों पर सरकार द्वारा कौन-कौनसी सुविधाएं दी जाती हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी आवासों में पानी-बिजली, सीवर लाइन के उपकरण खराब होने पर समय-समय पर सरकार द्वारा बदल दिये जाते हैं? यदि हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माननीय विधायकों के सरकारी आवास पर इस विभाग द्वारा निम्नांकित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं :—

1. आवास की सभी प्रकार की संधारण एवं विशेष मरम्मत संबंधी कार्य।

2. तादादी रुपये 50,000/- तक की कीमत का फर्नीचर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

3. आवासों पर विद्युत उपकरणों में कूलर, फ्रीज व हीटर मांग के अनुसार उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किराये पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जी, हां। पानी, बिजली सैनेटरी के उपकरण बदले जाते हैं।

जिला बारां में पार्वती नदी पर पुलिया का निर्माण

543. **श्री शिवनारायण** (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की बामोरी कलां से सूरथाक नदी पार्वती तक पक्की सड़क है? क्या उक्त सड़क मध्य प्रदेश के बड़ोदा-शोपुर क्षेत्र को जोड़ती है?

(2) क्या मध्य प्रदेश शोपुर-बड़ोदा से कुहन्जापुर पार्वती नदी तक शोपुर से कुहन्जापुर तक की डामरीकृत सड़क मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ती है?

(3) क्या सरकार उक्त हेतु पार्वती नदी पर पुल निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) व (2) जी, हां। राजस्थान में जिला बारां में बमोरी कलां से सूरथांक (पार्वती नदी) तक मेटल सड़क है। यह सड़क राज्य सीमा पर स्थित पार्वती नदी पर पुल नहीं होने के कारण पूर्व वर्ष के लिये आवागमन हेतु पर्याप्त नहीं है।

(3) जी, हां। पार्वती नदी राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। अतः मध्य प्रदेश सरकार से पुल बनाने हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली के पंचायत मुख्यालयों हेतु सड़क निर्माण

544. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में बड़ गांव एवं छाबड़ियों का नया गांव पंचायत मुख्यालय को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की स्वीकृति विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक डामरीकृत सड़क से जोड़ा जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में :—

(अ) बडगांव पंचायत मुख्यालय जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 1143 है को डामरीकृत सड़क से जोड़ने की स्वीकृति राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2000-2001 में 52.00 लाख की दी जा चुकी है। वर्तमान में उक्त सड़क का कार्य प्रगति पर है एवं इस वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ब) छाबड़ियों का नया गांव पंचायत मुख्यालय, जिसकी आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार 613 है, की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा बी.एम.एस.पी. योजना मद के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में राशि 44.13 लाख की दी गई थी।

अब उक्त कार्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 में जोड़ने का लक्ष्य है।

तहसील श्रीडूंगरगढ़ (चूरू) की प्रस्तावित सड़कें

545. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत दो वर्षों में तहसील श्री डूंगरगढ़ (चूरू) के किन-किन गांवों को सड़क मार्ग से जोड़े जाने के कौन-कौन से प्रस्ताव बी.ओ.टी., एम.ओ.टी., जी.आर.एफ. योजना में तैयार किये गये थे? उक्त योजनाओं में कितनी-कितनी राशि किस-किस सड़क के लिए स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावित सड़कों को किस-किस योजना के तहत कब तक तैयार कर दिया जावेगा?

(श्री मंगला राम गोदारा)

(3) अधीक्षण अभियन्ता चूरू के स्तर पर तहसील डूंगरगढ़ की कौन-कौनसी सड़क बनाने के प्रस्ताव कितनी-कितनी लागत के गत दो वर्षों में तैयार किये गये? उक्त में से कौन-कौन से प्रस्तावों पर कार्य चालू कर दिया गया?

(4) उक्त में से कितनी सड़कों के प्रस्ताव किस-किस स्तर पर विचाराधीन हैं और कब तक स्वीकृत कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) से (4) गत दो वर्षों में तहसील श्रीडूंगरगढ़ (वर्तमान में बीकानेर) के गांवों को जोड़ने हेतु बी.ओ.टी., एम.ओ.टी., जी.आर.एफ. में कोई प्रस्ताव नहीं भेजे गये। केवल सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत बीदासर-श्रीडूंगरगढ़-कालू सड़क कि.मी. 0/0 से 15/0 के प्रस्ताव तैयार कर सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं।

सी.आर.एफ. में उक्त प्रस्तावित सड़क की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् 12 माह की अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

तहसील बसवा जिला दौसा में आभानेरी के पास सड़क पर पुलिया निर्माण

546. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बसवा जिला दौसा में गूलर का चौराहा (पिचूपाड़ा खुर्द) से रानापाड़ा तक डामर सड़क बनाई गई है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि गूलर के चौराहे से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम जैसा का गोला (आभानेरी) के पास उक्त सड़क में पुलिया नहीं बनी होने के कारण जब भी बरसात होती है पानी भर जाता है?

(3) क्या सरकार ग्राम आभानेरी के पास जनता की सुविधा को मद्देनजर रखते हुये पुलिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, गूलर चौराहा से आभानेरी 4 कि.मी. डामर सड़क का निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1991-92 में कराया गया था एवं आभानेरी से आगे रानापाड़ा तक 10 कि.मी. डामर सड़क का निर्माण राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 1997-98 में कराया गया।

(2) जी, नहीं। पुलिया नहीं बनायी जाने के कारण बरसात में पानी यथेष्ट मात्रा में नहीं भरता है।

(3) जी नहीं, सड़क की मौका स्थिति (पानी बहाव कम होने से) के अनुसार पुलिया निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जिला बाड़मेर में उर्दू अध्यापकों के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

547. श्री अमीन खान (शिव) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राज्य में उर्दू भाषा का अध्ययन कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 में कितने उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत करने का विचार है?

(2) क्या सरकार जिला बाड़मेर व जैसलमेर में उर्दू भाषा के अध्यापकों के ट्रेनिंग सेन्टर खोलने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) वर्तमान में उर्दू भाषा का अध्ययन (कक्षा-6 से 10 तक तृतीय भाषा, कक्षा-11 एवं 12 में ऐच्छिक विषय) के रूप में राज्य में करवाया जा रहा है। मांग एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के तहत नये पदों का सृजन किया जाता है। वर्ष 2001-2002 के माध्यमिक शिक्षा के बजट में उर्दू अध्यापकों के पदों के सृजन का प्रावधान नहीं है।

(2) जी, नहीं।

शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य स्तरीय चयन बोर्ड का गठन

548. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग में शिक्षकों की स्थानान्तरण सम्बन्धी कोई नीति बनी है? यदि हां, तो क्या? क्या सरकार स्थायी स्थानान्तरण संबंधी नीति बनाने का विचार रखती है?

(2) क्या उद्योग/संगीत/चित्रकला को सामान्य शिक्षक की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित कर पदोन्नति के अवसर दिये जाते हैं?

(3) क्या उक्त पदों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है?

(4) क्या सरकार व्याख्याताओं के रिक्त पदों को आपात भर्ती योजना से भरने का विचार रखती है?

(5) शिक्षकों के रिक्त पदों को नियमित चयन प्रक्रिया/सीधी भर्ती द्वारा कब तक भरा जायेगा?

(6) क्या महिला एवं पुरुष अध्यापकों की एक/अलग-अलग वरिष्ठता सूची है?

(7) क्या शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिया जाता है? यदि हां, तो क्या-क्या कार्य क्यों करवाये जाते हैं?

(8) गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों की शिक्षा हेतु विषयाध्यापकों के कितने-कितने विषयवार पद कब-कब से रिक्त हैं तथा इनको कब तक भर दिया जायेगा?

(9) क्या सरकार अध्यापकों की नियुक्ति हेतु राज्य स्तरीय चयन बोर्ड के गठन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) स्थानान्तरण नीति का प्रारूप राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(4) व्याख्याताओं के पद आपातकालीन भर्ती योजना से भरने का कोई प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। नियमित प्रक्रिया से पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(6) जी, हां।

(7) जी, हां। शिक्षकों की राष्ट्रीय हित में अन्य लोक सेवकों की भांति साक्षरता, चुनाव, जनगणना टीकारण, पल्स पोलियो आदि राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अल्पकालीन सेवाएं ली जाती हैं।

(8) विषय एवं रिक्त अवधि अनुसार रिक्त पदों की सूचना प्रस्तुत करना व्यय एवं श्रम साध्य है, अतः प्रश्न का यह आंशिक भाग ग्राह्य योग्य नहीं है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(9) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विद्यालयों में निरीक्षण के मानदण्ड

549. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग में शिक्षकों/कर्मचारियों के राज्यादेश वर्ष 2000-2001 में जारी कर स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो जिला जयपुर के माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के किस-किस वर्ग के कितने-कितने आदेश जारी किये गये? उक्त में से कितनों की पालना की गयी तथा शेष की पालना नहीं किये जाने का कारण क्या रहा तथा क्या पालना किये जाने का कोई मानदण्ड रहा है?

(2) क्या शिक्षा विभाग में राज्य सरकार द्वारा राजकीय वाहन हटाए जाकर, ठेके पर वाहन उपलब्ध करवाने की नीति रही है? यदि हां, तो किस-किस कार्यालय से कौन-कौन से वाहन हटाये जाकर मोटर गैराज में जमा करवा दिये गये?

(3) क्या शिक्षा विभाग में विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने की योजना है? यदि हां, तो किस-किस स्तर के अधिकारी को माह में कितने न्यूनतम निरीक्षण किए जाने का मानदण्ड है? उक्त में से किस-किस अधिकारी ने कितने-कितने निरीक्षण किये?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जयपुर के माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत जारी

(शिक्षा मंत्री)

राज्यादेशों एवं उनकी पालना का विवरण परिशिष्ट "अ" पर रख दिया गया है।

राज्यादेशों की पालना पद रिक्त नहीं होने नाम व पदनाम में भिन्नता होने, पूर्व में पालना कर दिये जाने एवं सैटअप परिवर्तन के कारण नहीं की गई है।

(2) माध्यमिक शिक्षा में राजकीय वाहन हटाकर नहीं बल्कि जिन क्षेत्रीय कार्यालयों में वाहन अनुपलब्ध है, उन्हें निविदा प्रणाली पर वाहन किराये पर प्राप्त करने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध कराया गया। वैसे राज्य सरकार द्वारा पूल गठित करने की सीमा तक वाहन रखते हुए वाहन संख्या आर.जे.07-सी 1206 (जिप्सी), 0436 (जीप), 040 (कार) एवं राज. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा वाहन नम्बर आर.जे.-27 सी 1826 (कार) मोटर गैराज विभाग, जयपुर को जमा कराये गये हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों से वाहन हटाकर मोटर गैराज/जिला पूल में जमा करवाये गये वाहनों का विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(3) जी हां। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत किस-किस अधिकारी द्वारा माह में कितने-कितने न्यूनतम निरीक्षण किये जाने के निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "ब" एवं किस-किस अधिकारी ने कितने-कितने निरीक्षण किये, की सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में निरीक्षण हेतु निर्धारण मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट "ख" एवं अधिकारियों द्वारा दिये गये निरीक्षण का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण व्यावसायिक शिक्षा अभ्यर्थियों को शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति

550. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या वर्ष 1998-99 में तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के पदों पर साक्षात्कार के आधार पर बनी वरीयता सूची में स्थान रखने वाले चयनित व्यावसायिक शिक्षा के अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स करने पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा नियुक्तियां दे दी गई है? यदि हां, तो किन आदेशों के तहत कितने अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई है? यदि नहीं, तो नियुक्तियां क्यों नहीं दी जा रही है?

उत्तर

वर्ष 1998-99 मे तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के पदों पर साक्षात्कार के आधार पर बनी वरीयता सूची में उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक शिक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी गई। परन्तु बांसवाड़ा जिले में एक अभ्यर्थी, जो उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक शिक्षा) उत्तीर्ण था, को नियुक्ति प्रदान की गई है जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है। ब्रिज कोर्स की व्यवस्था वर्ष 1998-99 में नहीं थी तथा वर्ष

(शिक्षा मंत्री)

1998-99 की वरीयता सूची दिनांक 31.3.1999 तक ही नियुक्तियों हेतु वैध थी।

जिला श्रीगंगानगर में तारबन्दी विहीन ट्रांसफार्मर

551. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में जिला श्रीगंगानगर में 33/11 व 132/220 के.वी. के कितने ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र श्री गंगानगर में अधिकांश ट्रांसफार्मरों के बाहर तारबंदी नहीं की हुई है? उक्त क्षेत्र में वर्तमान में ऐसे कितने ट्रांसफार्मर हैं जिनके तारबन्दी नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें। अब उक्त क्षेत्र में सरकार कब तक तारबन्दी करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) वर्तमान में श्रीगंगानगर जिले में 220, 132 व 33 के.वी. के 63 ग्रिड सब-स्टेशन कार्यरत हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1.	220 के.वी.	—	1
2.	132 के.वी.	—	6
3.	33 के.वी.	—	56

उपरोक्त ग्रिड सब-स्टेशनों की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 220 एवं 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की तारबन्दी नहीं की जाती है, क्योंकि इन पर चारदीवारी होती है। विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में स्थित 33 के.वी. सब स्टेशनों पर तारबन्दी/चारदीवारी का कार्य किया हुआ है। 11/0.4 के.वी. सब-स्टेशनों पर ट्रांसफार्मर 6 से 8 फुट ऊंचाई पर रखे हुए हैं। अतः तारबन्दी की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के बकाया कृषि कनेक्शन

552. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में विद्युत समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार विद्युत उत्पादन के बारे में कोई योजनाएं बना रही है? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कुल कितने कृषि कनेक्शन बकाया हैं? क्या मांग पत्र की राशि जमा कराने के पश्चात् भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? वर्तमान में कितने कनेक्शनों के डिमाण्ड नोटिस निकालना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विद्युत समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार राजकीय क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने हेतु प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार के विद्युत उपक्रमों तथा अन्य राज्यों में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विद्युत संयंत्रों (मेगा पावर प्रोजेक्ट) से भी विद्युत आबंटन के लिए राज्य सरकार अपनी सहमति प्रदान कर रही है, ताकि राज्य में विद्युत मांग व उपलब्धता में बढ़ते हुए अन्तर को कम किया जा सके। इनका विवरण निम्नप्रकार है :—

1. सूरतगढ़ चरण द्वितीय (2 × 250 मेगावाट) तृतीय एवं चतुर्थ इकाई :

सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की 250-250 मेगावाट क्षमता की तृतीय व चतुर्थ इकाइयों की स्थापना का कार्य द्रुतगति से किया जा रहा है और इससे विद्युत उत्पादन लक्षित तिथियों तक शुरू होने की संभावना है।

2. सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की पांचवीं इकाई (250 मेगावाट :

सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह की 250 मेगावाट क्षमता की पांचवीं इकाई का निर्माण कार्य भी माह फरवरी, 2001 में प्रारम्भ कर दिया गया है और माह जुलाई, 2003 में इस इकाई से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ होने की संभावना है।

3. रामगढ़ विस्तार परियोजना (75 मेगावाट) :

जैसलमेर जिले में रामगढ़ गैस विद्युत गृह से 75 मेगावाट क्षमता बढ़ाने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से टेक्नो इकानामिक क्लियरेन्स प्राप्त हो चुकी है एवं इस परियोजना के द्वितीय चरण का काम शीघ्र शुरू होने की संभावना है।

4. कोटा तापीय विद्युत परियोजना—छठी इकाई :

कोटा तापीय विद्युत परियोजना की 210 मेगावाट क्षमता की छठी इकाई की स्थापना हेतु केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

5. कास्केड चम्बल पन विद्युत गृह (79 मेगावाट) :

कोटा बैराज के नीचे राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच में बहने वाली चम्बल नदी के पन विद्युत क्षमता का दोहन करने के लिये राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने जल विद्युत गृह लगाने का प्रस्ताव किया था। चम्बल नदी के अन्तरराज्यीय स्वरूप के कारण विभिन्न बांधों के स्थान व पूर्ण भराव जल स्तर (एफ.सी.एल.) के लिए राजस्थान व मध्य प्रदेश के विद्युत मण्डल व सिंचाई विभाग के संयुक्त अध्ययन दल के बीच दिनांक 17.5.1994 को सहमति हुई एवं मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्तरराज्यीय नियंत्रण मंडल की जयपुर में आयोजित दिनांक 3.6.1999 की बैठक के निर्णयानुसार देवीपुरा (राहुघाट) (राजस्थान), गज्जीपुरा, जैतपुरा तथा बरसाला (मध्य

(ऊर्जा मंत्री)

प्रदेश) में कुल 79 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह लगेंगे। इस परियोजना के सर्वेक्षण एवं जांच का कार्य तथा परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु केन्द्रीय जल आयोग को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। सर्वेक्षण एवं जाच कार्य तथा परियोजना प्रतिवेदन हेतु केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बनाई गई 149 लाख रुपये की अनुमानित लागत में मध्य प्रदेश को आधा हिस्सा वहन करना है। इसके बारे में मध्य प्रदेश द्वारा कुछ आपत्तियां उठायी गई जिनका निराकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्वीकृति/सहमति मिलने के पश्चात् परियोजना का सर्वे एवं जांच कार्य शुरू करवाया जायेगा।

6. अनास जल विद्युत परियोजना :

माही द्वितीय विद्युत गृह में 45 मेगावाट की तीसरी इकाई लगाने के लिये स्थान छोड़ा गया है तथा गुजरात सरकार की स्वीकृति के पश्चात् इस परियोजना पर भी कार्य करने की रूपरेखा तय की जावेगी।

7. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन :

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु राज्य सरकार ने माह मार्च, 1999 में ऊर्जा उत्पादन हेतु नीति की घोषणा की। पवन स्रोतों के दोहन के लिए राज्य सरकार ने विशेष रूप से माह फरवरी, 2000 में एक नीति का निर्धारण किया है जिसके अन्तर्गत 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत राज्य में लगभग 9 मेगावाट पवन ऊर्जा आधारित विद्युत गृहों के लिए विद्युत क्रय अनुबन्ध कर लिये गये हैं।

8. एकीकृत कम्बाइन्ड साइकिल मथानिया परियोजना (140 मेगावाट) :

राजस्थान सरकार राज्य में पश्चिमी भाग में 140 मेगावाट का सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत कम्बाईन्ड साइकिल मथानिया परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रही है।

9. केप्टिव पावर प्लांट पालिसी :

केप्टिव पावर प्लांट की नीति जारी है तथा इसके अन्तर्गत लगभग 424 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

10. राज्य में निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले विद्युत उत्पादन संयंत्र :

राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में निर्माण, स्वामित्व, परिचालन एवं संधारण (बी.ओ.ओ.एम) के आधार पर क्रियान्वयन हेतु 1802 मेगावाट (अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत परियोजनाओं सहित) की परियोजनाओं के लिये विद्युत क्रय अनुबन्ध किये गये हैं। उनसे उचित मूल्य पर विद्युत उत्पन्न कराने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

11. केन्द्र सरकार के उपक्रमों/निजी क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं से राज्य सरकार द्वारा विद्युत आबंटन के लिए सहमति :

मेगा पावर प्रोजेक्ट व अन्य केन्द्रीय परियोजनाओं से विद्युत क्रय करने हेतु दी गई सहमति के विवरण परिशिष्ट-एक में संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कुल 1609 कृषि कनेक्शन बकाया हैं। मांग पत्र

(ऊर्जा मंत्री)

की राशि जमा करवाने वाले केवल 2 आवेदकों को कनेक्शन दिया जाना शेष है। उक्त क्षेत्र की कट आफ डेट दिनांक 31 मार्च, 1991 के अनुसार वर्तमान में 110 आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जाना शेष है। इनमें से 11 के.वी. फीडरों पर वी.आर. 8% से ज्यादा होने के कारण उन फ़ीडरों पर आने वाली 29 पत्रावलियां अस्थायी तौर पर लम्बित कर दी गई हैं तथा शेष 81 पत्रावलियों के तखमीने बनाये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

भदीरा (भरतपुर) में प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

553. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भदीरा (भरतपुर) में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन प्रस्तावित है?

(2) क्या सरकार उक्त 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भदीरा (भरतपुर) में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के प्रस्ताव की आर्थिक एवं तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है।

(2) उक्त प्रस्ताव स्वीकृत होने व वार्षिक सब ट्रांसमिशन कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार निर्माण कार्य शुरू किया जाना संभव हो सकेगा।

विश्वकर्मा नगर, महारानी फ़ार्म, दुर्गापुरा (जयपुर) में विद्युत समस्या

554. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विश्वकर्मा नगर प्रथम एवं द्वितीय, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर के उपभोक्ताओं की कम वोल्टेज की शिकायतों के समाधान हेतु एक नया 100 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाया गया था? यदि हां, तो क्या उससे सभी उपभोक्ताओं की कम वोल्टेज की शिकायत का समाधान हो गया है? यदि नहीं, तो वर्तमान में किन-किन उपभोक्ताओं के घरों में कम वोल्टेज की समस्या है?

(2) क्या विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने उक्त कालोनी के सभी उपभोक्ताओं के यहां जाकर कम वोल्टेज की समस्या को देखा है? यदि हां, तो क्या वहां वोल्टेज की समस्या है?

(3) क्या विद्युत वितरण निगम शेष उपभोक्ताओं की कम वोल्टेज की समस्या का समाधान करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त 100 के.वी. के ट्रांसफार्मर की क्षमता उक्त कालोनी के सभी उपभोक्ताओं को उच्च क्षमता वाले वोल्टेज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यदि नहीं, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु अब क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में प्रश्न में वर्णित कालोनियों में कम वोल्टेज मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी हां। 100 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाने के पश्चात् उक्त क्षेत्र से संबंधित कार्यालय के सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता द्वारा उक्त कालोनियों की विकास समिति के पदाधिकारियों को साथ लेकर कालोनियों का मुआयना किया था व वोल्टेज को भी नापा गया था। उस समय वोल्टेज सही सीमा में पाये गये थे। उस समय कम वोल्टेज की कोई समस्या नहीं थी।

(3) वर्तमान में कम वोल्टेज की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं। शिकायत प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

(4) 100 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाने के पश्चात् सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त वोल्टेज मिल रहे हैं।

अधिशासी अभियन्ता मकराना का पदस्थापन

555. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि श्री गोपाल हेडा मकराना पदस्थापित अधिशासी अभियंता (प. व. स.) की सेवा पुस्तिका में यह इन्द्राज किया हुआ है कि उक्त अभियंता को वितरण विंग में पदस्थापित नहीं किया जावे? यदि हां, तो किस आधार पर उक्त अधिकारी को मकराना वितरण खंड में पदस्थापित क्यों किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। श्री गोपाल हेडा, अधिशासी अभियन्ता (पवस), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मकराना की सेवा पुस्तिका (जो कि अराजपत्रित अवधि कनिष्ठ अभियन्ता काल से है) में ऐसा कोई इन्द्राज नहीं है, जिसके कारण उक्त अभियन्ता को वितरण शाखा में पदस्थापित करने पर रोक लगी हो।

विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

556. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सरकार द्वारा अब तक किन-किन ग्रामों की हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की स्वीकृति दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सरकार इस वर्ष किन-किन बस्तियों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त क्षेत्र की उक्त बस्तियों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में अब तक 56 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा सादुलपुर में उपरोक्त अनुसार अब तक विद्युतीकरण कराने उपरान्त वर्ष 2000-2001 में कोई प्रस्ताव शेष नहीं है। अतः कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

(3) प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनमें विद्युतीकरण की कार्यवाही हेतु उनकी जांच उपरान्त संभाव्यता होने पर क्रियान्वयन किया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जिला बाड़मेर के छात्रावासों में अधीक्षकों के रिक्त पद

557. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर में कुल कितने छात्रावास संचालित हैं? उक्त में छात्रों की संख्या कितनी-कितनी है?

(2) उक्त जिले में संचालित छात्रावासों में कुल कितने छात्रावास अधीक्षकों के पद कितने समय से रिक्त हैं?

(3) क्या उक्त रिक्त पदों के कारण छात्रों को अध्ययन में मिल रही सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में कुल 18 छात्रावास संचालित हैं। छात्रावासवार स्वीकृत छात्र संख्या परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) कुल 11 छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षकों के पद रिक्त हैं, विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं।

(i) बाड़मेर जिले में छात्रावास अधीक्षकों के रिक्त पदों के कारण छात्रों के अध्ययन में मिल रही सुविधाओं से वंचित रहने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि रिक्त स्थानों पर परिशिष्ट "ख" अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है।

(ii) सरकार सभी रिक्त पदों को यथा शीघ्र भरने का विचार रखती है। वर्तमान में अतिरेक कर्मचारियों को छात्रावास अधीक्षक के पदों पर उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किये जाने पर प्रयास किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के छात्रावास भवन

558. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री आत्माराम मेघवाल)

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में छात्रावास भवन निर्माण हेतु स्वीकृति किन-किन कस्बों में हुई है? उक्त हेतु कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई और स्वीकृत कार्य में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र में छात्रावास भवन निर्माण हेतु निम्न कस्बों (स्थानों में) स्वीकृति दी गई है :—

क्र. सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	राजकीय छात्रावास, देसूरी	11.50
2.	राजकीय छात्रावास, सादड़ी	10.46
3.	राजकीय छात्रावास, खोड़	15.29
4.	राजकीय छात्रावास, बूसी	15.44
5.	राजकीय छात्रावास, रानी	29.73
6.	राजकीय छात्रावास, नाडोल	—

उपरोक्त में से देसूरी, सादड़ी व खोड के छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

1– बूसी एवं रानी का कार्य आवास विकास संस्थान को दिया गया था। संस्थान बन्द हो जाने से विलम्ब हुआ।

अब यह कार्य क्रमशः आवास विकास लि. एवं आवासन मण्डल से पूर्ण कराया जा रहा है।

2– राजकीय छात्रावास नाडौल का भवन निर्माण संस्थागत वित्त के अन्तर्गत ऋण लेकर कराया जाना था किन्तु ऋण उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका।

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत निमोदा हरिजी, कोटा के विरुद्ध शिकायतें

559. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) एवं **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत निमोदा हरिजी के पूर्व सरपंच के विरुद्ध जिला कलक्टर कोटा को कब-कब किस-किस के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों की जांच कब-कब किस-किस अधिकारी ने की तथा जांच के निष्कर्ष क्या थे?

(3) क्या कुछ शिकायतों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त शिकायतों की जांच के उपरान्त पूर्व सरपंच के विरुद्ध अब तक विभाग ने क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला कोटा की पंचायत समिति सुल्तानपुर की ग्राम पंचायत निमोदा हरिजी के पूर्व सरपंच के विरुद्ध जिला कलक्टर कोटा को वर्तमान सरपंच श्री ओम प्रकाश नन्दवाना से दिनांक 24.9.2000 को शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट "अ")

(2) उक्त शिकायत की जांच निम्न अधिकारियों द्वारा की गयी :–

1. श्री कैलाश चन्द गुप्ता, प्रगति प्रसार अधिकारी दिनांक 25.10.2000

2. श्री एन. के. गुप्ता, विकास अधिकारी दिनांक 15.2.2001 उक्त जांच में पूर्व सरपंच से 1,33,352/- रु. वसूली योग्य पाये गये हैं विवादित भूमि के पट्टों में अनियमितता पाये जाने पर इन पट्टों को स्थगित कर दिया गया है।

(3) जी, हां। वन विभाग द्वारा दी गयी राशि में से हुए व्यय की जांच अभी तक नहीं की गयी है। उक्त जांच वन विभाग द्वारा कराया जाना अपेक्षित है।

(4) जांच उपरान्त पाई गयी वसूली योग्य राशि 1,33,352/- रु. की वसूली की कार्यवाही पंचायत समिति सुल्तानपुर द्वारा की जा रही है एवं पूर्व सरपंच द्वारा जारी किये गये अवैध पट्टों को स्थगित कर दिया गया है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बूंदी पंचायत समितियों में जिला बूंदी की पंचायत समितियों में पदस्थापित कनिष्ठ अभियन्ता

560. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी की पंचायत समितियों में दो वर्ष से अधिक समय से कनिष्ठ अभियन्ता कार्यरत हैं? यदि हां, तो कौन-कौन नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध सम्बन्धित विकास अधिकारियों द्वारा अधिकारियों को शिकायती पत्र लिखे गए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सामान्य से अधिक अवधि तक एक ही स्थान पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने बाबत सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। सूची परिशिष्ट "1" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं में से एक कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नैनवां ने अतिरिक्त कलक्टर (विकास) बूंदी को अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पत्र एवं आरोप-पत्र प्रेषित किये जिनकी प्रति

(पंचायती राज मंत्री)

परिशिष्ट "2" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) स्थानान्तरण पदस्थापन की प्रक्रिया अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण/पदस्थापन किये जाते हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

तहसील अरनोद (चित्तौड़गढ़) में प्रस्तावित पर्यटन स्थल

561. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील अरनोद स्थित गोतमेश्वर धाम ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इसे सरकार पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य में स्थित सीतामाता का पौराणिक एवं ऐतिहासिक स्थल को सरकार पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण चित्तौड़गढ़ की तहसील अरनोद स्थित गोतमेश्वर धाम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का वर्तमान में विचार नहीं है।

(2) जी, नहीं। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल विशेष को किसी भी प्रकार का दर्जा नहीं दिया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुविधा

562. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की तहसील गोगुन्दा एवं कोटड़ा में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसीलों के किन-किन राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र अभी तक नहीं हैं? क्या सरकार वंचित रहे गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चलाए जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त तहसीलों में किन-किन स्थानों पर किराये के भवन लिए गए हैं?

(4) क्या सरकार जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में भवन नहीं हैं उन केन्द्रों पर भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो जिले में स्थानीय विधायक विकास मद से कराए जा रहे कार्यों को क्यों रोका गया है?

(5) क्या जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के समक्ष पेयजल व्यवस्था नहीं है वहां सरकार पेयजल व्यवस्था कराने का विचार रखती

(श्री मांगीलाल गरासिया)

है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के कोई नियम नहीं वरन इसके भारत सरकार द्वारा मानदण्ड निर्धारित है। जो निम्नानुसार है :—

आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का प्रमुख मापदण्ड ग्राम की जनसंख्या है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की परियोजना में औसतन 1000 की आबादी पर एक केन्द्र खोला जाता है। जनजाति क्षेत्र की परियोजना में औसतन 700 की आबादी पर केन्द्र खोला जाता है। एक ग्राम में एक से अधिक केन्द्र खोलने का आधार निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	जनसंख्या सीमा	केन्द्र की संख्या
(अ)	**शहरी एवं ग्रामीण परियोजना**	
1	1000 से अधिक	1
2	1501 से 2500	2
3	2500 से 3500	3
4	2501 से 4500	4
(ब)	**जनजाति क्षेत्र परियोजना**	
1	700 से अधिक	1
2	1001 से 1400	2
3	1401 से 2100	3
4	2101 से 2500	4

अत्यधिक पहाड़ी रेगिस्तानी एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आबादी बिखरी हुई है, 300 की आबादी पर भी केन्द्र खोला जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र खोलते समय क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिवेश का ध्यान रखा जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों, कच्ची बस्तियों में प्राथमिकता के आधार पर केन्द्र खोले जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की तहसील (पंचायत समिति) गोगुन्दा में 114 तथा कोटड़ा में 135 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र तहसील कोटड़ा में 227 राजस्व ग्रामों में तथा तहसील गोगुन्दा के 65 राजस्व ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। जी, नहीं। क्योंकि आंगनबाड़ी केन्द्र आबाद गांवों में खोले जाते हैं।

(3) जी, हां। कोटड़ा के 38 तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोगुन्दा में 66 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवन में चल रहे हैं। सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, नहीं। विभाग के पास आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

563. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां पर ?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना घाटोल में 48 तथा बाल विकास परियोजना पीपलखूंट में 24 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित संचालित हैं। ये केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना घाटोल में भवन रहित 48 केन्द्रों में से 37 स्थानों पर आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण तथा बाल विकास परियोजना पीपलखूंट के समस्त 24 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण प्रस्तावित हैं। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2001-2002 में करवाया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

विधान सभा क्षेत्र रायपुर के आंगनबाड़ी केन्द्र पर समितियों का गठन

564. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर जिला पाली में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं ?

(2) उक्त केन्द्रों में से किस-किस केन्द्र के पास सरकारी भवन हैं या निर्माणाधीन हैं एवं या इस वर्ष निर्माण की स्वीकृति जारी हुई है या निर्माण के प्रस्ताव जिला अकाल राहत अध्यक्ष को भेजे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों के निरीक्षण की किस-किस जनप्रतिनिधि द्वारा राजकीय आदेशों से करने की व्यवस्था कर रखी है ?

(4) क्या प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर समिति का गठन किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन केन्द्रों पर गठन होना शेष है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायपुर जिला पाली की बाल विकास परियोजना रायपुर में स्वीकृत सभी 138 केन्द्र चल रहे हैं।

(2) बाल विकास परियोजना रायपुर में संचालित 138 केन्द्रों में से 47 केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहे हैं। कोई भवन

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

निर्माणाधीन नहीं हैं और ना ही वर्ष 2000-2001 में कोई निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। वर्तमान में 18 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का प्रस्ताव जिला अकाल राहत अध्यक्ष को भेजे गये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों निरीक्षण हेतु पंचायत राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों को विभाग के परिपत्र दिनांक 22.05.2000 से निरीक्षण की व्यवस्था की गई है साथ ही पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की निगरानी समितियों का गठन भी किया गया हैं।

(4) जी, हां। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर ग्राम निगरानी समितियों का गठन कर दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के अपूर्ण कार्य

565. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माड़ा योजना से किसी गांव, ढाणी, कस्बे, पंचायत को जोड़े जाने के लिए क्या-क्या मानदण्ड हैं? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कितने गांव, ढाणी, पंचायतें माड़ा योजना से जोड़ी गई हैं? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें। माड़ा योजना से जुड़े उक्त गांवों, ढाणियों, पंचायतों में गत पांच वर्षों से अब तक क्या-क्या कार्य सरकार द्वारा करवाये गये? क्या उक्त में से कुछ कार्य अब तक अपूर्ण हैं? अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) माड़ा योजना में सरकार कुल कितने प्रकार के कार्य किस-किस आधार पर स्वीकृत करती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) 10 हजार या अधिक जनसंख्या एवं उसमें से कम से कम 50 प्रतिशत जनजाति की जनसंख्या वाले लघु खण्डों को माड़ा योजनान्तर्गत सम्मिलित किया गया है। माडा लघु खण्ड में किसी गांव, ढाणी या पंचायत को माडा योजना में जोड़े जाने के मुख्य दो आधार हैं :—

(i) जनजाति की जनसंख्या कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ii) उक्त ग्राम, ढाणी की सीमा माडा योजना में सम्मिलित गांव/ढाणी की सीमा से सटी हुई होनी चाहिए।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कुल 154 गांव माडा योजना में सम्मिलित हैं जिसमें से पंचायत समिति बस्सी के 105 एवं पंचायत समिति चाकसू के 49 गांव/ढाणी सम्मिलित हैं जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर अवलोकनीय है। माडा योजना से उक्त गांव/ढाणी/पंचायतों में गत पांच वर्षों से अब तक जो कार्य करवाये

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट-2 पर अवलोकनीय है।

(3) विशेष केन्द्रीय सहायता मद से कराये जाने वाले कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार माडा योजना में कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। वर्तमान में माडा योजना क्षेत्र में संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-3 पर अवलोकनीय है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में सांसद विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

566. **श्री रामप्रताप** (हनुमानगढ़) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में अगस्त, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक सांसद एवं विधायक स्थानीय विकास योजनान्तर्गत किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई और कार्यों की क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में अगस्त, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक सांसद एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्वीकृत किये गये कार्यों के संदर्भ में जारी की गई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृत राशि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण क्रमशः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में सम्बन्धित कार्य के सम्मुख अवलोकनीय है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में सांसद कोष में स्वीकृत सामुदायिक सभा भवन

567. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में (सांसद फण्ड) के अन्तर्गत कितने सामुदायिक सभा भवन स्वीकृत हुये? उक्त में से कितने भवन तैयार हुए एवं कितने अपूर्ण हैं?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भवनों का निर्माण किस स्थान पर किया जावे इस बारे में भी विवाद जिला प्रशासन के समक्ष आये हैं? यदि हां, तो कितने?

(3) उक्त जिलों में सामुदायिक सभा भवनों के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त भवनों के निर्माण से उक्त उद्देश्य की पूर्ति हुई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास

(ग्रामीण विकास मंत्री)

योजनान्तर्गत कुल 376 सामुदायिक सभा भवन स्वीकृत हुए हैं, उनमें से 275 पूर्ण हो गये हैं तथा 101 अपूर्ण हैं।

(2) जी, हां। बाड़मेर जिले में 5 विवाद जिला प्रशासन के सामने आए हैं।

(3) सामुदायिक सभा भवनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों द्वारा उक्त स्थान पर सामाजिक-सांस्कृतिक कार्य, सार्वजनिक सभाएं एवं बहुउद्देशीय कार्य सम्पन्न किए जाना है।

(4) जी, हां।

जनजाति महिला विकास संस्थान मैनपुरा (सवाईमाधोपुर) द्वारा निर्माण कार्य

568. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जनजाति महिला विकास संस्थान, मैनपुरा (सवाईमाधोपुर) में वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? क्या उक्त अध्यक्ष वर्तमान में लोक सभा की सदस्या भी है? यदि हां, तो संस्थान की अध्यक्ष पद से उन्होंने कब त्याग-पत्र दिया?

(2) उक्त संस्थान मैनपुरा (सवाई माधोपुर) को सवाईमाधोपुर की सांसद द्वारा कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के कब-कब स्वीकृत किये? क्या उक्त का कार्य उक्त महिला विकास संस्थान द्वारा करवाया गया? विवरण मय प्रगति के सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान द्वारा कौन-कौन से निर्माण कार्य जिले में निर्माण के रूप में लिये गये? उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति महिला विकास संस्थान की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती जसकौर मीणा हैं, जो वर्तमान में लोकसभा की सदस्य भी हैं। उनके द्वारा अध्यक्ष पद से अभी तक त्याग पत्र नहीं दिया गया है।

(2) जी, हां। सवाईमाधोपुर की सांसद द्वारा ग्रामीण महिला विद्यापीठ, मैनपुरा में छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण का एक कार्य वर्ष 1999-2000 में रु. 10.00 लाख की राशि का स्वीकृत किया गया। जी हां, यह कार्य महिला विकास संस्थान द्वारा ही किया गया।

(3) उक्त संस्थान द्वारा मात्र पांच कार्य ही निर्माण के रूप में लिये गये। कार्यों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में सांसद कोष से स्वीकृत कार्य

569. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब से प्रारम्भ हुई है?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) उक्त योजना के प्रारम्भ से वर्ष 2000-2001 तक संसदीय क्षेत्र जालौर में कितनी राशि का प्रति वर्ष व्यय नहीं किया जा सका? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में वर्ष 2000-2001 तक विधान सभा क्षेत्र सिरोही में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना राज्य में वर्ष 1993-94 से प्रारम्भ हुई है।

(2) योजना के प्रारम्भ से संसदीय क्षेत्र, जालौर में कुल 185.285 लाख रुपये की राशि का व्यय नहीं किया जा सका। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सिरोही में वर्ष 1993-94 से 2000-2001 तक कुल 44 कार्य स्वीकृत किए गये हैं। कार्यों का वर्षवार विवरण एवं कार्य का प्रकार परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

महाविद्यालय सलूम्बर (उदयपुर) में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय

570. श्री रूपलाल (सलूम्बर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला उदयपुर के सलूम्बर में महाविद्यालय कब प्रारम्भ किया गया?

(2) उक्त महाविद्यालय में प्रारम्भ के समय कौन-कौन से संकाय खोले गए थे?

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त महाविद्यालय में गत सत्र में वाणिज्य संकाय बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय पुनः शुरू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शैक्षणिक सत्र 1991-92 में सलूम्बर में राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया।

(2) उक्त महाविद्यालय में प्रारम्भ के समय कला एवं वाणिज्य संकाय खोले गये थे।

(3) जी, नहीं। वार्षिक योजना 2001-2002 में नवीन संकाय खोलने हेतु प्रावधान नहीं है।

(4) जी, नहीं। गत सत्र में उक्त महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय बन्द नहीं किया गया है।

होमियोपैथिक डिस्पेंसरी राजस्थान विश्वविद्यालय में चिकित्सक का रिक्त पद

571. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर स्थित होमियोपैथिक डिस्पेंसरी में चिकित्सक न होने के कारण गत डेढ़ वर्ष से बन्द है? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी है?

(2) उक्त डिस्पेंसरी में स्थाई चिकित्सक की नियुक्ति हेतु दो बार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के बाद भी चयन प्रक्रिया क्यों रोक दी गई है?

(3) क्या विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त पद हेतु साक्षात्कार कराने जा रहा है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। ऐसा विश्वविद्यालय द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सक के रिक्त पद को भरने में देरी की वजह से हुआ है।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा इस पद को भरने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित किये गये थे तथा उच्चतम न्यायालय से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई थी।

(3) इस पद हेतु साक्षात्कार 18.4.2001 को हुआ और चयनित चिकित्सक ने 19.4.2001 को पद का कार्यभार संभाल लिया है।

संदेश

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश।

"मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को सदन द्वारा पारित धन्यवाद प्रस्ताव के उत्तर में निम्न संदेश राज्यपाल महोदय से प्राप्त हुआ है :—

"अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 7(10)राज. भवन/98/2037, दिनांक : 23 अप्रैल, 2001

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

आपका अर्द्धशासकीय पत्रांक : एफ. 10 (4)सदन/विस/2001/15471, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 प्राप्त हुआ। माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट कृतज्ञता के लिये मैं उनका आभारी हूं। आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरी कृतज्ञता ज्ञापन को माननीय सदस्यों को पहुंचाने का कष्ट करें।"

भवन्निष्ठ,
(अंशुमान सिंह)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, बीजेपी वालों ने तो उसका बहिष्कार किया था।

श्री जनार्दन गहलोत : बीजेपी वालों ने तो बहिष्कार किया था।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस के साथ यह बात कहनी पड़ रही है कि कल भी जिस प्रकार की बात सदन में उठी और जिस प्रकार की एफ.आई.आर. दर्ज कराकर एक तरह से इतने बड़े स्कैंडल को जिस हल्केपन से इस सरकार ने लिया, हमें बड़ा दुःख है। हम तो चाहते थे कि सदन की कार्यवाही चले। हमारी यह मंशा थी और हम लोगों ने इसको मन से स्वीकार किया था...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : दुबारा से इनको जन्मी है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सदन की कार्यवाही चले, आगे का सारा बिजनेस हो, हम तो चाहते थे। पर इसके कारण से...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपके चैम्बर में माननीय संसदीय मंत्री के सामने बैठकर... (व्यवधान) भैरोंसिंह जी वायदा करके गये कि... (व्यवधान) खिलाफ भी माहिर आंजाद साहब कर गये...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और इस प्रकार की कार्यवाही करेंगे, लेकिन कल एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आखिर यह चाहते क्या हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस ढंग से इस सारे कांड को छुपाने का प्रयास किया गया था... (व्यवधान) अपने सारे दोषों को जो ढकने का प्रयास किया... (व्यवधान) हम चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही चले, हम चाहते हैं कि... (व्यवधान) लेकिन इस सरकार ने जिस ढंग से व्यवहार किया और जैसी एफ.आई.आर. दर्ज करायी और उसमें जिन धाराओं के आधार पर यह जांच हुई, मैं इसके विरोध में अपने दल के सहित अपनी बात का घोर...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप सब लोगों के पास कुछ कहने के लिये नहीं है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस सदन का अपमान मानता हूं, हम सब सदस्यों का अपमान मानता हूं। हमारे बीच में जो बजट की सैंक्टिटी है, अब तक की जो गरिमा थी उसको जो तोड़ने का काम सरकार ने किया उसके विरोध में सदन में बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको प्रताड़ना दीजिये। आपके पास बायकाट करने के सिवाय कुछ है ही नहीं। कुछ कहने के लिए नहीं है। आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई सामान नहीं है।

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है और उसके अनुरूप जो सरकार का आचरण रहा है हाउस के अंदर... (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इनक्वायरी जो इस मामले में हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से तहसील अटरू की ग्राम पंचायत, कुण्डी के कुकर तालाब को गहरा कर मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसके संबंध में एफ.आई.आर दर्ज करायी गयी है। इनक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात तो सुन लीजिये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी की...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बात तो सुनिये। (व्यवधान) आप बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, आपको बोलने देंगे।

श्री सुरेन्द्रव्यास : एक मिनट...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप बात सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सुनेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर हम बैठ जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सुनने के लिये ही आये हैं, सुनेंगे, आप विराजें तो सही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप ही बोलने लगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिसको शुरू कर दिया उसको तो समाप्त कर दूं। विराजें। बोलने देंगें, आपको आज बहुत समय बोलने देंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर। स्थगन प्रस्ताव, एक मिनट इनको निपटा लेने दो फिर बोलना।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

1. प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल की स्थिति से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

2. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों में भेदभाव बरते जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

3. डा. रतनलाल जाट एवं प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से सहाड़ा में कार्यरत गंगापुर को-आपरेटिव स्पिनफैड यूनिट में कथित अनियमितताओं के संबंध में।

4. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर के प्रसिद्ध रामदेव बाबा मंदिर, बिराटिया खुर्द के ट्रस्ट के चुनाव स्थगित करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

5. प्रो. सांवर लाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से राज्य में असामयिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचने के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

हां, अब बोले, माननीय भाटी साहब।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : उपाध्यक्ष महोदय, बीजेपी वाले लोगों को फंसा देते हैं और पीछे इंटरवेंशन करते नहीं हैं। आपकी अनुमति हो तो हम 2-3 जने जाकर नदबई से जो माननीय सदस्य हैं उनको धरने से उठाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उठाओ ना, कौन रोकता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारी जिम्मेदारी है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें क्या तकलीफ है अगर उठते हैं तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप काहे को तकलीफ कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप तो कुछ करते नहीं हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप काहे को तकलीफ कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। व्यवधान)

(श्री यशवन्त सिंह (राभू), माननीय सदस्य द्वारा धरना समाप्त)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी-अभी एक स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है। राज्य सरकार द्वारा यह जो रायपुर विधान सभा क्षेत्र में बाबा रामदेव जी...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, बात ही खतम हो गयी।

श्री हीरासिंह चौहान : खतम कहां हो गयी?

श्री उपाध्यक्ष : इसको सरकार को जानकारी के लिये भेजा है।

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार से जानकारी आयी है वह गलत आयी है। तथ्यात्मक जानकारी गलत दी है।

श्री उपाध्यक्ष : गलत आयी है तो फिर आप इसको... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : जब मैंने स्थगन प्रस्ताव पहले दे दिया उसके बाद ट्रस्ट के चुनाव करा दिये। अवैधानिक चुनाव हुआ

(श्री हीरासिंह चौहान)

है। मैंने दो-तीन दिन पहले यह दे दी थी कि गलत चुनाव होंगे। पूरे गांव वालों में जो इस ट्रस्ट के मैम्बर हैं उनको कोई सूचना नहीं दी गयी है। In spite of all my good attempts, election was held. बिलकुल इर्रेगुलेट किया गया है। मैं सरकार से और आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ट्रस्ट का अवैधानिक चुनाव किया गया है इसे निरस्त किया जाए। घर में बैठकर चुनाव करा दिये गये। स्थगन प्रस्ताव इस बात का था कि चुनाव को स्थगित करके विधिवत सभी प्रकार की सूचनाएं देकर, नोटिस निकाल कर चुनाव करवाये जाएं। मुझे जो सूचना दी गयी है इसमें यह कहा गया है कि चुनाव करा दिये गये। यह किस प्रकार का चुनाव हो गया? जब हमने कहा कि किसी को सूचना ही नहीं दी, बिना सूचना दिये चुनाव कैसे हो गये?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो स्वयं नियम जानते हैं...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी रखना एक अलग बात है और गलत काम को...(व्यवधान) हाउस में उठाएं सवाल और हम उसका विरोध भी नहीं करें। जानकारी का यह मतलब नहीं है कि हम अन्याय को सहन करते जाएं। सरकार की तरफ से हमें प्रोटेक्शन चाहिये था। माननीय देवस्थान मंत्रीजी विराज रहे हैं। पहले आप लखनऊ चले गये, हम आपके पास तीन-चार बार आये...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री हीरासिंह चौहान : आपको ज्ञापन दे दिया। सब प्रयत्न करने के बाद भी आपने गलत चुनाव करा दिये। गांव में कोई एक आदमी ट्रस्टी है और वही सब कुछ करता है। मारवाड़ में रामदेव बाबा का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। चारों तरफ से पुजारी, पंजाब तक से आते हैं। लाखों-करोड़ों रुपए वहां चढ़ावे में चढ़ते हैं। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मुझे बड़ा दुःख होता है कि सरकार ने बिलकुल गलत उत्तर दिया है। इस बात का मैं विरोध प्रकट कर रहा हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं :—

(1) श्री जौहरी लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के कतिपय ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(2) श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जालौर में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(4) श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से तहसील सिवाना के ग्राम डाबली, खण्ड गोलिया की सरहद पर सिंचाई विभाग द्वारा खडीन निर्माण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य की ओर से खेतड़ी कापर काम्पलैक्स परियोजना को निजी क्षेत्र में सौंपने की सूचना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से कोटा जिले की तहसील सांगोद में एनीकट का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(7) डा. के. सी. चौधरी, सदस्य की ओर से राज्य के खुदरा वस्त्र व्यापारियों पर टैक्स की दोहरी मार पड़ने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर की बीछीवाड़ा पंचायत समिति मुख्यालय में मुंसिफ कोर्ट शीघ्र खुलवाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल सहरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के क़तिपय ग्रामों में 33 के.वी., जी.एस.एस. का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री मोहनलाल बारूपाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम कचरास में हुई बस दुर्घटना में मृत एवं घायलों को और अधिक सहायता उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री जौहरी लाल मीणा। (अनुपस्थित) श्री गणेशीराम मेघवाल।

जालौर में पेयजल की समुचित व्यवस्था

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपके माध्यम से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान जालौर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था समुचित किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां तीन साल से लगातार अकाल की भयंकर स्थिति बनी हुई है। पानी का तल धरातल से बहुत गहरा चला गया है। अतः गांवों में जो परम्परागत कुएं हैं उन्हें बोर करवाया जाए ताकि ग्रामीणों को गर्मी के दिनों में पानी मिल सके। जालौर शहर में कई पुरानी बावड़ियां हैं जिनमें से कचरा निकलवा कर पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है।

सिवणा गांव में रैबारियों की गोलियों में 2 टांके बने हुए हैं, वहां पर नियमित पानी नहीं दिया जा रहा है। देवाड़ा गांव में भी 2 टांके बने हुए हैं पर करीब 8 माह से पानी नहीं आ रहा है। यदि इन टांकों की लाइनें खराब हैं तो ठीक करवाई जाएं। गांव मादलपुरा मौके में पानी के टांके फूटे हुए हैं, कई महीनों से उनमें पानी नहीं रुकता है, उन्हें भी ठीक करवाया जाए।

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

देवदा गांव में पानी की भयंकर समस्या है, वहां के लोग दूर-दूर से दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर कुओं से पानी प्राप्त करते हैं। देवाड़ा गांव में पशुओं के पीने का पानी जो टांकों के साथ अवाड़ा से प्राप्त होता है, टांके में कई महीनों से पानी नहीं आने से पशुओं के पीने के पानी की समस्या है। आकोली गांव में करीब 100 घर ऊंचाई पर होने से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है और वहां की टंकी क्षतिग्रस्त है। उसे रिपेयर करवाया जाए अथवा उसे गिराकर नई टंकी बनवाई जाए।

अनुसूचित जाति, जनजाति के मौहल्लों जैसे धवला भील बस्ती, बालवाड़ा, भील बस्ती, एलाना भील बस्ती एवं अन्य गांवों में अनुसूचित जाति-जनजाति के मौहल्लों में सार्वजनिक नल अथवा हैण्ड पम्प की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर करवाई जाए ताकि इन लोगों को पेयजल सुलभ हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

गोगुन्दा में समुचित चिकित्सा व्यवस्था

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा जनजाति बहुल क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से चिकित्सा विभाग के अधिकांश चिकित्सक वहां उपस्थित नहीं रहते। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भानपुरा, बिकरनी एवं पड़ावली कलां में एक-एक चिकित्सक के पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं जिनको शीघ्र पदस्थापित करने का सरकार द्वारा मुझे आश्वासन भी दिया गया था। इस प्रकार रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने तथा कार्यरत चिकित्सकों द्वारा नियमित रूप से चिकित्सा केन्द्रों पर उपस्थिति नहीं दिए जाने तथा मुख्यालय पर नहीं रहने से इस क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगुन्दा जो इस क्षेत्र के मध्य तहसील मुख्यालय पर है, यहां पर एक को छोड़ कर कोई भी चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं व समय पर चिकित्सालय में उपस्थित नहीं मिलते हैं। चिकित्सालय समय के बाद की आपात व्यवस्था हेतु कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं रहते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र मे निजी क्लिनिक एवं निजी चिकित्सकों के जाल में गरीब लोग फंस कर लुटते जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अतः मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति तुरन्त करवाई जाए तथा कार्यरत चिकित्सकों को मुख्यालय पर ठहराव करने, नियमित रूप से चिकित्सालय में उपस्थित रहने के लिए पाबन्द करावें ताकि गरीब जनता चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी। (अनुपस्थित) श्री शिवनाथ सिंह।

खेतड़ी कापर काम्प्लैक्स के विनिवेश से उत्पन्न स्थिति

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की इकाई खेतड़ी कापर काम्प्लैक्स के विनिवेश की योजना बन रही है और इसे प्राइवेट हाथों में सौंपने की कार्यवाही हो रही है।

यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है तथा सामरिक महत्व के धातु के उत्पादन में लगी हुई है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का "ए" श्रेणी का उपक्रम है एवं यह काम्प्लैक्स "जनोपयोगी सेवा" श्रेणी में घोषित हुआ है। झुंझुनूं जिले की 2487.33 हैक्टेयर जमीन इस हेतु लोगों ने दी है। यह मानकर इस उपक्रम का स्वागत किया गया था कि यहां के लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। यह हुआ भी, हजारों लोग इसमें काम कर रहे हैं लेकिन निजीकरण की बीमारी से ये लोग भयंकर डरे हुए हैं। निजी हाथों में जाने के बाद लोगों के सब स्वप्न भंग हो जाएंगे। राष्ट्र का हित साधने वाला यह उपक्रम निजी लोगों की तिजोरियां भरने वाला रह जाएगा।

यह उपक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और राष्ट्रहित में इसका सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना अत्यन्त आवश्यक है। अत: मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार पर आप अपना प्रभाव डाले तथा केन्द्र सरकार को इस उपक्रम को निजी हाथों में देने से रोके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

सांगोद तहसील, कोटा में एनीकट निर्माण

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि हमारा पूरा प्रदेश गत तीन वर्षों से अकाल की मार से जूझ रहा है। कृषि कार्य हेतु जल, पशु पेयजल एवं मानव के पीने के पानी का प्रदेश में भारी संकट आया हुआ है। भूजल सीमित मात्रा में है जिनका भी दोहन आवश्यकता से अधिक किया जा रहा है। भूजल का स्तर दिनों-दिन नीचे बैठता जा रहा है।

वर्षा का जो कुछ सीमित पानी उपलब्ध होता है वह भी समुचित भण्डारण व्यवस्था न होने से नदियों के माध्यम से बहकर समुद्र में चला जाता है। सांगोद क्षेत्र में काली सिन्ध, परवन, उजाड़ तीन नदियां प्रमुख हैं। इन नदियों पर आजादी के पूर्व से ही पुलियाएं बनी हुई हैं। आज के समय में इन पुरानी पुलियाओं के पास ही अधिक ऊंचाई की सुविधाजनक पुलिया सरकार द्वारा बना दी गई है। यदि इन पुरानी मजबूत पुलियाओं के मारवों को रोक कर एनीकट के रूप में बदल दिया जाए तो करोड़ों रुपयों की राशि के स्थान पर कुछ ही लाख रुपयों में वर्षा के व्यर्थ जा रहे

(श्री हेमन्त कुमार)

पानी को रोका जा सकता है। इस रुके हुए पानी से सिंचाई होगी, पशु पेयजल उपलब्ध होता रहेगा तथा भूजल स्तर में भी काफी इजाफा होगा। हैण्ड पम्प एवं ट्यूबवैलों का जल स्तर ऊपर आएगा जिससे स्थानीय कृषकों को कृषि में सिंचाई हेतु मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कम राशि की योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित कराकर अकाल से जूझ रहे क्षेत्र को भविष्य में इससे निजात दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

राज्य के खुदरा वस्त्र व्यापारियों पर टैक्स की दोहरी मार

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मैं राज्य सरकार का ध्यान राज्य के गरीब खुदरा वस्त्र व्यापारियों पर कम्पोजिट टैक्स की दोहरी मार पड़ने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सरकार ने राज्य भर में पिछले वर्ष कपड़ा व्यापारियों पर चुंगी के वैकल्पिक कर के रूप में कम्पोजिट टैक्स लगाया था। यहां मेरा निवेदन है कि राज्य के हजारों कपड़ा व्यापारी स्थानीय स्तर पर होलसेल व्यापारियों से खरीद करते हैं और होलसेल व्यापारी उस पर कम्पोजिट टैक्स जमा करा चुका होता है। उसी कपड़े पर रिटेल के व्यापारी को दुबारा कर चुकाना होता है। रिटेल कपड़ा व्यापारी जो वार्षिक करीब 5 से 10 लाख रुपए तक की खरीद में आते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर और नाजुक है। अतः मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया ऐसे रिटेल व्यापारियों को जिनकी संख्या राज्य में 5 से 10 हजार है, कर से पूर्णतया मुक्त कर इन्हें राहत प्रदान कर बेरोजगार होने से बचाएं व उनके परिवारों को पालने लायक बनाएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर की बीछीवाड़ा पंचायत समिति में मुंसिफ कोर्ट का गठन

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के नियमों के नियम, 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा पंचायत समिति में मुंसिफ कोर्ट नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं इस सदन में लगातार 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले के बीछीवाड़ी पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर आदिवासियों को सस्ता न्याय दिलवाने के लिए इस सदन में अपनी मांग को लगातार उठाता रहा हूं। यहां काफी सरकारी, गैर-सरकारी विभाग भी हैं। बीछीवाड़ा पंचायत समिति का भूभाग काफी लम्बा-चौड़ा है और न्याय पाने के लिए अपने निवास स्थान से आने-जाने की दृष्टि

(श्री शंकरलाल अहारी)

से काफी दूर पड़ता है। क्षेत्र की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूं कि बीछीवाड़ा पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर मुंसिफ कोर्ट अतिशीघ्र खुलवाने के आदेश प्रदान कर जनता को लाभान्वित करावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल सहरिया।

किशनगंज के कतिपय ग्रामों में 33 के. वी., जी. एस. एस. का निर्माण

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ग्राम जलवाड़ा, ग्राम कस्बा थाना, ग्राम खण्डेला, ग्राम देवरी, विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां के 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां के तहत ग्राम जलवाड़ा, ग्राम खण्डेला तहसील शाहबाद जिला बारां तथा ग्राम कस्बा थाना व ग्राम देवरी तहसील शाहबाद, जिला बारां के 33 के.वी., ग्रिड सब स्टेशन का कार्य चालू किया जाए ताकि उपखण्ड शाहबाद में बिजली आपूर्ति की जा सके, क्योंकि इनके नहीं बनने के कारण जनता को कई दिनों तक बिजली के बिना पानी के लिए तथा आटे के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।

अतः, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उपखण्ड शाहबाद के देवरी, ग्राम कस्बा थाना, ग्राम जलवाड़ा तथा ग्राम खण्डेला के 33 के.वी., ग्रिड सब स्टेशनों का कार्य शुरू करवाने का श्रम कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल बारूपाल।

जायल के ग्राम कचरास में हुई बस दुर्घटना के पीड़ितों को सहायता

श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी, स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवहन मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैंने दिनांक 22.4.2001 को मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के ग्राम कचरास का दौरा किया। दिनांक 20.4.2001 को रोल के पास बस दुर्घटना में 9.00 बजे मृतक व घायलों के परिजनों से मैंने सम्पर्क किया। दुर्घटना अत्यधिक भयंकर व दुखदायी हुई जिनके परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से आर्थिक सहायता दी गई है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है, अतः उनको अधिक सहायता की आवश्यकता है। घायलों को चिकित्सा सुविधा गांव कचरास में मुहैया कराने की व्यवस्था करवाना आवश्यक है। काफी लोग घायल हैं जो चिकित्सा हेतु बाहर जाने में असमर्थ हैं एवं गांव साधनहीन हैं। दुखी परिवारों को सहायता मुहैया कराने की प्रार्थना करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

एक निजी कम्पनी को रिसोर्ट्स निर्माण हेतु वन भूमि का अनियमित आबंटन

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण मामले की तरफ सदन का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वन भूमि किसी निजी कम्पनी स्टैण्डर्ड मिनरल्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को रिसोर्ट बनाने के लिए अलाट कर डाली।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आपको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जिसमें मीठा पानी है और इस भूमि में सघन जंगल है। यह अरावली के क्लाइमेट को प्रदर्शित करता है। इस भूमि का पानी पीने के लिए आरक्षित है तथा उसका समूचा क्षेत्र वन भूमि में है। इस वन क्षेत्र में विश्व के प्रवासी बर्ड्स हैं जिसमें प्रमुख रूप से कोरमोरेंट एवं वल्चर्स (गिद्ध) हैं जो आज लुप्त होते जा रहे हैं। इस भूमि को जिला कलक्टर, उदयपुर ने आदेश क्रमांक 608/14 दिनांक 21.5.98 के द्वारा वन विभाग के लिए अलाट कर दिया, जिसके अनुसार तहसील सराड़ा को निर्देश दिये कि ग्राम भटवाड़ा की आराजी खसरा नं. एक में रकबा 10.95 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 4 रकबा 1.22 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 8 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 10 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 11 रकबा 0.20 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 13 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी खसरा नं. 15 में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस भूमि के आबंटन की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टे कर दिया है, मामला अभी विचाराधीन है। स्टे कर दिया गया है, उसको रोक दिया गया है, मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में आने पर इस पर रोक लगा दी गई है।

डा. किरोड़ी लाल : मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आबंटन के बारे में कह रहा था। माननीय गृह मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका मकसद हल हो गया है।

डा. किरोड़ी लाल : मकसद हल नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : इसका मतलब, उपाध्यक्ष महोदय, कहीं न कहीं आबंटन में गड़बड़ी हुई है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आबंटन में गड़बड़ हुई है।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : इसके पीछे क्या स्वार्थ था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : स्टे होने के बाद यह सिद्ध हो गया कि राजस्व मंत्रीजी ने गलत अलाटमैंट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) जब सारा प्रकरण ही रोक दिया, जांच हो जाएगी, वापस अगर आबंटन होगा तो आप बोल लेना, अभी तो रुक गया न।

श्री जीतमल खांट : गलत अलाटमैंट किया जा चुका है। क्यों अलाटमैंट किया जाता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो प्रकरण रुक गया न सारा ही। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल सीधा यह है कि जंगलात की जमीन किसी व्यक्ति विशेष को या किसी जंगलात के अलावा उपयोग में नहीं दी जा सकती। सरकार के सक्षम अधिकारियों या मंत्रियों ने क्यों ऐसा काम किया है?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने रोक दिया न। रोक दिया सरकार ने।

श्री नन्दलाल मीणा : रोक दिया लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? (व्यवधान) आबंटन किया क्यों, उसके पीछे उद्देश्य क्या था?

श्री जीतमल खांट : गलत तरीके से आबंटन कैसे किया गया?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी के बयान के अनुसार पूरे प्रकरण को मुख्य मंत्रीजी ने देखकर कार्यवाही पर स्थगन कर दिया। जो लैण्ड अलाट हुई थी फोरेस्ट की जमीन उस पर स्थगन कर दिया इसके लिए तो आपको धन्यवाद, सरकार सजग है, परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अलाट की, सबको मालूम है कि वन की भूमि का किसी निजी संस्था या व्यक्ति को आबंटन नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यही मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह जो गलत अलाटमैंट किया गया है उनके खिलाफ कार्यवाही क्या हुई?

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

डा. कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पूरे तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है इसलिए उसको खुद भी गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और सदन को भी उसके कारण गलत इंटरप्रिटेशन प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में उसमें स्थिति यह है कि...

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार मुझे बोलने तो दो। जो मंत्रीजी के पास है आप जवाब दे देना।

डा. कमला : नहीं, आप भी बीच में क्यों फिर ऐसा हल्ला कर रहे हो?

डा. किरोड़ी लाल : आप मुझे बोलने तो दो। इनको कौनसी चिन्ता हो रही है?

डा. कमला : आप भी शांत रहिए जब तक वे पढ़ें नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : आप कहो तो मैं फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को पढ़ कर बता दूं।

श्री उपाध्यक्ष : इनको सुन लो।

डा. किरोड़ी लाल : एक बार मुझे बोलने तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, बोलो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मंत्रीजी, जवाब दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, विराजो। (व्यवधान) विराजो, विराजो। इनको सुन लो, फिर से बोलना। (व्यवधान) विराजो प्लीज। आप विराजो, विराजो।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बता देना बाद में। इनको बोलने दो, आप फैक्ट्स बता देना। बोलने का मौका देंगे, विराजो।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां है, इसीलिए तो कह रहे हैं इनको बोल लेने दो। इनको सुनने के बाद जवाब दे देना। (व्यवधान) विराजो आप, इनको सुन लो, फिर जवाब देना। अधूरी बात सुन कर फिर वापस बोलेंगे आप। (व्यवधान) नहीं, नहीं, आप बोलो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कुल 9 रकबे में 19.83 हैक्टेयर है एवं एक रकबा और है जिसमें 1.08 हैक्टेयर है, कुल रकबा 19.91 हैक्टेयर भूमि वन विभाग के नाम कलक्टर ने हस्तान्तरित कर दी। पटवारी हल्का वीरपुरा तहसील सराड़ा में 23.3.98 को इनका नामान्तरण वन विभाग के नाम खुल गया। उपाध्यक्ष महोदय, नामान्तरण की कापी और कलक्टर के आदेश की कापी जिसके द्वारा वन भूमि इसको घोषित किया है, मैं सदन के पटल पर रखूंगा। किन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय ने जुलाई, 2000 में एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में वन विभाग के अधिकारी भी बुलाये जिसमें इन्होंने यह कहा कि हम यह जमीन स्टैण्डर्ड मिनरल्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को अलाट करना चाहते हैं। तो वन विभाग के अधिकारियों ने उस पर आपत्ति की कि यह भूमि वन विभाग की है, आप इसे अलाट नहीं कर सकते। फिर दुबारा राजस्व मंत्री महोदय ने जनवरी, 2001 में एक मीटिंग बुलाई जिसमें, उपाध्यक्ष महोदय, सावधानी किस बात की बरती कि वन विभाग के अधिकारियों को नहीं बुलाया। वन विभाग के अधिकारियों को नहीं बुलाकर 21 जनवरी को राजस्व मंत्रीजी ने निर्देश दे दिया कि इसे स्टैण्डर्ड मिनरल्स एण्ड केमिकल्स को अलाट कर दिया जाए। इनके आदेश के आधार पर 23 मार्च, 2001 को 19.99 हैक्टेयर वन भूमि आबंटित कर दी गयी। जिला

(डा. किरोड़ी लाल)

प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार के दबाव में आकर हमने वन भूमि अलाट की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात की तरफ दोनों माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं वह यह है कि गोधा बर्मन बनाम संघीय भारत के फैसले को नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार ने यह किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे. एस. वर्मा व आर. एन. कृपाल की खण्डपीठ ने 12 दिसम्बर, 96 को एक फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसी समस्त भूमि जो सरकारी रिकार्ड में वन भूमि नाम से दर्ज है—चाहे उसका स्वामित्व किसी का भी हो, उसे रक्षित या आरक्षित दर्जा दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, वह वन भूमि कहलाएगी। इस फैसले को कांस्टीट्यूशनल बोर्ड ही बदल सकता है। लेकिन कांस्टीट्यूशनल बोर्ड तो यहां की सरकार बन गयी, यहां के राजस्व मंत्री बन गये और इन्होंने एक व्यक्ति को केवल 3 लाख 20 हजार रुपये में 10-12 करोड़ की वन भूमि को अलाट कर डाला इसमें हुआ क्या है, उपाध्यक्ष महोदय? सुप्रीम कोर्ट के 96 के आदेश की इन्होंने अवहेलना की है। यह विषय समवर्ती सूची में आता है, यह राज्य का विषय नहीं है, भारत सरकार की इजाजत के बिना आनन-फानन में इन्होंने जमीन आबंटित की है। मंत्री महोदया बोलना चाहती थीं, मैं पूछना चाहूंगा क्या आपने भारत सरकार से इजाजत ली? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जो फैसला है उसका ध्यान रखा? और फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 का भी इसमें उल्लंघन हुआ है जिसमें कहा गया है कि वन भूमि का उपयोग परिवर्तित करने से पूर्व केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन इन्होंने किसी प्रकार की केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं ली।

जैसा गृह मंत्रीजी बोल रहे थे कि इसको मुख्य मंत्रीजी ने स्थगित कर दिया, मुख्य मंत्रीजी सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो हैं नहीं जिसकी खण्डपीठ ने यह फैसला दे दिया। आप वन भूमि किसी को अलाट नहीं कर सकते। मुख्य मंत्रीजी, फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ है, उससे कोई बड़े तो हैं नहीं, जो इन्होंने यह आबंटन निरस्त कर दिया। इसलिए कर दिया कि जितने पर्यावरणविद् थे वे जब कोर्टों में जाने लगे तो सरकार को चिन्ता लगने लगी कि हम कटघरे में खड़े होंगे। मुख्य मंत्री ने अगर इसका स्थगन दिया है तो इस सरकार ने निश्चित रूप से गलती की है और गलती करने वाली श्रीमती कमला, राजस्व मंत्री हैं जिनको इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, नियमों का उल्लंघन किया है और 1980 के फोरेस्ट एक्ट का उल्लंघन किया है। जो फोरेस्ट की लैंड को इन्होंने अलाट कर दिया, 10-12 करोड़ की जमीन को 3 लाख 20 हजार रुपये में बेच दिया, यह चलने वाला नहीं है। मैं इनके इस्तीफे की मांग करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, एक मिनट वहां के विधायक बोल रहे हैं, वह बोलना चाहते हैं।

डा. कमला (सिंचाई मंत्री) : वह कोई तथ्य बोलेंगे, मैं पूरी वस्तुस्थिति बता दूं उसके बाद में उनको भी सहूलियत रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : तो आप विराजें, मंत्री महोदया बोल रही हैं।

डा. कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय ने जो वस्तु स्थिति यहां प्रस्तुत की है वह आधी-अधूरी है। यह मामला भारतीय जनता पार्टी के शासन के वक्त में तत्कालीन राजस्व मंत्रीजी ने आबंटन किया था। आबंटन किया था कलक्टर ने इस जमीन को बिना अधिकार के, क्योंकि कलक्टर को कोई अधिकार नहीं है जमीन को किसी को अलाट करने का। उसने बिना अधिकार के यह जमीन बहुत जल्दबाजी में, पहले तो रिकमण्ड करके भेजा कि यह जमीन इस संस्था को दे दी जाए। इस संस्था का रिकमण्डेशन जो आया हुआ था सरकार के पास में उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसी बीच में उसने अपने स्तर पर उस जमीन को आबंटित करके उसको रिकार्ड में दर्ज कर दिया।

डा. किरोड़ी लाल : आप मिसगाइड कर रही हैं।

डा. कमला : सुनिये आप तसल्ली से। (व्यवधान) आप सुनने की क्षमता रखिये। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : पूर्व सरकार का इनमें कोई लेना-देना नहीं है। (व्यवधान)

डा. कमला : इसमें खड़े होने का क्या ताल्लुक है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें।

डा. कमला : बीच में खड़े होकर क्या कहना चाह रहे हैं?

डा. किरोड़ी लाल : पूर्व सरकार ने कोई अलाटमैंट नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आपकी पूरी बात सुनी है, अब उनकी बात भी सुनें।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आपकी सरकार का किया हुआ मामला है। (व्यवधान)

डा. कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन मंत्री महोदय ने कलक्टर के उस आदेश को खारिज कर दिया और खारिज करने के बाद में वह गवर्नमैंट की जमीन हो गयी। गवर्नमैंट की जमीन होने के बाद में उन्हीं मंत्री महोदय ने इस पार्टी को आबंटित किया और काफी बड़ी जमीन, 150 बीघा या इसके आसपास जमीन को आबंटित किया। उसके बाद यह कार्यवाही बीच में स्थगित हुई, शायद तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने उनको रोका। उसके बाद यह पेशियों में आयी है। मैंने अपने स्तर पर एकाएक कोई फैसला नहीं किया। काफी लम्बे समय तक इस मामले में पेशियां चली हैं जिसमें फोरेस्ट डिपार्टमैंट के लोग भी आये हैं और उस पार्टी के लोग भी

(डा. कमला)

आये हैं, विभाग के लोग भी आये हैं, कलक्टर के प्रतिनिधि भी आये हैं। कई बार सुनवाई करने के बाद में बीच में मुझे यह लगा कि हमको टापुओं पर कोई भी इस तरह के मकानात बनाने या ट्यूरिस्ट रिसोर्ट्स बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन पास में एक दूसरे टापू पर क्योंकि उस समय में एक बहुत बड़े होटल निर्माण की इजाजत दी जा चुकी थी, उस होटल के संदर्भ में इन्होंने यह मांग की कि उनको दी है तो मुझे भी दी जाए। लेकिन मुझे यह बात कुछ सही नहीं लग रही थी कि हम पानी के बीच में टापुओं में इस तरह की चीज स्थापित करें तो यह उसके सौन्दर्य को, उसकी प्राकृतिक शुद्धता को शायद नष्ट करे। इसलिए मैंने तमाम् विभाग की एक मीटिंग बुलाई जिसको माननीय सदस्य महोदय यह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि मैंने यह कहा है कि इसको देनी है। मैंने इसलिए नहीं बुलाई थी। इसमें लिखा हुआ है—मैंने राजस्व विभाग के, लॉ विभाग के, वन विभाग के, कलक्टर के प्रतिनिधि और दोनों जिला कलक्टर, जयपुर और बांसवाड़ा के भी, पूरे संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई और मैंने यह कहा कि मैं यह सोचती हूं कि हमें टापुओं में किसी प्रकार का अलाटमैंट नहीं करना चाहिए, आप लोगों की क्या राय है। कई लोगों ने यह कहा कि नहीं होना चाहिए, कुछ ने कहा कि होना चाहिए। आखिर में पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि, साहब, आप पहले दे चुके हो एक जगह और मना तो आपको नहीं करना चाहिए लेकिन बहुत-सी शर्तों के साथ में उनको देना चाहिए। यह शर्तें बाद में यह तय हुईं कि पर्यटन विभाग अपनी तरफ से इस तरह के टापुओं का या हिली एरियाज का एक प्रोजेक्ट खुद तैयार करके दे, उसके पूरे पर्यावरण की सुरक्षा का इंतजाम हो और इस प्रकार से जो जंगल वहां खड़े हैं उनको सिर्फ सीमित मात्रा में ही रिप्लेस करते हुए वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जाए। इस तरह की 8-10 शर्तें लगाने के बाद उस बैठक में यह तय हुआ कि हमें कतई तौर पर यह तो निर्णय नहीं लेना चाहिए कि हम नहीं देंगे लेकिन पर्यटन विभाग के प्रोजेक्ट के अनुसार और शर्तों के अन्तर्गत यदि कोई देने की स्थिति बनती है तो वह हमें दे देनी चाहिए। उसके बाद फिर पेशियां पड़ीं और पेशियों में उस जमीन को घटाते-घटाते सिर्फ 40 बीघा, 40 हट्स के लिए हमने उसके अन्दर अलाटमैंट किया। इसलिए यह कहना कि आनन-फानन में मंत्री महोदय ने यह दे दिया, न मालूम कितने का घोटाला हुआ है, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए, गलत हरकत हो गयी। अभी जो इसको स्थगित किया गया है वह इस दृष्टि से किया गया है कि तत्कालीन मंत्री महोदय ने जिला कलक्टर के आदेश को निरस्त करके उसको सरकारी जमीन मानते हुए जो अलाटमैंट किया तो जिला कलक्टर का जो आदेश था उसको निरस्त किये जाने पर इस भूमि की किस्म क्या मानी जाएगी, जो कि हमारी दृष्टि से यह था कि जब कलक्टर के

(डा. कमला)

अलाटमैंट को खारिज कर दिया गया तो वह जो अलाटमैंट उसने किया था वह स्टैंड नहीं करता। आज लॉ डिपार्टमैंट से यही बात पूछी जा रही है कि इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन क्या बनता है। उसकी दृष्टि से उसको आगे देखा जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना...

श्री उपाध्यक्ष : बात समाप्त हो गयी, अब क्या है? आर्डर प्लीज। प्रश्न है ही नहीं। इसमें क्या प्रश्न है? (व्यवधान) इसमें क्या पूछना है? आपकी सरकार ने अलाट की, उन्होंने रोकी। इसमें क्या प्रश्न है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने गेंद हमारे पाले में फेंकने की कोशिश की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह म्यूटेशन है मेरे हाथ में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह म्यूटेशन है और आपकी आज्ञा से मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप रख दो टेबल पर। रख दो यहां पर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 23.3.98 का म्यूटेशन है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि यह भूमि वन विभाग की भूमि है। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है इसलिए मैं दो बातें कहना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई यह डिबेट थोड़े ही है। यह तो इन्होंने कहा और उन्होंने बात कह कर जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बड़े नम्र शब्दों में...

श्री उपाध्यक्ष : किस बात का है यह प्रश्न? यह कोई क्वेश्चन आवर का सैशन थोड़े ही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...आप अगर आज्ञा दे दें तो एक कागज सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रख दो। आप तो कागज रख दो न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...और इससे पहले मंत्री महोदया को बताना चाहता हूं कि दिनांक 23.3.98 को जो म्यूटेशन खुला उसमें स्पष्ट दर्ज है कि वह वन विभाग की भूमि है।

श्री उपाध्यक्ष : तो हो गयी न बात। यह बता दिया। जवाब दे दिया उन्होंने। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि वन विभाग की जमीन क्या कानूनी दृष्टि से सशर्त आप किसी को आबंटन कर सकती हैं क्या? समवर्ती सूची

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का मामला भी इसमें है। इसमें सुप्रीम कोर्ट...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी आबंटन का प्रश्न ही कहां उठ रहा है? माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...वन विभाग की जमीन को...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ...वही तो बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आबंटन कहां है? स्टे हो गया न। गवर्नमैंट ने स्टे कर दिया। सारी जांच हो रही है फिर अब क्या इश्यू है? माननीय सदस्य, विराजें प्लीज। (व्यवधान) श्री अमरारामजी। विराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : वन विभाग की जमीन को अलाट करने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने उनका जवाब नहीं सुना? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने उनका जवाब सुन लिया। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : वन विभाग की जमीन को अलाट कैसे कर दिया? ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ...अलाट करने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विराजिये। (व्यवधान) वन विभाग से निकाली किसने? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वन विभाग में है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...वन विभाग में कर ही लिया। (व्यवधान) यह सारा अवैध है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री अमरारामजी। विराजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...आज यह अपना दामन पाक रखने की बात कर रहे हैं, यह हमारा ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला मेरे विधान सभा क्षेत्र का है इसलिए मैं दो बातें कहूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप एक बात का आश्वासन कराएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या?

डा. किरोड़ी लाल : फोरेस्ट की जमीन कर नहीं सकते, कैसे कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले पूरी बात सुन लें। (व्यवधान) आप विराजें। एक

(श्री उपाध्यक्ष)

मिनट आप विराजें। आप विराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ...कि उस पर निर्माण नहीं होगा। (व्यवधान) इसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आश्वासन मैं कैसे दे सकता हूं? माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी इस बात के लिए आश्वस्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...विधान सभा निकल जाने दो फिर आपको परमीशन दे दी जाएगी। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : इसमें आश्वस्त करें कि किसी प्रकार का निर्माण नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उस आर्डर की वैल्यू ही क्या रहती? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। मैं बोल रहा हूं, आप विराजें। आप इस बात को इतना उछाल रहे हैं, इनिशियेट आपकी गवर्नमैंट ने किया। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, नहीं, हमारी गवर्नमैंट ने नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ...और किसने किया? जवाब दे रहे हैं। इनिशियेट वहां से हुआ है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ...वन विभाग के पास अलग से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रकरण तो वहां से शुरू हुआ है। (व्यवधान) विराजें प्लीज। श्री अमरारामजी। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो हो जाएगा। विराजिये। श्री अमरारामजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठो आप। श्री अमरारामजी। विराजिये प्लीज। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, अब आप इसमें क्या नयी बात जोड़ रहे हो? यह कोई बहस थोड़े ही है। (व्यवधान) कह दिया न यह तो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : ...वहां का वातावरण दूषित हुआ है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यह हम जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। अभी जिस तरह से यह बात उठी है तो निश्चित तौर पर मैं वहां का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं इस नाते मैं इस बात का विरोध भी कर रहा हूं और अगर भविष्य में अलाटमैंट होता है तो उसको निरस्त करने के लिए मांग भी कर रहा हूं। वहां की जनता भी इस बात को लेकर उद्वेलित हो रही है। अगर भविष्य में यह अलाटमैंट हुआ तो निश्चित तौर पर वहां

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रघुवीर सिंह)

की जनता विरोध करेगी, यह मैं निवेदन कर रहा हूं।

एक बात और कहना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार ने जो अलाटमैंट किया था और वहां जो रिसोर्ट बना है, बाजारों में यह अफवाह भी है, या यह हवा भी चल रही है, यह रूमर भी है कि माननीय + + + (व्यवधान) इस तरह से अगर यह मामला उठाया गया है. तो...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या आरोप लगा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आरोप एक्सपंज कर देना। (व्यवधान) एक्सपंज कर देना। और क्या होगा?

श्री रघुवीर सिंह : ...उसको स्थगित किया है तो निश्चित तौर पर स्वागत है परन्तु भविष्य में भी निवेदन है कि इस तरह से...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। माननीय सदस्य, विराजें। पूरी बात हो गयी। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह : ...ऐसी स्थिति में किसी तरह का अलाटमैंट नहीं करें, यह मैं मंत्रीजी से आग्रह कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी। विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब कोई निवेदन नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी माननीय सदस्य ने + + + पर आरोप लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब वह एक्सपंज कर दिया। विराजें आप।

श्री रघुवीर सिंह : ...मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने यह कहा है कि वहां अफवाह है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। विराजिये। (व्यवधान) आप विराजें प्लीज। बैठ जाओ न, खतम हो गयी बात। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहां की जनता कह रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी बात। माननीय अमरारामजी।

समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान राजस्थान के किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ लगातार तीसरे वर्ष अकाल होने के कारण किसान की आमदनी से कमर टूटी हुई है वहीं दूसरी ओर पर्याप्त बिजली और पानी नहीं मिलने के कारण फसलें तबाह

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री अमराराम)

हुई हैं। जो कुछ भी फसल बची हुई थी उसकी रही-सही कसर अभी बेमौसम बरसात ने निकाल दी, ओलावृष्टि ने निकाल दी। अभी समर्थन मूल्य पर सरकार की खरीद शुरू हुई, पहले तो हिन्दुस्तान की सरकार को रबी की फसल की जब बुवाई हुई उस समय उसका समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए था इसके बजाय 23 मार्च, 2001 को इसका समर्थन मूल्य घोषित किया गया और राज्य सरकार ने लेट-लतीफी से 15 दिनों के बाद यह खरीद शुरू की। इस मंशा के साथ बहुत बड़ा हिस्सा किसान का बिचौलियों ने खरीद लिया। उसके बाद 16 अप्रैल, से जौ की खरीद शुरू की गयी। बहुत से केन्द्र जहां खरीद शुरू की गयी थी, इतना कम उनको लक्ष्य दिया गया कि 16 तारीख को शुरू होने के बाद 20 तारीख को ही वह लक्ष्य पूरा करके उन क्रय केन्द्रों ने जौ का क्रय बन्द कर दिया। उनमें से आधे से ज्यादा क्रय केन्द्र बन्द कर दिये गये और जो भी खरीदा गया उसमें से भी आधे से ज्यादा हिस्सा नियम विरुद्ध उन व्यापारियों, मध्यस्थों का खरीदा गया है जिन्होंने किसान का 300-350 में जौ ख़रीद लिया था। आज हालत यह है कि किसान 20 क्विंटल जौ लेकर आया और पांच दिन से लगातार सीकर की मंडी में इस इंतजार में है कि उसका जौ कब खरीदा जाएगा। जहां भी गया है वहां 4-4 दिन तक इंतजार करना पड़ा है और जो लक्ष्य रखा गया है वह इतना कम लक्ष्य रखा गया है कि आधे से ज्यादा जौ के क्रय केन्द्र बन्द हो चुके हैं जब कि किसान का 25 प्रतिशत भी जौ खरीदा नहीं गया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह विश्वास चाहूंगा कि राजस्थान का किसान तबाह हो रहा है, समर्थन मूल्य पर जौ की खरीद के पुख्ता इंतजाम किये जाएं, लक्ष्य बहुत कम रखा गया है वह बढ़ाएं और जो केन्द्र बन्द हो गये हैं उनको तुरन्त चालू करें, पैसे की व्यवस्था करें और तमाम् जौ समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था करें जिससे किसान को इस समस्या से बचाया जा सके। मुझे आशा है कि सरकार इस पर गौर करेगी और तुरन्त इसकी घोषणा करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लालजी।

जे.डी.ए. द्वारा अपना मकान तोड़े जाने के विरोध में एक महिला द्वारा किया गया आत्मदाह

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक सनसनीपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अक्टूबर, 2000 की बात है, उस समय भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का एक बाबूलाल नाम का सिपाही जो मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी का रहने वाला है, गुढ़ा चक उसका गांव है, वह गुढ़ा चक के पास में जो आगरा रोड-भरतपुर को जाने वाला रोड है उन पर 80 फुट छोड़ कर अपना मकान बना रहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आगरा रोड पर जयपुर से

(श्री कन्हैया लाल)

लेकर मोहनपुरा गांव तक जे.डी.ए. की सीमा लगती है और जे.डी.ए. की सीमा में आगरा रोड के मध्य से 20 फुट से लेकर 30 फुट तक के हजारों मकान बने हुए हैं लेकिन इस बाबूलाल सिपाही ने रोड के मध्य से 80 फुट छोड़ कर अपना मकान का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया। मकान का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के बाद में 10 अक्टूबर को जे.डी.ए. के अधिकारी उधर से आते हैं, जे.डी.ए. के अधिकारियों ने धमकी दी कि हम इसको आज ध्वस्त करेंगे। उसको डराया-धमकाया कि आप जे.डी.ए. के कार्यालय में जयपुर आकर मिले। वह जे.डी.ए. के कार्यालय में जयपुर आता है बाबूलाल सिपाही, बाबूलाल सिपाही को कहते हैं कि इसका एक लाख रुपये से कम हम नहीं लेंगे। बाबूलाल के बहुत अनुनय-विनय करने के बाद में उसने कैसे न कैसे करके, इधर उधर से लाकर 50,000 रुपये जे.डी.ए. अधिकारियों को दिये। 50,000 रुपये देने के बाद में बाबूलाल अपना निर्माण कार्य गरदन तक ले जाता है, पूरी दीवार खड़ी कर देता है। पूरी दीवार खड़ी करने के बाद में जे.डी.ए. के अधिकारी पुनः 22 अक्टूबर को जाते हैं और 22 अक्टूबर को जाकर बाबूलालजी से कहते हैं कि आप 24-25 अक्टूबर को, जिस दिन छुट्टी का दिन है, अपनी छत डाल सकते हैं इस पर और तुरत-फुरत में इस पर आर.सी.सी. डलवा लो। बाबूलाल सिपाही ने अपनी छत दो दिन में भरवा ली। भरवाने के दूसरे दिन जे.डी.ए. के अधिकारी जाते हैं और उसे कहते हैं कि शेष राशि हमको दो, नहीं तो हम अभी तोड़ते हैं। इस पर बाबूलाल ने कहा कि अभी मेरे पास 20,000 रुपये हैं, मैं आपको कल दे दूंगा। बाबूलाल ने कैसे-तैसे करके उनको 20,000 रुपये उस समय दे दिये। 20,000 रुपये देने के बाद में जब दूसरे दिन वह शेष राशि नहीं पहुंचा सका तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. के आयुक्त से उन्होंने तोड़ने का आदेश लिया। छह नवम्बर को जब बाबूलाल ने पैसे नहीं दिये तो सात नवम्बर के दिन जे.डी.सी. ने उनको लिखित में आदेश दिया कि आप जाएं और सवेरे 5 बजे जाकर तहस-नहस करवाओ पूरे मकान को। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रातः 5.30 बजे इनका जयपुर से सीधे बस्सी-आगरा रोड से जाने का तय हुआ लेकिन दो बुलडोजर को लेकर खुद चार जीपों में चाकसू गये। चाकसू जाकर चाकसू के थानेदार और सिपाहियों को साथ में लेकर तूंगा होते हुए बस्सी आये। बस्सी के थानेदार और सारे सिपाहियों को रात में इकट्ठा करके गुपचुप उसके मकान के आगे बुलडोजर खड़े कर दिये। बाबूलाल, उसकी पत्नी और तीनों-चारों बच्चे सोये हुए थे। सोते हुओं को जगाया। जब उठकर उसकी पत्नी और बाबूलाल देखते हैं तो वे एकदम घबरा गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जे.डी.ए. के अधिकारियों ने उसके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा तो उसका दूधमुंहा बच्चा था, सब बच्चों को पैर पकड़-पकड़ कर, हाथ पकड़-पकड़ कर बाहर फेंक दिया। बाहर

(श्री कन्हैया लाल)

फेंकने के बाद जो दूध पीने वाला था उसको गोद में उठाकर बाबूलाल की पत्नी ने जिसका नाम शांतिदेवी था, जे.डी.ए. अधिकारियों के पैरों में डाल दिया और अनुनय-विनय करने लगी। हाथ जोड़कर उसने कहा कि हम बाकी पैसा दे देंगे, आप यह तोड़ो मत, वह पैर पड़ने लग गई और उसने बार-बार कहा कि आप तोड़ो मत, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं मेरे हाथ और पैर के कड़े खोल दूंगी और ये खोल कर मैं आपको अभी दे देती हूं। फिर भी वे नहीं माने। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी पत्नी मकान पर चढ़ गई। मकान पर चढ़ने पर उसने कहा कि आप मान जाओ, नहीं तो मैं ऊपर ही रहूंगी। ऊपर पुलिस के सिपाही और अन्य जे.डी.ए. अधिकारी चढ़ जाते हैं। उनके चढ़ने के बाद में स्टोव रखा हुआ था, स्टोव से तेल डाला और एक माचिस की तीली लगाई और तीली लगाकर वह जल गई। वह जलने लगी और नीचे आकर गिरी। गिरने के बाद में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको लाकर उस दिन एस.एम.एस. में भर्ती कराया। एस.एम.एस. में भर्ती कराने के बाद में उसने ए.डी.एम. को, एस.डी.एम. को बयान दी उसकी टेप की गई है। उसने अधिकारियों का नाम बताया जिस-जिसने उसको मौत के घाट उतारा। उसके बाद में 12 नवम्बर को उसकी डैथ हो जाती है एस.एम.एस. में। 13 तारीख को सरकार जयपुर संभागीय आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्ति करती है और एक लाख रुपये उसको मुआवजे के रूप में दिये जाते हैं। संभागीय आयुक्त ने अपनी जांच रिपोर्ट जो सरकार को दी है, उसके अन्दर संभागीय आयुक्त ने जे.डी.ए. के सारे अधिकारियों को दोषी माना है, वे दोषी पाये गये हैं। बाबूलाल का मकान 80 फुट पर था और उसके बराबर के सारे मकान 30 फुट पर थे। 80 फुट में भी और जो मकान बने हुए थे उनमें से किसी भी एक मकान को जे.डी.ए. वालों ने टच नहीं किया। पर्टीकुलर एक बाबूलाल के मकान को तोड़ने के लिए वे लोग चले गये और उन्होंने शांतिदेवी को मौत के घाट उतार दिया।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि दोषी अधिकारियों को निलम्बित किया जाए और निलम्बित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी को कोई पनिशमैंट नहीं दिया गया है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सनसनीपूर्ण केस में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : संभागीय आयुक्त ने क्या जांच की है...(व्यवधान) वह तो पढ़ लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संभागीय आयुक्त ने जांच की है...

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, उनको तो बोलने दो।

डा. किरोड़ी लाल : वह तो बोल गये।

श्री उपाध्यक्ष : कहां बोल गये, वह तो बोल रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय,... उसने यातनाओं से प्रताड़ित होकर (व्यवधान) और उन सारे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है, यह जांच का विषय है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको तो समाप्त करने दो।

श्री मदन दिलावर : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त हो गया क्या, आपने बोल लिया क्या?

श्री मदन दिलावर : ...लोग मर रहे हैं और इस सरकार...(व्यवधान) जांच के बावजूद भी उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया।

डा. किरोड़ी लाल : ...लेकिन संभागीय आयुक्त ने जो जांच कराई...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। (व्यवधान) इस पर कोई भाषण नहीं है। आपको लिबर्टी देने का यह मतलब नहीं है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, गलत बात है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ...एक महिला यह कहते हुए कि अगर उसके मकान को तोड़ा तो...

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये प्लीज। डोंट टेक लिबर्टी। माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

डा. किरोड़ी लाल : × × ×

(13.00 बजे)

गंगरार के खुड़िया गांव में दो गायों को जिन्दा जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति बहुत कृतज्ञ हूं, लगातार कई दिनों से इस बात का प्रयास कर रहा था कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर जिस प्रकार से साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कोई योजनापूर्वक तरीके से हो रहा है उसमें गृह मंत्रीजी अपनी तरफ से चला कर कोई बात कहें। मैंने पिछली बार भी सत्र में इस बात को उठाने का प्रयास किया, आज भी मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि विषय मैं उठाता हूं या आप उठाते हो या कोई और उठाता है इसके कारण से विषय की महत्ता को समाप्त मत करिये। इसके कारण से हो

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।
× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकता है कि किसी को दण्ड मिल जाएगा और किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन हम उस समस्या की जड़ में नहीं जा सकेंगे जिसके कारण से हमारी शांति, हमारा अमन-चैन नष्ट हो रहा है।

यह जो गंगरार वाली घटना है इस ओर मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं, मैं सोचता हूं कि आप अपने दल की टीम भेज दीजिये, वह गांव में जाकर वास्तव में लोगों से बातचीत करे। बातचीत करने के बाद में आपके दल के प्रतिनिधि जो भी रिपोर्ट आपको दें उस पर यदि आप विचार करेंगे तो आप स्वयं इस बात के लिए सहमत होंगे कि किस प्रकार का घिनौना काम किया गया उस खुड़िया गांव में, जो गंगरार का गांव है। एक किसी व्यक्ति ने, वहां भीम सिंह के खेत में कुछ गायें बंधी हुई थीं उनमें से दो गायें, जिनमें से एक के पेट में बछड़ा था, उसको तार से बांधा, उसके पैरों को और एक और बछड़ा था, दोनों के मुंह में कपड़ा फंसाया, उसके सींगों को भी उसके पैर के साथ बांधा और बांधने के बाद लकड़ी इकट्ठी करके उसको जलाया। एक जिंदा गाय जली, दूसरी को जलाने के लिए भी वह अपना काम कर रहा था, उसी समय जिसका खेत था वह भीम सिंह अपने खेत की तरफ आया। उसके आने से गांव के सारे लोगों में उसके खिलाफ एक हुल्लड़ हुआ, लोग उसके पीछे दौड़े। उसके पास जिस प्रकार का जो भाला था उस भाले को लेकर वह लोगों के पीछे दौड़ा, लेकिन आखिर में लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ कर एफ.आई.आर. भी 15 तारीख को दर्ज करा दी। पुलिस ने इसका मुकदमा भी दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज होने पर चंदेरिया थाने का जो भी थानेदार है उसको इस काम की जिम्मेदारी दी गयी। इस सारी जिम्मेदारी के बाद इस सरकार की मंशा शायद यह है कि जिस प्रकार का कृत्य हुआ वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस कृत्य के ऊपर कैसे परदा डाला जाए, उसकी रचना प्रारम्भ हो गई। मैं नहीं कहता हूं, एफ.आई.आर. में उस एक आदमी के अलावा लोगों ने तीन व्यक्तियों का और बताया है कि इसमें तीन व्यक्ति और थे, क्योंकि एक व्यक्ति गाय के सब पैर बांध नहीं सकता। एक व्यक्ति यह सारा काम करे तब तक गाय किसी प्रकार से कोई हलचल न करे, ऐसी बात नहीं हो सकती। तीन व्यक्ति थे और लोगों ने भागते हुए देखा उन लोगों को। उस एफ.आई.आर. में दर्ज कराया कि तीन व्यक्ति और थे। उस समय किसी के ध्यान में यह नहीं था कि ये कौन हैं तीन व्यक्ति, या क्या हैं, कहां के रहने वाले हैं, किसी को इसका पता भी नहीं था। यह व्यक्ति कौन है, इसके बारे में भी जानकारी बाद में जाकर पता लगी। व्यक्ति से जब पकड़ कर पूछताछ हुई तब पता लगा कि मध्य प्रदेश, उज्जैन का यह कोई व्यक्ति है जिसने यह काम किया।

लेकिन अब इसको घुमाने का प्रयास किया गया है। भावना जो भड़कती है, वह इस कारण से भड़कती है। अब यह तैयार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किया गया कि यह आदमी पागल है और पागल होने के कारण से उसने जिंदा गाय को जला दिया तो जला दिया, कोई अपराध नहीं। यह जो हमारी मनोवृत्ति है इसके कारण से भावना भड़कती है। आखिर हमारा भावनात्मक लगाव है, सामान्य जन का है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल से सम्बन्ध रहा हो, हर व्यक्ति जो उस गांव में रहता है, सौ प्रतिशत लोग इस घटना से दुःखी हैं, आंदोलित हैं। आपने देखा है कि छोटी-सी घटना को लेकर पूरे चित्तौड़ जिले में किस प्रकार का माहौल बन रहा है।

लेकिन पुलिस ने इस बात से इस केस को मोड़ने की कोशिश की कि वह पागल है। मेरे यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर पागल है तो क्या उसकी कोई पुरानी सारी की सारी आपने हिस्ट्री उठाई। मैं आज पागल हो सकता हूं। तीन दिन के लिए, मुझे कुछ शाक भी लग सकता है, लेकिन तीन महीने बाद पागलपन मेरा खतम होकर मैं सामान्य आदमी की तरह जी भी सकता हूं। आज से छह साल पहले अगर कोई पागलपन का इलाज हुआ हो उसके कारण से आज भी मुझे पागल मानकर मेरे अपराध पर आप परदा डालने का प्रयास करेंगे तो समस्या का निदान नहीं होगा। समस्या का निदान उसकी वास्तविकता से होगा।

वे तीन लोग कौन हैं जो लोग भागे थे? उनको पकड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? 15 तारीख की घटना है, 15 तारीख को ही एफ.आई.आर. दर्ज हुई, वे तीन की जगह बारह भी लिख सकते थे, वह तीन की जगह एक भी लिख सकते थे, दो और लिख सकते थे। यह तीन शब्द का कोई उन्होंने आविष्कार किया था क्या कि तीन शब्द का आविष्कार करके इसके पीछे लगा दो?

माननीय गृह मंत्रीजी, मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि एक के बाद एक घटनाएं जिस प्रकार से घट रही हैं, नसीराबाद की घटना के बारे में आपको जानकारी है, इसी तरह से ब्यावर की घटना की आपको जानकारी है, मैं सबके विषय में नहीं जाना चाहता हूं, मैं इस विषय में जाना चाहता हूं। एक जीवित गाय को जिस ढंग से बांध कर जलाकर मारा गया है और उसके बाद जिस प्रकार इस घिनौने कांड को ढकने का पुलिस ने षड्यंत्र रचा, निश्चित रूप से आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए लज्जा की बात है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से इंवेस्टीगेशन कराएं जो इसके सारे पहलुओं पर ठीक प्रकार से जांच करें। जांच करने के बाद इसमें जो भी दोषी हैं, कोई जाति, समाज, धर्म इसमें आड़े नहीं आता है। अगर किसी ने यह सोचा हो कि तालिबान ने बुद्ध की प्रतिमाएं गिराई इसलिए सौ गायों की हत्या करना उसके लिए आवश्यक है, उस क्रम में अगर वह हत्या करता है तो यह एक तरह से मूर्खपना है, उसका पागलपन है। कोई यह सोचे कि बुद्ध की प्रतिमा देर से क्यों टूटी, इसके कारण से जब तक सौ गायों का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नरसंहार नहीं होगा तब तक हमारे मन की अग्नि शांत नहीं होगी, अगर इस प्रकार का कृत्य होता है तो निश्चित रूप से बहुत ही दुःखद कृत्य है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत नम्रता से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप निश्चित रूप से इसकी गहराई में जाइये, उन सारे अपराधियों को पकड़िये जिन अपराधियों ने इसको किया। अब यह मध्य प्रदेश का आदमी वहां कैसे आया? वहां आकर उसने यह कृत्य कैसे किया? तब तक कोई पूरी की पूरी इसकी लिंक नहीं निकलेगी। निश्चित रूप से बाहरी व्यक्ति आकर राजस्थान की शांति को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास सभी प्रकार से अपने डिपार्टमैंट के अधिकारियों की रिपोर्ट होने के बाद भी दुर्भाग्य इस बात का है कि जानकारी होने के बाद भी हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करके—

श्री जगत सिंह दायमा : यह मध्य प्रदेश का ही क्यों आया? और राजस्थान में क्यों आया मध्य प्रदेश का?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस घटना को आप बिलकुल तवज्जह दें और तवज्जह देकर इसकी तुरन्त क़ार्यवाही करके जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको दण्डित किया जाए। अगर ये दण्डित नहीं हुए तो निश्चित रूप से सम्पूर्ण मेवाड़ क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है उससे अंशाति होगी, साम्प्रदायिक उन्माद फैलेगा, लोग एक-दूसरे के खून के प्यासे होकर नुकसान करने का काम करेंगे। इसे अगर आप मिटाना चाहते हो, खतम करना चाहते हो तो निश्चित रूप से यह जो व्यक्ति है इसको भी और इसके जो साथी हैं जिन्होंने मिल कर जीवित गाय को बांध कर और दूसरी को भी इसी प्रकार से बांध कर जलाने का प्रयास किया, उन्हें निश्चित रूप से दण्ड मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप विराजें, मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर का ज़िक्र आया है, ब्यावर में तो पर्चा ही विश्व हिन्दू परिषद ने निकाला, इससे साम्प्रदायिक भावना भड़की है—

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें प्लीज। आप उसको इससे मत जोड़ें। प्लीज माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस पर भी होम मिनिस्टर साहब, आपको ध्यान देना चाहिए कि यह साम्प्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है, इस प्रदेश के सुकून को कौन खतरे में डाल रहा है, यह इस तरीके के उत्तेजक पर्चे और यह फोटो किसने निकाले?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय माहिर आजादजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको सारे दृष्टिकोणों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम भी जो कटारियाजी कहते हैं वही चाहते हैं। हमारे प्रदेश का साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रहना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, आर्डर, आर्डर।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारी भी भावना यही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। माननीय कटारियाजी, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अपराधियों को बचाने का ध्येय नहीं है हमारा। हम तो यह कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को आपको देखना चाहिए कि आखिर यह शुरूआत कहां से हुई? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय। आर्डर, आर्डर। माननीय राठौड़ साहब, आप बैठिये।

श्री जगत सिंह दायमा : आपकी ताकत है क्या विश्व हिन्दू परिषद...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पर्चा निकाल रखा है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपराधियों को बचाना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, माननीय माहिर आजादजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, वह जो अपराधी है उसका नाम अहमद होने के कारण और एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे प्रदेश का साम्प्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए... (व्यवधान) जो भी साम्प्रदायिक शक्तियां हैं, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से सम्बन्ध रखती हैं, आपको उनसे सख्ती से निबटना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या गृह मंत्रीजी में इतनी ताकत है कि कोई इस तरह का पर्चा निकलवा दे और उसको गिरफ्तार कर लें?

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी... (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : विश्व हिन्दू परिषद् के लोगों ने...

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार) : मुझे मौका दो, मेरे क्षेत्र का मामला है...(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : विश्व हिन्दू परिषद् ने जो साम्प्रदायिक दंगे करवाये नसीराबाद में, तो आपमें इतनी ताकत है क्या कि अपराधियों को बंद कर लो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री कालूलाल खटीक : ...यह बिलकुल गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे गंगरार क्षेत्र का मामला है, मैं खुद वहां घटना के रोज जाकर आया हूं। एक खूड़िया गांव में घटना हुई और वहां पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कार्यवाही की गई, वहां की जनता ने संतोष जाहिर किया, संतोष व्यक्त किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। माननीय कालूलालजी, विराजें प्लीज। आप विराजें।

श्री कालूलाल खटीक : और इसके अलावा उस खूड़िया गांव में 11 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है और उस... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) ...सड़कों पर पटक-पटक कर मारा जाता है...(व्यवधान)

श्री कालूलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं यह बिलकुल अनुचित है और वास्तव में कोई जनता नहीं चाहती ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री कालूलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जिस ढंग से राजनीतिकरण करना चाहते हैं वह सरासर गलत है। अभी तक की जो कार्यवाही की गयी है...(व्यवधान) बिलकुल संतोष व्यक्त किया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे जिले में साम्प्रदायिक सद्भाव को खतम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ...(व्यवधान) ...और हर दिन कोई न कोई ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ...(व्यवधान) ...लोग उसका साम्प्रदायिक शब्द जोड़कर... (व्यवधान) यह घिनौना कृत्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) आग लगायी जाएगी तो क्या होगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री कालूलाल खटीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता की भावना के अनुसार पुलिस कार्यवाही कर रही है। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ...(व्यवधान) साम्प्रदायिकता की आग को लगाकर... (व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जाड़ावत साहब, विराजिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) जिन्दा जलाया जा रहा है और ये लोग गाय को जलाने का समर्थन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी, आप बैठिये प्लीज। अंकित नहीं हो। आप बैठिये प्लीज।

श्री मदन दिलावर : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये प्लीज। माननीय सदस्य, माननीय कटारियाजी ने जो बात कही है, यह तो फैक्ट है कि गाय जली है। इन्होंने यही तो कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायी जाए...(व्यवधान)...आर्डर, आर्डर प्लीज। आप विराजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए कोई एतराज नहीं है, जिसने गाय जलायी है उसको गिरफ्तार करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बोल रहा हूं आप विराजिये। आप विराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : उपाध्यक्ष महोदय, ये साम्प्रदायिक दंगे की जो बात है उनको गिरफ्तार करवाओगे क्या जिन्होंने पर्चे निकलवाये?

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगतसिंह जी, आप विराजिये प्लीज।

(माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह दायमा सदन कूप में आकर बोलने लगे)

कोई हाउस का तरीका तो हो न, ऐसे चलेगा क्या हाउस? क्या बात हुई यह? आप विराजिये प्लीज।

श्री जगत सिंह दायमा : मैं आपको दे देता हूं यह पर्चा।

श्री उपाध्यक्ष : वहां रख दो आप टेबल पर। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज। जो कुछ बात माननीय कटारिया जी ने उठायी है उसका स्पष्टीकरण गृह मंत्रीजी दे रहे हैं, इसमें इतनी बहस क्या है? What is the argument? इन्होंने स्वयं यह बात कही है कि जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर सही कार्यवाही नहीं हुई है तो सही होनी चाहिए। उसमें क्या बात है? ये कोई डिनाई करता है क्या कि गाय नहीं जली? फिर क्या बात है? (व्यवधान) क्यों बोल रहे हैं आप इतने सारे? आप बेकार ही बोल रहे हैं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आप विराजिये। आप बैठिये। आप नीचे बैठिये न।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस घटना का जिक्र किया और उस संबंध में कुछ तथ्य भी उल्लेख किये, यह सही है कि एक मंदसौर निवासी था जिसने गाय को जलाया। गांव वालों ने उसको पकड़ा, उसको बांध कर रखा। पुलिस सूचना मिलने पर तुरन्त वहां पर पहुंची और उसके खिलाफ कार्यवाही की।

इस घटना की सूचना मुझे उसी दिन मिल गयी थी, मैंने डी.आई.जी. रेंज उदयपुर को निर्देश दिया है कि वे स्वयं जाएं और

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

सारी घटना के विस्तार में जाने का प्रयत्न करें और तथ्य से अवगत कराएं। उन्होंने मंदसौर टीम भेजी थी, उस व्यक्ति के बारे में जो वहां से आया था, जानकारी भी उन्होंने की है। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह किसी समाज विशेष या किसी व्यक्ति विशेष या किसी जाति विशेष से नहीं, राजस्थान में इस प्रकार की घटनाएं अगर होती हैं तो उसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान में इस प्रकार से साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़े। उसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा— (व्यवधान)

आपने एक पर्चा अभी मेरे सामने रखा, इस पर्चे का संबंध गंगरार की घटना से नहीं है, इसका संबंध है ब्यावर की घटना से। यह पर्चा जो आपने मुझे दिया है, यह मेरी जानकारी में है और इस पर्चे के आधार पर मैंने हमारे आई.जी., इंटेलीजेंस को जांच करने के लिए भेजा है। वे जांच कर रहे हैं। ब्यावर, नसीराबाद तथा और भी स्थान जहां इस प्रकार कई घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे क्या भावना है, कौन लोग उसके पीछे हैं जिनकी वजह से इस तरह की घटना घट रही है और जो साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य सरकार, उसके बारे में निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि तह में पहुंचेगी और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देगी, उसके लिए विशेष कदम उठाये जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने इस सदन में जो सन् 2001-2002 का बजट प्रस्तुत किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष है और पांच वर्ष के लिए योजना का जो आकार 27,600 करोड़ रखा गया था, कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही—

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। चन्द्रभान जी, आप लेकर दें।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर/एफ.सी/एल/2/बी.सी/जन/32 दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम के कुछ अधिकारियों को कतिपय कार्य करने हेतु विशेष रूप से अधिकृत किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांति धारीवाल जी का भी आप ही करेंगे।

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 9वीं पंचवर्षीय योजना का यह अंतिम वर्ष है। पांच वर्ष के लिए जो योजना बनायी गयी थी 27650 करोड़ रुपये की, मुझे यह कहते हुए काफी दुःख है कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही इस योजना के आकार को घटाना शुरू कर दिया। अब जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा है, 9वीं पंचवर्षीय योजना 20159 करोड़ रुपये की रह जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्भवतः राजस्थान पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एक ही वर्ष में योजना के आकार में दो बार कमी करने का काम किया है।

(13.19 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ संसाधन नहीं है इसकी दुहाई दी जाती है। एक तरफ कहा जाता है कि पिछली सरकार खजाना खाली छोड़कर गयी है। एक तरफ यह राग अलापा जाता है कि पिछली सरकार ने कर्ज के भार से इस प्रदेश को दबाने का काम किया है और दूसरी तरफ संसाधनों की कमी, प्लान साइज का सिकुड़ते चला जाना। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि फिर राजस्थान जो इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, पिछड़ा हुआ है, अति पिछड़ा हुआ है इसका विकास किस आधार पर कैसे करेंगे? मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस बात के लिये आप सदा दूसरी सरकार को दोष देते थे कि भाजपा सरकार ने इस प्रदेश को कर्जे के गर्त में डुबोने का काम किया है, माननीय सभापति महोदय, जरा आप अध्ययन करें, 1990 से 1995 तक इस प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने

(मोहम्मद माहिर आजाद)

8 वर्ष के शासन में कुल 23840.11 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और इस कर्जे में 1100 करोड़ का वह कर्जा भी शामिल है जो 1993 में राष्ट्रपति शासन के दौरान लिया गया। सभापति महोदय, बी.जे.पी. ने अपने 8 वर्ष के शासन में करीब 16 हजार करोड़ का कर्जा लिया जिसकी आपने लगातार आलोचना की कि इसने प्रदेश को कर्जे के भार में डुबो दिया। लेकिन आपकी स्वयं की स्थिति देखें, आपने कर्जा लेने में बी.जे.पी. की सरकार को कोसों दूर छोड़ दिया है। आपने केवल दो ही वर्ष में 25 हजार करोड़ रुपये का कर्जा लिया है। (व्यवधान) नहीं, 25 हजार करोड़ रुपये का लिया है। आप जरा ध्यान से सुनिए, आपके बस की बात नहीं है, अकाउंट की बात है। मुझे अपनी बात कहने दीजिए, आप अपना भाषण दे चुके। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझें इंटरप्ट करने की कोशिश मत कीजिए, प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि इन्होंने 1999-2000 में 12989.74 करोड़ का कर्जा लिया। 2000-2001 में 12439.65 करोड़ का कर्जा लिया। इन दोनो वर्षों का टोटल 25429.49 करोड़ होता है, यानि 25500 करोड़ का कर्जा आपने दो वर्ष में ले लिया। सभापति महोदय, इस वर्ष जो इन्होंने आगामी वर्ष के लिये अनुमान सदन में पेश किये हैं इसमें करीब 9999 करोड़ कर्जा लेने की बात कही है। सभापति महोदय, गत दो वर्षों का अनुभव हमारे सामने है कि जब इन्होंने 7 हजार करोड़ का कर्जा लेने की बात कही और कर्जा लिया 12989.74 करोड़ का। उसके बाद दुबारा फिर इन्होंने साढ़े 7 हजार करोड़ का कर्जा लेने की बात कही और कर्जा लिया 12439.65 करोड़ का। इसी हिसाब से 25500 करोड़ तो दो वर्ष का हो गया और तीसरे वर्ष में भी 10 हजार करोड़ का कर्जा लेने की बात कर रहे हैं। अगर हम इनको भी मान लें कि इसी अनुपात में यह बढ़ेगा तो यह कर्जा तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 40 हजार करोड़ रुपये चला जाएगा। आप देख लीजिए, वित्त मंत्रीजी, यह चीज साफ है। वित्त मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आप सी.ए. जरूर है लेकिन यह सक्षम है— (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : 2000-2001 में 34102 करोड़ का और 2002 तक यह पहुंचेगा 39162 करोड़।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं 40 बता रहा हूं और 39 बोल रहे हैं, इसमें क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं है।

श्री आर. पी. शर्मा : 1998-99 में जो कर्ज है वह 24170 है, डिफरेंस 2002 तक मात्र 16 हजार करोड़ का पहुंचेगा। आप 25000 करोड़ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय वित्त मंत्रीजी और आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस कर्जे को जिस आधार से कैलकुलेट किया है और आपने अपने व्हाइट पेपर में जिस आधार से कैलकुलेट किया है, मेरा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

फार्मूला भी वही है। मैं भी उसी आधार पर कैलकुलेट कर रहा हूं। आप उस हिसाब से बताइए। यह नहीं कि आप दूसरे को दोष दो तो आपका फार्मूला दूसरा और आप खुद की बात कहो तो आपका फार्मूला दूसरा। फार्मूला एक होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : फार्मूला एक ही है। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा-सा करैक्ट कर लें तो बेहतर होगा। एक टैम्प्रेरी लोन होता है वेज एण्ड मीन्स का, जो लिया, लेते ही वह कंसोलिडेटेड फंड में आता है। आज लिया कल चुकाया, फिर आया फिर गया, वह वेज एण्ड मीन्स एडवांस का है। उस वेज एण्ड मीन्स एडवांस की रकम को भी आपने यहां गिन लिया है। सवाल आता है कि नैट कर्ज क्या है? लिया-दिया, लिया-दिया, यह प्रक्रिया तो हमेशा हर राज्य की रिजर्व बैंक के साथ चला करती है। नैट की क्या पोजीशन है? नैट की पोजीशन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बतायी है, वह है। That is the correct position.

मोहम्मद माहिर आजाद : नैट तो एडजस्टमैंट के बाद होता है, इतना मैं भी जानता हूं। आपकी स्थिति तो यह है, वित्त मंत्रीजी, माफ करना मुझे, आपको तो इकानामिक्स का ज्ञान ही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी तो एम.ए. इकानामिक्स हैं, चन्दनमल जी को तो बजट का अनुभव था, आप तो सिम्पली बी.ए. और एलएल. बी. हैं। आपने तो आंकड़ों के जाल में सदन को भ्रमित करने का काम किया है। आपने बजट डैफिसिट ही नहीं बताया। आज तक के राजस्थान के इतिहास में आपका यह पहला बजट है जिसमें आपने बजटीय घाटे की डिटेल नहीं दी। बता दीजिए आज से पहले कभी हुआ हो तो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताइए, आज तक आपने दी क्या? मैं एम.काम. हूं, डाक्टर साहब, इकानामिक्स की बात नहीं है। अध्ययन की भी बात होती है। सभापति महोदय, यह पहला बजट भाषण है राजस्थान के इतिहास में जिसमें बड़ी चतुराई के साथ, बौद्धिक शरारत के साथ, इसको मैं इंटलैक्चुएल डिसआनैस्टी कहना चाहता हूं, इस बजट में बजट डेफिसिट जो हैं संशोधित अनुमान में आपने इसका डिटेल ही नहीं दिया जो हमेशा दिया जाता है। बताइए, आपने दी है क्या? रेवेन्यू अकाउंट आपने नहीं दिया, आपने कैपिटल अकाउंट नहीं दिया। लेकिन इस कार्यवाही से आप इसको छिपा नहीं सकते। आप घाटे पर चले जाएं, पिछले साल का जो आपका घाटा था वह था 112.34 करोड़। यह आपने अनुमान लगाया था लेकिन वह बढ़कर हो गया 699.36 करोड़, यानि करीब 700 करोड़ रुपये का आपका पिछले वर्ष का घाटा है। इस वर्ष आपने जो अनुमान दिये हैं इसमें क्या आप पिछले साल के घाटे को नहीं जोड़ोगे? 2001 और 2002 में जो आपने घाटे की बात कही है वह आप बता रहे हैं 283 करोड़ 70 लाख लेकिन यह बताइये इसमें 2000-2001 का जो आपका 700 करोड़ का घाटा है उसको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? कैरी फार्वर्ड होता है कि नहीं होता है? आपके पास बैलेंस है उसको भी आप अगले वर्ष में कैरी फार्वर्ड करते हैं और आपके पास जो डैफिसिट है उसको भी आप अगले साल में कैरी फार्वर्ड करते हैं। आप आंकड़ों में तो भले ही इस चीज को छिपा सकते हो लेकिन, वित्त मंत्रीजी, राजस्थान की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है। पिछले साल का घाटा आपने 112.34 करोड़ बताया, जो आपका अनुमान था और वह बढ़कर 699.36 करोड़ हो गया। उसको आपने कहां समायोजित किया? अब आपने 283 करोड़ 70 लाख का ही घाटा बताया है। मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में माननीय सभापति महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह जो 700 करोड़ का गत वर्ष का घाटा है इसको आप कैसे पूरा करेंगे? इसकी भरपाई कैसे की जाएगी? यह आपने इसमें कहीं नहीं बताया। आपको इसका उल्लेख करना चाहिये था, यह आपने अधूरी बात कही है। इस तरीके से आपने सदन को गुमराह किया है और कर्जा कम बता रहे हैं जबकि आप कर्जा ज्यादा ले रहे हैं। एक्चुएल फिगर आप देखें तो सारी स्थिति आपके सामने है। आपके अनुमान का हश्र क्या हो रहा है, वह जरा आप देख लीजिए। आपने 1999-2000 में कहा कि 7120.70 लाख का हम कर्जा लेंगे और आपने लिया कितना? 12294.76 लाख according to your revised estimate. फिर इसी तरीके से 2000-2001 में आपने कहा कि हम 7025.58 करोड़ का कर्जा लेंगे और रिवाइज में वह 12439.65 हो गया। इस तरह से आप इस सदन को गुमराह मत कीजिए। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नैट बताया है, यह तो आपके एडजस्टमैंट के बाद होगा। या तो आप सदन को यह भी बताए कि आप एडजस्टमैंट कैसे करेंगे। बी.जे.पी. के राज में 23 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की बात आपने कही कि कर्जे में डुबो रहे हैं लेकिन आप तो कर्जा लेने में राजस्थान की बी.जे.पी. की सरकार को कोसों दूर छोड़ गये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जो हमारी भावी पीढ़ी आएगी उस भावी पीढ़ी को आप इस कर्जे के पहाड़ी में डुबो रहे हैं, यह अधिकार आपको किसने दिया? माननीय सभापति जी ने दिया कि सदन ने दिया या राजस्थान की जनता ने दिया? मैंने पिछली बार भी अपना सुझाव दिया था और आज फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कर्जा उतना ही लेना चाहिए जितना कर्जा आप अपने कार्यकाल में चुका सकें। आप यह कर्जा 2004 में तो चुकाना शुरू करेंगे। ए.डी.बी. से चाहे आपने शहर को सुंदर बनाने के लिए कर्जा लिया हो, चाहे दूसरी योजनाओं के लिए लिया हो, 2004 में कर्जे की अदायगी शुरू होगी। और, सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2004 में न तो प्रद्युम्न जी वित्त मंत्री रहेंगे, न कांग्रेस का राज रहेगा,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जब राज तीसरी शक्ति का आएगा। यानि मजे तो कर्जा लेकर ये लें और चुकाने की जिम्मेदारी हो हमारी। (व्यवधान) आप तो, भंवरजी, जब हमारे साथ होंगे। पहले भी हमारे साथ आ गए थे। आप चिंता मत करो। आप तो जिधर देखी भरी परात उधर बिताई सारी रात, आपका करेक्टर छुपा नहीं है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था...(व्यवधान) थोड़ा बहुत होना चाहिए।

श्री सभापति : चालू रखिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : यह तो खुद चालू हैं, क्या चालू रखेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहली चीज तो आपको अपनी सीट से बोलना चाहिए, लेकिन आपकी समझ में कम ही आती है न बात। जिधर देखी भरी परात उधर बिताई सारी रात, यह तो माननीय भंवरजी का सिद्धान्त है। यह 1985 में एम.एल.ए. बने लोकदल से, 1990 में जनता दल में आ गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप तो अपनी बात कहिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : फिर चले गए बी.जे.पी. में, अब आ गये कांग्रेस में इसलिए मैं इनकी बात करके सदन का समय... (व्यवधान)

श्री सभापति : भंवरलाल जी तो पहली बार बोले हैं, कभी बोलते नहीं हैं। आगे बढ़ो आप। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप साथ-साथ रहे हो, क्यों एक दूसरे की पोल खोल रहे हो? आप सब साथ थे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : पोल तो आपकी भी खुल गई। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : मैं कहीं भी गया हूं फिर भी चालीस हजार वोट से जीता हूं और जीतता रहूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : चलिये बढ़िया है, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आप ऐसे ही इस सरकार को भी पलटो जैसे कि पिछली पलटी थी।

श्री सभापति : प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं आपको निवेदन कर रहा था कि कर्जा उतना ही लिया जाए जितना आप अपने कार्यकाल में चुका सकते हैं। यह गलत परम्परा है कि आप प्रदेश को डैट ट्रैप की तरफ ले जा रहे हैं, इस प्रदेश को कर्ज की अर्थ व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। आप कर्जे की अदायगी 2004 से शुरू करेंगे, यानि हम 2025 तक तो इस कर्जे को चुकाते ही रहेंगे। तब इस राजस्थान का विकास कैसे होगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं?

माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है, आप उठाकर देखिए कि कर्जा इन्होंने किसलिए लिया, कर्जा लेने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? आपकी प्राथमिकताएं यह हैं कि बापू बाजार के

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अन्दर टांइल्स लगा रहे हैं। और एडीबी. से जो आपने कर्जा लिया है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : बजट का डिस्कशन हो रहा है, एडीबी. का पैसा अभी तक नहीं आया। नम्बर दो, बापू बाजार में जो लग रहा है वह नगर निगम, जेडीए. का पैसा है राज्य सरकार का पैसा नहीं है। यह खाली मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : जेडीए. किसका है? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बजटीय फिगर्स नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, आपने योजना में बदलाव किया, पिछले वर्ष की भी मैंने बात कही थी कि आपने प्लानिंग कमीशन को अपनी योजना 5000 करोड़ की सब्मिट की थी, योजना आयोग ने 4750 करोड़ की आपकी योजना मंजूर की। जान-बूझकर आपकी 4750 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। आपने लोकल सैल्फ के और पंचायत के चुनावों में इस प्रदेश की भोली-भाली जनता को भ्रमित करने के लिए 5022 करोड़ का योजना का आकार बढ़ा-चढ़ाकर दिखाकर वोट बटोरने का काम किया और उसके बाद आपने उसको घटा दिया। मैंने पिछले साल भी कहा था कि आप जो यह दुहाई दे रहे हैं इतना पैसा आप खर्च नहीं करेंगे। आपने पैसा खर्च किया सिर्फ 3800 करोड़। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान एक पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान प्रदेश है और इनकी योजनाएं, इनकी प्राथमिकताएं देखिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश को कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है जहां 80 प्रतिशत लोग गांवों में खेती पर और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं और इस सरकार की स्थिति देखिए, इस प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को अगर तरक्की पहुंचाने का काम होता है तो उसमें कृषि के ऊपर खर्चा बढ़ाना चाहिए, पशुपालन के ऊपर खर्चा बढ़ाना चाहिए। लेकिन आपकी प्राथमिकता यह है, आपने जो काम किया है...एक मिनट, मैं सब बता दूंगा, आप चिन्ता मत कीजिए। रुक जाओ, मैं सारी बात कह दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आप स्थिति देखिए कि इस कृषि प्रधान प्रदेश में आप किन योजनाओं में कटौती कर रहे हैं। कृषि और पशुपालन के ऊपर आपका मूल प्रावधान था 258.88 करोड़ का और आपने खर्चा कितना किया? 169.65, संशोधित अनुमान है। आपका दूसरा काम, पर कैपिटा इनकम और आदमी का जो परचेजिंग पावर बढ़ता है वह कृषि उत्पाद से या इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन से या माइनिंग से बढ़ता है और आपकी स्थिति यह हो रही है कि आपने खेती के ऊपर 258 से कम करके 169 कर दिया, आपने उद्योग और खनिज पर 111 करोड़ 39 लाख का जो मूल प्रावधान था उसको घटाकर पहले रिवाइज किया 90.99 और फिर आपने संशोधित प्रावधान 85.26 कर दिया। एक तरफ आप वैज्ञानिक युग बताते हैं, इस प्रदेश को 21वीं सदी में ले जाने के लिए

(मोहम्मद माहिर आजाद)

राजीव गांधी के सपने की बात करते हैं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि वैज्ञानिक सेवाओं का जो बजट था उसको भी आपने 1.50 करोड़ से घटाकर 1.17 कर दिया। माननीय सभापति महोदय, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश की इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

आप खेती से, ग्रामीण विकास से, पशुपालन से, उद्योग-धन्धों से और माइनिंग से खर्चा हटाकर दूसरे खर्चों पर इसको करना चाहते हैं, आज आपकी प्राथमिकताएं क्या हो गयीं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे पैसा जे.डी.ए. का लग रहा हो, चाहे पैसा किसी भी एजेंसी का लग रहा हो, आज स्थिति यह है कि गांव में टूटी-फूटी सड़कें हैं। गांव के बच्चों के साथ आप क्रूर मजाक कर रहे हैं, उसको पढ़ाने के लिए राजीव गांधी पाठशालाओं में आठवीं पास अध्यापक 1200 रुपये की तनख्वाह पर लग रहे हैं और दूसरी तरफ आप बापू बाजार में टाइल्स लगा रहे हैं। और आज की राजस्थान पत्रिका में आपने देखा होगा, वह टाइल्स लगे अभी 15 दिन भी नहीं हुए और उखड़नी शुरू हो गई हैं। वहां फव्वारा लगा रहे हैं, आप वहां पर एयरकंडीशनर बाथरूम, टायलेट बना रहे हैं।

सभापति महोदय, जयपुर में मालवीय नगर रेलवे क्रासिंग के ऊपर ओवरब्रिज बने यह बात समझ में आती है, झोटवाड़ा में ओवरब्रिज बने इसकी बात समझ में आती है, गोपालपुरा रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिंज बने उसकी बात समझ में आती है, गोपालपुरा मोड़ पर ओवरब्रिज किसलिए बना रहे हैं? गोपालपुरा मोड़ पर कहां पर दिक्कत आ रही है? और फिर गोपालपुरा मोड़ पर बनाने के बाद में थोड़ा-सा आगे चलते ही सांगानेर चौराहा है उस सांगानेर सर्कल के ऊपर भी ओवरब्रिज बना रहे हैं। यह पैसे की बरबादी है। जयपुर की चकाचौंध से आज स्थिति यह हो रही है कि गांव का आदमी परेशान हो रहा है। उसको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा और आप यहां पर फव्वारा चला रहे हैं। गांव के बच्चों को आप सड़ी-गली शिक्षा के अन्दर राजीव गांधी शैक्षणिक केन्द्रों पर आठवीं पास अध्यापक के पास भेज रहे हैं और शहर के अन्दर आप पैसे को इस तरीके से बरबाद कर रहे हैं। You are only trustee. आप इस पैसे के केवल रक्षक हैं, आपको इस पैसे को बरबाद करने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, जब रूस में खूनी क्रांति हुई और खूनी क्रांति के बाद लोगों की अर्थ व्यवस्था उजड़ गई, लोगों के सामने खाने-पीने का संकट पैदा हो गया तब लोग इकट्ठे होकर रूसी जार के महल के बाहर अनाज मांगने गये, रोटी मांगने गये तो जार की बीवी ने आकर कहा, क्या संकट है, क्यों आये हो, जार तो शराब के नशे में मदमस्त होकर आराम कर रहे हैं, मुझे बताओ क्यां तकलीफ है। उन्होंने कहा हमारे लिए खाने को रोटी नहीं, कोई बात नहीं, रोटी नहीं है तो डबल रोटी खा लो। वही स्थिति वित्त मंत्रीजी इस राजस्थान की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बनाना चाहते हैं। गांव का आदमी आपसे पीने के लिए पानी मांग रहा है, उसको पानी मुहैया नहीं कराकर आप शहर के अन्दर फव्वारा चला रहे हैं। गांव का आदमी सड़क मांग रहा है, आप यहां बापू बाजार जिसमें मंत्री के घरवाले जाकर परचेजिंग कर रहे हैं, जो जयपुर का सबसे ठगू बाजार है, जो जयपुर का सबसे मंहगा और आलीशान मार्केट है उसको और सुन्दर बना रहे हो। वहां पर बाथरूम को भी आप एयरकंडीशनर बना रहे हो। यह गांव की जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। गरीब और किसानों के साथ जो अन्याय इस बजट के माध्यम से आप करना चाहते है इसको राजस्थान की तीसरी शक्ति और बहुजन समाज पार्टी के लोग किसी भी रूप में बरदाश्त नहीं करेंगे।

मैंने कल भी कहा था, सभापति महोदय, संख्या का कोई खेल नहीं होता है, यह जनता के हाथ की बात है। आप अंदाजा लगा लें, 1962 में विपक्ष और पक्ष दोनों के बराबर-बराबर एम.एल.ए. जीते थे 68-68, लेकिन उसके बाद स्थिति यह हुई कि 1990 में कांग्रेस तीसरे नम्बर पर आ गई थी। हम तीसरी शक्ति के लोग 55 की संख्या में जीतकर आये थे, दूसरे नम्बर पर हम थे, तीसरे पर ये थे। आपकी पार्टी, कल तक 84 में इस देश के अंदर दो एम.पी. थे। कितने? दो, आज आप राज कर रहे हो। आज हम भी दो विधायक हैं, कल जनता हमको राज करने जितनी संख्या दे दे, यह जनता पर निर्भर करता है, आपके बस की बात नहीं है। तो संख्या के अहंकार में न इनको आना चाहिए और न आपको आना चाहिए। तो मैं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : दिवास्वपन देख रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह देखेंगे। इसकी बात ही नहीं है, स्वपन देखकर उसके लिए काम भी करना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान) कहां?

श्री सभापति : माहिर आजादजी, इन कमेंट्स के जवाब मत दीजिए, आप तो चालू रखिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जरा बजट अनुमान 2001-2002 को देखिये, इसमें आपने कहा है कि राजस्व प्राप्तियां 13189 करोड़ 12 लाख रुपये और राजस्व व्यय 16234 करोड़ 11 लाख रुपये, यानि राजस्व की प्राप्तियां कम और राजस्व का व्यय ज्यादा। और इसी में आप नीचे कह रहे है, पूंजीगत प्राप्तियां 10088 करोड़ 48 लाख और पूंजीगत व्यय 7327 करोड़ 19 लाख रुपये। यानि आप राजस्थान के विकास का, पेयजल योजनाओं का, सड़क का, अस्पताल का विकास का पैसा कम कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जन-कल्याणकारी सरकार है, हम जनता का कल्याण करना चाहते हैं, हम प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना चाहते हैं और विकास के मद से पैसा कम करके

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप बचत कर रहे हैं 2761 करोड़ 29 लाख रुपये की और इस बचत को कहां पर खर्च करना चाहते हैं। इस बचत को आप ऊपर ले जाकर राजस्व व्यय के अन्दर भरपाई करना चाहते हैं जिससे मंत्रियों को सत्कार भत्ता मिलता है, जिससे आपको टी.ए., डी.ए. मिलता है। यानि विकास के पैसे की कटौती करके आप कर्मचारियों और अधिकारियों की, ब्यूरोक्रेट और मंत्रियों की सुविधाओं के ऊपर खर्च करना चाहते हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका स्वयं का भी इसमें है।

मोहम्मद माहिर आजाद : किसका?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा कम है और आपका ज्यादा है। लेकिन यह अच्छा नहीं है, यह गलत परम्परा है, माननीय सभापति महोदय, कि आप विकास के फण्ड को कम करके तनख्वाह, भत्ते और सत्कार के और दूसरों के खर्च में उसको करना चाहते हैं। अगर वास्तव में आप जन-कल्याणकारी राज की बात करते हैं और प्रदेश के चहुंमुखी विकास की बात करते हैं तो आपको राजस्व व्यय में कमी करनी चाहिए और आपको पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहिए, यह मैं आपसे मांग करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अब मैं जो नये कर प्रस्ताव लाये गये हैं उस पर अपनी बात कहना चाहता हूं। आप एक तरफ तो कांग्रेस के घोषणा-पत्र में कह रहे हैं कि प्रदेश में लगातार अकाल पड़ते रहने से प्रदेश के किसानों की माली हालत कमजोर हुई है, प्रदेश के आदमी की क्रय शक्ति कमजोर हुई है, प्रदेश के व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कम हुई है। पंचमढ़ी संदेश में भी आप इसी बात को दोहराते हैं कि राजस्थान के व्यक्ति को जो जायज हक मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। सोनिया गांधीजी जयुपर में रामनिवास गार्डन में आई और उन्होंने स्वयं अपने सम्बोधन में भी यह बात कही कि आदमी की जान सबसे सस्ती और बाकी सारी चीज महंगी। एक तरफ आपका कृषि उत्पादन कम हुआ है, दूसरी तरफ आपका इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुआ है, तीसरी तरफ पर कैपिटल इनकम कम हुई है। आपके प्रदेश में लगातार तीन साल से पड़ रहे अकाल से आदमी की माली हालत कमजोर हुई है। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि आप नये कर का बोझ इस गरीब जनता पर लाद कर उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, जरा इनके कर प्रस्ताव भी देखिये। मुझे बड़ी हंसी आती है इनके कर प्रस्ताव पर। आप कर किस पर लगा रहे हैं? आप कर लगा रहे हैं फाउंटेन पैन पर। जरा बताओ तो सही, इस फाउंटेन पैन से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बताएंगे। महंगे पर।

मोहम्मद माहिर आजाद : कितना महंगा करें? इससे क्या मिलने वाला है आपको?

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आप महंगा कर रहे हैं दूसरी तरफ कपड़े धोने का साबुन। आपके कपड़े तो दिल्ली धुलने जाते हैं। आपके तो कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : पेरिस।

मोहम्मद माहिर आजाद : पेरिस पहले जाते थे, आज तो दिल्ली धुलने जाते हैं। आज स्थिति, माननीय सभापति महोदय, यह है कि कपड़े धोने का साबुन तो गरीब आदमी काम में लेता है। आज मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है वह भी वाशिंग मशीन में अपने कपड़े धोता है और वाशिंग मशीन में साबुन तो डलता नहीं है, उसमें तो डिटरजेंट डलते हैं। आप डिटरजेंट के ऊपर अगर पैसा बढ़ाते तो कोई बात समझ में आती लेकिन कपड़े धोने के साबुन पर आप पैसे बढ़ाकर आखिर उस गरीब से क्या वसूल करना चाहते हैं जो खुद पहले ही कर्जे के बोझ में दबा हुआ है? जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह अपनी दो टाइम की रोटी का भी पालन करने के लिए तैयार नहीं है। और आप उसको छूट काहे पर दे रहे हैं? आप छूट दे रहे हैं आप्टीकल फाइवर पर। आप्टीकल फाइवर का नाम तो, माननीय वित्त मंत्रीजी, आधे माननीय सदस्यों ने भी नहीं सुना है। यह आप्टीकल फाइवर तो बहुराष्ट्रीय विदेशी कम्पनियां आ रही हैं वह बिछाने का काम कर रही हैं। अगर आप उनसे पैसा वसूल करते, इनके ऊपर अगर आप कर बढ़ाते तो आपकी बात समझ में आती थी। लेकिन आपको तो सिगरेट पर बढ़ाना है, आपको तो फाउंटेन पैन पर बढ़ाना है, आपको तो कपड़े धोने के साबुन पर बढ़ाना है। आपको तो गरीब पर चोट करनी है। अमीरों के तो आप हितैषी हैं इसलिए उनके ऊपर तो आपने इसमें कोई काम करने का काम नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : ओवर कीजिए। माननीय, जल्दी ओवर कीजिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : पांच मिनट। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप खर्च कर लगाते तो आपकी बात समझ में आती। आज शादियों पर लोग महलनुमा टैंट लगाकर लाखों रुपये, करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, अगर आप खर्च कर लगाएं तो आपकी बात समझ में आ सकती है। गरीबों को रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया है। आज ढाई साल के शासन के अन्दर आपकी इन गलत नीतियों का, आपकी इन जन विरोधी नीतियों का, आपकी इन गलत प्राथमिकताओं का, बड़ी योजना का आकार दिखाकर छोटी योजना कर देने का, गांव और गरीब, किसान की बात छोड़कर शहर में चकाचौंध कर शहरी विकास की तरफ बढ़ने का यह राजस्थान की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। इसका नमूना आपको पिछली 16 तारीख को जब सोनिया गांधीजी सुबोध स्कूल में आई थीं तब आपके खुद के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी आपको असंतोष के रूप में सुनने को मिला था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझदार आदमी वह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

होता है, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। ढाई साल की इन स्थितियों से, इस जनता में व्याप्त असंतोष से, इस आक्रोश से, आपके खुद के कार्यकर्ताओं के अन्दर जिस तरीके का असंतोष है, आप इसको सोचिए और समझिए और आपकी प्रायोरिटीज को चेंज कीजिए। और प्रायोरिटीज को चेंज करके इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए इस तरीके की योजना बनाइए जो गांव और गरीब और किसान के समझ में आए।

मैं एक अन्तिम बात आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, और कहना चाहता हूं। आपने भगवान महावीर के 2600वें जन्म दिवस के अवसर पर जो 25 हजार पोलियो के रोगियों का आपरेशन करके उनको भी दो टांग से चलने का जो प्रावधान किया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। आपने जो प्रदेश की खराब सड़कों के लिए प्रावधान रखा है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। लेकिन निहायत अफसोस के साथ, बड़े दुःख के साथ एक बात, माननीय वित्त मंत्रीजी, मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं आपको कहना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ यह बात कहनी पड़ रही है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में यह पहला अवसर है, जब प्रद्युम्न सिंहजी ने जो यह बजट भाषण इस सदन में प्रस्तुत किया है इस सम्पूर्ण बजट भाषण के अन्दर, इस पुरी पुस्तिका में कहीं पर भी अल्पसंख्यक का नाम तक आपने इसमें अंकित नहीं किया है। अल्पसंख्यकों की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी है, ऐसा अल्पसंख्यकों ने आपका क्या बिगाड़ दिया? आप पिछले बजट को उठाकर देख लीजिए, चन्दनमलजी ने पेश किया उसमें इसका जिक्र किया है और उनके लिए कुछ न कुछ रियायत देने की घोषणा की है और पिछले साल में भी की है। बी.जे.पी. के शासनकाल के अन्दर भी जो बजट आते रहे हैं उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कहीं न कहीं कोई बात कही है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, इतना भयंकर और इतना दुःखदायी और इतनी पीड़ा मुझे इस बात से हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मदरसे खोले हैं। 600 मदरसे खोले हैं अभी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मदरसों की बात नहीं की है। मैं बात अल्पसंख्यकों की कर रहा हूं आपसे। आपके पूरे बजट में मेरी चुनौती है कि यह राजस्थान के इतिहास में पहला बजट है जिसमें आपने अल्पसंख्यकों का नाम लेने में भी परहेज किया। आखिर अल्पसंख्यकों से आपको इतनी क्या परेशानी है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, विराजिए। माननीय शिवनाथ सिंहजी। अब आप विराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : बात कनक्लूड कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, ओनली सिंगल मिनट।

श्री सभापति : Now you have completed it.

मोहम्मद माहिर आजाद : ओनली सिंगल मिनट।

श्री मदन दिलावर : मदरसे तो आपने आतंकवादियों के अड्डे बनाने के लिए खोले हैं, यह मेरा आरोप है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ?

श्री मदन दिलावर : मदरसे आतंकवादियों के अड्डे बनाने के लिए खोले हैं।

श्री सभापति : मदनजी, बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या तरीका हुआ, चाहे जिस पर?

श्री मदन दिलावर : इस सरकार के ऊपर आरोप है मेरा कि इन्होंने मदरसे आतंकवादियों के अड्डे बनाने के लिए खोले हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : दिलावरजी, बिराजिए। Over please, within a minute.

मोहम्मद माहिर आजाद : एक ही मिनट में। मैं अन्तिम निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में सीमित साधनों के बावजूद इस प्रदेश का चहुंमुखी विकास करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को लाना चाहिए। अगर आप इस बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे तो आपकी ये सारी योजनाएं स्कूल खोलना, कालेज खोलना, अस्पताल खोलना, सब बेमानी होगा। आप पानी का ओवर हैड टैंक बनाएंगे और जब तक वह बनकर चुकेगा, आबादी बढ़ जाएगी। इसलिए मेरा आपसे आसन के माध्यम से विनम्र अनुरोध है कि पहली प्राथमिकता के ऊपर परिवार कल्याण कार्यक्रम को लेना चाहिए, नहीं तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या आपके इन विकास कार्यक्रमों को धो देगी। और मैं दूसरा निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आपको इस बात पर अफसोस जाहिर करना चाहिए, आपको इसमें सुधार करना चाहिए। लास्ट में एप्रोप्रिएशन पर जब आप भाषण दें उसमें आपको जरूर अल्पसंख्यकों के लिए, चाहे मेवात विकास बोर्ड के लिए, चाहे अल्पसंख्यक वित्त आयोग के लिए, चाहे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये आपको कोई न कोई बात जरूर कहनी चाहिये। इतना ही निवेदन करने के साथ आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, एक शेर सुनाकर अपनी बात खतम करना चाहता हूं।

"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम

और आप कत्ल भी कर देते हैं तो परवाह नहीं होती।"

जयहिन्द

श्री सभापति : क्या शेर है। माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, माननीय वित्त मंत्रीजी ने वर्तमान फाइनेंशल ईयर में हमें राजस्थान में क्या काम करने हैं, कहां से स्रोत इकट्ठे करने हैं, इसका लेखा-जोखा पेश किया है। माननीय सभापतिजी, आज की जो राजस्थान की परस्थितियां हैं, अकाल से हम पीड़ित हैं। पिछले तीन सालों से हमारे यहां

(श्री शिवनाथ सिंह)

राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ रहा है, आज का अकाल तो भीषणतम है। माननीय सभापतिजी, आर्थिक संकट से पूरा देश गुजर रहा है, हम इससे अलग नहीं हैं। हमारी वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक है और इस सबके बावजूद केन्द्र सरकार का असहयोगपूर्ण रवैया राजस्थान के साथ में हो रहा है। इन परिस्थितियों में जो बजट पेश किया गया है, मैं इसकी सराहना करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य, आत्मा से, मन से?

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत दिल से सराहना करता हूं। मैं जिस बात की सराहना नहीं करूंगा वह आपसे कह दूंगा। आपसे मेज थपथपा दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं सराहना करता हूं, ईमानदारी से सराहना करता हूं।

श्री सांवर लाल : आत्मा से बोलो।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इससे अच्छा बजट कोई हो नहीं सकता था। बजट में करों के लिये बात कही। माननीय सभापतिजी, 72 करोड़ के कर प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्रीजी ने पेश किये हैं। मैं चुनाव वाले साल का तो नहीं कहता लेकिन किसी भी साल में, जो साधारण वर्ष हो, उसमें इतने कम कर नहीं लगे हैं राजस्थान में। हमेशा कर बढ़ोतरी की तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस साल इस बजट में सिर्फ 72 करोड़ के। और वह भी कौन-से? आम जनता को पीड़ित करने वाले कर नहीं हैं। बहुत बड़ी आमदनी टर्न ओवर टैक्स से होने वाली है और टर्न ओवर टैक्स कौन पेमेंट करता है, उस टैक्स को बचाने के लिये कौन किसकी पैरवी करता है, यह सदन से छिपा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से दूसरे करों में समानीकरण हुआ है। आम आदमी के, गरीब के खाने का गुड़ है उसमें टैक्स कम किया गया है। इस प्रकार के कदम उठाये गये हैं कि आज की स्थिति में राजस्थान में इससे अच्छा बजट कोई पेश हो नहीं सकता था। इसलिए मैं इसकी फिर सराहना करता हूं।

माननीय सभापतिजी, हमें देखना चाहिये कि बजट के माध्यम से हम किस ओर जाना चाहते हैं। आज हमें आवश्यकता है उस गरीब तबके को राहत देने की जो सदियों से पीड़ित रहा है, जिसके पास खाने-कमाने का साधन नहीं है। जो शारीरिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से पीड़ित है, शिक्षा के हिसाब से पिछड़ा हुआ है। उन लोगों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिये और इस बजट में उस वर्ग को बहुत महत्व दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का कार्यक्रम सबसे पहले हाथ में लिया गया था। मुझे याद है उन दिनों की जब आज के प्रतिपक्ष के नेता कहा करते थे कि आल इण्डिया की जो मीटिंग होती है, प्रान्तों की, उसमें राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत नीचे आता है, मुझे इसमें शर्म आती है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि साक्षरता के कार्यक्रम को जिस प्रभावी ढंग से चलाया गया है उसके कारण हमारा प्रतिशत काफी ऊंचा आ गया

(श्री शिवनाथ सिंह)

है। अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने साक्षरता के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया है।

इसी प्रकार से सामाजिक सेवाएं हैं, उनमें चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार होने के कारण उनको राहत देने की बात हो, विधवाओं की बच्चियों की शादी में राहत देने की बात हो, कितने आइटम मैं गिनाऊं। एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज जो राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में नहीं हुई है, मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष है। ऐसा अद्वितीय उदाहरण मुझे नहीं लगता कि हिन्दुस्तान में कहीं दूसरा है। आज जो गरीब पीड़ित हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं और बिना साधन के वे मर जाते हैं, उनकी रक्षा के लिये हमारा प्रदेश, हमारे मुख्य मंत्रीजी आगे आये हैं और बहुत-सों के प्राण बचे हैं। मैं अपने स्वयं के लिये कहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पांच-सात लोगों को इसमें मैंने राहत दिलायी है और मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

आज जो बी.पी.एल. के लोग-बाग हैं, हो सकता है उसमें कहीं कमियां रही हों नीचे के स्तर पर लेकिन हमारी मानसिकता में कोई कमी नहीं है और हमने सबको दवाई देने की व्यवस्था की है। इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वे बहुत सराहनीय हैं और आज के दिन इनकी आवश्यकता है।

कृषि के क्षेत्र में हमने महत्व दिया। उद्योगों के क्षेत्र में हमने चेष्टा की है कि हमारे प्रान्त में उद्योग बढ़ें। जहां संभव हो सकता हो वहां राहत भी दी गयी है। नये उद्योग लगे उसके लिए भी विशेष प्रावधान किये गये हैं। इस प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रावधान राजस्थान की जनता के हित में हैं, राजस्थान के विकास के लिये हैं। मैं जो भी अच्छे कार्यक्रम हैं उन सबकी सराहना करता हूं।

समय को ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्रीजी से कुछ और निवेदन करना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्रीजी, आपके बजट में कमी नहीं है, आपका बजट सन्तुलित है। आपने कांस्टीट्यूएंसीवाइज सड़कों के निर्माण की एक योजना बनायी है, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एक क्षेत्र में विकास होता था, दूसरे क्षेत्र में नहीं होता था। लेकिन आज यह धारणा बनी है कि हर कांस्टीट्यूएंसी में एक निर्धारित नाप की सड़के बनेंगी।

श्री मदन दिलावर : प्रधान मंत्रीजी की जय-जयकार करो। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : प्रधान मंत्रीजी की भी जो अच्छे काम वह कर रहे हैं, हमें उनकी प्रशंसा करने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिये। आप कहोगे इससे आप प्रधानमंत्रीजी का कद नीचा कर रहे हो, यह आपको नहीं कहना चाहिये।

मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें टैक्स लगाना चाहिये और जो वर्ग टैक्स सहने की क्षमता रखता हो उस पर लगाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिये। लेकिन इसके साथ टैक्स की

(श्री शिवनाथ सिंह)

वसूली हो, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये। वित्त मंत्रीजी, आपने बजट प्रस्ताव पेश कर दिये, वह रुपया उन सेवाओं में खर्च हो, यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये। जो हम उम्मीद रखते हैं कि इतना सोर्स करों के माध्यम से हमें मिलेगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिये। आज स्थिति क्या है? हम करों का निर्धारण कर देते हैं कि रेवेन्यू सोर्स इकट्ठा होगा, लेकिन उस मात्रा में इकट्ठा नहीं हो पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप ही के दो विभाग हैं—आबकारी और सेल्स टैक्स। मैं इन दोनों के नमूने पेश करना चाहता हूं। आपने हमको यह किताब दी है महालेखाकार का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2000 को समाप्त होने वाला वर्ष, उसमें एक पैराग्राफ पढ़ कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। "1999-2000 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत कुल 1391.24 करोड़ रुपये की बकाया की वसूली नहीं हुई है। यह बकाया मुख्य रूप से बिक्री कर आदि-आदि का है। मार्च, 2000 के अन्त में 3,02,207 मामले निर्धारण अन्तिम रूप से किये जाने हेतु लम्बित थे। इसमें से 2 लाख 25 हजार 669 मामले केवल बिक्री कर से संबंधित हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस किसी को भी राहत देनी है। देनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सेल्स टैक्स के मामले अनिर्णित हों, उससे हम कौनसा परिणाम लाना चाहते हैं? हमें देखना चाहिए।

(14.00 बजे)

इसी प्रकार से, सभापति महोदय, मैं आबकारी की बात कहना चाहता हूं। आबकारी, शराब बिक्री हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन है और इसके अन्दर बहुत-से एक्सपैरिमैंट हो चुके हैं लेकिन यह सर्वमान्य सत्य है कि शराब की बिक्री हम बंद नहीं कर सकते। यह हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन आज हमने जो नीति बना रखी है उससे शराब माफिया पनप रहा है, गांवों में झगड़े हो रहे हैं। इसमें, माननीय वित्त मंत्रीजी, सोचना चाहिए, सुधार करना चाहिए और ऐसा कोई रास्ता आप अपनाएं ताकि एक पैरेलल गवर्नमैंट इस शराब माफिया की हमारे यहां नहीं पनपे।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब हमने शराब बेचने की नीति अपना रखी है, हिन्दुस्तान भर में अपनायी है तो इसके एडवरटाइजमैंट पर यह खर्चा क्यों किया जा रहा है? मैं दो-तीन लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में यह प्रावधान है कि राज्य औषधीय उद्देश्य के अलावा नशीले पेय एवं ड्रग्स जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयास करेगा। उक्त दृष्टिगत राज्य में अंततोगत्वा मद्य संयम कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया। मद्य संयम कार्यक्रम का अभिप्राय ऐसी नितियों के निर्धारण एवं ऐसे उपायों के क्रियान्वयन से है जिनके परिणामस्वरूप मदिरा के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो तथा जन-साधारण मदिरा का सीमित

(श्री शिवनाथ सिंह)

उपयोग करें। और आगे लिखा है उसमें, हमने क्या किया है कि हर बोतल पर मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह सब हमने लिखवाया है।" मैं जानना चाहूंगा कि कितनी बड़ी धनराशि इस एक सेन्टेंस को लिखने में खर्च होती है? जो हमने नीति अपना रखी है, शराब हम को बेचनी पड़ेगी, कोई रोक नहीं सकता तो इस प्रकार अनावश्यक और सिर्फ दिखावे के लिए ऐसा करने की क्यां तुक! हम, शराब बेंच रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि शराब तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। ऐसे ही बीड़ी-सिगरेट का भी आता है। लेकिन इसको देखना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज अभी मैंने एक प्रश्न के द्वारा यह जानना चाहा था कि 2001-2002 के लिए जो ठेके दिये गये हैं उनकी कितनी आमदनी हम सोच रहे हैं? सभापति महोदय, 8 करोड़ के आसपास के ठेके हमने दिये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 800 करोड़।

श्री शिवनाथ सिंह : सारी, 800 करोड़, मैं मानता हूं।

800 करोड़ से कुछ लाख कम। लेकिन पिछली बार 1085 करोड़ के थे। यह राशि घटी क्यों? क्योंकि लोगों ने मोनोपोली कर ली। ठेकेदार, समूह इक्ट्ठे हो गये, उन्होंने मोनोपोली का फायदा उठाते हुए आपस में सलाह-मशविरा कर लिया और पिछली साल के बनिस्पत पौनी रकम में हम को ठेके देने पड़े। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम इस ठेका नीति में संशोधन करने की चेष्टा करें। कभी बहुत पहले गांव-गांव में दुकान होती थी और उसमें दुकानदार को माल उठाना पड़ता था, वह बेचता था। आज स्थिति क्या है? ठेकेदार को हम 12 और 15 रुपये में, मुझे पूरी कीमत का याद नहीं है क्योंकि मैंने कभी खरीदी नहीं है, एक बोतल देते हैं और वह उसको 60-70 रुपये में बेचता है। इस प्रकार का फायदा हम किस को देना चाहते हैं? फिर ऐसी स्थिति में उनका हमारे साथ सहयोग क्या है? मैंने प्रश्न के द्वारा पूछना चाहा था कि ऐसी कितनी रकम है जो ठेकेदारों में बकाया है? सभापति महोदय, उत्तर में मुझे बताया गया कि 124 या 125 समूह ऐसे हैं इनमें अरबों की रकम बकाया है। घूम-फिर कर वे ही लोग दूसरे नाम से, दूसरे समूह के नाम से ठेके ले लेते हैं। वित्त मंत्रीजी, आप जांच कराएंगे तो कभी बीवी के नाम से, कभी भाई के नाम से तो कभी रिश्तेदार के नाम से ये सब ठेके उठते हैं। तीन या चार अरब का, जो मैंने जोड़ लगाया है उसके हिसाब से हमारी रकम उनमें बकाया है। किस बात की बकाया है? वे लोगों से रुपये लेते हैं। यह बात हो सकती है कि इन्कम टैक्स का मैं पेयी हूं और मैं इन्कम टैक्स की रकम पे नहीं करूं, लेकिन जो रुपया मैंने लोगों से ले लिया है उसको मेरे पास रखने का क्या अधिकार है? इस बकाया की वसूली यदि हम ठीक ढंग से करें और ठेकेदारों को, समूहों को शिकंजे में लें तो हमारे

(श्री शिवनाथ सिंह)

अकाल राहत के सब काम इससे हो सकते हैं, इस बकाया राशि से हो सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं कुछ और विभागों की तरफ से माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ए.सी.डी. है, मैंने जानना चाहा कि इसमें कितना तो अमला है और इसकी कितनी परफारमेंस है। सभापति महोदय, अमले में 452 व्यक्ति अधिकारियों से लगाकर नीचे तक इसमें हैं और एक साल में हम 52 अभियोगों में न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को दंडित करा सके हैं। 452 का अमला है और सालभर में हम सिर्फ 52 व्यक्तियों को सजा दिला पाये हैं। ए.सी.डी. का मामला है जहां रंगे हाथ पकड़ते हैं, गवाह मौजूद हैं, विभाग का आदमी साथ ले जाते हैं, और सब-कुछ प्रमाण है लेकिन उसके बाद में मामलों की ऐसी स्थिति क्यों है? इसलिए है कि आपका ए.सी.डी. सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। गिनती के लिए लोगों को पकड़ लेता है, उनके गवाह बदल जाते हैं और बदलने के बाद में आपके मुकदमें फेल होते हैं। 452 का अमला और 52 सजा, यह तो एक थाने की भी परफारमेंस नहीं है। सभापति महोदय, एक थाने में इससे अधिक सक्सैस होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन विभागों को भी आप थोड़ा कसने की चेष्टा कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो-तीन मिनट और।

सभापति महोदय, बहुत से ऐसे मामले हैं जो ए.सी.डी. में पड़े हैं लेकिन जिनके चालान पेश करने के लिए इजाजत नहीं मिल रही है। यह मामले वो हैं जो विभागों ने ए.सी.डी. को दिये हैं। विभाग संतुष्ट है कि ए.सी.डी. में कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वे ही चालान की स्वीकृति नहीं देते हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। इसलिए बहु बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले हैं जिनमें चालान के बगैर लोग रिटायर हो जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। शिक्षा को और साक्षरता को हमें दो जगह करना पड़ेगा। शिक्षा अलग है और साक्षरता अलग है। जैसा मैंने निवेदन किया, साक्षरता में हमने बहुत बड़ी प्रगति की है लेकिन शिक्षा के मामले में इतनी नहीं की है। हमने पिछले दो सालों में स्कूल अपग्रेड किये हैं—उच्च प्राथमिक में किये, माध्यमिक में किये और उच्च माध्यमिक में किये, लेकिन हुआ क्या उसका? आज हमारे बच्चे दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं में बैठ रहे हैं बिना सब्जैक्ट टीचर के दो साल तक हम क्या रिजल्ट उनसे लाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न के द्वारा पूछा था कि वर्ष 1999-2000 में हमने जो नव क्रमोन्नत स्कूल किये हैं उनमें अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कितना बजट में प्रावधान किया था? जवाब था, 76 लाख और 960 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। मैंने पूछा था कि इन नव

(श्री शिवनाथ सिंह)

क्रमोन्नत विद्यालयों पर अध्यापकों की तनख्वाह पर कितना खर्च हुआ? तो जवाब था, क्रमोन्नत विद्यालयों पर व्यय शून्य रहा। सभापति महोदय, क्यों तो बजट में हमने प्रावधान किया और हमने स्कूलें खोलीं और क्यों उस पर हम फिर एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाये? यह दयनीय स्थिति है। मेरे पीड़ा इसलिए रहती है कि ये सब ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलें हैं। शहरी स्कूलों में एक भी स्कूल ऐसी नहीं है जिसमें सब्जैक्ट टीचर नहीं हो, अध्यापक नहीं हो और ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलों की इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है।

माननीय सभापतिजी, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, वह है ऊर्जा का क्षेत्र।

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह रेलेवेन्ट बात है। सरकार ने चार हजार नये पद सृजित कर दिए हैं और इसीलिए इस बार स्कूल खोली हैं, पहले हमने जो स्कूल नहीं खोली हैं उनमें सारे अध्यापक भर्ती करेंगे। आर.पी.एस.सी. के रिक्वीजिशन भेज दी है सब्जैक्ट टीचर की, हैडमास्टर की, आने वाले समय में सब्जैक्ट टीचर भी होंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : यही अपेक्षा करते हैं आपसे, जल्दी अध्यापक लगा दें। हां, माननीय।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, यह बता दें कि टीचर्स के कितने पद अभी समाप्त कर दिये? चार हजार भरेंगे और बारह हजार समाप्त करेंगे।

श्री मदन दिलावर : एक साल में क्या पढ़ाया?

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य, मैं अपनी बात कहने में पूरा सक्षम हूं, आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनाथ सिंह : समर्थन करते हैं, धन्यवाद आपको। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इस सम्बन्ध में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि एडवरटाइजमेंट निकले हैं भर्ती के लिए। पहले एक एडवरटाइजमेंट निकला था जिसमें सभी वर्गों के लिए भर्ती का मौका था। अब संविधान में संशोधन हुआ और उसके आधार पर दूसरा निकला है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बैकलाग पूरा होना चाहिए, एस.सी. का जितना भी बैकलाग है वह हमें पूरा करना चाहिए लेकिन उसको फेजेज में कीजिए। आज यदि बिलकुल ही दूसरे लोगों को भर्ती का मौका नहीं मिलेगा तो इसको भी आपको सोचना चाहिए। दो साल में, तीन साल में अलग-अलग फेजेज में आप उस बैकलाग को पूरा करने की चेष्टा कीजिए।

मैं पंचायती राज के बारे में तो डिमाण्ड पर कहूंगा, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा

(श्री शिवनाथ सिंह)

में सुधार के कार्यक्रम हमने लिये और ऊर्जा का इसलिए कह रहा हूं माननीय वित्त मंत्रीजी को कि सब्सिडी का प्रोविजन बजट में रखना चाहिए था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। हमारी मजबूरी भी है और केन्द्र सरकार का दबाव भी है और अन्य राज्यों में भी हो रहा है इसलिए मैं सुधार कार्यक्रम का तो विरोध नहीं करता लेकिन इस सुधार कार्यक्रम से हमने परिणाम क्या प्राप्त किये, वह निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, बिजली की दरें बढ़ीं उस वक्त यह कहा गया कि कुलमिलाकर 16.76 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। बिलकुल अच्छी बात है। लेकिन इस बात को आगे चलकर हम देखें। यह सही होती तो हमको इतनी पीड़ा नहीं होती, लेकिन परिणाम क्या हुआ? माननीय सभापतिजी, बिजली के अन्दर जो दरें बढ़ी हैं वह 16.76 प्रतिशत से कई गुना ज्यादा है। आज 70 पैसे से 90 कृषि के क्षेत्र में बिजली की दरें बढ़ गयी हैं। आज डोमेस्टिक कंजम्पशन की दरें भयंकर रूप से बढ़ी हैं। आज इण्डस्ट्रीज की जो रेट्स हैं उनमें कमी आयी है। क्यों कमी आयी है? कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम हाथ में लें जिससे कृषि को बढ़ावा होना चाहिए। अन्य में भी बढ़ावा हो। मैं दरों के प्रतिशत बताता हूं। माननीय सभापतिजी, 70 पैसे से 90 पैसा किया गया यह 29 प्रतिशत बढ़ोतरी आती है। फ्लैट रेट 60 रुपये से 85 की गयी इसमें 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 1995 के पूर्व के जो शहरी कुओं के कनेक्शन थे उसमें 95 से 175 किया गया है, 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फिक्स रेट चार्जेज अलग से हैं। ये सब बातें इस बात का द्योतक है कि यह 16.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं की गयी है, मैंने जो आंकड़े दिऐ हैं उसके हिसाब से 29 प्रतिशत, 83 प्रतिशत और 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 16 से ऊपर जो आपने बढ़ाया है वह भार किस पर दिया है? आपने उससे फायदा किसको पहुंचाया? 16 की एवरेज रेट लाने के लिए आपने एक तरफ बढ़ाया है तो दूसरी तरफ किसी न किसी को फायदा दिया है। इसलिए यह भार कृषि क्षेत्र पर भयंकर रूप से बढ़ा है।

मैं कोट करना चाहता हूं ऊर्जा मंत्रीजी के भाषण की दो-तीन लाइन, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस वक्त नियामक आयोग का कानून बन रहा था उस वक्त माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने कहा था "मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में रेगुलेटरी कमर्शीन में जो मैम्बर बनेंगे उन मैम्बरों की नियुक्ति कौन करेगा, सरकार करेगी और उन नियुक्तियों में राजस्थान के ही रहने वाले होंगे।" इसका पालन उन्होंने कर दिया। आगे चलकर उन्होंने कहा, "मान लीजिए टैरिफ ज्यादा निर्धारित करता है तो फिर सरकार को यह छूट होगी कि वह वर्ग विशेष को अनुदान दे सके।" अब 83 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी और फिर अनुदान के लिए क्या कहते हैं, आगे कहूंगा आपसे। यह कोट

(श्री शिवनाथ सिंह)

कर रहा हूं मैं, "मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले और अन्य वर्गों के मुकाबले में राजस्थान के किसानों को ज्यादा बिजली, सस्ती बिजली आगे भी मिलती रहेगी, हम अनुदान देंगे।" माननीय सभापतिजी, इन्होंने तुलना और की थी वैस्ट बंगाल से, आन्ध्र से। मैं कहना चाहूंगा जो एक एकड़ में सिंचाई का खर्चा आन्ध्र में आता है, वैस्ट बंगाल में आता है, तीन हार्स पावर की मोटर से वहां काम चलता है, यहां 25 हार्स पावर की मोटर चलती है। काहे का मुकाबला? एक एकड़ में कितनी बिजली का खर्चा आएगा, कितना किसान को देना पड़ेगा, मुकाबला इसका होना चाहिए था लेकिन वैस्ट बंगाल का मुकाबला कर दिया। वैस्ट बंगाल में तीन हार्स पावर की मोटर से काम चलता है। माननीय सभापतिजी, इसी तरह से आगे चल कर उन्होंने कहा है, "गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि यह जो कानून बना है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। रैगुलेटरी कमीशन के सदस्यों से हम केवल राय मशविरा करेंगे, हम उनकी राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे।"

माननीय ऊर्जा मंत्री आगे चलकर कहते हैं, जब यह सब कुछ बढ़ गया....

श्री अमराराम (धोद) : यह उस दिन का भाषण है, अब बदल गया भाषण।

श्री शिवनाथ सिंह : उस दिन के भाषण की ही बात कर रहा हूं। फिर आगे कहते हैं वे, "सरकार की मंशा को आप अच्छी तरह जानते हैं। जब केवल एक रबी की फसल के लिए सौ करोड़ रुपये दे सकते हैं और एक अकाल के ऊपर यह सरकार पांच सौ करोड़ खर्च कर सकती है, दस अरब रुपये खर्च करने का मानस रखती है तो आप इतनी क्यों आशंका रखते हैं कि यह सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं देगी।"

माननीय सभापतिजी, यह सब आ गया उसके बाद जब रैगुलेटरी कमीशन के द्वारा रेट निर्धारित की गयी उस वक्त के मैं उसके भाषण के अंश बताता हूं—"नियामक आयोग का फैसला" डा. चन्द्रभान। फिर वे कहते हैं कि "हम सब्सिडी नहीं देंगे" माननीय सभापतिजी, यह पवित्र सदन है, इस पवित्र सदन में घोषणा की थी उन्होंने। पक्ष और प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने उस वक्त यह आशंका व्यक्त की थी कि आप यह रैगुलेटरी कमीशन बना रहे हो, वह आपके अधिकार में नहीं रहेगा और उसमें चाहे जो बढ़ोतरी वह कर सकते हैं। वह बढ़ोतरी की उस वक्त उन्होंने कहा था कि नहीं, हमारे कन्ट्रोल में रहेगा। आज कहते हैं कि रैगुलेटरी कमीशन ही सब कुछ करेगा, हम कुछ भी करने के अधिकारी नहीं हैं। इस प्रकार का ऊर्जा मंत्रीजी ने कहा है, 27.3.2000 को कहा है कि अब इस मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, सब अधिकार नियामक आयोग को ही है। फिर दो कम्पनियों ने मांग की थी बढ़ोतरी की उससे कहीं अधिक बढ़ोतरी की गयी है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि कृषि के क्षेत्र को यदि हम इस तरह से बिगाड़ेंगे तो राजस्थान का भविष्य, राजस्थान का किसान तो मरेगा लेकिन राजस्थान राज्य सरकार भी नहीं बच पाएगी। आज दोनों तरफ से मार पड़ रही है। किसान की पैदावार, जो 1200 रुपये सरसों का भाव निर्धारित है 1000 रुपये में कोई लेने वाला नहीं है। पांच सौ रुपये की जौ की पैदावार, 300-350 रुपये में बिक रही है। इस प्रकार के हालात एक तरफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ बिजली की मार हो रही है। आपने बढ़ा दी, ठीक है, आपका अधिकार नहीं है। लेकिन आपको अधिकार है, आपका दायित्व और कर्तव्य है कि सरकार इस मामले में सब्सिडी दे। जो 16.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी आपने मानी है उससे ऊंची जो बढ़ोतरी की गयी है वह सब किसानों को सब्सिडी के रूप में दी जाए, यह मैं आपसे और सरकार से अपेक्षा करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं इस सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट प्रस्ताव समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, वर्ष 2001-2002 के बजट पर अपनी बात रखते हुए सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि इस बात के लिए धन्यवाद देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पचास साल के इतिहास में राजस्थान के इस लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन में और राजस्थान की जनता के सामने जिस प्रकार से बजट का आउट होना, उसकी जो मर्यादाएं थीं उन मर्यादाओं को जिस ढंग से जिसने भी

(14.20 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

तोड़ा.... उसने लोकतंत्र की हत्या की। उस बजट पर हम डिस्कशन करेंगे, बहुमत के आधार पर पास भी करेंगे, सरकार का काम भी चलेगा, लेकिन जो कर प्रस्ताव हमने यहां पेश किये उसके पहले कर प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रख देने के बाद भी हम अपने बहुमत के आधार पर इतने अधिक डूबे हुए हैं कि किसी भी सच्चाई की तह तक जाने का भी हमारा मन नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मेरा विनम्र अनुरोध है आसन से कि हमारी संख्या बल के हिसाब से हमारे तीन सदस्य बोलें, सत्ता पक्ष के तब एक प्रतिपक्ष के सदस्य को बोलने का अवसर प्रदान करें। आसन की तरफ से बार-बार यह व्यवस्था दी जा रही है कि एक माननीय सदस्य सत्ता पक्ष से बोलता है तो एक प्रतिपक्ष से बोलता है। इनकी समय सीमा भी आपने निर्धारित की हुई है और समय सीमा के मुताबिक जितना समय इनको चाहिए उतना समय ये कंजूम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे समय में कटौती करें हमारे माननीय सदस्यों के साथ में यह न्याय नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कम से कम आप यह व्यवस्था कायम करें कि सत्ता पक्ष के....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था यही है कि उसी के अनुसार पालन करेंगे।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां, अभी एक बोले हैं हमारे तो।

श्री सभापति : एक यह हो गये उसके बाद में आप ही का नम्बर है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : फिर उसके बाद क्या होगा?

श्री सभापति : उसके बाद समय आएगा जब बता दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं इसलिए आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि राजस्थान के इस पवित्र सदन की गरिमा को बनाये रखने के लिए बहुत गहराई से इस विषय पर विचार करना चाहिए कि हमारा बजट प्रस्तुत होने के पहले अगर कर प्रस्ताव लोगों की जानकारी में आ जाएं तो उसके कारण से इस सरकार को कितने-कितने करोड़ रुपये का घाटा होगा। घाटा जितना महत्वपूर्ण नहीं है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बजट की हमारी अपनी कुछ मान्यताएं और मर्यादाएं हैं। अगर इस प्रकार से टूटती रहीं तो आने वाला कल क्या होगा इसका अच्छी प्रकार से हम सब अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मेरे मन की यह इच्छा है, आग्रह भी है कि दुराग्रह में न पड़ें। जहां जिस स्तर पर भी गलती हुई है, भविष्य में यह गलती नहीं हो। इस बात की पुख्ता व्यवस्था जिस ढंग से भी की जा सकती हो वह हम करें, यह मेरा आग्रह है।

सभापति महोदय, राजस्थान को एक बीमारू राज्य कहते हैं। वर्षों तक इस बात को केन्द्र के स्तर पर की जाने वाली मीटिंगों में भी तथा और स्थानों पर भी बराबर सुनते रहे, मन को इतनी पीड़ा होती थी कि राजस्थान को हिन्दुस्तान में एक बीमारू राज्य के नाम से क्यों पुकारा जाता है। हम सब लोग प्रयास करके इसको बीमारू राज्य से निकालकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? जहां हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना मात्र तीन हजार करोड़ की थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना इस बीमारू राज्य को खतम करने की दृष्टि से ही 11,500 करोड़ की बनायी और जब अन्तिम खर्चा हुआ तो बारह हजार करोड़ रुपये खर्च करके राजस्थान को इस बीमारू राज्य से निकालने का प्रयास किया। हमारा यह भी सौभाग्य था कि यहां प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और केन्द्र में सरकार कांग्रेस की होते हुए भी, विपक्ष की सरकार होते हुए भी हम लोगों ने प्रयत्न किया और राजस्थान की नवीं पंचवर्षीय योजना 27,560 करोड़ की स्वीकृत हुई। उसके आधार पर अगर हम चलते तो निश्चित रूप से राजस्थान प्रगति की ओर जिस गति से बढ़ रहा था, वह कायम रहती। लेकिन पता नहीं यह राजस्थान का दुर्भाग्य था या राजस्थान की जनता का कोई दुर्भाग्य था, एक ऐसा आडम्बर तैयार किया गया पहले ही दिन से जैसे कोई जाने वाली सरकार को गाली देने से, उसके ऊपर चाहे जिस प्रकार का दोषारोपण करने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से हम अमर हो जाएंगे। इसलिए पहले दिन से ही एक भाषा बोली गयी कि राजस्थान को क़र्जे में डुबो दिया, राजस्थान को लुटवा दिया, राजस्थान को यह कर दिया, हम दिवालिया हैं। श्वेत पत्र की घोषणा और ढिंढोरा पीट-पीटकर दुनिया में एक बात का प्रचार कर दिया कि हम दिवालिया हैं, हम दिवालिया हैं। उसके कारण से जो भी हमारे यहां इन्वैस्टमैंट होने वाला था या जो भी प्रगति के रास्ते बनने वाले थे, हमने अपने हाथ से अपने माथे को फोड़ा। हमने अपने स्वयं के कर्मों से अपने विकास के रास्ते को अवरुद्ध करने का काम किया। इस पंचवर्षीय योजना से जो कुछ भी था उसको आपने स्वीकार होने के बाद भी घटाया। अब यह अन्तिम वर्ष का आपका बजट पेश हो गया और इस अन्तिम वर्ष के बजट के पेश होने के बाद सारा का सारा मिलाकर लगभग बीस हजार करोड़ रुपया मात्र अपने इन कामों पर खर्च कर सकेंगे। यहां तक कि जो बजट हमने रखा, यह भी राजस्थान का शायद पहला दुर्भाग्य होगा कि 1999-2000 में 5,022 करोड़ की योजना पेश की और उसके बाद उसको घटाकर हम 3,600 पर लेकर आ गये।

इसके कारण से हुआ क्या? इसके कारण से यह हुआ कि राजस्थान जो विकास की ओर बढ़ रहा था आपने उस विकास की गति को अवरुद्ध कर दिया। उसके कारण क्या रहे नहीं रहे, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता लेकिन बार-बार यह कहना कि कर्जा लेकर डुबो दिया, हिन्दुस्तान का कौनसा ऐसा राज्य है, केन्द्र की ऐसी कौनसी सरकार है, चाहे वह सरकार आपकी रही हो, चाहे हमारी रही हो, जिसने कर्जा लिये बिना विकास किया हो? कर्जे से इतनी ज्यादा घबराहट और इतना ज्यादा यह था कि कर्जा लेना पाप है और कर्जा लेने से हमारी तरक्की नहीं होती है तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं आपको कम से कम इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं उस बात को आगे लेने वाला हूं। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि राजस्थान का वित्त मंत्री इस सदन में खड़ा होकर जिस प्रकार की बात बोलता है यह सरकार उसी की बात को नकार कर चलने की कोशिश कर रही है। मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं। चन्दनमलजी बैद ने पिछली बार बजट के भाषण में अपनी जो बात कही थी वह पेज नम्बर 465 पर इस कार्य सूची में है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हम लोगों का शायद मन हो गया कि हम बोलें कुछ, करें कुछ। पता नहीं क्या हम लोगों का मन का विश्वास हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। इसमें वित्त मंत्रीजी ने कहा, मैं पांच साल जिन्दा रह गया तो यह आपको करके दिखाऊंगा। यह बोले इसलिए थे कि हमेशा रेवेन्यू रिसीट से अधिक खर्चा हम कर रहे हैं और उसके कारण से हमारा घाटा निरन्तर एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। आप सब लोगों ने स्वयं ने इस बजट में देखा, बार-बार हर व्यक्ति इस बारे में बोलता है, आप लोगों ने बोला। उस समय वित्त मंत्रीजी ने भी अपनी इस बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को बोल दिया। हमारी राजस्व प्राप्तियां 2001-2002 में 13,189 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 16,234 करोड़ रुपये, 3,044 करोड़ रुपया सीधा ही राजस्व खाते में घाटा है। यह इस साल का है। इसी तरह से इसके पहले का, 2000-2001 का ले लें। मतलब, ऐसा कहने के लिए हम कहते हैं कि इसको खतम कर देंगे लेकिन वास्तविकता इससे बहुत भिन्न है। पिछली बार हमारी राजस्व प्राप्तियां थीं 10,005 करोड़ और राजस्व व्यय था 13,865 करोड़, कुलमिलाकर 3,860 करोड़ रुपया उस समय हमारा राजस्व खाते का घाटा था। हम केवल बातें कहते हैं लेकिन उसका कोई हल निकालने की कोशिश हम मन से करने की स्थिति में नहीं हैं। 1999-2000 में राजस्व प्राप्तियां हमारी 10,165 करोड़ रुपये, राजस्व व्यय 13,556 करोड़ रुपया, राजस्व खाते का घाटा 3,391 रुपया। इसी बात को लेकर 1999-2000 के बजट के ऊपर जब हमारे वित्त मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तब उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि मैं इसे समाप्त कर दूंगा राज्य में। मेरी भी आपसे प्रार्थना है, यह विचार...

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस साल कुछ रिड्यूस हुआ है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैंने देखा, अभी आपको पढ़ कर सुनाया, रिड्यूस हुआ। यह रिड्यूस होने का जिस प्रकार से हमारे बजट का अनुमान है, जो उन्होंने 5,022 करोड़ का प्रस्तुत किया और अब जो हमारी स्थिति है, और उसमें भी जिस प्रकार का प्राइस का हिसाब है अगर उसका आकलन करेंगे तो फील्ड पर आपको कुछ और ही चीज मिलेगी। यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आखिर हम इस लाइन पर आगे बढ़ना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि राजस्व घाटे को हम कम कर सकें? हमारी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा हम खर्च करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बारे में विचार करना चाहिये।

यही नहीं, मंत्रीजी ने अपने जवाब में कहा था, हम लोगों ने सवाल खड़ा किया था कि आप जिस प्रकार के एम.ओ.यू. पर साइन करके आये उससे आप तीन प्रतिशत राज्य कर्मचारियों के पदों को प्रति वर्ष तोड़ेंगे। आप रिटायर लोगों को निकालने के बाद भी उन पदों को नहीं भरेंगे। आप निरंतर यही प्रक्रिया करते जाएंगे। उस पर भी उन्होंने अपनी बात कही, मुझे अफसोस इसलिए है कि जो कहते हैं उसको वापस पढ़कर कोई देखता नहीं है कि हमने एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में यहां सदन में यह बात कही है। उसकी पालना हम नहीं करते हैं तो लोगों का लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रतिनिधियों से विश्वास उठता है। यह किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, किसी मंत्री से संबंधित नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने कोई बात सदन में कही है। 11 हजार कर्मचारियों का रिटायरमैंट हुआ तो एक दिन यहां पर प्रतिपक्ष के लोगों ने काफी इस बात के लिये कहा, मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि 11 हजार, या और भी साल के दौरान 11 हजार या 15 हजार कर्मचारी रिटायर होंगे तो हम उनके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पदों को खतम नहीं करेंगे, उन पदों की हम भर्ती करेंगे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से आपने 60 से 58 साल की उम्र की और उसके बाद जो रिटायरमैंट हुए, जब आप बोलें तब ईमानदारी से इस बात को जरूर छुएं कि हमने जो बात कही थी उसके आधार पर हमने कितने कर्मचारियों को उनके विरुद्ध नौकरी दी, कितने पदों को भरा। एक वित्त मंत्री इस सदन में जिस बात को कहता है उस बात की पालना कोई करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में किसी को कोई चिन्ता की बात नहीं है। हम राजनीति करते हैं अपने-अपने स्थान पर और अपनी-अपनी पार्टी के पक्ष में, लेकिन आखिर इस प्रदेश का कोई मूल्य है, हमारा कोई अर्थ है कि हम लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं तो हम सारी जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारा दल होगा वहां होगा लेकिन यहां सदन में हैं तो हम राजस्थान की पांच करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और उसके हिसाब से हमें विचार करना चाहिये। लेकिन वह विचार शायद हम नहीं करते हैं।

श्रीमान् यही नहीं, इस कर्ज का ढिंढोरा पीटकर हमने अपने हाथ से अपनी मौत बुलायी है, उसके परिणाम आप देखिये। क्या वास्तव में हमने इस कर्जे को कम कर दिया? कर्जे की स्थिति हमारे यहां पर है उसको आप थोड़ा-सा देख लें। हम कर्ज के बारे में बार-बार इस बात को बोलते रहते हैं, हमारे कर्जे की स्थिति क्या है? यह है हमारा बजटीय घाटा, इसमें इसी प्रकार की स्थिति है। मैं यह सोचता हूं कि मन साफ रखकर बात किया करें, चतुराई न करें। जनता को धोखा देकर हम बहुत बड़े आदमी नहीं होंगे। पिछली बार आपका बजटीय घाटा 601 करोड़ था, उसके बाद 2000-2001 में 766 करोड़ रुपये का घाटा हो गया और इस बार 283 करोड़ रुपये बताया है। पिछली बार का आपका टोटल घाटा जो 1,900 करोड़ हो गया था, वह कहां गया? आपका सारा मिलाकर टोटल जो आया, मैं अभी आपको पढ़कर बता सकता हूं कि यह 1,900 करोड़ का घाटा था यह कहां गया? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप 1,900 करोड़ के घाटे को कहां दिखाना चाहते हैं, इसको कहां जोड़ा है? आखिर इसका कुछ बताएं तो सही। हो सकता है, हमारा ज्ञान कम हो, हम नहीं समझ पाये हों तो हमें समझाने की कोशिश करें। आपका पिछली बार 2000-2001 का जो बजट भाषण है इसमें आपने बताया है कि प्रारम्भिक घाटा 1,136 करोड़ और अंतिम घाटा 766 करोड़ था। दोनों मिलाकर यह 1,903 करोड़ का जो घाटा हुआ था पिछले वर्ष 2000-2001 में, और यह जो आप 283 करोड़ का घाटा अभी दिखा रहे हैं, बाकी 1,900 करोड़ रुपये का घाटा आपने कहां एडजैस्ट किया जिसके कारण से अब की बार घाटे की स्थिति में नहीं आये हैं? कृपा करके इसको बताएं तो राजस्थान की जनता इस बात को समझ सके कि हमारी सरकार जिस प्रकार की बात कह रही है उस बात की क्या सत्यता है और क्या सत्यता नहीं है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने कर्जे की दृष्टि से कि कौनसा साल ऐसा है जब कर्जा नहीं लिया था हमने कर्जा लिया, इसका श्वेत पत्र जारी किया। हमको आप बदनाम करने पर तुले कि आपने 23,000 करोड़ रुपये कर्ज ले लिया। सच बात है कि हमने लिया। हमारे समय में लगभग 12,800 करोड़ रुपया आठ साल का कर्जा था। इसको छुपाना नहीं चाहा है। आंकड़े आपके पास भी मौजूद हैं, हमारे पास भी हैं। 1995 में 4,100 करोड़ कर्जा लिया, 1996-97 में 6,600 लिया, 1997 में 5,600 का लिया और 1998-99 में 6,986 करोड़ लिया। आपने तो बड़ी गालियां देकर वाहवाही लूटी थी, यहां सब से बहुत तालियां बजवायी थीं, कि जैसे हमारे ऊपर पत्थर मार रहे हैं। इसमें आपको बड़ा आनन्द आ रहा था। अब आपसे ही पूछें कि आपने 1999-2000 में 11,414 करोड़ रुपये का जो कर्जा लिया यह किस खेल के लिये लिया था? किस काम के लिये लिया था? यह कर्जा लेना तो पाप है न। कर्जा लेना तो अच्छा नहीं है, राजस्थान के विकास के लिये ठीक नहीं है। हमको गालियां देने के बाद अब कर्जा लेने में कितना आनन्द आता है, यह आपको अनुभव हो रहा होगा। 2000-2001 में फिर आपने 11,472 करोड़ रुपये का कर्जा लिया और इस बार आपने अनुमानित कर्जा 8,611 माना है। जो पिछली साल माना वह भी आपका बढ़कर 11 हजार तो पहुंच गया और अब की बार जो आप 8,611 करोड़ का कर्जा अनुमानित मान रहे हो, यह कर्जा भी आपका 12 हजार करोड़ के आसपास पहुंचेगा। हो सकता है कुछ कम ज्यादा हो, इतना एग्जेक्ट तो नहीं कह सकता हूं। अगर इन तीनों को मिला देंगे तो यह लगभग 33 हजार का कर्जा हो जाएगा। जो भी हो आप इसको क्लीयर कर देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नैट नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नैट नहीं है तो यह दो तो नैट है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं एक मिनट में निवेदन कर दूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं इंटरप्ट कर रहा हूं तो मैं बैठ जाता हूं। इस फिगर को आप देख लें। बजटेड फिगर दूसरे मिल जाएंगे। यह क्या है कि वैज एण्ड मीन्स में जो रिज़र्व बैंक में हमारी लिमिट है उसमें कभी हम ओवर ड्राफ्ट में जाते हैं तो बराबर आया गया, आया गया, It is known as short term loan. टैम्परेरी लोन। उसके बाद आपको आखिर में मिलता है तो वह हमारा इंडैक्स होता है। क्योंकि एक सीमा से ऊपर तो हम जा नहीं सकते, लेकिन लेना पड़ता है। क्योंकि राज्य के कंसोलिडेटेड फण्ड में वह रुपया आता है, दिखाना तो पड़ता है। इसलिए इससे थोड़ा कन्फ्यूजन है, यह नैट अमाउंट नहीं है। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे पास जो आंकड़े हैं वे भी आपकी किताब से हैं, हो सकता है मेरे समझने में और आंकड़ों को उठाने में कहीं से गलती हुई हो, तो इसको क्लीयर करें कि पिछले दो सालों में

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारा यह जो घाटा है या जो कर्जा है यह कितना है? जब हमने सरकार छोड़ी 1998-99 में तो हमें 2,200 करोड़ रुपये ब्याज पेटे देने पड़ रहे थे। तब आपने कहा कि हमारा आधा पैसा तो इसी में चला जाता है, इतना परसेंट तो हमारा ब्याज पेटे में चला जाता है। आज क्या स्थिति है? आज आपको 3,900 करोड़ रुपये से ज्यादा केवल ब्याज पेटे देना पड़ रहा है। हमारा पूरा का पूरा प्लान 16 हजार करोड़ कुछ रुपये का है और उसमें से 3,980-82 करोड़ रुपये केवल कर्जे में जाते हैं, कर्जे की अदायगी में जाते हैं। हम भाषण करें, पक्ष-विपक्ष होगा, एक दूसरे को डैमेंज करने के लिये बहुत ऐसे विषय हैं जिन पर करें, लेकिन कम से कम इन बातों पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं वह मैं सोचता हूं कि हम भले ही अपने लिये भला कर रहे होंगे लेकिन प्रदेश के लिये भला नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुःख है कम से कम हमें इस बदलते समय में इस बात के लिये संजीदा होना चाहिये। दूसरे को तर्क के आधार पर हरा कर हम यह सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, यह प्रदेश की प्रगति के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी।

यही नहीं, जितना हमने कर्जा लिया क्या वह कर्जा हम खा गये? क्या उस कर्जे का हमने दुरुपयोग किया? हममें से कोई उसका गुनाहगार है तो आप सरकार चला रहे हैं, आप जो भी सजा देना चाहें, दें, कोई चिन्ता की बात नहीं है। इसमें क्या बात है? अगर किसी ने गलती की होगी तो सजा भुगतेगा। लेकिन हमने राजस्थान को बीमारू राज्यों से निकालने के लिये हर प्रकार के प्रयास किये और उसको आगे बढ़ाने का काम किया।

आपने देखा होगा कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। हमें कोई शौक नहीं लगा था किसानों का कर्जा माफ करने का। यह तो दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान का किसान अपने हक के लिये लड़ना अभी तक नहीं सीखा है। हरेक पार्टी ने उसको गुमराह करके अपने वोट बैंक को बनाने की कोशिश की। बाकी हकीकत यह है कि अगर आज भी भूखा कोई सोता है तो वह अन्नदाता सोता है। आज भी फटा नेकर पहन कर स्कूल की तरफ जाता हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो वह किसान का बेटा दिखेगा। आज भी मकान के खपरैल पर पानी गिरेगा तो वह उस अन्नदाता के मकान पर गिरेगा। उसका कारण यह है कि हमने उसकी वास्तविक स्थिति को पहचानने की कोशिश नहीं की कि उसमें देने की क्षमता है कि नहीं है। अब आप उसकी लंगोटी उतार कर ले जाना चाहते हो तो ले जाएं भले ही, बाकी वास्तविकता में उसकी स्थिति नहीं है। हमने 10 हजार का कर्जा माफ किया तो यह जो 12 हजार करोड़ कर्जा लिया उसी में वह भी शरीक है। लेकिन वह बात आपको अच्छी नहीं लगी। इन 12,000 करोड़ रुपए में से हमने 26 करोड़ रुपये 10 हजार के कर्जे में माफ किए तो क्या पाप किया? क्या गुनाह किया था जिसके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण से आप हमको यह बात कह रहे हैं? यही नहीं, हमने किसान का लगान माफ किया। यह इसलिए किया कि वह वास्तव में भगवान भरोसे बीज बोता है उधार लाकर। ड्योढ़ी पर लाता है, चार गुना पैदा होने के बाद वापस चुकाता है रोता हुआ। भगवान के भरोसे जो खेती करता है, उससे ये थोड़े से पैसे इकट्ठे करके राज का खजाना भरकर 15-20 करोड़ रुपए से क्या मालामाल हो जाएंगे? हमने उसको छोड़ा, वह भी इसी में शरीक था, यह भी आपने नहीं देखा।

हमने ड्रिप इंरिगेशन में 101 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिये, यह भी हमने पाप किया था? यह भी इसी में है। हम अपने घर नहीं ले गये थे पैसा। लेकिन दुर्भाग्य है कि आलोचना करना सदन में डेकोरम हो गया एक ऐसा शौक-सा हो गया कि हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह कह सकते हैं। यही नहीं, हमने जो 14 कलम का टैक्स माफ किया था सरचार्ज का, वह किसान के लिए किया था। हमने घाटा खाया था और हमने घाटा खाकर इस कर्ज से उसको निकाला।

इसी तरह कुआं निर्माण की राशि हमने स्वीकृत की। कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए हमने 8 करोड़ 50 लाख रुपए किसान को अनुदान के रूप में दिये। वह भी हमारे इसी कर्ज में शामिल है। डिग्गी निर्माण के लिए 2 करोड़ 62 लाख रुपए दिए, यह भी इसी में है। पिछले 5 साल में हमने किसान को सस्ती बिज़ली पेटे 4 हजार 672 करोड़ रुपए राज्य खजाने से अनुदान के रूप में देकर किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाई। आपको जब चुनाव लड़ना था तब तो 37 पैसे ध्यान आता है। क्या दुर्भाग्य है। मुझे अफसोस है कि राजस्थान के मतदाता ने शायद अपने वास्तविक हक को नहीं समझा। यह दुर्भाग्य है कि हम किस तरह से भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को गुमराह करते हैं और जब सीट पर आ जाते हैं, उसे भूल-भुलाकर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। 37 पैसे हमने कहा था, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा था तो आप उससे मुकर कर 90 पैसे पर कैसे चले गये? जब आपने चुनाव लड़ा था तब भी कहते कि हम बिजली की रेट बढ़ाएंगे। तब वह बात कहनी चाहिए थी। दुर्भाग्य है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजें। एक मिनट। अभी समाप्त कर लें उसके बाद बोल लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, सुन लो अगर कोई ज्यादा ज्ञान की बात कहे तो।

श्री सभापति : आप बता देना और ज्यादा ज्ञान हो तो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, यही नहीं उद्योगों को अनुदान के रूप में उसी में से 362 करोड़ रुपए दिये। उन्हें डीजल सैट के लिए 7.5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए थे। उद्योगों की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए 464 करोड़ रुपए की रियायत दी गई थी कि राजस्थान के उद्योग किसी प्रकार से चल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाएं। यही नहीं, आपको मालूम होगा कि इन्हीं 12 हजार करोड़ रुपए जो हमने लिए थे, इसमें से हमने पहली से लेकर पांचवीं तक सारे बच्चों को और पहली से लेकर आठवीं तक की बच्चियों को किताबें दीं। मैं जानता हूं कि 4 प्रतिशत बच्चे-बच्चियां ऐसे होंगे जो समय पर किताब नहीं खरीद सकते हैं, बाकी खरीद सकते हैं लेकिन गांव तक किताब पहुंचे और उस बुक सेलर के द्वारा किताब मिलना एक बहुत कठिन प्रक्रिया थी जिसके कारण से 2-2 महीने उस गरीब आदमी के निकल जाते थे। उसके पास पैसे होते तो दुकान पर जाता और तब तक किताब खतम हो जाती। उसके कारण से हमने प्रयास किया था। हमने बच्चों की बीमा योजना शुरू की तो किसलिए शुरू की थी?

मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है, मुझे बहुत पीड़ा हुई उस दिन जिस दिन इस बात का ढोंग किसी ने किया था कि हमने 23 प्रतिशत साक्षरता बढ़ाई। हम लोगों ने भी कुछ किया था, ऐसा नहीं कि 23 प्रतिशत में हमारा कोई योगदान ही नहीं था। हमने कुछ काम ही नहीं किया, जो कुछ किया आपने इन दो साल में कमाल कर दिया? यह बड़ा दुर्भाग्य है।

श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : पूरे देश में पहले नम्बर पर राजस्थान क्यों आया, तकलीफ तो यह थी आपको। प्रोसेस तो पिछले 20 साल से चल रहा था मगर यह हमारे टाइम पर ही क्यों हुआ? बीमारू राज्यों की सूची में से राजस्थान अभी ही निकला है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको चुनौती देता हूं। यह सर्वे 1997 में हुआ था एक एजेंसी के द्वारा, अभी मैं कागज लेकर नहीं आया, उस एजेंसी ने उस समय राजस्थान के 20 हजार लोगों का सैम्पल सर्वे किया। उसमें उन्होंने कहा था कि राजस्थान में साक्षरता 55 प्रतिशत आ रही है और सन् 2001 तक जाते-जाते 60 प्रतिशत से अधिक आएगी। मेरा शिक्षा पर अंतिम बजट था जब मैंने कहा था, आप कार्यवाही वृतान्त से निकाल कर बता दें, कि हमारी अनुमानित साक्षरता बढ़ेगी वह इतनी बढ़ेगी। हम लोगों ने भी कुछ किया है। आप इसको इग्नोर करना चाहें, आपकी मर्जी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता।

सभापति महोदय, क्या कभी इस बात का विश्लेषण करने का हमने प्रयास किया कि हमारा जो रुपया आता है उस रुपए के आने के सोर्सेज क्या हैं? उनकी तुलना करने की कोशिश करें तो हमारा बजट जब 5 हजार 22 करोड़ रुपए का था तब हमें 26 पैसे आंतरिक उधार और इससे मिल रहे थे, उसकी तुलना में अबकी बार 28 पैसे आया है। इनकी आप तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि हम अपनी जगह खड़े हैं। बजट का पैसा आता कहां से है, अगर 100 मानें तो 2 पैसे इसमें से, 5 पैसे इसमें से आते हैं। इन सारे फिगर्स के कम्पेरेटिव आंकड़ों को अगर हम देखें तो पता लगेगा कि हम अपनी जगह खड़े हैं, कोई भी हमारी प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई, किसी भी प्रकार से विकास की ओर बढ़ने की दृष्टि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से। और रुपया जाता कहां है? जाता भी इसी प्रकार से है, जैसे आपका आयोजना व्यय 1999-2000 में 20 पैसे था।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसी तरह से हमारे प्लान् आउट-ले को लें। इसकी आप थोड़ी कम्पेरेटिव तुलना करें कि हम विकास की ओर जा रहे हैं या विकास की गति उलटी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर 1999-2000 के बजट में एक रुपए में से 31 पैसे खर्च करते थे और बजट था हमारा 5 हजार 22 करोड़ रुपए। पिछली बार हमारा बजट 4 हजार 146 करोड़ का रखा, उसको घटाकर हम 3600 पर ले आए। उसी के हिसाब से इसमें पैसा घटा। फिर इसी प्रकार से अभी जो बजट 2000-2001 रखा उसमें मात्र 34 पैसे रखा है। इसमें कहीं कोई बहुत अधिक विस्तार किया हो अमाउंट की दृष्टि से, क्योंकि हमारा फिगर घटा है तो अमाउंट उसके हिसाब से उतना ही एडजस्ट होगा, कुछ हुआ नहीं।

यही नहीं, आपने सिंचाई की दुर्गति की है और आप विकास की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। मुझे अफसोस है इस बात को कहते हुए कि हमने सिंचाई के इन सारे खर्चों को एक तरह से रोक दिया। पिछली बार जब 1999-2000 का बजट था तो एक रुपए में से 13 पैसे सिंचाई पर खर्च होता था। पिछली बार बजट में 2000-2001 में 8 पैसे और इस बार 10 पैसे, 13 पैसे पर हमने पहुंचाया था, सिंचाई की दृष्टि से हमने अपने कुछ सोर्सेज बढ़ाए थे, हमारा इर्रिगेटेड एरिया बढ़ा था, हमारी फसल बढ़ी थी, कई उत्पादनों में राजस्थान हिन्दुस्तान में नम्बर वन पर आया था, हमने उसको किया।

और कृषि की हालत देखिए आप, जहां 1999-2000 में 7 पैसे खर्च करते थे, अबकी बार इस बजट का मात्र 3 पैसे एग्रीकल्चर पर खर्च होगा। यह राजस्थान के किसान को क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसान को क्या मदद करना चाहते हैं आप? मदद ही नहीं आपने तो सारे आफिसेज तोड़कर वाहवाही लूटने की कोशश की। सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आपने जर्जरी कर दिया। पता नहीं आप कौनसी तरक्की की बात करना चाहते हो। जिस किसान का नाम लेकर हम रात-दिन वोट मांगने के लिए पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भाषण देते हो तब किसान, खेती और जब हमारा बजट एलोकेशन हो तो 7 पैसे तक गया हुआ बजट आखिर में 3 पैसे पर आकर अटक गया।

उद्योगों की क्या दशा है? क्या हालत है? क्योंकि उधर तो वर्ल्ड में काम्पीटिशन हो रहा है, हर चीज बाहर से आ रही है डब्ल्यू.टी.ओ. के कारण से, एक तरह से सारे विश्व का भूमण्डलीकरण होने के कारण से। हमने 700 चीजों पर छूट दी और अब तो सारों पर हो गई। 4 पैसा खर्च होता था बजट का उद्योग पर, मुझे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस बजट में मात्र 2 पैसे उद्योगों पर है। न हम उद्योग पर खर्च करना चाहते हैं और न हम खेती पर खर्च करना चाहते हैं, आखिर हमारी प्रायोरिटी क्या है?

परिवहन पर हमारा 15 पैसे खर्च होता था बजट का, आपने मात्र 8 पैसे का एलोकेशन परिवहन पर किया है। घाटे से घाटा बढ़ेगा, यह आपकी प्रायोरिटी है? क्या यह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान विकास करेगा या राजस्थान की अधोगति हो जाएगी? एक बार बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालने की कोशिश की थी बहुत अच्छे मन से किन्तु वह राजनीति के झमेले में फंस गया।

अब आपको इस बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं कि रेवेन्यू फ्राम टैक्स एण्ड ड्यूटीज से जो राशि प्राप्त होती है, इनके फिगर्स को आप देखें तो जो प्रत्यक्ष कर है उस प्रत्यक्ष कर में हमारा पैसा घट रहा है। इसको आप स्पष्ट करें कि जो आंकड़े हैं आपके इसमें कौनसा पैसा नहीं मिला हुआ है। यह देखिए, 1997-98 में 1149 करोड़ रुपए था, 1998-99 में 1200 करोड़ रुपए था, 1999-2000 में 1357 करोड़ रुपए था और 2000-2001 में 515 करोड़ रुपए था, 2001-2002 में 584 करोड़ रुपए है। इनको थोड़ा-सा आप समझा दीजिए कि इस कारण से आपके फिगर्स में प्रत्यक्ष कर में कमी आ गई है।

नवीं पंचवर्षीय योजना में जैसा मैंने आपको कहा, बहुत मेहनत करके राजस्थान के लोगों ने राजस्थान को कृषि की दृष्टि से आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया ताकि हम आगे बढ़ें। उसका कारण था हमारे बजट का एलोकेशन। हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी 1985 से लेकर 1990 तक, 161 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर पर था। उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसको बढ़ाकर 997 करोड़ लगभग एक हजार करोड़ पर लाये और नवीं पंचवर्षीय योजना में 1953 करोड़ रुपया इस एग्रीकल्चर के लिए रखा। जिसको आपके इस एलोकेशन और खर्चे के हिसाब से मिलाओ तो मुझे लगता है आपने कभी आंकड़ों को देख कर समझने की कोशिश नहीं की। 355 करोड़ रुपया हमारा खर्च होना था 1999-2000 में, उसमें से मात्र 238 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 258 करोड़ रुपया खर्च होना था 2000-2001 में, वह केवल 169 करोड़ खर्च हुआ। मतलब जो आपने माना वो भी कितना खर्च हुआ? केवल 129 करोड़ इसी तरह से इस साल के बजट में नवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार 607 करोड़ रुपये का एलोकेशन था कि एग्रीकल्चर पर हम खर्च करेंगे, लेकिन अभी आपने जो प्रावधान रखा वह केवल 420 करोड़ रखा है। कितना खर्च करेंगे, यह तो उसके बाद आगे और देखा जाएगा।

मैं आपसे निवेदन यह कर रहा हूं कि निश्चित रूप से इस बारे में खुले दिमाग से चर्चा करनी चाहिए। राजस्थान में अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज की तारीख में आदमी की रोजी-रोटी का कोई रास्ता है तो दो ही रास्ते हैं—या तो खेती में अपने खेत जोतकर खाएगा या किसी उद्योग में मजदूरी करके खाएगा। राजकीय नौकरी तो कुछ नहीं है। यह जितना यूथ आज आ रहा है और जिस प्रकार से सड़क पर घुटनों के बल पर चलता है, कच्छे में चलता है—आज आप बहुत हंसते होंगे, मजाक होती है, आपको लगता होगा कोई नहीं, चलेगा, लेकिन यह आग बनकर जब गुब्बारा फूटेगा तो हममें से कइयों को ले डूबेगा। कारण यही है कि हमने उद्योगों को जर्जर कर दिया। हमारे यहां 60 परसेंट उद्योग बंद हैं, कहीं भी कोई एम्प्लायमैंट नहीं है, न उसको खेती में कुछ मिलता है, न यहां कुछ मिलता है तो आदमी और कहां जाएगा? हमारी प्रायोरिटी क्या है? मैं इसलिए तुलना नहीं करना चाहता कि आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि उद्योग और खनिज पर हमारी क्या प्रायोरिटी है इसको आप देखें। ऊर्जा की दृष्टि से...

श्री सभापति : मैं तो घंटी इसलिए बजा रहा हूं कि आपका बहुत सारगर्भित भाषण हो चुका है, आप फिर कहीं विषयान्तर न हो जाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरे मन की इच्छा यह है।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ठीक है हमारे समय में उत्पादन कुछ कम हुआ ऊर्जा का, इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं? यह जो भाषा बोलते हैं यह भाषा सच नहीं है। आंकड़े इस बात को बताते हैं। यह मेरे अपने तरफ से नहीं, आपकी किताब से निकाले हैं मैंने ये आंकड़े। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा पर 921 करोड़ रुपये का प्रावधान था। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो हमने पूरी की, 3253 करोड़ रुपये का प्रावधान था और खर्च उससे अधिक हुआ। नवीं पंचवर्षीय योजना में 6528 करोड़ रुपये का प्रावधान था और उसके अगेंस्ट में 1997-98 में 1501 करोड़ रुपये खर्च हुआ, 1998-99 में 796 करोड़ रुपये खर्च हुआ और आपने 1999 में आकर मात्र 773 करोड़ रुपये खर्च किया। यह मैंने कोई चीज अपनी तरफ से नहीं बनायी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को विकास की ओर आगे बढ़ने का रास्ता मिला और सारा देश इस बात को स्वीकार करने लगा कि राजस्थान तरक्की की ओर जा रहा है। हमने एक बात की तरक्की जरूर की, उसमें हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं, जनसंख्या का क्या नियंत्रण हुआ? जो हमारा लक्ष्य था वो लक्ष्य कहां है? हमारी जनसंख्या 0.1 परसेंट घटी है इससे अधिक कुछ नहीं। जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपके सारे विकास वैसे ही धराशायी हो जाएंगे। उस दृष्टि से आपने जन-प्रतिनिधियों को रोकने की

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोशिश की, लेकिन इस पर आपको कोई न कोई कठोर कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा तभी हमारे विकास की जो गति है यह विकास की गति आगे बढ़ेगी। आपने समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन। मैं एक जानकारी करना चाह रहा हूं, क्या राजस्थान के मुख्य सचिव या वित्त सचिव बदल गये? क्योंकि वहां सीट्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वित्त सचिव और मुख्य सचिव नये आ गये हैं, इसकी जानकारी मैं सदन में चाहता हूं कब बदल गये हैं और नये सचिव और वित्त सचिव का क्या नाम है?

श्री सभापति : मीनाक्षी जी, आप बोलें।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : आदरणीय सभापति महोदय, राधाकृष्णन ने कहा था कि बहुत-से लोग होते हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं, बहुत-से लोग होते हैं जो पाताल की गहराइयों को नाप सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो व्यावहारिकता को ओढ़े हुए इस जमीन पर सीधे खड़े होने की हिम्मत जुटा पाते हैं। आज जो बजट पेश किया गया है यह व्यावहारिकता लिये हुए है, जमीन पर सीधा खड़ा हुआ है। 29 मार्च, 2001 को वित्त मंत्रीजी के श्रीमुख से जो बजट पढ़ा गया वो सरकार की नीति और नीयत दोनों को ईमानदारीपूर्वक दर्शाता है। यह बजट हमें इक्कीसवीं सदी की ओर ले जाने वाला एक बजट है जिसका सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने भरी सभा में छितरा दिया था। मैं इस बजट का स्वागत करती हूं और हृदय के अन्तःस्थल से धन्यवाद देती हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को। केन्द्र सरकार की अपेक्षित सहायता न मिलने हुए भी अकाल की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए किसान को इससे राहत मिलेगी। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में विकास के साथ अकाल को जोड़ने का जो बीड़ा उठाया है उसको हम सब विधायक पूरा करने में कोई कसर न छोड़ेंगे।

पिछली बार 5 अप्रैल, 2000 को मैंने बजट पर बोलते हुए कहा था कि कुछ लोग दिखाकर सपने हमको चले गये, अब हम संकल्पों को साकार करेंगे। मैं मानती हूं हमारे संकल्प साकार हुए, लेकिन जितनी आशा इसमें थी उतने संकल्प साकार नहीं हुए।

अटरू से आने वाले आदरणीय माननीय सदस्य ने अपने बजट भाषण में एक समस्या उठायी थी खानपुर की। दो साल पहले खानपुर में भयंकर पीलिया हुआ था और पीलिया ने अपना ताण्डव नृत्य इस कदर दिखाया था कि न जाने कितने लोग काल के ग्रास बन गये थे। इस सदन में मैंने मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दिया था कि उन्होंने 62 लाख 55 हजार रुपये की एक राशि नाले के लिए स्वीकार की थी। आज भी मैं जब खानपुर जाती हूं तो मुझे वहां के लोगों में मौत की

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

छाया के साथ-साथ एक सवाल नजर आता है और वो सवाल यह है कि कोई तो मसीहा होगा जो हमें पीलिया से मुक्त कर दे। क्या हमारी विधायक सही है? यही प्रश्न मेरी योग्यता पर प्रश्न-चिन्ह लगा देता है। वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है फिर भी वह नाला पता नहीं कहां अंधेरे में गुम हो गया है। अंधेरे में से उसको खोजने के लिए कभी मैं वित्त विभाग, कभी मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग और कभी मैं मुख्य मंत्रीजी के यहां चक्कर लगा रही हूं, लेकिन वह नाला अभी तक स्वीकार नहीं हुआ है। मैं मानती हूं कि नाले की जो राशि है वह कोई बड़ी राशि नहीं है, इससे भी बड़े-बड़े ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, मैं वायदा करता हूं इस नाले का निर्माण मैं कराऊंगा। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : हर बार बोलना जरूरी है क्या आपका?

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, इस नाले का निर्माण मैं कराऊंगा। (व्यवधान) आप चिन्ता न करो, माननीय सदस्या, यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजो आप।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय सभापति महोदय, मैं मानती हूं यह राशि कोई बड़ी राशि नहीं है, इससे भी कई बड़ी-बड़ी राशियों के काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूं मेरी यह बात जल्दी ही पूरी हो जाएगी।

इसके साथ ही मैं वित्त मंत्रीजी को अपनी युवा पीढ़ी की ओर से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट के माध्यम से हमें इक्कीसवीं सदी की डगर पर चलने की आशा दिखायी है आज मुझे कल्पना सोचते हुए खुशी होती है कि जब सुदूर गांव में बैठा हुआ आठवीं क्लास का बच्चा अपने चेहरे पर आत्मविश्वास लिये हुए नन्हे-नन्हे हाथों से कम्प्यूटर चलाएगा और विश्व के किसी भी कोने में जाने में सक्षम होगा। लेकिन इस बजट को पढ़ते हुए एक दुःख और भी हुआ कि इसमें कला संकाय के छात्रों के साथ अन्याय किया गया है। जहां इसी सत्र में विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों के लिए कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, कला संकाय के लिए यह क्यों नहीं की गयी? इसको भी अनिवार्य कर देना चाहिए इसी सत्र से, मेरा ऐसा मानना है।

(15.00 बजे)

इसके साथ ही इस बजट में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है इसके लिए मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं, लेकिन साथ ही मेरे क्षेत्र की एक समस्या है उससे भी आपको अवगत कराना चाहती हूं। इस बजट में इस बार कहीं भी कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है। पिछली बार में मैंने कहा था, ऐसा कोई विधान सभा क्षेत्र होगा जहां से बच्चे को पेपर देने के लिए नाव में बैठकर जाना पड़ता होगा। दूसरे कोने

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

पर उसके मां-बाप खड़े हुए सोचते हैं कि हमारा बच्चा कब आएगा इस जिंदगी से लड़ कर और कब मौत को मात देगा। आज चार-पांच विधान सभा क्षेत्र हैं — मनोहरथाना, छबड़ा, छीपाबड़ौद, जहां कोई भी कालेज नहीं है। झालावाड़ में भी केवल एक पीजी. कालेज है। तो मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से यह कहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम एक कालेज खोल दें जिससे कि बच्चों की जिन्दगी और मौत से लड़ाई की यह भाग-दौड़ खतम हो जाए।

इसके साथ ही मैं इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और माननीय वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं और इस बजट में चार करोड़ 32 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया। इसका मैं स्वागत करती हूं। साथ ही, इस शिक्षण सत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क के साथ-साथ समस्त राजकीय शुल्क मुफ्त कर दिया गया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं।

यहां पर आने वाले माननीय सदस्य महिलाओं को आगे बढ़ाने की बड़ी-बड़ी बात करते हैं लेकिन इन्होंने महिलाओं को केवल सब्जबाग ही दिखाये हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। मैं वित्त मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मेरी छोटी बहनों के लिए एक से आठवीं तक की कक्षा की छात्राओं को छात्रानिधि से पूर्ण छूट प्रदान कर इस पुरुष प्रधान समाज में लड़ने की ताकत प्रदान की है।

माननीय सभापति महोदय, कार्ल मार्क्स ने सच ही कहा था, यदि किसी देश की सामाजिक प्रगति का मूल्यांकन करना हो तो महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर नजर डालिये। आज हमारे इस बजट में दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक विवाहों के आयोजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अतः आगामी वर्ष इस हेतु रखे गये 10 लाख रुपये के प्रावधान को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की गयी है जिसका मैं स्वागत करती हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं बचपन से एक बात पढ़ती आ रही हूं और सोचती हूं :

हौसले को खुद में कभी तुम जुदा न करना।

हार कर कभी तुम कोशिश कम न करना।

एक दिन तुम्हारा होगा यह एतबार करो।

उस वक्त का तुम सब्र से इंतजार करो। मुझे लगता है वह सब्र और इंतजार खतम हो गया है। आज हम इस वर्ष को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने अनेक काम किये हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को एक सुझाव देती हूं, प्रत्येक जिले में महिलाओं को संकट से निपटने के लिए जिला कलक्टर को 50 हजार रुपये की राशि दी गयी है

(सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत)

लेकिन यह राशि बहुत कम है। हम आये दिन न्यूज पेपर्स में पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ ऐसे घृणित कार्य हो रहे हैं इसलिए 50 हजार की जगह यह राशि कम से कम 5 लाख कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है।

इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने हम विधायकों को गाली से बचाया है। सड़कों की हालत ऐसी हो गयी थी। पुरानी सरकार के जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे वे कहते थे कि जो सड़कों के गड्ढ़े हैं वे मेरे दिल के छाले हैं। उन छालों पर उन्होंने कभी मरहम नहीं लगाया, वे छाले कैंसर का रूप धारण कर चुके हैं। लेकिन मैं हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस कैंसर का इलाज किया और सड़कों के लिए इतने रुपये दिये।

आज हमारे जो आदरणीय विधायकगण हैं उन्होंने अपने बजट भाषण पढ़े लेकिन उस बजट भाषण में किसी ने भी यह बात नहीं कही। हम गांवों में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, वहां अनेक समस्याएं हैं और उन समस्याओं का निपटारा जो हमको विधायक कोष मिलता है उससे पूरा नहीं होता है। मैं मानती हूं कि इस सरकार ने हमको 40 लाख रुपये प्रति वर्ष दिये हैं, लेकिन मैं आदरणीय वित्त मंत्रीजी से कहती हूं कि यह राशि बहुत कम है, इसको कम से कम एक करोड़ रुपये कर दिया जाना चाहिए।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं इस बजट सैट की एक बात और कहना चाहती हूं। इसकी पर्ची मैंने दी थी लेकिन मुझे बोलने के लिए अवसर नहीं दिया गया। आज यदि हम कानून व्यवस्था पर चर्चा करें तो अनेक बातें सामने आती हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र है, वहां इतनी घृणित और शर्मनाक बात हो जाए कि जो गरीबों का मसीहा था, जो गरीबों के लिए लड़ता था और जिसने गरीबों की आह से खुद के हृदय में टीस महसूस की थी उसको मार दिया जाए, उसका कत्ल कर दिया जाए। यह बहुत बुरी बात है। आदरणीय गृह मंत्री जी यहां नहीं हैं, आदरणीय, मैं ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिसका नाम भोलाराम था। वह मूलतः अलवर जिले के रहने वाले थे लेकिन 1962 में भारत सेवक समाज के सचिव के रूप में मनोहरथाना जाकर बस गये थे, उनकी परसों रात को हत्या कर दी गयी। वह गरीबों के लिए भू-माफिया से लड़ते थे, उनकी हत्या क्यों की गयी, इसकी जांच करायी जाए। इसमें बहुत-से प्रभावशाली और बहुत से सम्पन्न लोग शामिल हैं जो प्रशासन पर दबाव डाले हुए हैं। आज दो दिन और दो रातें हो गयी हैं लेकिन उनके हत्यारों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। मैं सदन के सामने कहती हूं, यदि गृह मंत्री आश्वासन नहीं देते हैं तो जिस तरह से यहां पर रामायण पाठ किया गया, 12 दिन में यदि उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो शायद उनके घर पर हमें रामायण पाठ करवाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्या, आप तो यही घोषणा कर दो कि 12 दिन में नहीं पकड़े गये तो यहीं रामायण पाठ करेंगे।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : वह तो गीता पाठ आप लोग करोगे, हम थोड़े ही करेंगे? वह तो गीता पाठ आपको करना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गरूड़ पुराण पढ़ोगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वह खुद सक्षम हैं बोलने में।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : सभापति महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगी...

श्री सभापति : वह सक्षम हैं आपकी बात रखने में।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बजट एक सराहनीय बजट है। इसमें मुख्य मंत्रीजी ने अपनी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं छोड़ा है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। जो रोज मेरे विपक्ष के भाई यहां पर हल्ला मचाते थे उनके लिए मैं कहती हूं कि...

"सुख की सेज जिन्हें न कभी प्रिय होती है।

सफलता सदा उसी के कदम चूमती है।

दुःख की धार जो पार कर जाता है।

गंगा सदा उसी भगीरथी के पीछे होती है।"

श्री सभापति : माननीय श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया। (अनुपस्थित) श्री नाथूराम अहारी।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : सम्मानीय सभापति महोदय, 29 मार्च, 2001 को वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समय का ध्यान रखना।

श्री नाथूराम अहारी : उसका मैं समर्थन कर रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जिनको समय का ध्यान रखना चाहिए उनका समय तो खतम हो गया।

श्री सभापति : साढ़े 13 घंटे का आप भी ध्यान रखना।

श्री नाथूराम अहारी : लगातार तीन वर्षों से भयंकर अकाल पड़ता आ रहा है। 31 जिले और 30 हजार गांव अकाल की चपेट में हैं और लगभग 3 करोड़ की आबादी और 4 करोड़ पशुधन इसकी चपेट में हैं। ऐसी गंभीर परिस्थिति में केन्द्र सरकार ने अब तक केवल 85 करोड़ रुपये की अल्प मदद की है, यह बहुत ही कम है। अकाल की विभीषिका को देखते हुए यह राशि बहुत कम है। केन्द्र सरकार ने कुछ अनाज निःशुल्क दिया है लेकिन वह भी नहीं के बराबर है। अनाज के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बाप कमाए और बेटा खाए। अनाज के भण्डार कांग्रेस ने भरे हैं, इनको तो पता ही नहीं है। जब ये वहां केन्द्र में बैठे हैं तो वहां अनाज सड़ा दिया गया था। जब तक यह अनाज गरीबों में निःशुल्क जैसे कुछ दिया है उसे ज्यादा नहीं दिया जाए तो हमारे गांवों में जो अकाल की विभीषिका है उसको दूर नहीं किया जा सकेगा।

(श्री नाथूराम अहारी)

इन दो वर्षों में अकाल का अशोक गहलोत और हमारी सरकार ने जिस प्रकार दृढ़तापूर्वक सामना किया है वह भी बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। बी.जे.पी. के माननीय सदस्य हाउस में खूब बढ़-चढ़कर बोलते हैं, लेकिन जब इनके शासन में ये बैठे थे उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं किया और अभी + + + बहाते हैं। मैं इस मौके पर थोड़ा-सा आंकड़ा बताना चाहूंगा इनके शासन का और कांग्रेस के शासन का। बी.जे.पी. के शासन में 91-92 में 30 जिले और 30 हजार गांव प्रभावित थे। इन्होंने फरवरी में 7 लाख 90 हजार मजदूर संख्या रखी थी, जबकि कांग्रेस ने 85-86 में जब 26 जिले और 26 हजार गांव प्रभावित थे, अक्टूबर में 11 लाख मजदूर रखे थे। अब उसकी तुलना कर लीजिये। आप यह जो + + + बहाते हैं तो आपकी कितनी गांवों और गरीबों के प्रति कामना है, यह आप खुद महसूस कर सकते हैं। अभी कांग्रेस की सरकार ने 26 जिले और 23 हजार गांव प्रभावित हैं तो 18 लाख मजदूर लगाये हैं लेकिन आपने केवल सात, और उसमें से भी कम लगाये थे, जो मंजूर किये थे वे भी नहीं लगाये। तो आप किस तरह से बढ़ा-चढ़ा कर बात करते हैं कि हमने इतने लगाये? आप जब शासन में होते हो तो कुछ करते नहीं और जब आप अपोजिशन में बैठे हो तब बोलते हो। आपकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इस साल हमारे डूंगरपुर में 27 सब-सेंटर खतम किये हैं, वे महिला बाल विकास की तरफ से थे। मैं चाहता हूं स्वास्थ्य मंत्रीजी, कि आप उनको वापस कायम करें। सोम-कमला-अंबा जो नहर खण्ड था, उसे समाप्त किया है, उसे कोटा भेजा गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्योंकि चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ लिपिक ऐसे कर्मचारी भी हैं जिनका कोटा में रह कर नौकरी करना मुश्किल है, उनका उदयपुर डिवीजन में कहीं समायोजन करना चाहिए।

इसके साथ ही हमारी सरकार ने जो कर में छूट दी गई है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर कर लगाये हैं, उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे वापस लें। जैसे अरण्डी पर किया है वह गलत किया है क्योंकि इससे अरण्डी की तेल मिलें हैं उनको नुकसान हो जाएगा। इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए।

इसके साथ ही जो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की सुविधा दी गई है उसके लिए मैं मुख्य मंत्री और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं। यही नहीं, जहां कहीं एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में एक हाथ या दोनों हाथ, या एक पैर या दोनों पैर कट जाते हैं, उसके लिए भी काफी सहयोग किया है और उसमें भी काफी सुविधाएं दी हैं, इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

अभी वृद्धावस्था पेंशन के बारे में हमारे विरोधी साथी हैं उन्होंने हाउस में खूब हल्ला किया था। लेकिन जब ये बैठे थे

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री नाथूराम अहारी)

उस समय इन्होंने बाप छोड़ दिया और बेटे को पेंशन दी। इस तरह के कई उदाहरण आपको एरिया में मिलेंगे कि बाप तो छूट गया और बेटे को पेंशन दे दी। कारण यही है और कोई कारण नहीं है कि वाहवाही लूटने के लिए जो भी अपने-अपने कार्यकर्ता थे उनको उन्होंने पेंशन देना शुरू किया। जब जांच की गयी, उस समय इस तरह का पाया गया। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसमें एक थोड़ी विसंगति यह है कि जिसके पास जमीन है, जिसके बेटा है बेटा अगर कपूत है तो उसको पेंशन देनी चाहिए। जमीन है लेकिन जमीन में कुछ नहीं हो रहा है, तीन साल से एक धेला भी पैदा नहीं हो रहा है तो यह मापदण्ड है उसको हटा देना चाहिए जिससे कि हमारी सरकार की सहायता करने की मंशा पूरी हो सके।

मैं यह भी निवेदन करता हूं कि अकस्मात जो घटनाएं होती हैं, कोई मकान जल जाता है या मकान के अन्दर जल कर मर जाता है उसके लिए जो हम सहायता दे रहे हैं वह बहुत ही कम है। इसके बारे में हमको कोई ज्यादा बजट रखना चाहिए जिससे कि हम जनता को फायदा दे सकें।

अभी हमारी सरकार ने 40 लाख किये हैं कि विधायक अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकें। क्योंकि यह विकासशील युग है, विकास के द्वारा ही हम लोग एरिया में काम कर सकते हैं, तो मेरी आपसे मांग है कि यह जो रकम है इसको एक करोड़ तक किया जाए जिससे हम हमारे एरिया में अच्छे से अच्छा काम कर सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन बातों पर गम्भीरता से सोचकर काम करें तो हमारे लोगों को बहुत ही फायदा होगा। आपने मुझे टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

• **श्री सभापति** : माननीय श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, बजट के दो मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जो मुख्य भाग है वह अधिकांश पालिसी को दर्शाता है। लेकिन जो कर प्रस्ताव होते हैं, अब मैं इतने दिन से विवाद चल रहा है उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन यह एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गयी है सरकार की तरफ से। (व्यवधान) सुनिये-सुनिये, मैं एफ.आई.आर. में नहीं जाता। (व्यवधान) इसमें टोटली फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस डिपार्टमैंट ने कहा है कि कम्प्यूटर से कागज निकाला है, कोई "धर" नाम का आदमी उस कम्प्यूटर को डील करता था और उसने वह कागज निकाला है। सभापति महोदय, I want to educate many of the Hon'ble Members and the State Minister of Finance as well. मुझसे ज्यादा कम्प्यूटर के विषय में जानते होंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय सभापतिजी, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है सदन के अन्दर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये। अभी तो आप रोक नहीं सकते। इन्होंने कहा है कि कम्प्यूटर को आपरेटर के सुपुर्द कर दिया। तो प्राइमाफेसी, इस एफ.आई.आर. को जाने दीजिये, फाइनेंस मिनिस्टर तो गिल्टी है। पहले तो कम्प्यूटर का लाक होता है, सभापति महोदय। कम्प्यूटर को यूज करने के लिए प्रोग्रामर और आपरेटर को पूरा सुपुर्द नहीं किया जाता, उसका पासवर्ड होता है। अब उस कम्प्यूटर का लाक कर दिया, उसका पासवर्ड मान लीजिये नहीं है आपके पास, तो सैल निकाल कर उसको यूज करने के काबिल बना सकते हैं आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कम्प्यूटर के डिफैक्ट्स पर, मैरिट-डीमैरिट पर बोल रहे हैं या बजट पर?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कागज निकाला है यह कागज वहीं से निकाल नहीं सकते जब तक मान लीजिये कि कम्प्यूटर आपरेटर के पास पासवर्ड तो फाइनेंस सैक्रेटरी के पास होना चाहिए। बहुत सिम्पल बात है। सभापति महोदय, जो पासवर्ड टाइप होता है वह डार्क में आता है। (व्यवधान) आप बैठिये, एक मिनट।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, आप बहुत समझदार हैं। पासवर्ड जब आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिये, सुरेन्द्र मेरा पासवर्ड है, एसयूआरईएनडीआरए, जो मैंने टाइप किया पीछे वाला देख नहीं सकता क्या? देखकर वापस टाइप कर देगा। (व्यवधान) यह क्या बात है।

श्री सभापति : ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिये। जो बात बताना चाहते हैं वह आप काफी बता चुके। अब कम्प्यूटराइजेशन के बारे में जो आप इंटरप्शन करने जा रहे हैं उसके ऊपर कोई मैरिट्स और डीमैरिट्स हैं वह आप बताओ थोड़ा-सा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करें। पीछे बैठने वाला देख कैसे सकता है? मातहत है, मालिक थोड़े ही है मिनिस्टर का और सेक्रेटरी का। बाबू है, बाबू देख लेगा क्या पीछे से? डाक्टर साहब, थोड़ा होश से बात करो। एक छोटा-सा बाबू है, उसको देख लेगा क्या? वह कहेगा क्या कि मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूं? आप विराजिये प्लीज, प्लीज रिज्यूम योर सीट (व्यवधान) तो, माननीय सभापति महोदय, सवाल यह है कि आपने उसको सुपुर्द क्यों किया? मैं तो इस बात का जवाब मांगता हूं। आपने पासवर्ड उसको बताया ही क्यों? पासवर्ड फाइनेंस सैक्रेटरी के पास में होना चाहिए, यह एक सिम्पल आपरेशन है। नहीं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिये, मैं कोई डिटेल्स में नहीं जा रहा। अगर कम्प्यूटर में आपने कुछ फीड किया, पासवर्ड टाइप कर दिया...(व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : माननीय सदस्य, कृपया यह बताएं कि चर्चा किस पर हो रही है ? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप थोड़ा विवेक इस चेयर पर भी छोड़ दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब, सभापति महोदय, यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वह विवाद अलग है, उस विवाद के विषय में चर्चा नहीं करना चाहता। मैं चर्चा यह कर रहा हूं कि आपने पासवर्ड उस आपरेटर को, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को दिया ही क्यों ? वह आपको अपनी कस्टडी में रखना चाहिए था। तो हर स्थिति में आप तो दोषी हैं ही, वह जो कुछ वहां से निकला है। सभापति महोदय, बजट की सैंक्टिटी होती है। यहां पर 10 बजे, 11 बजे जब प्रारम्भ हुआ भाषण, उसके पहले आ गया था...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराज जाएं। आप इसी बात को फिर दोहरा रहे हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप जो चाहते हैं वही होगा। मैं नहीं जाऊंगा उस पर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं...

श्री सभापति : ...जिसकी चर्चा हो चुकी, सैंक्टिटी की बात भी आ चुकी और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था भी कर दी। आप बजट में जो प्रस्ताव हैं उस पर आ जाएं तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं उसको नहीं दोहरा रहा। सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर अनफार्चुनेटली सब राजनैतिक दलों के लोगों को और सब राजनेताओं को जनता भ्रष्ट मानती है, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे समाज में और हमारे देश में आज तक बजट प्रस्ताव लीक करके किसी ने पैसा नहीं खाया। मेरा यह कतई आरोप नहीं है कि इन प्रस्तावों के ऊपर वित्त मंत्रीजी ने कोई पैसा खाया हो। मैं इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बात कभी नहीं कहूंगा। मेरा यह कतई तात्पर्य नहीं है, कोई आरोप नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर बजट प्रस्तावों को लीक करके कभी किसी ने पैसा नहीं खाया। हो सकता है कि वित्त मंत्रीजी ने दीनो-दानिश्ता बजट प्रस्ताव लीक भी नहीं किये होंगे। बजट प्रस्ताव लीक हो गये, अब इसको अगर आप अण्डर द कारपेट दबाएंगे तो आगे के लिए रास्ता खुल जाएगा। हमेशा अशोजी गहलोत मुख्य मंत्री रहने वाले नहीं हैं, हमेशा प्रद्युम्न सिंहजी वित्त मंत्री रहने वाले नहीं हैं। कोई भी वित्त मंत्री बनेगा, आने वाले के लिए यह रास्ता और खुल जाएगा कि बजट प्रस्ताव लीक करो और पैसा खाओ। बस इतनी-सी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अब मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं। कुछ हमारे संवाददाता, प्रेस के मित्र हैं। उन्होंने कहा कि साहब, आप इस बजट को बजट मानते ही नहीं क्योंकि बजट प्रपोजल्स लीक हो गये। जब बजट प्रपोजल्स लीक हो गये तो आप बजट के ऊपर क्या पार्टिसिपेट करेंगे, क्या बजट के अन्दर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनसे मैंने यह

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

निवेदन किया कि मेजर पार्ट बजट के अन्दर पालिसीज का होता है और उसके ऊपर डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे। सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी ने सबसे पहले इस नये भवन का उल्लेख किया है, "इस नये भवन में बजट भाषण पढ़ते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है, गर्व हो रहा है।" सभापति महोदय, यह नया भवन है न, यह सरकार का सही प्रतिबिम्ब है। भव्य आपने देखा होगा, चारों तरफ घूमकर। भूल-भुलैया और टूटा-फूटा फर्नीचर, कहीं फिनिशिंग नहीं। हाउस के अन्दर यह बहुत अच्छा लग रहा है पर नीचे हाथ फिराकर देखो आप। ऐसा भव्य भवन है, सभापति महोदय, मैं आपको विनम्रता से लेकिन चुनौतीपूर्ण कहता हूं कि आने वाले 50 सालों के अन्दर यह फर्निश नहीं हो सकता। हर मंजिल के ऊपर 4-4 लाबीज हैं। लाबी खुली थोड़े ही पड़ी रहती है, लाबी तो फर्निश होनी चाहिए। 200 करोड़ रुपये का फर्नीचर चाहिए इसमें। और यह सरकार बिलकुल ऐसे के ऐसे है, हाईली एम्बीशियस। 25 लाख रुपये रोज की, 18 लाख रुपये रोज की बिजली जलाते हैं जयपुर शहर में_

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह तो आप मानेंगे कि यह भवन This is not the baby of this Government.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I know that but the major blame of this should be apportioned by the former Finance Minister and Hon'ble Speaker Shri Hari Shankar Bhabhara. I do agree with you. But then Hon'ble Chairman what I beg to suggest is that this House reflects and represents the character of this present Government. There is my Suggestion. आप कह रहे हैं वह बिलकुल सही है, उसका तो सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं प्रतिपक्ष के नेता महोदय को जो इस सदन के प्रारम्भ होने से आज तक चले आ रहे हैं। वह भी मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि हां, मैंने भाभड़ाजी के उसमें आकर अनुमति दे दी। उसके कई पहलू हैं। सभापति महोदय, वहां एक रुपये की कियायेदारी में हमको भवन मिला हुआ था। यहां पर हम उसकी डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह ठीक है, आ गया, फैट एकम्पली हो गया वरना कायदे से इस भवन को फाइव स्टार होटल को भी दिया जाता है, सभापति महोदय, तो यह ईमानदारी की बात है कि आपको हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। वापस वहां जाओ। (व्यवधान) राजेन्द्र जी, बात सुनो।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है मेरा। क्या हम सदन में बैठकर सदन की चर्चा कर सकते हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है, क्या हम सदन में

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बैठकर इस सदन में बाकी सारी बातों के लिए चर्चा कर सकते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं कर सकते।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं जानना चाहूंगा आपसे ही, कौनसे नियम में है कि आप नहीं कर सकते?

श्री राजेन्द्र पारीक : इसमें चर्चा नहीं की जा सकती। सभापति महोदय, सदन के बारे में यदि कोई अपनी बात, अपनी कोई अभिव्यक्ति देनी हो तो माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में जाकर इस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह तो सीकर के बने हुए नियम हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसके बारे में राय दी जा सकती है लेकिन सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उनकी यह भावना नहीं है, वह तो केवल एक बात कह रहे हैं....(व्यवधान) आप कन्टीन्यू रखो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय सभापति महोदय, संभवतया माननीय सदस्य भ्रमित हो गये, विधान सभा सचिवालय के विषय में चर्चा नहीं कर सकते। विधान सभा सचिवालय के बारे में चर्चा थोड़े ही कर रहे हैं, यह सरकार है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो जारी रखो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...सभापति महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य माहिर आजाद जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये और उनका प्रतिवाद डाक्टर के. सी. चौधरी ने खड़े होकर किया। क्या किया? 40,000 की जगह 39,000 कर दिया। मूल बात यह नहीं है। आंकड़े आपके खुद के सही नहीं हैं। बजट एलोकेशन में आपके "बजट एट ए ग्लांस 2001-2002" और "बजट स्टडी" इन दोनों को ही आप देख लीजिये, आयोजना व्यय (रिवाइज्ड एस्टीमेट), जो फाइनल एस्टीमेट हैं 2000-2001 के वे हैं 3197.64 और बजट स्टडी के अन्दर हैं 4237.94 एक ही चीज के दो आंकड़े हैं। सभापति महोदय, यह जो बात कही गयी है कि 27000 करोड़ का नाइंथ फाइव ईयर प्लान था वह घटकर 20,000 करोड़ का रह गया है। सभापति महोदय, मैं उससे आगे जाकर निवेदन करना चाहता हूं कि 20,000 का तो उनके आंकड़ों से रह गया है। ये अपने घोषणा पत्र के अन्दर कहते हैं, 727 करोड़ रुपये बिजली के इक्विटी के इन्होंने गिन लिये और उसको आयोजना व्यय में गिन लिया, पिछले बजट भाषण के दौरान मैंने जब यह इंगित किया था कि आपने भी वह की वह प्रैक्टिस अपना ली, उसको अगर आप ले जाओ तो यह पहुंचेगा, 16-17 हजार करोड़ का कुल व्यय हुआ है। प्लान का कितना एक्सपेंडीचर हुआ है। एक तो वित्त मंत्रीजी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो आपके फिगर्स बजट एट ए ग्लांस और बजट स्टडी में है, इनको रीकंसाइल करके सदन में सही फ़िगर्स देने की कोशिश करें।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मैं अब मोटी बात लेता हूं अकाल की। अकाल पर चर्चा होगी लेकिन, सभापति महोदय, आज गुलाब चन्द जी कटारिया बोल रहे थे, काफी हद तक मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हर बात के अंदर यह नहीं होना चाहिए बीजेपी-कांग्रेस। मैंने कल यह बात कही थी, कोई हाउस के अंदर यही चर्चा का विषय रह गया क्या? तुलनात्मक दृष्टि से यह देखा जाएगा कि आपने क्या किया था। हाउस में वित्त मंत्रीजी ही नहीं बैठते हम भी बैठते हैं। और हम तो आपके साथ, आप छह दफा जीत कर आये हैं जिनमें पांच दफा मैं आपके साथ रहा हूं लगातार, मेरा बहुत पुराना सम्पर्क है, तो आप यह मत गिनो कि आपने यह किया था, यह नहीं किया था। आपने क्या किया, सवाल यह है। अकाउंटेबल आज आप हैं, बी.जे.पी. नहीं है। बी.जे.पी. ने नहीं किया जो तो 33 पर सिमट गई। अब अगर आप भी वही रास्ता अख्तियार करके 33 पर सिमटना चाहते हों तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन, सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि बात जनता के सामने आए। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सभापति महोदय, टोटल कन्फ्यूजन है। मल्टीप्लीसिटी आफ डिपार्टमैंट्स, मल्टीप्लीसिटी आफ लैजिस्लेचर, मल्टीप्लीसिटी आफ स्कीम्स, आम आदमी के वश का नहीं है कि वह समझ जाए। आज आपके मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर कहते हैं, अकाल राहत मंत्रीजी खड़े होकर कहते हैं कि हमने इतने आदमियों का इतना पैसा खर्च कर दिया अकाल के ऊपर। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं, सभापति महोदय। सैण्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स कितनी चल रही है इस प्रदेश के अंदर, उसमें आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ? और अकाल के अन्दर राशि खर्च करना ही एकमात्र चीज नहीं है, मानव दिवस सृजित करना मुख्य बात है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम अकाल को विकास में बदल देंगे, तो अकाल को विकास में बदलने का मतलब योजना के काम चलाएंगे। अभी क्या हुआ? मेरे सब माननीय सदस्य, अब आप पार्टी लेवल से यह मत समझिये कि बी.जे.पी. नहीं बोल रही है, आपका एक सहयोगी बोल रहा है, आप अपनी आत्मा पर हाथ धर कर देखिये। एक-एक पंचायत के अंदर एक-एक काम सरकार ने खोला। एक पंचायत के अंदर कोई योजनागत कार्य चल रहा है वहां कार्य दूसरा नहीं खोला। मस्टर रोल कितने की है? पन्द्रह आदमियों की, बीस आदमियों की। गलत कह रहा हूं तो टोकिये मुझे आप कि नहीं, गलत कह रहे हैं सुरेन्द्रजी आप। तो लेबर जनरेट नहीं हो रहा है न? एम्प्लायमैंट जनरेट कहां हो रहा है? आपने तो कह दिया कि नहीं, यहां पर यह काम चल रहा है। एक पंचायत की आबादी दस हजार, वहां पर भी एक काम। और वह भी अगर इत्तफाक से योजना का काम आ गया तो पच्चीस आदमियों का मस्टर रोल। दूसरी पंचायत की आबादी चार हजार, वहां काम नहीं है।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वहां दूसरा आपने अकाल का काम लिया, वहां चालीस आदमियों, साठ आदमियों का मस्टर रोल है। यह इम्बैलेंस मेरे को ऐसा लगता है कि प्रदेश में हर तहसील के अंदर व्याप्त है। अकाल की कोई नोर्म्स नहीं है। एक झुनझुना पकड़ रखा है कि केन्द्र सरकार मदद नहीं देती, केन्द्र सरकार मदद नहीं देती। यह कहते हैं तुम पैसा खर्च नहीं करते, तुम पैसा नहीं खर्च करते। सर्वदलीय सभा, जब हमारी मीटिंग हुई, अकाल राहत मंत्रीजी को मैंने कहा। मैंने कहा, देखिये जी, मैं निरपेक्ष भाव से यहां बैठा हूं, आप जो कहते हैं वह बात ठीक कहते होंगे, बी.जे.पी. वाले कहते हैं वह ठीक कहते होंगे। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, हमको अवगत कराने का कष्ट करें। आज तक नहीं कराया उन्होंने। क्या बैठक है, देखिये। सदन के अंदर कल यह बात कही गई, एन.सी.एफ.डी. के पिच्यासी करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये, सेन्टर से जो अकाल का पैसा मिला है। इस वित्तीय वर्ष में आपदा राहत कोष में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं हुई इसलिए केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के पेटे 40.75 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त की गई और पचास करोड़ की कोटा में घोषणा की गई, 175.75 करोड़। यह हमने उस रोज मीटिंग में कहा कि इन्होंने तो 175.75 करोड़ दे दिये, आपने खर्च कितना कर दिया। कहा कि नहीं, वह तो फिगर्स अभी हमारे पास नहीं हैं। नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, 28 फरवरी तक दिला दो। कहा कि नहीं, वह भी नहीं है। 1 जनवरी तक दिला दो, गये साल की दिला दो। यह जो जगलरी आफ फिगर्स है, टोटल मैस कर रखा है और टोटल मिक्स-अप कर रखा है। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूं कि कहीं कमजोरी घरेलू प्रशासन में रही होगी क्योंकि उस रोज मुख्य मंत्रीजी ने कहा, प्रतिपक्ष के नेता को भी कहा कि साहब, आपने भी इतना पैसा बचाया। अब राज का स्वाद बड़ा खराब होता है, जो राज में रहता है वह समझता है कि चलो यह तो चलता है भाई। उस राज की जो बीमारियां हैं उनसे एक तरह से समझौतावादी प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन, सभापति महोदय, इस सदन का हरेक सदस्य तो राज में रहा नहीं और राजस्थान की जनता को उससे मतलब भी नहीं है। राजस्थान की जनता को सीधा-सीधा मतलब है रोजगार से।

अब, सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आयोग बनाये हैं आपने। हमने यह आयोग बना दिया, हमने यह आयोग बना दिया, हमने घोषणा पत्र के हिसाब से आयोग बना दिया, हमारे वयोवृद्ध नेता भूतपूर्व मुख्य मंत्री, वैसे तो इन्होंने सब इम्पोर्टेंट आदमियों का आयोग बना दिया है और उसका एब्सोल्यूटली पोलिटिकल यूज है, कोई उसका प्रैक्टिकल यूज भी नहीं है। जो यह वित्त आयोग बनाया है उसका पैरा दो पढ़िये, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। यद्यपि आयोग का गठन मई, 1999 में कर दिया गया था परन्तु अगस्त, 2000 तक पूर्णकालिक सदस्य सचिव नियुक्त नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

किया गया। अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य करने के लिए नियुक्त सदस्य सचिवों में भी मई, 1999 से अगस्त, 2000 तक तीन बार परिवर्तन किया गया। जून, जुलाई और अगस्त, चार महीने आपने चेयरमैन का तो खर्चा भोगा न। बाकी जो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराते हैं उनका खर्चा तो भोगा न। मिसेज कांता भटनागर का क्या हुआ? ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया आपने, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। एक इतनी टेलेंटेड रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उन्होंने बड़ी मुश्किल से तो हमारे अनुरोध पर, राज्य सरकार के अनुरोध पर स्वीकार किया कि यहां आकर कार्य करें, उनको आपने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। आज मिलाप चन्दजी जैन के साथ क्या हो रहा है? आप एक विजिलेंस का अलग से होम डिपार्टमैंट में लगा रहे हैं। यह, वित्त मंत्रीजी, आपका काम है, वेस्टफुल एक्सपेंडीचर को आप चैक करें। आप मुख्य मंत्रीजी को सलाह दें। आप मंत्रिमण्डल से कटौती करें न।

(15.36 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

ऐसे क्यों मंत्री बनाते हो जो आफिसर्स गैलेरी में घुस जाते हैं? ऐसे क्यों मंत्री बनाते हो जो पूरे के पूरे टर्म की छुट्टी लेकर बैठ जाते हैं घर पर? ऐसे क्यों मंत्री बनाते हो जिनके पास एक फाइल नहीं पहुंचती छह महीने में? क्या जरूरत है इसकी? 153 के बहुमत में मुख्य मंत्रीजी को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। हाथ से जो काम करने वाले हैं, आप काम करने वाले हैं, आपको फाइनेंस की जगह एक डिपार्टमैंट और दे दें, हम कब मना करते हैं? लेकिन जिनके पास काम नहीं है, वह आप पर खर्चा है। आप मितव्ययता यहां से चालू कीजिये। फिर ये जो आयोग आपने बनाये हैं, अब आप सोचिये, कितना खर्चा होता है इसका, और कितना इन्कन्वीनिएंट हो गया। कई दफा ज्यादा बुद्धिमानी से बड़ी गलती हो जाती है। प्रद्युम्न सिंहजी, आपको अनुभव है इस बात का। शिवचरणजी माथुर को बना दिया आपने गलती से कि यह खुश रहेंगे। वह तीन दफा मुख्य मंत्री रह चुके हैं, दो दफा तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं और अब दनादन ऐसी सिफारिशें दे रहे हैं। वह तमाम् तो स्टेशनरी खराब, वह सिफारिशें आप मानने वाले नहीं। फिर उस आयोग का खर्चा करते क्यों हैं आप? (व्यवधान) आयोग का खर्चा ही क्यों करते हैं? और सवाल नहीं है शिवचरणजी को, आप किसी को बख्शें, किसी को नहीं। देवपुराजी की हालत आपने बिगाड़ी। अब कोई न कोई कमीशन बनाकर आप नवलजी, सभी मानो, तो यह कोई आपको राजनीतिक लाभ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। वित्त मंत्रीजी, अब दूसरी बात पर आइये कि यह आपको फिगर्स दिये हैं, माहिर आजाद ने....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आई एम समिंग-अप सर। आपका घंटी बजाना पर्याप्त है लेकिन वह घंटी दूसरी बार बजाएं उसके पहले उतना अंतराल दें कि मैं सम-अप कर सकूं।

श्री सभापति : घंटी दूसरी बजा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल बजाएंगे लेकिन इतना अंतराल दें कि आप यह खुद अनुमान कर लें कि मैं सम-अप कर दूं।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे समूह का टाइम बाकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिये, 25 मिनट हो गये आपको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कर रहा हूं। अच्छा, हो गये तो मैं सम-अप करता हूं लेकिन आप इतना अंतराल दीजिये।

श्री सभापति : ठीक है। (व्यवधान) बुरा कौन बोलता है? बुरा कोई नहीं बोलता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : समूह के 35 मिनट अलाटेड हैं, आप 25 मिनट बोले हैं, 10 मिनट बाकी हैं अभी।

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वित्त मंत्रीजी, माननीय माहिरजी ने जो ये फिगर्स दिये हैं, आपके श्वेत पत्र में लिखा हुआ है छह हजार करोड़ कर्जा छोड़कर, क्या पढ़ा था? इस श्वेत पत्र में पढ़ा था.... (व्यवधान) मेरा खुद का ही है मार्क किया हुआ, यह रहा। वर्ष 1989-90 में आंतरिक एवं भारत सरकार का ऋण एवं अन्य देनदारियां कांग्रेस के सत्ता छोड़ते समय 6026 करोड़ थीं जो भाजपा शासन के आठ वर्ष में बढ़ कर 23361 करोड़ रुपये हो गई। इस राशि पर 2210 करोड़ रुपये प्रति वर्ष राज्य को ब्याज चुकाना पड़ रहा है। अब आपने कितना कर्जा कर लिया, वह बता दिया आपने। उसको फिर रिपीट नहीं करूंगा मैं। मैं रिपीट उस बात को करूंगा कि जहां आपने इन्टरवीन किया है इनको। (व्यवधान) नहीं-नहीं, बजट में नहीं आता है, म्यूनिसिपैलिटी कर रही है। आपने जिस खूबसूरती से माहिर आजाद जी को इन्टरप्ट किया जब उन्होंने कहा कि जे.डी.ए. का, तो नहीं-नहीं बजट में नहीं आता है। वित्त मंत्रीजी, बजट में तो नहीं आता है, स्टेट इन्क्लूड्स स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटी। स्टेट में देनदारी किसकी है, लायबिलिटी किसकी है अगर आप इनको नहीं लें तो आर.एस.ई.बी. लोन देती है। तो कहां जाएगा?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गारंटी किसकी है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : गारंटी किसकी है? अल्टीमेटली भुगतना तो स्टेट और स्टेट की पब्लिक को ही पड़ेगा न। (व्यवधान) नहीं, इनको भी पड़ेगा। जिम्मेदारी होती है, मैं यह नहीं कहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। जे.डी.ए. के अपने रिसोर्सेज हैं। जिन नगरपालिकाओं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

की अपनी इनकम नहीं है वो खर्च नहीं कर पा रही हैं, जिन यू.आई.टीज की आमदनी कम है वो खर्च नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जिन यू.आई.टीज या जयपुर जे.डी.ए. की आमदनी अधिक है या जयपुर नगर निगम की आमदनी अधिक है तो वो अपना खर्च कर रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था आजाद साहब को कि ये बजटेड फिगर्स के अन्दर नहीं आता है। यह हर स्वायत्तशासी संस्था की अपनी आमदनी के ऊपर निर्भर करता है, मेरा यह निवेदन था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं, सभापति महोदय, मंत्रीजी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि यह आपने कौन-सा कंसेप्ट इन्ट्रोड्यूस किया कि जब उनको फाइनेंशल क्राइसिस हो तब तो इनको स्टेट ग्रांट-इन-एड भी देगी, लोन भी देगी, उनका खर्च भी भुगतेगी दुनिया भर के आड़े आएगी लेकिन वो सरप्लस हो तो आप क्यों नहीं लेंगे? आपके फेमिन में क्यों नहीं लेंगे, आपके स्ट्रक्चर डवलपमैंट में क्यों नहीं लेंगे? Can you permit them to waste the money? मंत्रीजी, मूल बात यह है कि आप जो स्थिति है न स्टेट की उसको भूले हुए हैं। आपने इतना एंबीशंस प्लान बना रखा है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर कहीं वेस्टेज है तो निश्चित रूप से उसको रोका जाना चाहिए। यह अपना-अपना नजरिया है कि क्या वेस्टेज है और क्या असेंशल एक्सपेंडीचर है। यह अपना-अपना नजरिया है सोचने का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका नजरिया दुरुस्त करना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप यह बताइये कि गांवों में तो बिजली नहीं है और 18 लाख रुपये रोज की बिजली आप शहर में जलाते हैं फालतू में मर्करी लाइट्स लगा कर। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप एबीशंस क्या बनाना चाहते हैं। फिर जितना ब्यूटीनैस कर लिया, चूंकि ओवर आल पैसा जो है उसके तो फाइनेंस मिनिस्टर आप हैं, आप इस बात को देखें।

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहता हूं कि ये कारपोरेशंस बनाये ही क्यों हैं। मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि आपका एटीट्यूड क्या है। आज की तारीख में राजस्थान में ऐसा कौन-सा कारपोरेशन है जो कारपोरेशन की तरह से एक्ट कर रहा है? सब कारपोरेशन जो आपके हैं, गवर्नमैंट के डिपार्टमैंट की तरह से एक्ट कर रहे हैं। यहां ऊर्जा मंत्री रोज खड़े हो जाते हैं दिन में चार दफा, जैसे ऊर्जा मंत्री उस कमीशन के चेयरमैन हों कि मैं यह कर दूंगा। अगर आप पढ़े-लिखे आदमी हो तो आप कहने वाले होते कौन हो? सब विद्युत कम्पनियां हैं, प्रसारण निगम अलग है, उत्पादन निगम अलग है, जयपुर कम्पनी अलग है, अजमेर कम्पनी अलग है। आप सिवाय पालिसी के कुछ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कर ही नहीं सकते हो। लेकिन वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं क्योंकि सब कारपोरेशंस में, आपके राजस्थान रोडवेज में, मैं उस प्रकरण में नहीं जाना चाहता, मैं किसी की हिमायत नहीं करना चाहता लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करेगा, फिर काहे की कारपोरेशन बनायी आपने? मिनिस्टर तय करेगा, जिम्मेदारी किसी की और है। पूरे प्रशासन में मिनिस्टर दखल रखेगा। मिनिस्टर अपने डिपार्टमैंट में दखल रखे। अगर आपको कारपोरेशन की तरह नहीं चलाना है तो आप मिनिस्टर के अंडर में डिपार्टमैंट देवें। मुझे इसमें कतई आपत्ति नहीं है। सभापति महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे राजस्थान वित्त निगम हो, कोई अन्य निगम हो, राजस्थान में सब कारपोरेशन राजस्थान गवर्नमैंट के विभाग की तरह काम करते हैं। और ये आपने क्यों बना रखें हैं? अधिकांश जगह पर आपने एक्स आफिसेज आई.ए.एस. अफसर बैठा रखे हैं, उनको गाड़ी-घोड़े मुहैया होते हैं। वहां सैक्रेटेरिएट में तो आपने बंद कर दिया। आप कभी, फाइनेंस मिनिस्टर साहब, चैक करना इसको, सबको गाड़ी-घोड़े कारपोरेशन से मुहैया होते हैं। और ब्यूरोक्रेसी जो कहती है वो आप करते हैं। आपके तमाम् जगलरी आफ फिगर्स भी ब्यूरोक्रेसी में मिल जाएं आपमें। यही है तो आप तो बजट एट ए ग्लांस और बजट स्टडी के फिगर्स रीकंसाइल करने में खाल खींच लो उनकी कि आपने गलत कैसे दिया। एक जगह नहीं 10 जगह मिलेगा। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा इस अवसर पर और अंत में अंतिम बात होगी, इसलिए आपको पहले मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि घंटी नहीं बजाएंगे।

श्री सभापति : बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मौलिक परिवर्तन आपकी विचारधारा में आना चाहिए। आपने आपके बजट के अंदर नयी स्कूलें खोलने, नये कालेज खोलने का प्रावधान नहीं रखा है, मैं बहुत खुश हूं इस बात से, ईमानदारी से कहता हूं। मैं क्यों खुश हूं? क्योंकि आप जहां पर स्कूल हैं वहां पर ब्लैक बोर्ड दीजिये, डस्टर दीजिये, टीचर दीजिये, टाट पट्टी दीजिये, पढ़ने को दीजिये। जो स्कूलें हैं आज की तारीख में वो इलइक्विप्ड हैं। अस्पताल हैं वहां डाक्टर नहीं हैं, नर्स नहीं हैं, दवाई नहीं हैं, बैंच नहीं हैं, तो कोई जरूरत नहीं है नया खोलने की। पहले स्ट्रैंथनिंग करें। पर स्ट्रैंथनिंग का प्रोविजन नहीं किया आपने। पहले आपने कहा था गये बजट भाषण में कि हम पी.डब्ल्यू.डी. में स्ट्रैंथन करेंगे, नयी सड़क का नहीं देंगे। तब आपने कौन-सा राजस्थान की पब्लिक को निहाल कर दिया? कुछ नहीं हुआ। अभी सड़कें तो

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हम जब भी जाते हैं, जो पहले दुर्दशा थी वो ही दुर्दशा है। अगर आप नये नहीं खोलते हैं और अगर आगे आने वाले टाइम में स्ट्रैंथन करने में बजटरी एलोकेशन उतना का उतना हो तब तो ठीक है। अन्यथा तो मैं, वित्त मंत्रीजी, कहता हूं कि इससे ज्यादा अदूरदर्शी सरकार हो नहीं सकती है। आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज खोल दीं and you take pride in this. अभी जोशीजी नहीं हैं यहां पर, वरना वे तो झगड़ा करने लग जाते। उनको तो बरदाश्त ही नहीं होता है। कोई डिपार्टमैंट की डिमाण्ड हो, कोई सब्जैक्ट हो, अभी खड़े हो जाते। लेकिन आप मेरे इतने मित्र रह गये, आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हृदय को टटोलें आप, यहां भाषण देने की बात नहीं है। कांग्रेस और नहीं कांग्रेस का सवाल नहीं है। गांवों में प्राइवेट स्कूल चलने लग गये। सभापति महोदय, मुझे इतना आश्चर्य होता है कि जब मैं गांव में जाता हूं तो जो गांव में थोड़ा-सा भी वैल-टु-डू आदमी होगा न, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा.... (व्यवधान) खुल रहे हैं खूब दनादन। क्यों आपके प्राइमरी स्कूल.... (व्यवधान) नहीं, अब और खुल रहे हैं, साहब। प्राइमरी एजुकेशन इतना डिटियोरेट हो गया और मुख्य मंत्रीजी खड़े होकर भाषण देते हैं कि हमने 60 रुपये न्यूनतम मजदूरी कर दी इसलिए उसमें ज्यादा खर्चा हो गया। (व्यवधान) की है। मैं मना कब कर रहा हूं। अध्यापक की मजदूरी क्या की है आपने? 1200 को 30 से भाग करना। मेरी गणित कमजोर है। 40 रुपये, यानी आपने श्रमिक की जो न्यूनतम मजदूरी तय की है वो तो 60 रुपये की और उस अध्यापक की क्या की है, 40 रुपये। तो 40 रुपये जैसा ही अध्यापक मिलेगा और 40 रुपये के अध्यापक जैसे ही लोग पढ़ने जाएंगे। और यह भी बहुत भ्रांति है कि बहुत बड़ा कोई वर्कर तैयार हो रहा है। यह नहीं है। ऐसा नहीं है, लोग बहुत दुःखी हैं। ट्रेण्ड लोग हैं, दुःखी हैं। शिक्षा का प्रसार होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय, यह आनरेरियम भत्ता है, यह कोई मजदूरी नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप भी करो न घोषणा, आप भी ले लो न भत्ता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलने दिया जाए। आपका समय न लें। आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं एक बात यह कह कर समाप्त करना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : मजदूरी और भत्ते में आपको फर्क करना होगा।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ....वित्त मंत्रीजी, आपके करों की रिकवरी निहायत ही पुअर है, वैरी पुअर। वो आप इम्प्रूव करने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

अब आप लैंड एंड बिल्डिंग के संबंध में मत जाना, सीधा आपके पास होता है। कर तो सब जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई प्राइवेट पैसेंजर टैक्स नहीं देता है और प्राइवेट टैक्सी चलती है तो वो भी कर आपका ही है। आप तो मालिक हो राजस्थान के खजाने के, सब कर आपकी जेब में ही आएगा। जो पैसा खर्च करेंगे आप करेंगे, इसलिए आपसे कह रहा हूं। किसी सैक्टर में चले जाएं आप, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही सवाल नहीं है। वो तो प्राइवेट कम्पनी है, उसका निजीकरण हो गया। सब गांव-गांव में, ये आपके इतने सारे एम.एल.एज. बैठे हैं, कौन-से गांव में टैक्सी अवेलेवल नहीं है? कोई छिप कर जाता है क्या? यहां पोलो विक्ट्री से रोजाना बसें उदयपुर की, जोधपुर की चलती हैं कि नहीं चलती है? आप बंद क्यों नहीं कर देते हो उसको? टैक्स तो आये कम से कम। क्यों रोडवेज उसमें चला रखा है? यानी कोई साहसिक कदम उठाना है तो ऐसा उठाएं कि जिससे स्टेट की माली हालत वाकई ठीक हो, रेवेन्यू आगम बढ़े।

अब आपके हास्पिटल्स में आप बताइये कि इसका क्या करें? कोई हैल्थ डिपार्टमैंट की डिमाण्ड हो तो बात अलग है, लेकिन जो बात हम सबको पता है उसके अंदर भी आप कोई रेवेन्यू बढ़ाने की तवज्जह नहीं करते हैं। आपका डिपार्टमैंट है सबसे बड़ा लिकर का, फाइनेंशल बिल पर बोलेंगे डिटेल्स के साथ, लेकिन उसमें आपने क्या किया? आपके ठेके टाइम पर उठे नहीं। आपने पिछले ठेकेदार को स्टीपुलेटेड पैनल्टी लगायी नहीं। सम टोटल यह है, वित्त मंत्रीजी, कि आप नये टैक्सेज लगाकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं वो आपकी बिलकुल गलत सोच है। आप जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उनकी रिकवरी भी अगर प्रोपरली कर लेंगे तो आपकी माली हालत ठीक हो सकती है। समझता हूं सभापति महोदय, कि मेरे सुझावों पर माननीय वित्त मंत्रीजी ध्यान देंगे। आपने अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रामचन्द्र सराधना।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 14वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। पूरा पढ़ दूं।

श्री सभापति : पढ़ दीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल, 2001 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 26 अप्रैल, 2001 से 10 मई, 2001 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्नप्रकार किया जाए :

(श्री हरिसिंह)

गुरुवार, दिनांक 26 अप्रैल, 2001 शुक्रवार, दिनांक 27 अप्रैल, 2001 शनिवार, दिनांक 28 अप्रैल, 2001 रविवार, दिनांक 29 अप्रैल, 2001	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 30 अप्रैल, 2001 मंगलवार, दिनांक 1 मई, 2001 बुधवार, दिनांक 2 मई, 2001 गुरुवार, दिनांक 3 मई, 2001 शुक्रवार, दिनांक 4 मई, 2001	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2001-2002 के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 5 मई, 2001 रविवार, दिनांक 6 मई, 2001	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 7 मई, 2001 मंगलवार, दिनांक 8 मई, 2001	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2001-2002 के अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक (बजट) वर्ष 2001-2001 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 8 मई, 2001 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

बुधवार, दिनांक 9 मई, 2001	राजस्थान विनियोग (संख्या-३) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण
गुरुवार, दिनांक 10 मई, 2001	राजस्थान वित्त विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 14वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। श्री सराधना जी।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़) : माननीय सभापति जी, राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2001-2002 के संबंध में मैं मेरा विवेचन प्रस्तुत करने खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस बजट के संबंध में सभी पक्षों से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रस्तुत किये। बजट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके बारे में विवेचन सदन में इसीलिए रखा जाता है कि इसमें क्या अच्छाइयां और क्या बुराइयां हैं। लेकिन जिस तरह से इस पर विवेचन हो रहा है और बात हो रही है, मैं समझता हूं ये अपेक्षाएं भी वैसी की जाती हैं जैसे हां पक्ष हां और ना पक्ष वाला ना। कितना भी अच्छा बजट प्रस्तुत किया जाए उसके बावजूद भी ना पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा कि एक भी मुद्दा इसमें सही है। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य अभी बात कर रहे थे, क्या उनको एक भी बात इसमें अच्छी नहीं लगी? इस बजट में कोई एक भी बात अच्छी नहीं लगी जिसके कारण आप कहते कि आपने यह काम ठीक किया? मान्यवर, मैं उनकी बात पर कोई बात नहीं कहना चाहता, वह बहुत सीनियर सदस्य है फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल मात्र प्रमादवश सदन में बात नहीं आनी चाहिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : सड़कों की तारीफ की थी।

श्री रामचन्द्र सराधना : बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी बात कही है। इस बजट के साथ मैं गत वर्ष के बजट की बात भी याद करना चाहता हूं। गये वर्ष के बजट प्लान में कटौती की गई उसके कारणों को सब जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हुआ। आज के इस बजट को प्रस्तुत करने के साथ हम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के वे कारण दूर नहीं हुए हैं। तीसरे वर्ष भी अकाल हो रहा है और तीसरे वर्ष के अकाल के साथ राजस्थान सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। जिन परिस्थितियों में आर्थिक संकट को देखते हुए गये वर्ष निभाया और इस वर्ष भी यह बजट प्रस्तुत किया, इसके लिये राजस्थान सरकार, राजस्थान के वित्त मंत्रीजी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इन परिस्थितियों को कंट्रोल में करते हुए अपने विकास की गति को भी जारी रखा। इस बात का उदाहरण यह भी है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी राजस्थान में आये और राजस्थान की सरकार ने जिस संकट में काम किया, अपने विकास के कार्यों को जारी रखा और अकाल से मुकाबला किया, उन्होंने भी उसकी तारीफ की है। ऐसी अपेक्षा सबसे की जाती है। चाहे वह ना पक्ष का सदस्य हो, चाहे हां पक्ष का हो, यह पूर्वाग्रह शब्द लागू हो ही जाता है और चाहते हुए भी, अच्छी बात

(श्री रामचन्द्र सराधना)

को महसूस करते हुए भी उसके बारे में अच्छी राय नहीं दे पाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को केन्द्र के बजट का असर भी भोगना पड़ता है। आज इस अकाल में बी.पी.एल. फैमिलीज की बाज की जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बात की जाए तो अकाल की विभीषिका में वह गरीबी रेखा का मामला निपट गया और बहुत सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गये। केन्द्र सरकार ने फैसला कर लिया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये, सुधार करने के लिये उन्होंने यह निर्देश दे दिया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को ही खाद्यान्न वितरित किया जाएगा, औरों को नहीं। मान्यवर, राजस्थान की सरकार भी उस बात से अछूती नहीं रह सकती क्योंकि राजस्थान की जनता सीधा राजस्थान सरकार से संबंध रखती है। बी.पी.एल. फैमिली के लोगों के अलावा जो गरीबी में पल रहे हैं, जिन लोगों को बी.पी.एल. फैमिलीज में चयन नहीं हुआ है उन लोगों के लिये एक विपदा खड़ी कर दी। उसका दूसरा कारण राजस्थान के किसानों को भोगना पड़ रहा है। जब केवल मात्र बी.पी.एल. फैमिलीज को ही वितरण करना होगा तो खरीदी भी कम होगी और खरीदी कम होगी तो किसानों का अनाज खरीदा नहीं जाएगा और उसका नुकसान राजस्थान के किसानों को होगा।

माननीय, मैं सीधी-सीधी बात दो-तीन मुद्दों पर करना चाहता हूं। आधारभूत ढांचे में विकास करने के लिये राजस्थान की सरकार ने सार्वजनिक विनिवेश को आमन्त्रित किया है। यह आवश्यक भी है, जमाने की मांग भी है। जब सारे विश्व में आधुनिकीकरण चल रहा है, निजीकरण चल रहा है इस अवसर पर राजस्थान में भी आधारभूत ढांचे का विकास होना चाहिये। उसके काम्पीटिशन में टिकने के लिये जरूरी है कि सार्वजनिक विनिवेश को आमन्त्रित किया जाए और उससे आधारभूत ढांचे में विकास किया जाए। जैसे इस बजट में बताया गया है कि इस विनिवेश से सड़कों पर 67 परसेंट, ऊर्जा पर 41 परसेंट और सिंचाई पर 26 परसेंट अधिक व्यय करके आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा।

मान्यवर, जहां सड़कों की बात आती है, गये दस वर्षों में जो सड़कों का हाल हुआ है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहां तक कि बहुत सारी सड़कें अपने आखिरी अस्तित्व में हैं और कई अस्तित्व खो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप किसी भी तरीके से सड़कों का विकास कर सकते हैं, जैसे बी.ओ.टी. पद्धति आ रही है, बी.ओ.टी. का बहुत अच्छा असर हुआ है और उस असर के कारण जो सड़कें, पुलियाएं बन रही हैं वे जनता के काम आ रही हैं।

माननीय, ऊर्जा ऐसा विषय है जिस पर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता कैसा भी भाषण दे सकता है। इसी सदन में विद्युत विनियोग विधेयक पारित हुआ और इस

(श्री रामचन्द्र सराधना)

सदन ने उसके लिये सहमति दी इसके बावजूद अभी यह कहा जा रहा है कि बिजली की दरें बढ़ गई हैं। मंत्रीजी को जवाब देना चाहिये कि दरें क्यों बढ़ गई हैं। ये सारी बातें आपको मालूम थीं। आपको भी मालूम था, प्रतिपक्ष के नेता को भी मालूम था। जिस समय ये सरकार में थे इनके सामने भी बिजली सुधार का मुद्दा आया था। लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया और यह कह कर छोड़ दिया कि आवश्यक है। होगा भी, केन्द्र सरकार का इस पर दबाव भी है इसके बावजूद भी उन्होंने यह छोड़ दिया कि चुनाव का मुद्दा आने वाला है इसलिए इसको छोड़ दो, जो आएगा वह भोगेगा। लेकिन ये बातें रणछोड़दास के क्षेत्र में आती हैं। यह रणछोड़दास का अभिनय है। कितने भी संकट आएं कितनी भी समस्याएं आएं उनका सामना करना चाहिये। केवल मात्र अपनी क्षणिक संतुष्टि के लिये, क्षणिक लाभ के लिये ऐसा नहीं करना चाहिये।

(16.00 बजे)

मैं राजस्थान की सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों में राजस्थान की जनता को समझाना बहुत मुश्किल हो रहा है, किसानों को समझाना मुश्किल हो रहा है फिर भी इस विनियामक विधेयक को, बिजली सुधारों को इन्होंने लागू किया। इसका लाभ राजस्थान के किसानों को मिलेगा। आज प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भाषण देने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं। इनका फर्ज है, यह इनका दायित्व है, ये करेंगे। विरोध पक्ष के लोग विरोध की बात करेंगे। कहते हैं कि किसानों की कमर तोड़ दी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं जब इस कमर पर ये सवार हो रहे थे तब इनको नजर नहीं आ रहा था। किसानों की कमर पर ये आठ वर्ष सवार रहे हैं इनको सुधार का मालूम नहीं पड़ा। यह किसान का दुर्भाग्य है कि जो इससे नीचे उतर जाता है उसको कमर टूटती हुई नजर आती है, दूसरा तोड़ता हुआ नजर आता है। आज ये कांग्रेस के लिए कमर तोड़ रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा हूं किसानों को बिजली का पैसा नहीं बढ़ा पाएंगे और बिजली पूरी नहीं दे पाएंगे। इस मुद्दे को जिन्दा रखना चाहते हैं, किसानों को मात्र इसी समस्या में उलझाए रखना चाहते हैं कि बिजली नहीं मिल रही आपका पैसा बढ़ा दिया गया, आपको मार दिया गया। कोई पार्टी आए चाहे कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस आपके लिए करेगी, बी.जे.पी. अगर आएगी तो बी.जे.पी. कांग्रेस के लिए करेगी, लेकिन किसान के मुद्दे का गम्भीरता से सोचना चाहिए। बी.जे.पी. की सरकार यदि इसको गम्भीरता से लेती तो बिजली के उत्पाद पर भी थोड़ा बहुत विचार करती। केवल कनेक्शन बांटते रहे और बिजली का उत्पाद नहीं किया। कब तक भण्डारे में माल नहीं है, पत्तल देते रहोगे? किसान को परेशान करना था। आप कनेक्शन दे रहे हैं, बिजली है नहीं। गम्भीर नहीं था, इसलिए सूरतगढ़ की बिजली का प्रथम चरण का जो कार्यक्रम 1300 करोड़ में

(श्री रामचन्द्र सराधना)

होना चाहिए था वह 2300 करोड़ का हुआ, 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसलिए हुआ कि इन्होंने मौके पर वित्त पोषण नहीं किया, उसको गम्भीरता से नहीं लिया। यह इनकी जो गम्भीरता है किसान के बारे में जो यह लाभ देना चाहते हैं, मैं उसके लिए निवेदन कर रहा हूं।

इस सदन के सामने बहुत सारे वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं, गम्भीरता से बात कर रहे हैं, बजट के बारे में चर्चा हो रही है। किसान की बात पर केवल भाषण देना, इनको लामबंद करना, लम्बा-लम्बा पड़ाव डाल देना, बिजली का पैसा न चुकाना-यह भाषण देना तो अच्छा लगता है, बड़ा आसान है कोई भी दे सकता है, लेकिन किसान के लिए होना क्या चाहिए? किसान को चाहिए बिजली, यदि बिजली नहीं मिली तो किसान मर जाएगा। लेकिन आपको मरने और जीने से कोई मतलब नहीं है, आपको तो भाषण देने से मतलब है। आपका मुद्दा तो जिन्दा रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं कि आपने जो पैसा बढ़ाया वह बढ़ाइये, जो पैसा वसूल करना है वह कीजिए, लेकिन जिस समय किसान को बिजली चाहिए उस समय उसको बटन दबाते ही बिजली भी मिलनी चाहिए। जब किसान को बिजली नहीं मिलती है—बल्ब जलता हुआ देखकर अपनी रजाई छोड़कर काश्तकार जाता है और खेत में जाकर बिजली नहीं मिलती है तो नेताओं का वह सत्यानाश खोता है—चाहे वह बी.जे.पी. के हों या कांग्रेस के हों। आपने जिस तरह से काम किया है यह सारा किसानों ने देखा है। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस बात को गम्भीरता से लें, पार्टीबाजी से नहीं लें। आज बिजली सुधार के जो कार्यक्रम राजस्थान की सरकार ने शुरू किए हैं उनको आप भलीभांति जानते हैं। केन्द्र का दबाव भी है और केन्द्र ने इसकी प्रशंसा भी की है। हो सकता है इसका दो-तीन वर्षों में रिजल्ट आए। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार बनने के बाद 50 वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता बढ़ी है, 750 मेगावाट बिजली आपने दो वर्ष में बढ़ाई है। इन्होंने एक लाइन रेखांकित की है किसानों और मजदूरों के लिए और 750 मेगावाट बिजली दो वर्ष के अन्दर बढ़ाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। इनके दिमाग काश्तकारों के लिए कुछ कर गुजरने की ललक है इसलिए इस सरकार को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(16.03 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

रेट बढ़ाकर काश्तकारों को केवल चमकाना चाहते हैं कि काश्तकार चमक जाए। न रेट बढ़ाई। अरे! रेट तो बढ़ाने नहीं देते हो और बिजली पूरी देते नहीं, तो क्या करना चाहते हो उसका? आप रेट बढ़ाकर भी बिजली दें तो यह बुरी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा की बात मैंने आपसे निवेदन की है।

एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य विराजें हैं, मेरे सामने यह कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं बैठा-बैठा

(श्री रामचन्द्र सराधना)

आपकी बातों को सुन रहा था। मैंने लगातार आपको 10 दिन तक भोगा है कपड़े फाड़ने से लेकर जूते दिखाने तक। आप थोड़ी गम्भीरता रखिए, सदन को संदन रखिए। मैं यह समझता था यहां आने वाले सदस्य बड़े प्रबुद्ध होते हैं और जानता कुछ सोच-समझकर उनको बनाकर भेजती है, लेकिन, मान्यवर, मुझे बड़ा दुःख हुआ इस बात का। आदमी अपनी पार्टी को छोड़ देता है, अपने समाज को छोड़ देता है, सारी बातों को छोड़ देता है, गरिमा छोड़कर स्वयं का प्रदर्शन करना चाहता है और मीडिया की तरफ देखता है कि कल मेरा नाम आना चाहिए। और मीडिया भी इतना सस्ता हो गया है कि जो टेबल पर खड़ा हो जाता है उसका नाम कर देता है। बड़े दुःख की बात है। यह एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों का छोटा भाई होकर निवेदन करना चाहता हूं। इसकी गरिमा दिनों दिन गिर रही है, हमारा आचरण दिनों-दिन गिरता प्रतीत हो रहा है। दुनिया हमें देख रही है, तमाशा देख रही है। हम प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें अपने आपकी आत्मलोचना करनी चाहिए। कोई बोलता है, आपके जितना दिमाग नहीं है, आप जितना नहीं सोच सकता, आपके जितना विवेचन नहीं कर सकता लेकिन कुछ तो बोलता है, उसको सहन कीजिए। मैंने यह देखा है कि इधर से कोई बोलेगा तो उधर से कोई जरूर बोलेगा, चाहे बोलना जानता ही नहीं हो, बोलना समझता ही नहीं हो, लेकिन वह इंटरप्शन जरूर करेगा क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसमें से कौन बोला। अखबार वालों को मसाला मिल जाता है कि वह बोला। मेरा निवेदन है कि इस सदन की गरिमा को बनाए रखने का दायित्व सबका है।

मैं निवदन कर रहा था, राजस्थान की सरकार ने दूसरा काम अकाल के दिनों में किया है। तीन वर्षों से लगातार अकाल पड़ रहा है। भगवान करे आगे आने वाला समय हमें अच्छा अवसर दे, लेकिन बार-बार अकाल की विभीषिका में राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज दूसरा काम, राजस्थान की जनता ने सिंचाई के संबंध में किया है। आप इस बात को महसूस करोगे कि 50 वर्षों के कार्यकाल में चाहे कोई भी पार्टी की सरकार आई हो, गम्भीरता से वर्षा के पानी की एक-एक बूंद का उपयोग करने का कोई कार्यक्रम बनाया है तो इस वर्ष इस बार इस राजस्थान की सरकार ने बनाया है कि पानी की एक-एक बूंद का उपयोग होना चाहिए, उसका संरक्षण होना चाहिए। आपने देखा, करोड़ों रुपये की स्कीम बना रहे हैं, जलग्रहण योजना के माध्यम से बना रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा काम है जिसके लिए राजस्थान की सरकार साधुवाद की पात्र है क्योंकि बिना पानी के काश्तकारों का कुछ भी धन्धा नहीं रहता है, कुछ भी जिन्दा नहीं रहता है।

आगे इन्होंने कम्प्यूटर शिक्षा के बारे में बात बताई। छोटी-सी बात बता देता हूं कि इस जमाने में जब कम्प्यूटर का युग आया, माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है, आप घंटी नहीं बजा दें, मैं

(श्री रामचन्द्र सराधना)

जल्दी समाप्त करने वाला हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस कम्प्यूटर के युग में राजस्थान की जनता अपने बच्चों को यदि कम्प्यूटर शिक्षा न दे पाए और आदमी अनजान बना रहे तो वह उसके लिए बहुत बुरी बात है। आज राजस्थान की सरकार आठवीं से लेकर बारहवीं तक और यहां तक कि कालेज एजुकेशन में अनिवार्य विषय बनाकर कम्प्यूटर शिक्षा देना चाहती है, तकनीकी शिक्षा के लिए हर तहसील के स्तर पर, पंचायत समिति के ब्लाक के स्तर पर एक आई.टी.आई. कालेज खोलना चाहती है यह शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया बात है।

शिक्षा विभाग की बात चल रही थी, राजीव गांधी पाठशालाओं की बात चल रही थी, माननीय सदस्य कह रहे थे कि 60 रुपये मजदूर को दे रहे हो और शिक्षा सहयोगी को कम दे रहे हो। मान्यवर, यह मजदूरी नहीं है और न उसको तनख्वाह दी जा रही है। जो व्यवस्थाएं पहले थीं—चाहे आप उसको एडल्ट एजुकेशन के नाम से करो, चाहे इनफारमल एजुकेशन के नाम से करो, चाहे और किसी नाम से करो, चाहे साक्षरता के नाम से बात करो, इन सारे कार्यक्रमों को मिलाकर राजीव गांधी पाठशालाओं के कार्यक्रम का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है, नियमित रहा है। आपने भी देखा होगा, कहीं नजदीक से देखा हो तो आपने महसूस किया होगा कि सारे कार्यक्रम के बावजूद राजीव गांधी पाठशाला ने गांव-गांव में साक्षरता का जो अभियान था उसको भी आगे बढ़ाया है और एक नियमित शिक्षा का ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजीव गांधी पाठशाला की आप प्रशंसा कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपके स्वयं के आपके परिवार के, आपके भाई बन्धुओं के कोई एक के भी बच्चे राजीव गांधी पाठशाला के आस-पास भी... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राजीव गांधी पाठशाला का परपज ही नहीं है यह। आप समझे ही नहीं इस परपज को और यूं ही बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना : माननीय राठौड़ साहब, आप शायद भ्रम में हैं, मैं राजीव गांधी पाठशाला के वातावरण से ही आता हूं, आपकी तरह जयपुर का रहने वाला नहीं हूं। (व्यवधान) धन्यवाद। मैं यह समझ रहा था आप में से कोई बोला ही नहीं, बोले तो सही, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि बी.पी.एल. फैमिलीज के बारे में सारे देश में चर्चा है, राजस्थान की सरकार भी बहुत काम करती आई है। चाहे इस को अन्त्योदय के नाम से दो, चाहे गरीबी रेखा से नीचे के नाम से दो, कोई भी नाम देकर इसका उद्धार करने की कोशिश की है, रोजगार बनाने की कोशिश की है, खाने-पीने का साधन बनाने की कोशिश की है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने यह नहीं सोचा कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति की बीमारी

(श्री रामचन्द्र सराधना)

का क्या इलाज होगा। बीमारी के इलाज के लिए क्या बंदोबस्त होगा। इसका क्या इन्तजाम किया जाएगा। मैं इस राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत की सरकार को धन्यवाद देता हूं जिसने बी.पी.एल. फैमिलीज के मुखियाओं और लोगों के लिए जितना भी पैसा चाहिए खर्च करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की है। यह पहला उदाहरण है, इतिहास में पहला उदाहरण है। कुछ बातों को, माननीय राठौड़ साहब, स्वीकार करना चाहिए। निश्चित करना चाहिए। आप चिकित्सा मंत्री रहे हैं, फिर कभी बन सकते हैं, उम्मीद करो, लेकिन आचरण ऐसा होना चाहिए आदमी का जो कोई आपको याद रखे।

आखिर में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूं। आपने टैक्सेज की बात की है—टैक्सेज के बारे में ई-गवर्नेंस की बात करो या ई-कामर्स की बात करो, आपने जो कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम किया है, इस सारी प्रक्रिया में कम्प्यूटर को इस्तेमाल किया है, जिस दिन यह सारी प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत हो जाएगी उस दिन आप महसूस करेंगे कि आपके टैक्सेज की वसूली में और इसकी क्वांटिटी में वृद्धि निश्चित रूप से होगी। जो इसमें अभी बीच में स्राव है, स्राव, का मतलब इसमें बीच में रोक है जो निकल जाता है, टैक्सेज वसूली करते वक्त इधर-उधर बंट जाता है, कम्प्यूटरीकरण होने के बाद में यह सारी बीमारी खतम हो जाएगी। निश्चित रूप से देने वाले को और लेने वाले को, दोनों को सरलीकृत हो जाएगा और आपका कर बढ़ जाएगा जिसे राजस्थान की सरकार जनता के उपयोग में लेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, राम-राम साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर सांवरमल।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सांवरमल नहीं है, सांवर लाल है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सांवर नाम का एक ही है, अब जो लगा दो कुछ भी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश जब आजाद हुआ और लोकतांत्रिक जनता से चुनी हुई सरकारों की व्यवस्थाएं देश और प्रदेशों में हुईं तो संविधान में एक व्यवस्था की गई कि भारत सरकार का वित्त मंत्री या राजस्थान का वित्त मंत्री जो भी होगा, अपनी-अपनी विधान सभा और लोक सभा के अन्दर प्रति वर्ष एक बजट पेश करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट में दो चीजें होती हैं—कहां से आप लेओगे और कहां पर आपको खर्च करना है। जहां से आपको लेना है, लोक-कल्याणकारी सरकार में यह तय करना है कि कहां पर आपको भार डालना है, किससे संसाधन इकट्ठा करना है। जब तक विधान सभा या लोक सभा में वह बजट प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए, उनकी कल्पना थी कि इस बजट के टैक्स प्रपोजल्स का पता कहीं पर भी नहीं चलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर टैक्स प्रपोजल्स विधान सभा या लोक सभा में पेश होने से पहले लोगों को या जनता के बीच में पहुंच जाते हैं तो.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : बहुत हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : डोंट डिस्टर्ब। बैठिये-बैठिये आप तो।

श्री सांवर लाल : अब सुन तो लो न। बहुत हो गया, आपके कान मना कर रहे हैं तो बंद कर लो। रुई-वुई डाल लो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। देश आजाद होने के बाद में एक बार भारत सरकार में ऐसा थोड़ा-बहुत हुआ था उसमें तत्कालीन वित्त मंत्रीजी ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा ऐसी कोई मिसाल हिन्दुस्तान में नहीं है कि विधान सभा या लोक सभा में जाने से पहले टैक्स प्रपोजल्स आउट हो जाएं और बाजार में आ जाएं। यह बात सरकार ने मानी है कि हमारे जो प्रस्ताव थे वे जनता के बीच में विधान सभा से पहले चले गये। इससे बड़ा दुर्भाग्य, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो नहीं सकता है क्योंकि जब से यह सरकार बनी है तब से एक ही राग अलापना शुरू किया कि बहुत बड़ा कर्जा हमारे ऊपर छोड़ दिया। खजाना हमारा खाली है। उपाध्यक्ष महोदय, दिमाग खाली है इसीलिए खजाना खाली है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता के लिए कहें कि काम खोलो तो पैसा, पर इस बजट लीक प्रकरण में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, लोगों ने अनड्यू एडवांटेज उठाया है। अब इन टैक्स प्रपोजल्स के बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो था वह पहले ही आउट हो चुका है पर इसमें एक-दो बातें, मंत्री महोदय, आपकी जानकारी में मैं लाना चाहता हूं। आपने अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के ऊपर जो 10 परसेंट टैक्स था उसको 11 परसेंट किया। आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि जब भाभड़ाजी वित्त मंत्री थे तो 7 परसेंट इसको किया था और 7 परसेंट करने के कारण रेवेन्यू काफी बढ़ी थी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना आप टैक्स एज पर रेट बढ़ाओगे उसी के हिसाब से मैनीपुलेशन होता है। इसके ऊपर आप पुनर्विचार करिए। आपने अरंडी, ईसबगोल, आक्साइड आदि पर भी टैक्स लगा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज चाय हर घर में पी जाती है। वित्त मंत्रीजी, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि आजकल चाय कोई लग्जरी आइटम नहीं है। हर घर में चाय पी जाती है और आपने चाय के ऊपर भी टैक्स बढ़ा दिया। भले आदमी....

श्री प्रद्युम्न सिंह : फ्लैट रेट है। आल इण्डिया के अन्दर 8 परसेंट है। यह आपको बता रहा हूं कि सारे देश के अन्दर है।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक-कल्याणकारी सरकार का उद्देश्य होता है कि लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, यातायात और अन्य सोशल सर्विसेज सरकार उपलब्ध करवाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होना चाहिए कि पहले जब विधान सभा पुराने भवन में चल रही थी उस टाइम में एक स्कूल को बंद करने का प्रकरण मैंने उठाया था। मैंने कहा कि हमने आठवीं की और आपने उसको वापस पांचवीं स्कूल में कर दिया।

(श्री सांवर लाल)

इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता है। तो सरकार के मंत्री ने कहा, क्या कहा था आप लोगों की जानकारी में होगा। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : आप तो पैसे लेकर स्वीकृत करते थे।

श्री सांवर लाल : आप पैसे देकर कर रहे हो वहां पर?

श्री रमेश खींची : हमने खोले हैं स्कूल।

श्री सांवर लाल : उन्होंने यह कहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह अनइकोनोमिक स्कूल है। आज सैकड़ों पद स्कूलों के अन्दर खाली हैं, समानीकरण के नाम पर सारे पदों की कटौती कर दी। आज चिकित्सा के अन्दर आप गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में चले जाइये, बंगाली डाक्टर थैला लटका कर घूम रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था है? दवाइयां नहीं हैं, अगर दवाइयां हैं तो स्टाफ नहीं है। इस प्रकार की यह जो व्यवस्था है... (व्यवधान) अभी एक बात आई थी प्रश्नकाल के अन्दर वृद्धावस्था पेंशन की। लोगों को दस-दस वर्ष से पेंशन मिल रही थी, उस पेंशन को रोक दिया। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह सरकार कतई लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है। यह सरकार पता नहीं किस तरीके से चल रही है।

सबसे पहले आते ही इसने जो सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी, भैरोंसिंहजी को चिन्ता थी राजस्थान के विकास करने की, उन्होंने आते ही उस योजना को 11500 करोड़ रुपये की बनाई और 12 हजार करोड़ का खर्च हुआ। गांव-गांव और ढाणी-ढाणी विकास के काम हुए। नवीं पंचवर्षीय योजना इन्होंने 27600 करोड़ की बनाई पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस सरकार ने आते ही गांव वाली जनता के ऊपर अत्याचार, अनाचार करने के लिए, विकास रोकने के लिए एक ही प्रचार किया कि खजाना खाली है, पैसा नहीं है। गांवों में जो काम होता उस योजना को 20 हजार के भी अन्दर यह ले गये जिससे आज राजस्थान का विकास ठप हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय हर बार एक ही बात कहते हैं कि अकाल को विकास में बदलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता करने की बात है, मुख्य मंत्रीजी हमारे स्टेट के मुखिया हैं, वे कहते हैं कि अकाल को विकास में बदलूंगा। मैंने कहा कि आपने दो साल में सामग्री के लिए पैसे दिये नहीं हैं। देओगे तो चवन्नी पैसा देते हो। कच्चे काम आप करवा रहे हो। आप कहां से विकास में बदलोगे। आप एक चीज हमको बता दीजिए कि अकाल के पैसों को आपने राजीव गांधी स्कूलों में डाइवर्ट कर दिया। 156 करोड़ रुपये 31 मार्च, 2001 को टैंथ फाइनेंस आयोग के हिसाब से जो था उसको इन्होंने बचाया। बचाकर खर्च नहीं किया लोगों के लिए और उसको प्लान में ट्रांसफर किया जिसकी वजह से प्राकृतिक आपदा कोष में हमारा शेयर लगभग 14 परसेंट था वह 10 परसेंट रह गया। इससे

(श्री सांवर लाल)

ज्यादा अन्याय राजस्थान की जनता के साथ वित्त मंत्रीजी नहीं कर सकते हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : बिजली की बढ़ी हुई दरों के बारे में बताइये।

श्री सांवर लाल : अब आपका नम्बर जवाब देने में आएगा ही नहीं, दो साल निकल गये अबकी बार तो आप की पलटी लग जाएगी, आप चिन्ता मत करो। राज करने वाले मजा ले रहे हैं और आप पीछे बैठे हुए करते रहे इधर-उधर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना में इन्होंने कटौती की है। एक ओर सरकार कहती है कि हम किसानों को बिजली देना चाहते हैं, खेती में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ से नाचना तक जितने भी अधिकारी थे, वे पद सारे आपने खतम कर दिये। कृषि ट्रेनिंग सेन्टर आपने खतम कर दिया। हनुमानगढ़, बरोर, लूणकरणसर में सैटलमैंट मोटिवेशन आफिसर के पद आपने खतम कर दिये। बज्जू प्रथम व द्वितीय व नाचना के जिला कृषि विस्तार अधिकारी के पद आपने खतम कर दिये। और इसके साथ ही 246 छोटे-बड़े पद इस क्षेत्र में पड़ते थे, वे सारे खत्म कर दिये। अब आप बताइये किसानों को कौन राय देगा कि कैसी फसल बोनी है, बीमारी होने पर कौनसी दवा छिड़कनी है? कब पानी देना है, नहीं देना है, यह राय कौन देगा? इस प्रकार से हर जगह इन्होंने कटौती की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं राजस्थान में जब भी कांग्रेस की सरकार आयी है उसके बाद में लगातार अकाल ही अकाल पड़े हैं। 1980 से 1990 का टाइम आप देख लीजिए, चौधरी देवीलाल जी को और सबको एक नारा देना पड़ा था कि कर्जा माफ करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की दयनीय हालत देखी नहीं जाती थी, लगातार अकाल पर अकाल पड़ते थे। आदमियों को बचाने के लिये, जानवरों को बचाने के लिये लोगों ने गहने-गांठे बेच दिये तब यह नारा इस हिन्दुस्तान में चला। हमने हमारी सरकार बनते ही कर्जा माफ किया, असल माफ किया। किसानों पर सबसे लम्बा राज करने वाली पार्टी है, मैं चुनौती देता हूं किसानों के नाम पर एक रुपया इन्होंने आज तक माफ नहीं किया। इससे ज्यादा + + + क्या होगी? उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का राज वापस आते ही राजस्थान के किसानों को, गांव वालों को सूतक लग गया। जब से इनकी सरकार बनी है उसके बाद लगातार अकाल पड़ रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : "सहकार आपके द्वार" से राजस्थान में कर्जा माफ नहीं हुआ कभी? लोगों को राहत मिली कि नहीं मिली उससे? राहत मिली है बड़ी तादाद में। आपके सामने आंकड़े हैं "सहकार आपके द्वार" के।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : असली बात पूछ लेंगे अभी। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : असली बात पूछ लेंगे अभी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोलते हो ऐसे ही। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अब इनको पता ही नहीं यह क्या कह रहे हैं। यह ऐसे क्षेत्र में आते हैं जहां को जनता बड़ी भोली है, पर अब आपकी बातें सुन रही है। "सहकार आपके द्वार" में कितना कर्जा माफ कर दिया, जरा बताना मुझे। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : राजस्थान में आपकी सरकार ने किसानों को गुमराह किया है, आज तक उनके कर्जे बाकी पड़े हैं।

श्री सांवर लाल : अगर कोई ब्याज पर ब्याज लगाकर.... (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : खालों की किस्तों के नाम पर जो किसानों को गुमराह किया गया, उनके 10-10 हजार, 50-50 हजार बाकी पड़े हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोको थोड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, ब्याज पर ब्याज लगावें और "सहकार महान—आपके द्वार" शिविर लगा कर बाद में यह कह दें कि आपके इतना ब्याज हो गया, इतना पैसा दे दो तो आपका यह ब्याज माफ हो जाएगा। पैनल ब्याज, इसको आप माफी कहते हैं? मुझे + + + आती है। आप किसानों के वोट लेकर, जीत कर आते हो और उसके बाद में ऐसी + + + बातें, यहां पर गुमराह करने वाली बातें करते हो।

उपाध्यक्ष महोदय, भैरोंसिंहजी के राज में 50 प्रतिशत सामग्री के लिए हम पैसा देते थे अकाल राहत के अंदर। आज तक वे चीजें बजती हैं बजाने पर। लोग जाते हैं, निकलते हैं सड़कों पर तो नजर आती है। ताम्बीजी, जहाजपुर में बहुत काम हुए, हमको भी केवल इतना ही पैसा मिलता था जितना प्राकृतिक आपदा कोष में राजस्थान का हिस्सा था। हमने उस पैसे का उपयोग किया। आज इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। केन्द्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से 102 करोड़ रुपये गत वर्ष मिले, प्रधानमंत्रीजी ने 20 करोड़ रुपये दिये। चारे और पानी के टैंकर के लिये इनको कहा कि जितना चाहो जनता की सेवा करो, सब आपको फ्री दे देंगे। गांव-गांव में टैंकर लगाओ तो उनका डीजल इनको फ्री दे दिया। उसके बावजूद भी रोज रोना। उपाध्यक्ष महोदय, + + + आती है। जनता की मदद करने के स्थान पर हमेशा रास्ता निकालते हैं। (व्यवधान) दिल्ली वाले नहीं दे रहे हैं, दिल्ली वालों की जान लेओगे क्या? क्या लेना चाहते हो आप? इनकी मंशा नहीं है। आज की तारीख में प्राकृतिक आपदा कोष के अलावा 85 करोड़ और दे दिये, 50 करोड़ प्रधानमंत्रीजी ने दे दिये। कहेंगे, प्रधानमंत्रीजी ने बहुत तारीफ कर दी। भले आदमी, वह तो बहुत भले आदमी हैं, आपके जैसे + + + नहीं हैं कि खाओ

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

और गुर्राओ। पैसा लेओ और कहो कि पैसा नहीं दे रहे हैं। आखिर चाहते क्या हो आप? आज किसान मर रहा है, गेहूं, सरसों, जौ कोई खरीदने वाला नहीं है बाजार में। भारत सरकार ने सपोर्ट प्राइस तय कर दी। मुझे बहुत दुःख है, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं चिट्ठी लिख रहा हूं, 10 करोड़ रुपये दो सपोर्ट प्राइस पर। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सांवर लालजी, हम तो दिल्ली का राज चाहते हैं।

श्री सांवर लाल : धान खरीदने के लिए 10 करोड़ भारत सरकार नहीं देगी क्या? इनको विश्वास नहीं है। करोड़ों रुपये भारत सरकार आप से मांगती है, आप जनता के प्रति अपनी जवाबदेही क्यों नहीं निभाते हो? खरीद चालू क्यों नहीं करते हो? उपाध्यक्ष महोदय, इनको सोचना चाहिये। अब आप बताइये.... (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आप जम नहीं रहे हो आज।

श्री सांवर लाल : अब मैं जमूं कि नहीं जमूं, आपका तो बेड़ा ही गर्क कर जाऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी सराधनाजी जो जमुवारामगढ़ से आते हैं, किसान हैं, बोल रहे थे कि इनको एक चीज भी अच्छी नजर नहीं आयी। इनको जो भी किसान विरोधी बातें हैं सब पसन्द आ रही हैं। बिजली के दाम बढ़ा दिये, बहुत अच्छा कर दिया। 42 प्रतिशत छीजत हो रही है। सिस्टम को सुधारो। आज किसान आता है, घूमकर देखता है, कहता है, सांवर लालजी, यह क्या हो रहा है चौड़ी-चौड़ी सड़कें बन रही हैं, मकान तोड़ रहे हैं और गांवों के अंदर कोई औरत का जापा होवे और ले जावे तो टाबर-टूबर हो जावे, कोई व्यवस्था करो। आज यहां पर करोड़ों रुपये कर्जा ले-लेकर खर्च कर रहे हैं। अभी माननीय मंत्रीजी कह रहे थे जे.डी.ए. के पास संसाधन है, अगर जे.डी.ए. के पास संसाधन है तो कर्जा देने वाले आपको क्यों पूछ रहे हैं? आपकी गारण्टी क्यों ले रहे हैं? इनको मालूम है यह तो कभी डूब सकता है, सरकार नहीं डूबेगी। जनता के ऊपर यह बर्डन होगा। मेरा यह चार्ज है कि यहां पर शहरों के अंदर जो भी कर्जा ले-लेकर लगा रहे हैं, यह राजस्थान की जनता के ऊपर बहुत बड़ा भार डाल रहे हैं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ग्रामीण जनता का शोषण कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी नीति भैरोंसिंहजी ने बनायी। (व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : माननीय सदस्य इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी पार्टी के अध्यक्ष अभी हैं नहीं भंवरलालजी शर्मा। जयपुर का विरोध कर रहे हैं, यह इसलिए बोल रहे हैं कि भंवरलालजी शर्मा अभी हैं नहीं, इनकी पार्टी के अध्यक्ष। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हूं, बैठा हूं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : खूबसूरत जयपुर आपको बुरा लग रहा है।

श्री सांवर लाल : मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जो यहां पर काम हुआ...(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सांवर लालजी, ख़ूबसूरती से आपको परहेज क्यों है? आपको गुलाबी नगर भी ख़ूबसूरत नहीं दिखता। परहेज क्यों है? खूबसूरती तो खूबसूरती है। गुलाबी नगर की ख़ूबसूरती से आपको इतना परहेज क्यों है?

श्री सांवर लाल : आप खूबसूरत होते तो पसन्द कर लेता मैं। आपकी ही तो कमी देख रहा हूं मैं।

एक माननीय सदस्य : जयपुर में ठीक नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब यह है कि जो चीजें शहरों में हो रही हैं उनको गावों में भी ले जाओ। गांवों में तो मिट्टी डलवा रहे हो, एक-एक बूंद को बचा लेंगे। मैंने पहले भी निवेदन किया कि मुख्य मंत्रीजी को राय देओ कि कोई हवन-पूजन कर लो कि अब तो अकाल नहीं पड़े। यह बूंद आएगी कहां से? बूंद तो पड़नी ही बंद हो गयी आपके राज में। भैरोंसिंह जी ने ठेके छोटे किये, माफियाओं को उन्होंने कम करने की कोशिश की, आबकारी की आमदनी बढ़ाई। इनके आने के बाद में सब मोटे-मोटे ठेकेदारों को दे दिया। जिला देंगे, जिले से छोटा कैसे दे देंगे। छोटे में तो बातचीत ही नहीं हो सकती। मोटा आदमी है, बातचीत हो सकती है। आज इनका टार्गेट था यह। होना चाहिए आज की तारीख में 1000 करोड़ से ज्यादा, जो भैरोंसिंह जी की नीति थी उसके अनुसार। 836 करोड़ तय किये उसके बावजूद भी इन्होंने ठेके छोड़े 791 करोड़ में। इस साल के जो टार्गेट थे उसमें भी इन्होंने घटा-बढ़ाकर 45 करोड़ का घाटा खा लिया। यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा नहीं है? (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : बहुत ज्यादा हो गया। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सप्लाई करवा दें आपके, आबकारी मंत्री हैं न अब। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज पहले भी आयी थी....(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, ईसबगोल पर क्यों टैक्स लगा दिया? इस पर से तो हटाओ। ईसबगोल पर टैक्स क्यों लगा दिया, इससे कोई विशेष आमदनी नहीं है। यह एक दवा है, गरीबों की दवा है। यदि आपको शौच नहीं लगे तो गरम दूध के साथ इसका सेवन करो और आपको यदि ज्यादा शौच लगे तो ठण्डे पानी से उसका इस्तेमाल करो और यदि आपके आवं हो गया हो तो मट्ठे के अंदर, दही के अंदर उसका इस्तेमाल करो। यह बहुत उपयोगी चीज है गरीबों के लिये, इस पर से टैक्स हटा दो। आप वापस ले लो। आप बोलोगे तो वापस ले लेंगे। ठीक है और तो।

श्री सांवर लाल : एक डी.पी.ई.पी., जिला प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिला प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम में शिक्षकों

(श्री सांवर लाल)

में से चयन किया जाता है। बजट वही खर्च करता है इसमें हमारी चयनित पंचायत राज संस्थान की कोई जानकारी नहीं होती। मेरा निवेदन है कि यह पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के माध्यम से होना चाहिये। अगर कोई स्केण्डल हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका जो उद्देश्य है वह खतम हो जाएगा। इसी प्रकार यह एन.जी.ओज. जो काम करवाती हैं डी.आर.डी.ए. के रिलीफ वर्क्स, संचालन समिति में उनको हम अधिकृत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन इसका कर लो, काम देओ। मेरी जानकारी में आया है कि वह भी जो काम करवाती है उसका सर्टिफिकेट खुद ही पेश करती है। उसकी भी जांच जेईएन. एईएन. पंचायती राज से नहीं होती। अब नहीं होगी और उसके ऊपर अपन भरोसा कर रहे हैं तो मेरे खयाल से यह उचित नहीं है। उसके ऊपर भी विचार करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और। खास-खास बातें तो बोल दूं।

एक तो निवेदन है कि बिजली के डिमाण्ड नोटिस लाखों की संख्या में जमा हैं, उनके कनेक्शन वर्षों से पैंडिंग पड़े हैं। एम.एल.ए., एम.पीज के कोटे से गांवों को इलैक्ट्रिफाई करने के लिए पैसे दिये हुए हैं, सैंक्शन की हुई है, वह आज तक नहीं हो रहे हैं। इसको भी आप थोड़ी प्रायोरिटी दिलवाएं।

इसी प्रकार हैण्ड पम्प का है। कहते हैं हमने तो प्लान का पैसा डाइवर्ट करके पी.एच.ई.डी. को दिया, अब भगवान मालिक है। हैण्ड पम्प ठीक करने जावें नट-बोल्ट ही कोनी, यूं का यूं छोड़र आ जावै। अब भले आदमी! केवल पैसे देने से काम नहीं चलेगा। सरकार यह कह दे कि हमने इतना पैसा दे दिया, थांका पीसा न गांव आला चाटै के, आ बताओ। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हैण्ड पम्प ठीक हों और जो ठीक नहीं करता है उसको ठीक करने की आप की ड्यूटी है। आप इसमें दो-तीन महीने तो सख्ती दिखा दो, बाद में पाछा ढीला पड़ जाओ थांके कोई होवे तो। पर दो महीने तो कम से कम ऐसी व्यवस्था आप करवाओ। (व्यवधान) अब आपके विधायकों की मांग है, हमारी नहीं, कि एक करोड़ रुपया कर दिया जाए विधायक कोटा।

अनेक माननीय सदस्य : आपकी नहीं है?

श्री सांवर लाल : पर हम चाहते हैं कि आप इनकी मांग मान लो। आपको राज करने के फ़ार्मूले निकालने हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले भी कहा था इन्होंने कि खजाना खाली है। देवपुरा साहब को अध्यक्ष बना दिया, माथुर साहब को बना दिया, कई तो माननीय सदस्यों को बना कर खर्चा कर रहे हैं। कई बाहर लोगबाग, चेलाचाटी आंका जानै गाड़ी-घोड़ा पकड़ा दिया। तो करोड़ों रुपये तो यह खर्च कर रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, एक मिनट। इधर के विधायकों की मांग तो यह है कि विधायक कोटा एक करोड़ कर दिया जाए, आप इससे सहमत हैं कि नहीं?

श्री सांवर लाल : एक बात बताओ, अगर मैं सहमत नहीं होता तो मैं आपका पक्ष नहीं करता। मैं आपकी पैरवी इसलिए कर रहा हूं कि आपकी भावना के अनुसार होना चाहिए। आप तो 153 हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने गाड़ी एक हफ्ते में पांच दिन के लिए दी है, अब आप दिन नहीं बढ़ाओ, इसमें मैं नहीं कहना चाहता हूं पर इसको एक साल में कम से कम 60 दिन कर दो और महीने में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन कर दो तो एम.एल.ए. एक-दो दिन इधर-उधर जाए तो इसमें कोई दिक्कत उसको नहीं आए। यह तो एक सिम्पल-सा आर्डर आपको इश्यू करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, एम.एल.ए. को भी बहुत काम करना पड़ता है। भारत सरकार के सांसद को इन्टरनेट से जोड़ रखा है, वह सुविधा दे रखी है। अब आप लोग बजट लीक कर देते हो, पता नहीं क्या-क्या कर देते हो तो एक-एक कम्प्यूटर तो दे दो। इससे भरी गाड़ी में कांई वजन लागै साहब, एक छाबड़ी और डाल देओ। हर विधायक को अगर कम्प्यूटर दे दोगे तो उनकी एफिशिएंसी सुधरेगी और कामकाज भी बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि आप खाली पदों को भरिये। शिक्षा की हालत आपने सबसे ज्यादा खराब कर दी। जहां पर सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी, मिडल हैं वहां पर तो सारे के सारे सब्जैक्ट टीचर्स के राजस्थान में पद खाली हैं। इसके अलावा आपने राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं, बार-बार खड़े होकर जैसे स्प्रिंग इनको लग रही है, राज करने वाले तो आराम से बैठे रहें ट्रैजरी बैंच पर और एम.एल.ए. खड़े होकर कहेंगे 40 रुपये नहीं है मानदेय। मानदेय इसको कहते हैं क्या? किसी की बेइज्जती करना है। मजदूरी पर जाता है उसको तो 60 रुपये दे रहे हो और जो पढ़ाता है, सिखाता है उसको कह रहे हो कि 40 रुपये देंगे उस दिन भी मैंने एक चुटकला सुनाया था कि भूगोल के अध्यापकजी पढ़ा रहे थे, इंस्पैक्टरजी चैक करने चले गये। नक्शा टंगा हुआ था, वह कह रहा है यह गंगा नदी इधर से निकल कर अरब सागर में गिरती है। इंस्पैक्टर कहता है, भले आदमी, तेरे को मालूम नहीं उसने कहा, मालूम तो मुझे है परन्तु इस तनख्वाह में तो अरब सागर में गिरेगी, अगर ज्यादा कुछ बढ़ा दोगे तो बंगाल की खाड़ी में ले जाऊंगा। अब हमारे लड़कों को कहां डालना चाहते हो, यह तय तो कर ले आपकी सरकार। गरीबों के लड़कों को आप अरब सागर में डुबोना चाह रहे हो और इसकी ही वाहवाही लेना चाह रहे हो। आप यह समझ रहे हो, यह गलतफहमी है कि आने वाले चुनाव में कहीं आपके कार्यकर्ता पैदा हो जाएंगे। वह भी देख रहे हैं कि म्हारा बेटा मानदेय के नाम पै माकी बेइज्जती कर

(श्री सांवर लाल)

रिया है। मजदूरी करबा जावै जीनै तो 60 रुपया दे रिया है और म्हानै 40 रुपया दे रिया है। तो यह आपके सामने आफत ही आने वाली है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो फालतू की चीजें हैं, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब के पी.डब्ल्यू.डी. में थोड़ा बहुत बजट, कह रहे हैं हमने 450 दिया है। कुछ हम बजट से करेंगे, कुछ इससे करेंगे, यह हो जाए...

श्री हरेन्द्र मिर्धा : बिलकुल होगा।

श्री सांवर लाल : थांकी बात मान ल्यवां, साहब। बलदेव रामजी के पोता की बात तो 100 परसेंट रहवैली और बलदेव रामजी जियान बचन का धणी हा जियान ही आप रीज्यो, गांवा मैं सड़कां ठीक-वीक कराज्यो।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट था इसकी सैंक्टिटी पहले ही खतम हो गयी। अब हमें तो बोलना है क्योंकि जनता हमें तनख्वाह इस बात की देती है। इसलिए बोल रहे हैं बाकी हमारी कतई इच्छा नहीं थी कि जो बजट पहले लीक हो गया उसके ऊपर अपने विचार रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलालजी।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने 29 तारीख को जो बजट पेश किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने बड़ा संतुलित बजट पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष : कल।

श्री नन्दलाल पूनिया : गरीब आदमी को, किसान को, दुकानदार को, सब को फायदा पहुंचाने वाला बजट है।

आदरणीय अशोकजी गहलोत की सरकार प्रगति कर रही है लेकिन प्रकृति साथ नहीं दे रही है। लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है, हम सब लोगों को साथ मिल कर इस अकाल का मुकाबला करना है। पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है, हाउस के 200 सदस्यों को मिलाकर यह भावना होनी चाहिए कि प्रकृति जो साथ नहीं दे रही है उसका हम सब मिलकर मुकाबला करें।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि सड़कों की हालत बहुत ही बदतर हो गयी थी। मैं उदाहरण देता हूं आपको, झुंझुनूं से सादुलपुर 60 किलोमीटर है, रोडवेज की बस तीन घंटे लेती है। एक यही सड़क नहीं, सभी सड़कों की हालत बड़ी दयनीय हो गयी थी। जगह-जगह खड्डे पड़ गये थे, कोई उनकी सुध नहीं ले रहा था। 600 करोड़ रुपये का प्रोविजन करके दो साल में 24 हजार किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण करने की जो योजना इस बजट में रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूं। (व्यवधान) बनाएंगे, साहब ऐसी बात नहीं है। पहले तो सड़क की यह हालत थी कि सड़क नाम की कोई चीज नहीं मिलती थी। जिस तरह निरमा का एक

(श्री नन्दलाल पूनिया)

एडवरटाइजमेंट आता है, जब वो धुलाई करके पूछते हैं कि मैल के धब्बे ढूंढते रह जाओगे तो पहले यह स्थिति थी कि सड़क थी ही नहीं। सड़क कागजों में बनी थी लेकिन वहां मैटल सड़क कोई नहीं थी। ढूंढते रह जाओगे, यह स्थिति थी सड़क की। (व्यवधान)

साहब, आगे बनाने की बात कर रहे हैं, बजट में 600 करोड़ का प्रोविजन रखा है। मैं आगे बनवाने के लिए बजट की बात कर रहा हूं।

यही हालत बिजली की है। आज बिजली के क्षेत्र में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जगह-जगह 33 के.वी.ए. के, 132 के, 220 के और 400 के जी.एस.एस. बनाने जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी कमी है चोरी को, छीजत को रोकने की। इस तरफ प्रयास नहीं किया गया तो यह जितना सुधार का कार्यक्रम हाथ में लिया है यह व्यर्थ जाएगा।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, बिजली की जो रेट बढ़ायी गयी है यह जायज नहीं है। यदि आज कोई रेट बढ़ाने की बात करता है तो काश्तकार को कम से कम 8 घंटे मिनिमम बिजली देने की भी गारंटी दे। तो मैं कहता हूं इससे कोई दो पैसे और भी बढ़ाए तो भी काश्तकार को दुःखेगा नहीं। लेकिन रेट भी बढ़ा रहे हो और 8 घंटे बिजली भी नहीं मिल रही है, यह तो काश्तकार के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इस तरफ राज्य सरकार का ध्यान दिलाने के लिए निवेदन कर रहा हूं कि इस क्षेत्र में यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसका खामियाजा भी आप लोगों को, सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में 271 करोड़ रुपये का जो प्रोविजन किया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मेरे क्षेत्र में एक सिद्धमुख नहर परियोजना बनी थी राजगढ़ के काश्तकारों के लिए। जिसमें राजगढ़ के 14-15 गांव थे तथा भादरा और नोहर के भी गांव आते थे, लेकिन उस योजना को बन्द कर दिया गया है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी वित्तीय संस्था से लोन लेकर यदि सिद्धमुख नहर परियोजना को बढ़ाया जाए तो उस क्षेत्र में काफी काश्तकारों को फायदा हो सकता है। जिस किसान के खेत में पानी पहुंच नहीं जाता है उसका विकास स्वतः ही हो जाता है। पानी के साथ विकास की एक कड़ी जुड़ी हुई है। मैं सिंचाई मंत्री माननीय कमलाजी से, वे हाउस में विराजमान हैं, निवेदन करना चाहता हूं कि सिद्धमुख नहर परियोजना को चालू करें। माननीय अशोकजी गहलोत और माननीय कमलाजी ने उसका उद्घाटन किया था लेकिन उद्घाटन तक सीमिति रह गयी वह योजना। आप इस योजना के लिए वित्तीय संस्था से लोन लेकर इसे चालू करें, मेरा आपसे यही निवेदन है। मेरा माननीय वित्त मंत्रीजी से भी निवेदन है कि जब आप

(श्री नन्दलाल पूनिया)

जवाब दें तो बजट में इस योजना के लिए कुछ प्रोविजन जरूर रखें।

आज कृषि के क्षेत्र में जितना कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। आज बरसात कम हो रही है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं कि राजगढ़ तहसील के चांदगोठी गांव के आसपास कम से कम 200 काश्तकारों के कुओं का पानी बिलकुल सूख गया और वे काश्तकार भुखमरी के कगार पर आ गये। राज्य सरकार कोई ठोस योजना बनाकर उन किसानों को फायदा नहीं पहुंचाएगी तो मैं समझता हूं कि उन काश्तकारों के साथ अन्याय होगा।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, हायर शिक्षा के लिए, टैक्निकल शिक्षा के लिए और मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे प्रान्तों महाराष्ट्र, बैंगलोर आदि जाते थे और वहां लाखों रुपये का डोनेशन देकर उनको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। इस सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र में परमिशन देकर हमारे नौजवान बच्चों के साथ न्याय किया है। उन लोगों को यहां शिक्षा लेने का मौका मिलेगा और ज्यादा धन भी नहीं लगेगा। मैं इस सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ मिडल और सीनियर सैकण्डरी के स्कूलों का इस साल के बजट में प्रोविजन नहीं किया है, मैं समझता हूं कि इस राजस्थान की जनता के साथ न्याय नहीं किया है। देहाती क्षेत्र में आज भी आठवीं, दसवीं और बारहवीं के लड़के दस-दस, बारह-बारह किलोमीटर पैदल चलकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि उन बच्चों को आठवीं कक्षा उनके गांवों में ही मिल जाए, दसवीं का स्कूल गांव में ही मिल जाए तो समय की बरबादी और उनके जाने-आने की जो तकलीफ होती है उससे फायदा मिल सकता है।

महोदय, मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि पर्यटन के क्षेत्र में सरकार काफी प्रयास कर रही है। मैं मेरे क्षेत्र, तहसील की बात करूं, रुद्रियावा गांव पड़ता है जहां कि गोगाजी का जन्म हुआ था। वहां पर यू.पी. के पन्द्रह-बीस लाख यात्री हर साल आते हैं लेकिन सुविधा का अभाव है। न राज्य सरकार, न ग्राम पंचायत और न पंचायत समिति इस तरफ कोई ध्यान दे रही है। मेरा निवेदन है पर्यटन विभाग से कि रुद्रियावा गांव को विकसित कर आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा दिलवाएं ताकि जो लोग दूसरे प्रान्तों से, यू.पी. से, दूर से चलकर तकलीफ उठाकर आते हैं उनको कुछ पीने का पानी मिल जाए। यहां तक कि लैट्रिन जाने की भी सुविधा नहीं है। लैट्रिन बनवा दें, रहने के लिए धर्मशाला बनवा दें और पर्यटक स्थल बनवा दें तो काफी लोगों को सुविधा मिल सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं। इस साल अकाल की स्थिति है, राज्य सरकार प्रयास कर रही है लेकिन जितना प्रयास है वह पर्याप्त नहीं है। मैं मेरे क्षेत्र की बात

(श्री नन्दलाल पूनिया)

करूं, हमारा क्षेत्र हरियाणा सीमा से लगता हुआ है। खारे पानी का बैल्ट है, पास में मीठे पानी के स्रोत हैं हरियाणा में। मुझे इस बात का दुःख है कि हमारे क्षेत्र के आदमी हरियाणा में जाकर टैंकरों से पानी लाते हैं। पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और एक टैंकर का 400 से 500 रुपये का पेमेन्ट करना पड़ता है। राज्य सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में जाते हुए हमें शर्म महसूस होती है कि राजस्थान कितना पिछड़ा हुआ प्रदेश है। एक तरफ तो राज्य सरकार दिनों-दिन विकास कर रही है और पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पेयजल की तरफ विशेष ध्यान दें। मेरे क्षेत्र में तो पानी की जितनी योजनाएं हैं पूरी नहीं चल रही हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की कुछ क्षेत्रों में काफी उपलब्धि है। आज मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष एक अनूठा उदाहरण है। गरीब, बेसहारा जिनके लाइलाज बीमारी है, जो इलाज नहीं करवा सकते उनको राज्य सरकार इलाज मुहैया कराती है। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात बताता हूं, ऐसे गरीब लोग जिन्होंने आज तक सोचा नहीं था कि उनका इलाज भी हो जाएगा। फेंफड़ों के, हृदय के और गुर्दे के काफी रोगी लोगों को सहायता मिली है। सबसे बड़ी स्कीम यह राज्य सरकार की है, मैं तो इसको श्रेय देता हूं। यह बहुत बढ़िया योजना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ कुछ टैक्स के सम्बन्ध में है। आपने कुछ घटाया बढ़ाया है, उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जैसाकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने साबुन के बारे में कहा, साबुन का तो बहुत ही जरूरी है, साबुन का हटाया जाना चाहिए। मुद्रांक का भी। डिस्पोजल सिरिंज है, एक्स-रे फिल्म है, गरीब लोगों के, मरीज लोगों के काम आती है उस पर टैक्स बढ़ाने की बजाय घटाना चाहिए। आज मरीज पर दूसरा बोझ डाल रहे हो, ठीक बात नहीं है। जहां तक सौ रुपये तक के जूतों का टैक्स मुफ्त किया है गरीब लोगों को बहुत अच्छी राहत दी है आपने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए घंटी बजायी है।

श्री नन्दलाल पूनिया : सभी लोगों की यह मांग थी लेकिन बी.जे.पी. के कुछ सदस्य कह रहे थे कि कोटा नहीं बढ़ाना चाहिए। आज चालीस लाख से क्या होता है? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप चालीस लाख वापस ले लीजिए, कोई जरूरत नहीं है चालीस लाख देने की। एक एम.एल.ए. के क्षेत्र में दो सौ गांव हों या एक पूरा शहर है चालीस लाख लग रहे हैं। एक-एक

(श्री नन्दलाल पूनिया)

कमरा भी दें तो बीस गांवों से ज्यादा को नहीं दे सकते। आपने तो हमारे कुर्ते फाड़ने वाली बात कर दी। या तो दो करोड़ रुपये देने चाहिए कम से कम, नहीं तो इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। कम से कम इतना बढ़ा दीजिए ताकि एम.एल.ए. क्षेत्र में जाकर यह तो दिखा सके कि मैंने कुछ काम किए हैं।

दूसरा, मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एल.डी.सी. की सुविधा दी थी। एम.एल.ए. के पास कोई एल.डी.सी. नहीं रहना चाहता क्योंकि एम.एल.ए. के पास कोई फायदा नहीं है, दफ्तर में बैठेगा तो उसको दो पैसा ऊपर की कमाई होगी। आप एक फिक्स राशि दे दीजिए ताकि वह अपने हिसाब से कार्यकर्ता रख सके।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय विधि मंत्रीजी, यह आप सुन लें। कुछ आपके लिए कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप घोषणा कर दीजिए नहीं तो यह श्रेय विधि मंत्रीजी लेने जा रहे हैं। इसके साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट की एक सैंक्टिटी होती है। बजट के साथ-साथ विधान सभा की भी सैंक्टिटी होती है। कांग्रेस की सरकार के टाइम में सरकार की अकाउंटेबिलिटी विधान सभा के प्रति लगातार गिरती जा रही है। राजस्थान की विधान सभा कल्याणकारी कामों में अपने आपको असहाय महसूस कर रही है, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि इस साल का बजट और पिछले दो बजटों को मिलाकर टैक्सेज के माध्यम से या टैरिफ के जरिए कम से कम 2200-2300 करोड़ रुपये का जनता पर भार डाला गया है। उसमें से 1300-1400 करोड़ रुपये का जो भार डाला गया है उसके लिए राजस्थान की विधान सभा में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, बजट सत्र सामने था उससे शायद एक-दो दिन पहले इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेशन कमीशन ने कानून के पेटे 600-700 करोड़ रुपये का टैरिफ के जरिये जनता पर बोझ डाल दिया और बजट में आप सिर्फ 82 करोड़ रुपये का प्रोविजन रख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की विधान सभा में बजट का एक डाक्यूमेंट पेश किया है। मैं इसको बजट नहीं मानता क्योंकि जो बजट का हिस्सा था वह तो हो गया लीक और जो लीक नहीं हुआ वह बजट नहीं है, वह राजस्थान की गिरती हुई अर्थ व्यवस्था का एक दस्तावेज मात्र है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी गम्भीरता से सदस्य अपनी बात रख रहे हैं, थोड़ा आर्डर तो कराओ हाउस। हाउस तो इन आर्डर हो। इस सदन की कुछ तो गरिमा रहेगी। कोई पार्क थोड़े ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप देखो कितनी जोर जोर से बातें कर रहे हैं पार्लियामैंट्री अफेयर्स मंत्री। अब इनसे हम नये सदस्य क्या सीखेंगे। कुछ तो गरिमा रहेगी कि नहीं। बोलने का मन ही नहीं होता है।

श्री मदन दिलावर : अभी तक + + +

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके किसी भी गुण को सीखने की कोशिश मत करो।

श्री रामप्रताप : खेतसिंह जी हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं, मैं इनका मान सम्मान बहुत ज्यादा करता हूं, इनको सारी छूट है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन क्यों घबराता है निर्देश देने से?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं, मुख्य सचेतक जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय तो बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ जाएगा, आप विराजो। अभी तो टाइम है, आप कोई चिन्ता मत करो, सब बढ़ा देंगे। (व्यवधान) बढ़ा देंगे। माननीय माहिर आजाद जी, आप अपनी जगह पर पधारो।

मोहम्मद माहिर आजाद : बुलाया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, बुलाया गलत बुलाया है। आप पधारो अपनी जगह पर, सब मैम्बर्स आब्जेक्ट कर रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विधि मंत्रीजी से कहिये कि वह भी अपनी...

श्री उपाध्यक्ष : एक इशारे में समझ जाएंगे वह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको डर लग रहा है क्या उनसे?

श्री उपाध्यक्ष : वह समझ जाएंगे इशारे में। इधर पधारो आप, इधर पधारो। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी राज्य के लिए एकमात्र चीज यह होती है कि जनता का जीवन स्तर किस तरीके से सुधारा जाए, राज्य का विकास किस तरीके से किया जाए, फिस्कल मैनेजमैंट को पाजिटिव साइड में किस तरीके से रखा जाए, जी.डी.पी. किस तरीके से बढ़े...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एक घंटा बढ़ाओ कम से कम। मुख्य सचेतक जी, बजट पर चर्चा है। उपाध्यक्ष महोदय, 12-12 बजे तक चर्चा चली है।

श्री उपाध्यक्ष : कल कर लेना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, कल की बात दूसरी है। कल जवाब है। आपको भी सुविधा रहेगी। मैं निवेदन करूंगा, वित्त मंत्रीजी, आपकी तरफ

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

से प्रार्थना की जानी चाहिए आसन को कि कम से कम दो घंटे बढ़ाएं तो अच्छी बात है, वरना एक घंटा तो निश्चित तौर पर बढ़ाएं। कल आप भी अपनी रिप्लाई समय पर देना चाहेंगे, हम भी समय पर आपकी रिप्लाई सुनना चाहेंगे।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धरित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय आधा घंटे बढ़ाया जाता है।

आधा घंटे से कोई मतलब ही नहीं है।

श्री सांवर लाल : इसमें क्या कंजूसी। उपाध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर तो बारह बारह, दो-दो बजे तक चर्चा हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, अभी तो आधा घंटे बढ़ाया है, फिर सोचेंगे।

श्री सांवर लाल : बजट पर चर्चा करेंगे, सारे माननीय सदस्य चर्चा में हिस्सा लेवें।

श्री उपाध्यक्ष : बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप चाहो तो एक साथ घोषणा कर दो, सदन का समय रात्रि के 12 बजे तक बढ़ा दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे। अब हो गया। आधा घंटे बढ़ गया, फिर आधा घंटे बाद और विचार कर लेंगे। बोलने दो उनको।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्याणकारी राज्य के लिए जो एकमात्र चीज होती है वह यह है कि जनता के जीवन स्तर को किस तरीके से सुधारा जाए फिस्कल पैरामीटर्स पर इसको पोजिटिव साइड में किस तरीके से रखा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में बहस, यह बजट, यह कर्जा लेना-देना ये तमाम् बातें किसलिये हैं? सिर्फ इसलिए हैं कि राजस्थान का विकास हो सके। पर कैपिटा इनकम बढ़े, हमारी जी.डी.पी. बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार इन पैरामीटर्स पर सही चलती है उसको मानकर चलते हैं कि वह सही दिशा में चल रही है। हो सकता है उसकी गति धीमी हो। हम आलोचना के रूप में कह सकते हैं कि इसकी गति धीमी है। कहीं पर ह्यूमन एरर भी हो सकती है लेकिन अगर इन पैरामीटर्स पर वह सही चल रही है तो उसको हम सही मानेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको उदाहरण के तौर पर, पर कैपिटा इनकम जो इन्होंने पेश की है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इनकी आर्थिक समीक्षा का शुरू-शुरू का ही पेज है शायद। माननीय

(श्री रामप्रताप)

उपाध्यक्ष महोदय, इन रियल टर्म्स, स्थिर कीमतों पर बात कर रहा हूं, 1997-98, this was the genuine year of my government. उस वक्त में भैरोंसिंह जी शेखावत ने आम आदमी की औकात को यहां पर लाकर खड़ा किया था। 1998-99 में नवम्बर में जब कांग्रेस का राज आया उसके बाद लगातार पर कैपिटा इनकम गिरती जा रही है। It is a consistent decline, it is a constant decline and it is a perennial decline. और अगर इनका यही हाल रहा तो ढाई साल में राजस्थान के आदमी को ढूंढने के लिए आपको श्मशान घाट में जाना पड़ेगा। जिस वक्त आपने राज लिया था आपने कहा था कि भैरोंसिंह जी ने कर्जे में डुबो दिया, भैरोंसिंह बहुत गया-बीता है। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि लगातार इन्होंने + + + यहां तक पहुंचा दिया और अब श्मशान घाट पहुंचाएंगे। उस खाक के अन्दर से, उस राख के अन्दर से ढाई साल के बाद में यही कहें, भैरोंसिंह उस खाक को संजो करके वापस इसकी इस औकात में लेकर आएगा। यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय,—

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : डाक्टर साहब, यह किसी ने नहीं कहा कि भैरोंसिंह जी, + + + हैं।

श्री रामप्रताप : उससे ज्यादा कह दिया। जितना कहा है वह बहुत ज्यादा कह दिया।

दूसरा मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं जी.डी.पी. के बारे में बात करना चाहता था। पेज-4 आर्थिक समीक्षा में तो यही दिया हुआ है Gross Domestic Production. उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे दस्तावेज मेरे नहीं हैं, माननीय वित्त मंत्रीजी द्वारा दिये हुए हैं। चार नम्बर पेज है आर्थिक समीक्षा 2000-2001 का, 1998-1999 के नवम्बर तक हमारा राज था। उपाध्यक्ष महोदय, 1993-94 से जी.डी.पी. का ग्राफ दिया हुआ है, यह लगातार 1998-99 तक बढ़ता गया और जिस दिन से कांग्रेस का राज आया है उसके बाद में यह गिरना शुरू हुआ और लगातार गिरता जा रहा है। This is the real worth of Rajasthan. आपका जी.डी.पी. लगातार गिरता जा रहा है। आपने हमें कहा था कि कर्जा ले लिया, हमने राजस्थान को डुबो दिया। आपने रिकार्ड टैक्सिंग की, आपने रिकार्ड कर्जा लिया, जो पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर आप खरे नहीं उतर रहे हो। आपका फिस्कल पैरामीटर नैगेटिव साइड है, आपका जी.डी.पी. गिर रहा है, आपका पर कैपिटा इनकम गिर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता पर जो आपने इतना बोझ डाला है वह आपका पैसा गया कहां पर? कहां चला गया? Where has

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामप्रताप)

gone the red blood of the people of Rajasthan? उसकी खून और पसीने की कमाई कहां चली गयी? उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की धरती शूरवीरों की धरती है। आप उसको मारकर भी यदि उससे पैसा लेते और उससे अगर राजस्थान का विकास कर देते तो वह अपने आप धन्य समझता, लेकिन आपने उसकी खून-पसीने की कमाई को कहां पर ले जाकर डाला है, यह मैं पूछना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी शायद यही कहेंगे कि लगातार तीन साल से अकाल पड़ रहा है और अकाल की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। मैं मानता हूं इस बात को लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, अगर अकाल ही एक मात्र कारण है तो हमारी राज्य की इकोनोमी एग्रेरियन है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनोमी है,

(17.00 बजे)

अकाल की जो स्थिति है तो हमें हमारे एग्रीकल्चर को थ्रस्ट देना चाहिये था। लेकिन एग्रीकल्चर को भी इन्होंने निहाल नहीं किया। बजट स्टडी का पेज नम्बर 28, 1998-99 में 15272.73 लाख रुपये लगा है, उसके बाद में अगर आपको अकाल दिख रहा था तो एक ही रास्ता था आपके लिये कि हम एग्रीकल्चर इकोनोमी को स्ट्रेंथन करके उसमें थ्रस्ट दें। लेकिन आपने अगले साल 15272.73 की जगह 12531 कर दिया। कम से कम जितना हम लगा रहे थे उतना तो लगा देते। वह भी आपने नहीं लगाया।

आपने हमें गया-बीता कहा कि हमने राजस्थान को डुबो दिया, हमने राजस्थान को दिवालिया कर दिया। मैं ये तमाम् बातें स्वीकार करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि आपकी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है, आपने कर्जा लिया वह भी ठीक है, आपने टैक्स लगाये वह भी ठीक हैं, सूरतगढ़ का थर्मल भी आपका है, कोटा का थर्मल भी आपका है और हाउसिंग बोर्ड में भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बिजली मंत्री जहां भी जाते हैं बहुत स्वागत होता है। आप 8 घंटे बिजली दे रहे हो। मैं तमाम् बातें आपकी मानता हूं। लेकिन मुझे आप यह बता दीजिये कि राजस्थान के आम आदमी के खून-पसीने की कमाई आपने कहां भेजी है? इसका मुझे जवाब चाहिये। मैं यह कह सकता हूं, कोई भी आदमी कह सकता है कि यह मनी किसी की पाकेट में गयी होगी। लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं। फिर यह कहां चली गयी?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात के लिये इनके नान डवलपमैंट एक्सपेंडीचर को मैं देखना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं बजट स्टडी के पेज नम्बर 15 पर कि राजस्थान के आम आदमी की खून-पसीने की कमाई कहां चली गयी। उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्राफ दिया हुआ है नान डवलपमैंट एक्सपेंडीचर का, बहुत ही गम्भीर मामला है, 1997-98 में 2500 करोड़ और 2000-2001 में इन्होंने बजट एस्टिमेट में बताया है 3500 करोड़ से लेकर 7500 करोड़ को टच कर रहे हैं। कहां 3500

(श्री रामप्रताप)

करोड़ रुपये था और कहां आपने 7500 करोड़ पहुंचा दिया। यह आपका नान डवलपमैंट एक्सपेंडीचर है, आपने इस तरीके से राजस्थान के आम आदमी के पैसे को बरबाद किया है। यहां पर भैरोंसिंह था जो इस नान डवलपमैंट एक्सपेंडीचर को करटेल करता था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान को डुबोया, हमने राजस्थान को कर्जे में डाला। उसका कारण था, क्योंकि हमने कर्जा लेकर प्लान के साइज को बढ़ाया। हमने कर्जा लेकर बजट को पेयजल को समर्पित किया। हमने कर्जा लेकर बजट को शिक्षा पर समर्पित किया। हमने बजट को सामुदायिक सेवाओं के लिये समर्पित किया। शिक्षा को समर्पित हमने जब किया तो उसका नतीजा हमारे सामने आया। भैरोंसिंहजी को लोग कहते हैं कि राजस्थान का एक ही सिंह, मैं शायद यह नहीं मानता और कुछ लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन इनको राजस्थान का सिंह तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 1991 के बाद में 2001 में जो सेंसस हुई आपकी, इस चीज के लिये जिस आदमी ने सतत् प्रयास किया, उसका नतीजा आया है। झोंपड़े बैठा हुआ नौजवान आदमी जो अंगूठा छाप था, जो अंधेरे में बैठा था उसको अंधेरे से निकाल कर शिक्षित किया है। उसके लिये उसको राजस्थान का सिंह तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन उसको भगवान जरूर कहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई पार्टी पोलिटिक्स की बात नहीं है, हमारे लिये सबसे बड़ी कंसोलेशन की चीज है कि हमारा परसेंटेज तो बढ़ा ही है लेकिन इण्डिया की 1991 की लिटरेसी रेट थी, मेल की मैं विशेष तौर से बताना चाहता हूं, वह 64.1 परसेंट थी जो 2001 में 75.85 हुई है। आल इण्डिया का फिगर है 75.85 और राजस्थान का फिगर है 76.46, आज की तारीख में राजस्थान मेल लिटरेसी में आल इण्डिया की एवज में आगे निकल चुका है। अगर इसका किसी एकमात्र आदमी को श्रेय जाता है तो भैरोंसिंह शेखावत को जाता है। कटिंग अक्रोस दी पार्टी लाइन, अगर हमारे में थोड़ी-सी भी सदाशयता हो तो मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज इस सर्वोच्च सदन को एकमत होकर उस आदमी को धन्यवाद देना चाहिये ईमानदारी की बात है। अगर इसमें किसी ने काम किया है तो उस आदमी ने किया है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है राजस्थान के लिए। उसने ह्यूमन रिसोर्स डवलप करके किया है, यह कोई छोटी चीज नहीं है। चाहे हमने जो कुछ भी किया हो लेकिन हमने कर्जा लिया तो राजस्थान के डवलपमैंट के लिए लिया। इकोनामी में बोएन्सी के लिए लिया था। आपकी तरह से उसको ऐशो-आराम में नहीं लुटाया। नान डवलपमैंट एक्सपेंडीचर में नहीं लुटाया।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने राजस्थानी सम्मेलन की बात की थी, मैं थोड़ी-सी चर्चा करना चाहता हूं। उसका क्या फायदा-नुकसान हुआ यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां होंगे वह

(श्री रामप्रताप)

बताएंगे, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बहुत बड़ा है और राजस्थान का जहां सवाल आता है वहां मैं समझता हूं कि पार्टी बहुत छोटी चीज है। हमें उसमें सबको मिलकर प्रयास करना चाहिये और हमारे प्रयास सबको अच्छी तरह से दिखाई देने चाहिये जिसमें कि हमारे घर में इक्ट्ठे दिखाई दें तो बाहर वाले भी हमारी बात को मानेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी सम्मेलन किया, आप बुरा मत मानना लेकिन भैरोंसिंह शेखावत को मुख्य मंत्री के बराबर डायस पर बैठाना चाहिये था। ईमानदारी से बताना आप इस बात को। Bhairon Singh Shekhawat is not Bhairon Singh Shekhawat. He has been the Chief Minister of Rajasthan for more then 10 years. Out of 50 years of democracy he has been the Chief Minister of this State for more than 10 years. He is not Bhairon Singh Shekhawat, he is the Leader of the Opposition. He represents the people of Rajasthan. He represents the voice of Rajasthan and as a person he is really concerned about the development of Rajasthan. उपाध्यक्ष महोदय, आप मानो या नहीं मानो, उस आदमी में आप चाहे कितनी ही कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन 40-50 साल के पोलिटिकल कैरियर में उस स्टेटमैन के लिए जहां तक राजस्थान के डवलपमैंट का सवाल हो, राजस्थान के इन्टरेस्ट का सवाल हो, चाहे वह पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे इंटर स्टेट डिस्प्युट का मामला हो, राजस्थान का डवलपमैंट is on the top priority. स्टेट के इन्टरेस्ट पर वह कभी कम्प्रोमाइज नहीं करते। A Rajasthani has come to meet the Rajasthan not the Rajasthan Government. And if any body to wants meet the Government, a democratically elected government just does not get completed unless there is no opposition. क्या आप सोचते हैं कि डवलपमैंट करने की जिम्मेदारी अकेले आपकी है, हम यहां खाक छानने के लिये बैठे हैं? क्या हम विकास के विरोधी हैं? क्या भैरोंसिंह शेखावत यहां पर विकास को रोकने के लिए बैठा है? Do you want to suggest this thing कि आप ही डवलपमैंट के चैम्पियन हो? अगर आप ही डवलपमैंट के चैम्पियन हो तो आपके प्लान के साइज का क्या हुआ? उपाध्यक्ष महोदय, जिसने मैटिकुलसली लाइन दी, जिसने राजस्थान को डवलपिंग स्टेट्स के बराबर लाकर खड़ा किया वह आदमी तो यहां बैठा है। कहां थे ये उस दिन डायस पर? सिर्फ इसलिए कि इनवैस्ट हो जाए तो वाहवाही आपकी होनी चाहिये। वाहवाही आप ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान के आम आदमी के विकास के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा

(श्री रामप्रताप)

बनाना यह पहली बार हुआ है, शर्मनाक है। और यह आनेस्टली है कि अगर मुख्य मंत्री होते और परसराम जी मदेरणा लीडर आफ दी अपोजिशन होते तो परसराम जी मदेरणा वहां बराबर जरूर बैठते।

श्री नन्दलाल मीणा : संकीर्ण विचार है।

श्री रामप्रताप : चाहे यह कितने ही नाराज होते परसराम जी मदेरणा से, लेकिन इस मामले में डैमोक्रेट हैं। यह नहीं कि 50-100 आदमी नीचे बैठे हों, वहां पर परसराम जी मदेरणा बैठे हैं। पचास डिफरेंसेज हो सकते हैं, आपस में बोलते नहीं हों तो आप जैसे को कहते, आप जैसे के माध्यम से बुलाते, देवेन्द्र सिंह जी आने राजी करो, बावलो है, इस तरीके से कहकर बुलाते। Whosoever may be the Leader of the Opposition. क्योंकि राजस्थान का डवलपमैंट किसी एक आदमी का काम नहीं है, यह हमारे सबका काम है। वहां पर आप भी बैठोगे, आपका सैक्रेटरी बैठ जाएगा, आपका मिनिस्टर बैठ जाएगा लेकिन लीडर आफ दी अपोजिशन नहीं बैठेगा। इनके भी व्यूज हैं, राजस्थान के डवलपमैंट के बारे में, इनका भी इनफ्लुएंस है लोगों पर कुछ हद तक। आपका प्रभाव ज्यादा होगा, गहलोत साहब मुख्य मंत्री हैं, इनकी पावली कम होगी भैरोंसिंह जी की, लेकिन यह लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और करते हैं। यह जयपुर का कैंसर अस्पताल किसकी देन है, किसने बनाया? किसके कहने से बना? आपका प्रभाव ज्यादा होगा, इनका प्रभाव कम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, और कुछ नहीं तो हम जैसे दो-चार + + + तो हैं जो इनकी बात को मानते हैं भैरोंसिंहजी की। क्या आप समझते हैं कि हम जैसे + + + का योगदान जीरो है? जीरो तो नहीं है, कम होगा। राजस्थानी सम्मेलन करना, राजस्थान का विकास करना था या वाहवाही लूटने की कोशिश? ब्रेजन + + + एट दी कास्ट आफ पब्लिक फाइनेंस। उस पैसे के आप ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो। उस पैसे का इस्तेमाल आप अपनी वाहवाही के लिए, जिन्दाबाद के लिए नहीं कर सकते। उस पैसे का इस्तेमाल राजस्थान के विकास के लिए ही करना पड़ेगा आपको।

और कोई भाषण नहीं हुआ वहां पर भैरोंसिंहजी का। वहां गहलोत साहब ने ही एड्रेस किया। जब उन्होंने देखा कि इन्वैस्टमैंट नहीं हो रहा है तो कहने लगे इमोशनल टाइज के लिए। इनसे कोई पूछने वाला हो, इमोशनल टाइज यहां आने से नहीं बनतीं। सात समुद्र पार रहने वाली राजकुमारी का राजकुमार से प्रेम सम्बन्ध की गाथा आज भी चलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इमोशनल टाइज डिस्टेंस की मोहताज नहीं होतीं। फिर इस राजस्थानी सम्मेलन की टांय-टांय फिस्स हुई क्यों? जब उसको दिखा, किसको? एन.आर.आई. को, नान राजस्थानी को कि राजस्थान के लिए पैसे लगवाने वाला कोई नहीं है,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामप्रताप)

कलेक्टिवली राजस्थान के विकास के बारे में मन नहीं है सरकार का। जब राज का ही मन नहीं है तो वह पैसा किसलिए लगाएगा? वह आया और चला गया आया और चला गया। चार बात आपको सुना कर चला गया। वह तो उदाहरण के तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर....

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ निवेदन करना चाहता हूं डाक्टर साहब ने जो चार्जेज लगाए हैं हम पर उनके बारे में।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : चार्जेज नहीं लगाए हैं।

श्री रामप्रताप : मैं चार्ज नहीं लगा रहा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चार्जेज ही हैं।

श्री रामप्रताप : मैंने आपको पहले संकेत कर दिया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : चार्जेज ही हैं कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी साहब को स्टेज पर नहीं बैठाया।

श्री रामप्रताप : यस।

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरा आपने यह कहा...

श्री रामप्रताप : मेरा कोई ऐलीगेशन नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान के विकास में इस चीज के बेरियर्स नहीं होने चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी मानसिकता बताई है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी मानसिकता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनिए तो सही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसे थोड़ा सुनते हैं, जवाब आएगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि राजस्थानी सम्मेलन में यह तय किया था कि बहुत सारे अपने राजस्थानी बाहर से यहां आने वाले हैं और जो हाल हमने किराए पर लिया था उस हाल में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सबको उसमें बिठाया जाए। इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि मंत्रीगण ऊपर की गैलरी में बैठेंगे, लेकिन चूंकि बाहर से आने वाले हमारे मेहमान हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इज्जत दी जाए और उनको राजस्थान के बारे में पूरी जानकारी हो सके इसलिए उनको यहां बुलाया गया था। उस सम्मेलन में भैरोंसिंहजी साहब, मेरे समझ में नहीं आता कि भैरोंसिंहजी आएं और स्टेज पर नहीं बैठाएं, मुझे याद नहीं है।

श्री रामप्रताप : यह मुझे भी अचम्भा हो रहा है, आपको तो होगा ही।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बाकी याद नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि भैरोंसिंहजी साहब को नहीं बैठाया जाए।

श्री रामप्रताप : नहीं, यही हुआ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके अलावा भी भैरोंसिंहजी वह पर्सनैलिटी हैं कि कहीं भी बैठेंगे तो कहां फर्क पड़ता है, भैरोंसिंहजी साहब तो भैरोंसिंहजी साहब ही रहेंगे।

श्री रामप्रताप : वह तो आपकी सदाशयता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंहजी साहब तो भैरोंसिंहजी ही रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? उनको आप पीछे की सीट पर बैठाओगे तो खेतसिंह तो खेतसिंह ही रहेगा, क्या फर्क पड़ता है वहां पर?

श्री रामप्रताप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेतसिंहजी साहब ऐसा करते तो कोई महसूस नहीं होता, ईमानदारी की बात है। यह कह रहे हैं वह तहेदिल से कह रहे हैं, इनका मन बिलकुल साफ है लेकिन यहां पर थोड़ी संकीर्णता आ गई। मैं किसी की काट नहीं कर रहा। (व्यवधान) वह सबको पता ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब उस नान राजस्थानी को लगा कि राजस्थान के लिए पैसा लगाने वाला नहीं है तो वह आया और चला गया, आया और चला गया। चार बात आपको सुना भी गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : इन्वैस्टमैंट के पाइन्ट आफ व्यू से राजस्थानी सम्मेलन नहीं हुआ था।

श्री रामप्रताप : You have enough privilege to reply.

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : इन्वैस्टमैंट की दृष्टि से भी किया तो उसमें बुरा क्या किया?

श्री रामप्रताप : हां, बुरा क्या किया?

श्री रामनारायण चौधरी : कहां बुराई है उसमें?

श्री रामप्रताप : नहीं है, कोई बुराई नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इससे क्या फर्क पड़ता है, वह तो गाएंगे। He is in the opposition.

श्री रामप्रताप : मैं गा नहीं रहा हूं, साहब। गाना शब्द तो बहुत हल्का है।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो वह ठीक है। आप कहिए।

श्री रामप्रताप : मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें किसी का क्या दोष है? जनता ने आपको उधर बैठाया।

श्री रामप्रताप : हां, नहीं है। मैं कब कह रहा हूं कि दोष की बात है, मैंने आपको क्या कहा?

श्री रामनारायण चौधरी : जनता ने भैरोंसिंहजी साहब को कुर्सी दे दी। अब यह क्या कर सकते हैं और आप भी क्या कर सकते हैं? आपस में इतना तय कर सकते हैं, यह जनता का निर्णय है।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : ठीक है, हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जनता का निर्णय है, डैमोक्रेसी है, लोकतंत्र है।

श्री सांवर लाल : इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी भावना सुन लो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी भावना क्या है? आप तो यह कहते हो

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि भैरोंसिंहजी साहब को वहां नहीं बैठाया।

श्री रामप्रताप : तो आप इन्वाइट ही मत करना, हमें एतराज नहीं है। लेकिन उससे मैसेज सही नहीं जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका आधा भाषण भैरोंसिंहजी को कहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया, वहां बैठा दिया।

श्री रामप्रताप : यह मैं आपके उसी पाइंट पर आ रहा हूं। अगर आपको बुरा लगे_

श्री रामनारायण चौधरी : बुरा नहीं लग रहा है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप : फिर बोलने दो, इसमें आपको क्या एतराज है?

श्री रामनारायण चौधरी : बोलिए न, आपको दिक्कत क्या है? बोलिए।

श्री रामप्रताप : किसी माननीय सदस्य को एतराज क्या है?

श्री रामनारायण चौधरी : जनता का निर्णय स्वीकार करो फिर।

श्री रामप्रताप : जनता का निर्णय कोई पट्टा नहीं लिखा रखा है।

श्री सांवर लाल : अब भी आ जाओ तो आपका + + + यह अहंकार मत पालो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : डाक्टर साहब, बी.जे.पी. पांच साल बाद भी कहीं नहीं आएगी, पक्का है। (व्यवधान) कितने साल बाद आए हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच साल तक आप लगातार यहीं बैठे रहेंगे, आपका भी सपना पूरा नहीं होगा। आप भी यहीं बैठे रहना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं तो वहां बैठा हुआ हूं, कोई नई चीज नहीं है। आप तो राज्य मंत्री थे, मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर था। मैं तो लीडर आफ अपोजिशन भी रहा हुआ हूं।

श्री सांवर लाल : हम तो इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा आदमी बहुत दुःख पा रहा है आपको उधर बैठा देख कर।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हुआ हूं, डिप्टी स्पीकर भी रहा हुआ हूं। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने बिलकुल सही कहा। आप विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, पार्टी अध्यक्ष भी रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर इस वक्त जो दुर्गति आपकी हो रही है उसका हमें बहुत अफसोस है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी कोई दुर्गति नहीं हो रही है। मैं बहुत खुश हूं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, प्लीज आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो आप अपनी कह रहे हो, आप अपनी बीती कह रहे हो। मैं सच कहता हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ईश्वर मेरा साक्षी है, दिल मेरा साक्षी है, आत्मा मेरे पास है, मेरा भगवान मेरे साथ है, मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं।

श्री सांवर लाल : आप यहां बैठे रहो। जनता की भावना है कि आप उधर बैठें।

श्री रामनारायण चौधरी : आप अपनी बात कह रहो हो यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको वहां बैठे देखकर सुमित्राजी को बहुत तकलीफ हो रही है, आप खुश हो पर वह खुश नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब। माननीय, उनको समाप्त करने दीजिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : राठौड़ साहब, यह वे आदमी हैं जिन्होंने...

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य वह शख्स हैं कि वहां भी बैठे हैं, वहां भी बैठे हैं, इस कुर्सी पर भी बैठे हैं, आप क्या मुकाबला कर रहे हैं उनका? आपका क्या मुकाबला है?

श्री रामनारायण चौधरी : उस जमाने में इन्दिरा गांधी के लिए बोला था, एक देश, एक नेता, देश की नेता इन्दिरा गांधी। I was the man.

श्री रामप्रताप : Yes. He is right.

श्री रामनारायण चौधरी : वह भी मैं ही था। उस वक्त मेरे पास कौन था? मैं अकेला था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने नौजवान नेता के बारे में बोला था, मेनका गांधी के लिए बोला था और फिर राहुल गांधी के लिए बोला था, आप ही वह शख्स हो... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। उपाध्यक्ष सदस्य।

श्री सांवर लाल : शेर की परख नहीं कर पा रहे हैं आप लोग।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लालजी।

श्री रामनारायण चौधरी : उधर बैठने वाले एक-दो को छोड़कर पता नहीं है इसका कि उसने कहा था कि इन्दिरा गांधी को फांसी होगी और ये सुमित्राजी साक्षी हैं, मैंने कहा था कि पता नहीं मुझे, मैं क्या बोल गया था, मैंने कहा था कि मैं तेरा गला उतारूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, यह कहा था।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, मैंने कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसको?

श्री रामनारायण चौधरी : कहा कि मेरे को फांसी हो जाए, मैं तेरा गला असेम्बली के बाहर उतारूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये प्रोसीडिंग में लाकर मंत्री बनने की फिराक में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : काहे को? आप समाप्त करो इस बात को।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने कहा कि रामनारायणजी आप क्या बोल गए? मैंने कहा कि मैं बोल गया साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी साहब, हो गया न बहुत। इसको समाप्त करने दीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : इनका ही हो रहा है, साहब।

श्री सांवर लाल : इनकी जगह देखकर हमें बहुत दुःख हो रहा है, आप इनकी हालत को देखिए।

श्री रामनारायण चौधरी : इनको बहुत दुःख हो रहा है कि भैरोंसिंहजी साहब वहां बैठे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी एबिलिटी को सब जानते हैं, आप काहे हो इस पर कह रहे हो?

श्री रामनारायण चौधरी : यह किया। अगर आप भी क्या कर सकते हो? You are doing your best. But this is a decision of the people you will have to accept it.

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कद्र नहीं है। दोनों की कद्र नहीं है हमें तो इसलिए दुःख हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। माननीय, समाप्त कीजिए इसको। Please sum up now.

श्री रामप्रताप : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से बहुत वरिष्ठ हैं, मैं इस चीज का बुरा भी नहीं मानता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी साहब को आप चाहे कोने में बैठा दो, चाहे जेल में बैठा दो, उनका कद कम नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप कोई दूसरे विषय पर आइए, बहुत हो गया। समअप करिए।

श्री रामप्रताप : मैं विषय को समअप कर रहा हूं। समअप तो करने दो।

लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस शख्सियत ने प्लान साइज को बढ़ाया, वह तो बैठा था कोने में और जिसने प्लान साइज को घटाया था वह बैठा था डायस पर। यह लोगों को पसन्द नहीं आ रहा था। वहां से कह रहे थे कि इन्वैस्टमैंट करो, इन्वैस्टमैंट करो। कोई सब्जी बेचने का काम नहीं है जो मौहल्ले में जोर लगाकर बेच दो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी आएंगे तो उनसे चाहूंगा कि आपने राजस्थानी सम्मेलन के बाद हाई पावर कमेटी बनाई, आपने कितना इन्वैस्टमैंट करवा लिया? लिखित में

(श्री रामप्रताप)

नहीं, फिजिकली कितना इन्वैस्टमैंट हुआ, यह मैं जानना चाहूंगा। अन्त में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भैरोंसिंहजी के चैकर्ड कैरियर में अगर कोई चीज रहेगी, ब्लेमिश रहेगा, एक ब्लैक डाट रहेगा That will haunt him wherever he will go. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह ब्लेमिश डाट क्या है? भैरोंसिंहजी को एक + + + उत्तराधिकारी मिला जिसने राजस्थान को तबाह करके रख दिया। इस चीज को भूल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, + + + शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलालजी। इसको एक्सपंज कर दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, + + + अनपार्लियामैंट्री है, इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कर दिया, कर दिया। मोहनलालजी। (व्यवधान) जो बोल गया सो बोल गया, अब थोड़े ही होता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिंहजी साहब के तो उत्तराधिकारी हैं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। आर्डर प्लीज। मोहनलालजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपको कहां से उत्तराधिकारी दिखायी दे गया? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ हैं ना। कैसे कह रहे हो आप नहीं है?

श्री राजेन्द्र पारीक : राजनैतिक उत्तराधिकारी।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये हैं न चूरू से आने वाले माननीय सदस्य उनके उत्तराधिकारी।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये नहीं। घनश्याम जी तिवाड़ी कहते हैं कि मैं हूं और ये कहते हैं मैं हूं। इन दोनों को फैसला करने दीजिए कि कौन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहनलाल जी। प्लीज विराजिये। मोहनलाल जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब हालात बदलते जा रहे हैं। अटरू से आने वाले माननीय सदस्य सबसे आगे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : भैरोंसिंह जी का + + + उत्तराधिकारी तो इनकी पार्टी का ही होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब एक्सपंज करा रहे हो, मैं क्या करूं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। मोहनलाल जी। प्लीज माहिर आजाद जी।

श्री मोहन लाल चित्तौड़िया (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा 29 मार्च, 2001 को प्रस्तुत किया गया बजट बहुत ही अच्छा है, विकासशील है तथा हमारी सरकार के

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

विकास का परिचायक है। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही विषम परिस्थितियां होती हुए भी, लगातार अकाल और आर्थिक संकट आदि होते हुए भी पूर्व बजट के द्वारा विकास होना और अभी के बजट द्वारा स्वीकृत कार्य को देखते हुए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यह हमारी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और पारदर्शिता का ज्वलंत उदाहरण है।

माननीय उपाध्यक्षजी, सड़कों के लिए सरकार ने चिंतित होकर 600 करोड़ रुपये का जो बजट रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। मैं दृढ़तापूर्वक यह कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आठ साल तक सरकार रही उसमें जिस प्रकार से राजस्थान की सड़कों की दुर्दशा हुई उन सबकी पूर्ति इस 600 करोड़ रुपये की भारी योजना बनाकर बी.ओ.टी. के द्वारा की जा रही है, यह राजस्थान की जनता के लिए काफ़ी सराहनीय कदम होगा। राजस्थान की जनता इसकी काफी सराहना कर रही है।

इसी तरह से बिजली का प्रकरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी बिजली का प्रकरण विधान सभा में आता है हमारे विरोधी माननीय सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हो-हल्ला करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। यह हो-हल्ला इसलिए किया जाता है कि इनके आठ साल के कार्यकाल में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की गयी। जितना भी संकट है, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे और किसी प्रकार का हो, ये सारे संकट इन्हीं की देन है और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इस प्रकार हो-हल्ला करके कार्य में बाधा डालने की कोशिश की जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल बिजली के कार्य में हमारी सरकार ने प्रगति की है और 750 मेगावाट उत्पादन क्षमता अर्जित की है और आगामी तीन वर्षों में एक हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसी तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आठ घंटे बिजली देने का वायदा पूरा करने जा रही है। इसलिए इस बजट में बिजली का जो प्रावधान रखा है वो बहुत ही सराहनीय है।

इसी तरह से दो वर्ष के कार्यकाल में जो प्रगति हुई है वह भी एक रिकार्ड है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधायक कोटा है, सबकी मांग है कि 40 लाख रुपये कम है। क्योंकि जो प्रगति देहात की होती है वो विधायक के द्वारा ही की जाती है। हर गांव में विकास के लिए जितना उस क्षेत्र का विधायक जानकारी रखता है उतनी जानकारी कोई अधिकारी नहीं रखता है। इसलिए इसको बढ़ाकर मेहरबानी करके कम से कम एक करोड़ रुपया करने का प्रावधान रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। दिल्ली विधान सभा में जब विधायक को दो करोड़ का अधिकार मिलता है तो मैं राजस्थान के

(श्री मोहन लाल चित्तौड़िया)

वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के विधायकों को भी इससे पीछे न रखा जाए और कम से कम एक करोड़ रुपये का कोटा किया जाना अति आवश्यक है।

मैं मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय को एक और धन्यवाद देना चाहता हूं। गहलोत साहब के शासनकाल में जो जीवन रक्षा कोष की स्थापना की गई है वो बहुत ही सराहनीय है। विपक्षी नेता और विपक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात को स्वीकार करते होंगे, चाहे वे कहें नहीं पर अंतरात्मा तो उनकी स्वीकार करती होगी कि इससे गरीब आदमी को कितना बड़ा फायदा हुआ है। जो पैसे के अभाव में बिना इलाज किये मौत को प्राप्त हो जाता था आज उसको जीवनदान मिल रहा है और इन सबका यश हमारे मुख्य मंत्री गहलोत साहब को और हमारी सरकार को मिलेगा। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बात कही जा रही है कि पांच साल के बाद या दो साल के बाद क्या होगा, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गहलोत सरकार बराबर काम करेगी, तीन टर्म्स के पहले तो आप कोई संभावना ही मत समझो। सुखाड़िया जी का अगर कोई रिकार्ड तोड़ेगा तो यह गहलोत सरकार रिकार्ड तोड़ेगी। जितना स्वयं सुखाड़िया साहब ने शासन किया है उससे ज्यादा ही गहलोत साहब की सरकार शासन करेगी और आप देखते रहना। गहलोत साहब के नेतृत्व में इस राजस्थान का इतना विकास होगा कि आप देखते रह जाएंगे। (व्यवधान) आप तो अपना खयाल रखो, हमारा खयाल मत रखो। आप तो यह खयाल रखो कि आप 33 कायम रहोगे या नहीं रहोगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस बजट का मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 25 अप्रैल, 2001 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.26 बजे, 25 अप्रैल, 2001 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-303 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

माह फरवरी, 2001 तक डिमाण्ड राशि जमा कराने वाले कृषकों की गांववार सूची जिनके कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं

क्र.सं.	पंचायत समिति	गांव का नाम	डिमाण्ड राशि जमा कराने वाले कृषकों की सं.
1	2	3	4
1.	प्रतापगढ़	1. अवलेश्वर	2
		2. सेलारपुरा खुर्द	1
		3. रजोरा	1
		4. चनियाखेड़ी	2
		5. डेरी	1
		6. बसाड़	1
		7. मचलाना	2
		8. घोटारसी	1
		9. सोहनपुर	7
		10. डाबडा	2
		11. देवद	1
		12. कुलथाना	2
		13. कुण्डला	4
		14. नारदा	5
		15. बेलारा	2
		16. बंजारी	1
		17. केरवास	1
		18. नकोर	8
		19. मेरियाखेड़ी	29
		20. दातलाकुण्ड	4
		21. ग्यासपुर	2
		22. थड़ा	1
		23. खोरिया	1
		24. कुलमीपुरा	1

1	2	3	4
		25. बमोतर	1
		26. अमलावद	3
		27. कामलिया	1
		28. चमलावदा	2
		29. सिद्धपुरा	1
		30. रठांजना	1
		31. कनोरा	1
		32. तोफाखेड़ा	1
		33. पीलू	1
			94
2.	अरनोद	1. पुनियाखेड़ी	6
		2. दलोट	4
		3. आठीनेरा	1
		4. बांसलाई	6
		5. सेवना	23
		6. जाजली	1
		7. लूफड़ी	3
		8. चकुण्डा	1
		9. दिवाला रायपुर	1
		10. छोटा धामनिया	1
		11. अरनोद	1
		12. भचुण्डला	10
		13. जेठियाखेड़ी	1
		14. हमच्याखेड़ी	1
		15. बेड़मा	1
		16. बोरदिया	1
		17. बड़ीसाखथली	2
			64

परिशिष्ट "ब"

पंचायत समिति प्रतापगढ़

क्र. सं.	गांव का नाम	शिकायत प्राप्त होने वाले महीने का विवरण	विद्युत लाइनें ढीले होने का विवरण	कार्य पूर्ण करने का विवरण व किस महीने में शिकायत निवारण की गई
1	2	3	4	5
1.	मोचीगली, प्रतापगढ़	अप्रैल, 2001	मोचीगली में एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत प्राप्त हुई।	एलटी लाइन के तार खेंच कर सही किये गये। 1.04.2001
2.	ओडागली, प्रतापगढ़	अप्रैल, 2001	ओडागली में एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत प्राप्त हुंई।	एलटी लाइन के तार खेंच कर सही किये। 14.04.2001
3.	शाहब गली, प्रतापगढ़	मार्च, 2001	एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत प्राप्त हुई।	एलटी लाइन के तार खेंच कर सही किये।
4.	आमलीखेड़ा	दिसम्बर, 2000	1. कस्तूरचंद वक्ता के कुएं पर तार ढीले थे।	तार खेंच कर सही किये।
			2. देवीलाल के कुएं पर तार ढीले होना पाया गया।	तार खेंच कर सही किये।
			3. वेस्ता/परथा के कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार खेंच कर सही किये गये।
			4. ठालु/हेमा के कुएं पर एलटी लाइन ढीली थी।	तार खेंच कर सही किये गये।
5.	सांसडी	नवम्बर, 2000	मांगी लाल/प्रेमचंद के कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत प्राप्त हुई।	तार खेंच कर सही किये।
			वरदा/नन्दा गामरी के कुएं पर तार ढीले थे।	तार खेंच कर सही किये गये।

1	2	3	4	5
6.	सनोटी/ रामपूरिया	नवम्बर, 2000	रामलाल/भेरा कुमावत के कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार खेंच कर सही किये गये।
7.	अवलेश्वर में राजोरा के पास	अक्टूबर, 2000	इस्माईल बोहरा के कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	एलटी लाइन के तार खेंच कर सही किये।
8.	गंधेर	अक्टूबर, 2000	तालाब के पास हीरालाल/ओंकार के कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	एलटी लाइन के तार खेंच कर सही किये।
9.	सोहनपुर	अक्टूबर, 2000	काना/भेरा के कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे। माना/भुवान के खेत में 11 केवी लाइन का पोल झुका था।	एलटी लाइन के तार खेंचकर सही किये। पोल सीधा कर तार सही किये।
10.	छायण	नवम्बर, 2000	मांगु/भेरा के घर के सामने एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
11.	सुहागपुरा	नवम्बर, 2000	11 केवी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
12.	कल्याणपुरा	जनवरी, 2001	11 केवी व एलटी लाइन के तार ढीले थे।	11 केवी लाइन व एलटी लाइन के तार खेंचकर सही किये गये।
13.	बरोठा	जनवरी, 2001	गांव में एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
14.	हथुनिया	जनवरी, 2001	गांव में चक्की के पास एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।

1	2	3	4	5
15.	असावता	नवम्बर, 2000	गांव में एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये।
16.	अवलेश्वर	नवम्बर, 2000	गांव में नई आबादी के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये।
17.	बागरिया	जनवरी, 2000	गांव में एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये।
18.	गरदोड़ा	जनवरी, 2000	कुएं के पास गांव की तरफ 11 केवी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
19.	मानभोंडी	सितम्बर, 2000	एलटी लाइन के दो स्थान के तार ढीले थे।	एलटी लाइन के दो स्थान के तार टाइट कर लाइन सही की गई।

इस कार्यालय के अन्तर्गत प्राप्त सभी शिकायतों को जहां भी तार ढीले थे ठीक कर दिया गया है व माह जून में सघन अभियान चला कर उक्त कार्य किया जायेगा।

20.	कनोरा	जून, 2000	गांव में आने वाली एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत दर्ज हुई।	माह जुलाई में एलटी लाइन के तार सही कर शिकायत का निवारण किया गया।
21.	तोपाखेड़ा	मई, 2000	11 केवी लाइन के एक स्थान के तार ढीले होने की शिकायत दर्ज हुई।	एक स्थान के 11 केवी लाइन के तार टाइट कर शिकायत का निवारण किया गया।
22.	सिलपुरा	मई, 2000	कुएं पर जाने वाली एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत दर्ज हुई।	मई 2000 में ही तार टाइट कर व स्टे-सेट लगाकर शिकायत का निवारण किया गया।
23.	बोरी	सितम्बर, 2000	रोड़ क्रोसिंग पर एलटी लाइन ढीले होने की शिकायत दर्ज हुई।	एक पोल रोड क्रोसिंग पर खड़ा कर एलटी लाइन सही करवाई गई।

1	2	3	4	5
24.	फुलसीपुरा	अक्टूबर, 2000	गांव की एलटी लाइन व कुएं की एलटी लाइन ढीले होने की शिकायत दर्ज हुई।	कुएं व गांव की एलटी लाइन के तार खेंच कर टाइट कर शिकायत का निवारण किया गया।
25.	केडियावास	जुलाई, 2000	एलटी लाइन रोड क्रोसिंग पर तार ढीले होने की शिकायत दर्ज हुई।	तार टाइट कर दिये गये।
26.	आस्थामाता का खेड़ा	मार्च, 2001	रोड़ क्रोसिंग पर 11 केवी लाइन के तार ढीले होना पाया गया।	तार टाइट कर गार्डिंग लगाकर सही किया गया।
27.	रिछा	अक्टूबर, 2000	गांव में एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत प्राप्त हुई।	तार टाइट कर सही किये गये।

नोट : माह जून, 2001 तक बकाया गांव जिनमें विद्युत लाइनों के तार ढीले हैं सघन अभियान चलाकर कार्य को पूर्ण कर लिया जायेगा।

28.	पठनी	अक्टूबर, 2000	कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत थी।	मौके पर तार टाइट कर सही किये गये।
29.	करेडी डोराना	अक्टूबर, 2000	गांव में व कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले होने की शिकायत थी।	मौके पर तार टाइट कर लाइन सही की गई।
30.	सिल्याखेड़ी	नवम्बर, 2000	कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
31.	बैडया	नवम्बर, 2000	कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
32.	सेमलखेड़ी	नवम्बर, 2000	कुएं पर एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।

1	2	3	4	5
33.	खुटवास	नवम्बर, 2000	गावं में एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार खेंच कर सही किये गये।
34.	पारखन्दा	दिसम्बर, 2000	कुएं के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
35.	चन्देरा पडाव	दिसम्बर, 2000	कुएं के तार ढीले होने की शिकायत प्राप्त हुई।	तार खेंच कर सही किये गये।
36.	बड़ीसाखथली	जनवरी, 2000	गांव व कुएं पर एलटी लाइनें ढीली होने की शिकायत थी।	तार खेंच कर सही किये गये।
37.	लखनिया	अक्टूबर, 2000	कुएं की एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
38.	परपटीया	अक्टूबर, 2000	कुएं के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।
39.	सोली	अक्टूबर, 2000	कुएं के तार ढीले होने की शिकायत थी।	तार टाइट कर सही किये गये।
40.	भाकर	जनवरी, 2001	कुएं की एलटी लाइन के तार ढीली थी।	तार टाइट कर सही किये गये।
41.	चाथाखेड़ी	जनवरी, 2001	कुएं की एलटी लाइन के तार ढीले थे।	तार टाइट कर सही किये गये।

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

वक्फ बोर्ड द्वारा प्राप्त ऋण की वापसी

306. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वक्फ बोर्ड सम्पत्तियों की आय का कितना प्रतिशत हिस्सा लेती है ?

(2) क्या वक्फ बोर्ड ने अपने हिस्से के अलावा किन्हीं वक्फ कमेटियों से राशि उधार ले रखी है ? यदि हां, तो कहां-कहां से और कितनी-कितनी और कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वक्फ बोर्ड सम्पत्तियों के हिस्सेदारों से भी कोई राशि बतौर उधार ले रखी है ? यदि हां, तो कहां-कहां से कितनी और कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या वक्फ बोर्ड, वक्फ कमेटियों व हिस्सेदारों से ली गई राशि को लौटाने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वक्फ बोर्ड, वक्फ समितियों की आय का 7 प्रतिशत हिस्सा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 72 के तहत लेता है।

(2) जी हां। वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ कमेटियों से उधार ली गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत है।

(3) जी हां। पिछले (गत) वक्फ बोर्ड ने केवल एक वक्फ जायदाद जो दरगाह शरीफ नरहड़ (जिला झुंझुनूं) है, से राशि 6.00 लाख दिनांक 31.5.95 से उधार ली थी, जिसमें से 40,500/- रुपये लौटा दिये गये हैं तथा रुपये 5,59,500/- शेष हैं।

(4) जी हां। हिसाब करके यदि कोई देय है तो दी जावेगी।

परिशिष्ट "क"

वक्फ बोर्ड द्वारा कमेटियों से उधार ली गई राशि का विवरण

क्र.सं.	वक्फ कमेटी का नाम जिनसे राशि उधार ली गई है	प्राप्त की गई राशि	राशि लेने की दिनांक
1.	दरगाह शरीफ, नरहड़	1,00,000/-	16.11.92
2.	वक्फ कमेटी, कोटा	1,17,682/-	29.04.94
3.	वक्फ कमेटी, अनूपगढ़	4,170/- 19,000/- 70,500/-	22.12.95 08.05.96 16.05.96
4.	जामा मस्जिद, भरतपुर	31,185/-	27.05.96
5.	ओकाफ कमेटी जामा मस्जिद नया नगर, ब्यावर	1,00,000/-	24.08.98
6.	वक्फ कमेटी रामसरा, नोहरा	13,600/-	28.04.94
7.	मुस्लिम मुसाफिर खाना, जयपुर	5,00,000/-	28.09.98
8.	वक्फ मस्जिद हैजम फरोशासन, मदरसा तालीमुल इस्लाम, जयपुर।	1,13,114/-	23.07.99

जिला कोटा व पाली में कीटनाशक दवाओं की जांच

307. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा कोटा व पाली में गत दो वर्षों में कृषि कीटनाशक दवाओं के कब-कब किस-किस कम्पनी की दवाओं के किस-किस दुकान के नमूने लिए गये और नमूनों की जांच पर क्या निष्कर्ष सामने आये ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ कम्पनियों की दवाओं के नमूने अमानक पाये गये ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई। कम्पनी मालिकों के नाम व पते की सूची संदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सहकारिता विभाग के अन्तर्गत संचालित दुकानों या सहकारी संस्था को उपरोक्त दवाएं बेचने हेतु अधिकृत किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त दुकानों या सहकारी संस्था द्वारा बेची गई दवाएं भी अमानक पाई गई ? यदि हां, तो क्या इसके कारण इल्लियां नहीं मरने से प्रभावित फसल बरबाद होने का जिम्मेदार कौन है ?

(4) उक्त अमानक दवाओं को बेचने हेतु व निर्माण करने हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटा व पाली जिलों में गत 2 वर्षों (वर्ष 1999-2000 व 2000-2001) में लिये गये कीटनाशक दवाओं के नमूनों का वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कुछ कम्पनियों की दवाओं के नमूने अमानक पाये गये। अमानक पाये गये नमूनों के कम्पनी मालिकों के नाम व पते तथा उनके विरुद्ध की जा रही वैधानिक कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) यह सही है कि सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित सहकारी संस्थाओं को कीटनाशक दवाओं को बेचने हेतु दी इंसेक्टीसाइड्स एक्ट, 1968 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिकृत किया गया है। गत 2 वर्षों में पाली जिले में इन संस्थाओं द्वारा आपूर्ति किये गये दवाओं के नमूनों में से कोई भी नमूना अमानक नहीं पाया गया तथा तथा कोटा जिले में लिये गये 8 नमूनों में से 2 नमूने अमानक पाये गये जिसके लिये संबंधित निर्माता एवं विक्रेताओं के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर किये जा चुके हैं। इल्ली प्रकोप के समय सहकारी संस्थाओं से 2 नमूने लिये गये एवं दोनों ही मानक पाये गये। अतः इल्लियां नहीं मरने से प्रभावित फसल बरबाद होने में इन दवाओं का योगदान नहीं है।

(4) कीटनाशक दवाओं को बेचने/निर्माण करने हेतु विभाग द्वारा किसी भी विभागीय अधिकारी को अधिकृत नहीं किया हुआ है।

(कृषि मंत्री)

फिर भी अमानक दवाओं के विक्रेताओं एवं निर्माताओं के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला डूंगरपुर में चिकित्सकों के रिक्त पद

308. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे और कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में चिकित्सकों के 35 पद रिक्त हैं। जिनकी सूची संलग्न है।

(2) पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	जिला चिकित्सालय, डूंगरपुर	उप नियंत्रक	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन, रेडियोलोजी)	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी	7
2.	शहरी डिस्पेंसरी, पटेला, डूंगरपुर	चिकित्सा अधिकारी	1
3.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
4.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय डूंगरपुर	चिकित्सा अधिकारी	1
5.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्रसवोत्तर केन्द्र, सागवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग, हड्डी रोग, नैत्ररोग)	3
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टामटीया	चिकित्सा अधिकारी	1
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुचियावाड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1

1	2	3	4
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलीया बडगांव	चिकित्सा अधिकारी	1
9.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्रसोवत्तर केन्द्र, सिमलवाड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग, नेत्र)	2
10.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गलियाकोट	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डूंगरसारण	चिकित्सा अधिकारी	1
12.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुंजपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन, सर्जरी)	2
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
13.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य)	1
14.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांवला	चिकित्सा अधिकारी	1
15.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दामडी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
16.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुनाली	चिकित्सा अधिकारी	2
17.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिच्छीवाडा	चिकित्सा अधिकारी	1
18.	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई (नेत्र) डूंगरपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1

जिला झुंझुनूं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र.

309. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झुंझुनूं में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से सम्बन्धित क्या प्रशासनिक ढांचा जिला स्तर तथा पंचायत समिति स्तर पर है तथा इसमें कौन-कौन अधिकारी नियुक्त हैं ?

(2) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यक्रम किस-किस पंचायत समिति क्षेत्र में कब-कब चालू किया गया है ?

(3) उक्त आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम किये जा रहे हैं तथा फरवरी, 2001 के अन्त तक कितनी-कितनी राशि किन-किन पंचायत समिति क्षेत्र में किस-किस कार्यों/कार्यक्रमों पर व्यय की गई ?

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर उप निदेशक, (आई.सी.डी.एस.) एवं परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण तथा पंचायत समिति स्तर पर बाल विकास परियोजना कार्यालय संचालित है। जिला/परियोजना स्तर पर प्रशासनिक ढांचा की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जिला झुंझुनूं में नियुक्त अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जिला झुंझुनूं की 2 पंचायत समितियों सूरजगढ़ व झुंझुनूं में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम वर्ष क्रमशः वर्ष 1986-87, 1990-91 में प्रारम्भ किया गया है। शेष 6 पंचायत समितियों में विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2000-2001 में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

(3) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 0-6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, पोषाहार-स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं संदर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं।

जिला झुंझुनूं में आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत 2/2001 तक परियोजनावार हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रशासनिक व्यय
1.	परियोजना, झुंझुनूं	2246115
2.	परियोजना, सूरजगढ़	1903757
3.	परियोजना, चिड़ावा	203230
4.	परियोजना, भुवाना	123338
5.	परियोजना, खेतड़ी	278748
6.	परियोजना, नवलगढ़	265783
7.	परियोजना, अलसीसर	333743
8.	परियोजना, उदयपुरवाटी	179048
	योग	**5533762**

परिशिष्ट "अ"

प्रशासनिक ढांचा

जिला स्तर पर		परियोजना स्तर पर	
1. उप निदेशक	1	1. बाल विकास परियोजना अधिकारी	1
2. लेखाकार	1	2. सहा. बाल विकास परियोजना अधिकारी	1
3. सांख्यिकी सहायक	1	3. सांख्यिकी सहायक/लेखाकार	1
4. कार्यालय सहायक	1	4. वरिष्ठ लिपिक	1
5. वरिष्ठ लिपिक	1	5. कनिष्ठ लिपिक	1
6. कनिष्ठ लिपिक	1	6. महिला पर्यवेक्षक	आंगनबाड़ी के आधार पर
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1
8. वाहन चालक (संविदा पर)	1	8. चौकीदार	1
		9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी केन्द्र के अनुसार
10. सहायिका	"	"	"

परियोजना स्तर पर कनिष्ठ लिपिक, पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों का निर्धारण आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

परिशिष्ट "ब"

झुंझुनूं में पदस्थापित अधिकारियों की सूची

1.	उप निदेशक (आईसीडीएम) एवं पदेन परियोजना निदेशक	श्रीमती मोहिनी शर्मा
2.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, अलसीसर	श्री जगदीश प्रसाद
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, भुवाना	श्री सुरेश कुमार
4.	बाल विकास परियोजना अधिकारी मांडेला एवं बाल विकास विभाग, चिड़ावा	श्री मुकेश कुमार गुप्ता
5.	बाल विकास परियाजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, खेतड़ी	श्री रामसिंह
6.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, नवलगढ़	श्री हरिशंकर कुमावत
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विभाग, झुंझुनूं	श्री कृष्ण लाल
8.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती नीलम जैन	
9.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, उदयपुरवाटी	श्री अश्विनी कुमार यादव

स्वीकृत राशि से अधिक व्यय में दोषी खण्डीय अधिकारी

310. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने वर्ष 1996-97 में विभिन्न बजट मदों में हुए अधिक व्यय एवं अन्य अनियमितताओं के संबंध में कोई जांच की है? यदि हां, तो इसके क्या जांच परिणाम रहे हैं?

(2) उक्त अनियमितताओं के लिए इनमें से कितने खण्डीय अधिकारियों को आरोपित कर सी.सी.ए. नियम, 1958 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई है और शेष के संबंध में सरकार क्या विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी, हां, जांच में मुख्य रूप से निम्न अनियमितताएं होना पाया गया :—

- खण्डीय कार्यालयों द्वारा बजट मद 2059 लोक निर्माण कार्य : 799 (आयोजना वित्त) में आबंटन से अधिक व्यय किया गया।
- बजट मद 3054 – सड़कें एवं सेतु में आबंटित बजट में अधिक व्यय हुआ।

(2) उक्त अनियमितताओं के लिए 36 तत्कालीन अधिशासी अभियंताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। जिनमें से 29 अधिकारियों को कार्मिक विभाग द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के तहत चार्जशीट जारी की जा चुकी है तथा 7 अधिकारियों के प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन हैं। शेष के प्रकरण विभाग में उनके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के परीक्षण के स्तर पर विचाराधीन है।

गरीबी उन्मूलन परियोजना में प्राप्त धनराशि

311. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कोई जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है?

(2) क्या उक्त योजना की क्रियान्विति गैर सरकारी/स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्रस्तावित है?

(3) उक्त योजना के मद में विश्व बैंक से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है?

(4) राज्य में उक्त योजना की क्रियान्विति हेतु कुल कितने जिलों का चयन किया गया है व कौन-कौनसी स्वयंसेवी संस्थाओं के जिम्मे यह कार्य सौंपा गया है? स्वयंसेवी संस्थाओं के चयन का आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(5) उक्त परियोजना की क्रियान्विति अब किस स्तर पर है व कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कितने व्यक्ति इस परियोजना में अब तक लाभान्वित हो चुके हैं?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) विश्व बैंक से परियोजना पर हुए व्यय का पुनर्भरण किया जाता है। इसके अन्तर्गत जून, 1999 से फरवरी, 2001 तक व्यय के पुनर्भुगतान के रूप में रुपये 96.98 लाख प्राप्त हुए हैं।

(4) राज्य में इस योजना के लिए सात जिलों यथा बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद व टोंक का चयन किया गया। इन जिलों में क्रमशः हाड़ौती हस्त शिल्प संस्थान, भौरूका चेरीटेबल ट्रस्ट, मातुश्री गोमती देवी जन सेवा निधि, लूपिन ह्यूमन वैलफेयर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डवलपमेंट, विश्वास संस्थान, सेन्टर फार कम्यूनिटी इकोनोमिक्स एण्ड डवलपमेन्ट कन्सल्टेन्ट्स गैर सरकारी संस्था को चयन कर लगाया गया है। स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन विश्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के आधार पर किया गया है। इसके अन्तर्गत संस्थाओं से विज्ञापन के जरिए प्रस्ताव मंगाए जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों में से योग्य संस्थाओं की लघु सूची तैयार कर प्रस्तावों का निर्धारित मापदण्ड के आधार पर परीक्षण कर संस्थाओं का चयन किया जाता है। चयनित संस्था का विश्व बैंक से अनुमोदन होने पर वित्तीय मामलों पर नेगोशिएशन करके अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाता है तथा सभी स्तरों पर विश्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

(5) समस्त जिलों के लिए एक-एक एनजी.ओ. का चयन कर लिया गया है उनके द्वारा फील्ड स्टाफ नियुक्त कर तैनात कर दिया गया है। इन सभी को प्रशिक्षित कर दिया गया है। वर्तमान में गांवों में समान रुचि समूहों का गठन कर उप-परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उप-परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् ही व्यक्ति परियोजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। उप-परियोजनाएं माह अप्रैल-मई, 2001 में स्वीकृत होंगी। परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 में माह फरवरी, 2001 तक रुपये 105.84 लाख का व्यय हुआ है। मुख्य व्यय परियोजनाओं के क्रियान्वयन होने पर होगा।

जिला नागौर में किसानों को विद्युत की आपूर्ति

312. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला नागौर के किसान उपभोक्ताओं को एक समान विद्युत वितरण

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन तहसीलों में कितने-कितने समय प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति गत महीनों में की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में विभिन्न 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन से कहीं पर प्रतिदिन 3 घंटे से लेकर, कहीं पर 10 घंटे तक आपूर्ति की गई थी? यदि हां, तो कहां-कहां से कितनी-कितनी विद्युत आपूर्ति किस-किस 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन से प्रतिदिन की गई? सितम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला नागौर की विभिन्न तहसीलों में माह सितम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक प्रतिदिन औसतन 5 से 8 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है, जिसका तहसीलवार, माहवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त जिले में माह सितम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक विद्युत उपलब्धतानुसार विभिन्न 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों से प्रतिदिन औसतन 5 से 8 घंटे विद्युत आपूति की गई है। उत्तरी ग्रिड में विद्युत की उपलब्धता में कमी होने या राज्य के विद्युत गृहों में यांत्रिक खराबी आने के कारण कभी-कभी विद्युत उपलब्धता में अचानक कमी हो जाती है। उस समय विद्युत आपूर्ति में कमी हो जाती है। विद्युत उपलब्धता बढ़ने पर इस कमी को अन्य समय में विद्युत आपूर्ति कर क्षतिपूर्ति करने के प्रयास किये जाते हैं, ऐसी दशा में किसी सब-स्टेशन पर निर्धारित समय से अधिक समय विद्युत आपूर्ति होना संभव है। जिले में स्थित 33 के.वी. सब-स्टेशनों से की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. परिशिष्ट "अ"

तहसीलवार प्रतिमाह औसतन की गई विद्युत आपूर्ति

क्र. सं.	तहसील	माह में प्रतिदिन औसतन विद्युत आपूर्ति (घंटों में)					
		सितम्बर 2000	अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000	दिसम्बर 2000	जनवरी 2001	फरवरी 2001
1.	लाडनूं	7-8	6-7	7-8	7-8	5-6	7-8
2.	डीडवाना	6	6	6	6	5	5
3.	जायल	6	6	6	6	5	5
4.	नागौर	6	6	6	6	6	6
5.	मेड़ता	6	6	6	6	6	6
6.	डेगाना	6	6	6	6	5	5
7.	परबतसर	6	6	6	6	5	5
8.	नावां	6	6	6	6	5	5

ह० /-
अधीक्षण अभियन्ता (पं.सं)
अ. वि. वि. नि. लि. नागौज

परिशिष्ट "व"

नागौर जिले में कार्यरत 132 के. वी., 33 के. वी. सब-स्टेशनों से सितम्बर, 2000 से फरवरी, 2001 तक की गई विद्युत आपूर्ति का जी. एस. एस. वार, माहवार विवरण

क्र. सं.	132 के.वी जी.एस.एस का नाम	132 के.वी.जी.एस.एस. से जुड़े 33 के. वी. सब-स्टेशन	प्रतिदिन की गई आपूर्ति (घंटों में)					
			सितम्बर 2000	अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000	दिसम्बर 2000	जनवरी 2001	फरवरी 2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मकराना	मकराना, बिन्छावा, राथलिया, तोषिना, मिण्डकिया, बुडसू, बोरावर बिदियाद, बेसरोली, गच्छीपुरा, हरनावा, परबतसर, रोहिन्डी, बगोट भदवा, गुलर, मंगलाना	6	6	6	6	5	5
2.	नावां सिटी	नावां, मीठरी, गोगोर, राजास, पांचोता	6	6	6	6	5	5
3.	लाम्बा जाटान	लाम्बा जाटान, रीयां श्यामदास, मोकाला, ढाढासनी, बासनी सेजा, गगराना, गंठिया, बीटन, कुरडाया	6	6	6	6	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	डीडवाना	डीड़वाना, खुनखुना, खाटू कलां, मोंलासर, लादरिया, खाखोली, जेतपुरा, नुआ, सुदराशन, धनकोली, केराप, जायल, रताउ, जेवलियावास	6	6	6	6	5	5
5.	कुचामन	कुचामन, भांवता, जीलिया, शिव, पांचवा, इन्डाली, रानासर, नीमोद, नीम्बा का बास, मण्डावरा (जनवरी से फरवरी 2001 में)	6	6	6	6	5	5
6.	नागौर	जोधियासी, लालगढ़, सूदसर, डेह, झारेली, रोल, मुण्डवा, खारडा, संखवास, झुझण्डा, कडलू, बलाया, कुम्हारी, भेड, बेराथल, पांचला सिद्धा, कुरछी, गोगेलाव, नागौर बासनी रोड, बिनौंका	6	6	6	6	6	6
7.	कुचेरा	गाजु, पालडी जोधा, खजवाना, बुरावता, ग्वालु, रूण, इन्दोकली, असावरी, अडवड, डेहरी, नीमडी चान्दावता, ढाढरिया, बुटाटी, डुगोर, दास, सांजु, बरसुना	6	6	6	6	6	6
8.	भैरून्दा	पादुकलां, रींया बड़ी, हरसौर, भैरून्दा, जावला, थांवला, पीह, पीपला, अलनियावास, डेगाना, निम्बरी कलां, ईडवा, पुन्दलोता	6	6	6	6	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	खींवसर	टांकला, लालाप, बेरावास, भवण्डा, मानकपुर, खुण्डाला, खींवसर	6	6	6	6	6	6
10.	चितावा	चितावा	6	6	6	6	5	5
11.	गोटन	टालनपुर, गोटन	6	6	6	6	6	6
12.	मेड़ता सिटी	नवला सागर, काव्यासिनी, भानास, लाम्बोलाई, भैन्सड़ा, आकेली अ हिरणखुडी, बडगांव, मुगदडा, जसनगर, लिलिया, रोहिसा, सिरसला, रन, गागुडा, कुम्पडास, छापरी, नोखा चान्दावता, मेड़ता रोड, इन्दावर, लुनियावास, सातलावास, जारोडा कलां	6	6	6	6	6	6
13.	/चूरूवृत्त लाडनूं क्षेत्र के लिए	रताऊ, वाकलिया, निम्बीजोधा, लेड़ी, सुनारी व लाडनूं	7-8	6-7	7-8	7-8	5-6	7-8

वृद्धावस्था पेंशन में अभिवृद्धि से लाभान्वित पेंशनर

313. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उपेक्षित वृद्ध पुरुषों की पेंशन राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिमाह की गई थी तथा पति-पत्नी को पेंशन राशि बढ़ाकर 150 रुपये से 300 रुपये प्रतिमाह की गई थी? यदि हां, तो उससे कितने उपेक्षित पेंशनरों को लाभ प्राप्त हुआ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान आज भी जारी किया हुआ है? यदि हां, तो आगे कितने वृद्धों को पेंशन दिये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(6) एफ.डी. /नियम/93 दिनांक 14.6.99 के द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। 50 वर्ष से अधिक लेकिन 65 वर्ष तक से निराश्रित पुरुषों को छोड़ कर सभी एकल पेंशनरों की राशि 200/- रुपये प्रतिमाह की गई तथा पति-पत्नी (संयुक्त) को पेंशन राशि 150/- रुपये से बढ़ाकर 300/- रुपये प्रतिमाह की गई। ये नियम 1.6.99 से प्रभावी है। इससे लाभान्वित होने वाले पेंशनरों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट "अ" के रूप में संलग्न है।

(2) जी हां। वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन की योजना आज भी प्रभावी है। वर्ष 2001-2002 में 565000 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन एवं 151000 विधवाओं को पेंशन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है और इस बाबत आवश्यक बजट प्रावधान किया हुआ है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम जिला	पेंशन राशि 100 रुपये से बढ़ाकर 200/- रु. प्रतिमाह तथा संयुक्त में राशि 150/- रु. से बढ़ाकर 300/- रु. कर दिये जाने से प्रभावित लाभान्वितों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	1,511
2.	अलवर	23,260
3	बांसवाड़ा	26,263
4.	बारां	5,633
5.	बाड़मेर	331
6.	भरतपुर	9,214
7.	भीलवाड़ा	1,074
8.	बीकानेर	5,006
9.	बूंदी	4,123
10.	चित्तौड़गढ़	5,477
11.	चूरू	19,703
12.	दौसा	25,330
13.	धौलपुर	8,696

1	2	3
14.	डूंगरपुर	5,866
15.	हनुमानगढ़	3,913
16.	जयपुर	14,798
17.	जैसलमेर	3,996
18.	जालौर	4,011
19.	झालावाड़	3,040
20.	झुंझुनूं	10,043
21.	जोधपुर	19,470
22.	करौली	22,667
23.	कोटा	20,557
24.	नागौर	9,260
25.	पाली	15,554
26.	राजसमन्द	18,852
27.	सवाईमाधोपुर	3,479
28.	सीकर	26,208
29.	सिरोही	1,030
30.	श्रीगंगानगर	4,318
31.	टोंक	22,225
32.	उदयपुर	43,000

नाथद्वारा (उदयपुर) में वाटर शैड निर्माण में नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

314. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या उप निदेशक जलग्रहण एवं भू-संरक्षण राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा में कूचौली (उदयपुर) जलग्रहण क्षेत्र में वर्ष 1996 में वाटर शैड का कार्य करवाया गया था ?

(2) क्या उक्त कार्य पर जनवरी, 1996 से जुलाई, 1996 तक नियोजित श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है ? क्या ग्राम गुन्दाली, पालछ वासना के मजदूरों को भी उनकी मजदूरी राशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो श्रमिकों की सूची भुगतान की राशि, तारीख भुगतान एवं अवधि जिसका भुगतान किया गया की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त श्रमिकों को अब तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त प्रकरण में किस स्तर पर कौन दोषी है तथा श्रमिकों को भुगतान नहीं करने में दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या सरकार अब श्रमिकों को वर्ष 1996 की मजदूरी का भुगतान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इकाई प्रभारी द्वारा जारी कार्यादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर देय मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। कुछ कार्य यूजर्स कमेटियों द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के करवा दिये थे उन कार्यों पर नियोजित श्रमिकों का भुगतान नहीं किया गया जिसमें ग्राम गुन्दाली, पालछ वासना के श्रमिक भी शामिल हैं।

(3) उत्तर के भाग 2 के अनुसार।

(कृषि मंत्री)

यूजर्स कमेटियों द्वारा अनधिकृत रूप से कराये गये कार्यों की विभागीय स्तर पर प्रारम्भिक जांच कराई गई है एवं प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांगे जा चुके हैं और जांच की आगे की कार्यवाही निदेशक के स्तर पर जारी है।

(4) यद्यपि यूजर्स कमेटियों द्वारा कार्य बिना सक्षम स्वीकृति के करवाया गया फिर भी मजदूरों को भुगतान हेतु प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

नर्सिंग संस्थाओं में अवैध प्रवेश की प्राप्त शिकायतों का निराकरण

315. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नर्सिंग संस्थान खोलने हेतु राज्य सरकार द्वारा नीति घोषित की गई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हेतु अब तक कितने संस्थानों को अनुमति दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त संस्थानों के विरुद्ध अवैध तरीके से प्रवेश सम्बन्धी शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितनी और किस-किस संस्था के विरुद्ध? शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त शिकायतों की जांच सरकार द्वारा कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) सरकार ने उक्त जांच प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य में निजी क्षेत्र में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने हेतु जारी दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(2) उक्त हेतु अब तक राज्य सरकार द्वारा 19 संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। सूची परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त संस्थानों में से चार संस्थानों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वांछित सूचना का ब्यौरा परिशिष्ट "ग" में अंकित है जो सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां, जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "घ" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(5) राज्य सरकार ने उक्त जांच प्रतिवेदनों पर कार्यवाही करने हेतु निदेशक (एड्स) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल को निर्देश प्रदान किये हैं, उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में समस्या समाधान शिविर

316. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला करौली में वर्ष 2000 से फरवरी, 2001 तक कितने समस्या समाधान शिविर आयोजित किये गये हैं ?

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कब-कब उक्त शिविर लगाये गये उनमें कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई ? उक्त शिविरों में किन-किन समस्याओं का निराकरण किया गया तथा कितने मामले विचाराधीन रखे गये ?

(3) उक्त शिविर में कितने व्यक्तियों ने अपनी समस्या रखी और उनमें से कितने मामलों का शिविर में समाधान किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त क्षेत्र में पुनः कब उक्त शिविर लगाये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जिला करौली में वर्ष 2000 से फरवरी, 2001 तक पंचायत समितियों में 224 समस्या समाधान शिविर आयोजित किये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में दिनांक 16.5.2000 से 1.7.2000 तक लगाये गये शिविरों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

इन शिविरों में भू-अभिलेख निरीक्षक, पटवारी नायब तहसीलदार एवं प्रभारी अधिकारी, विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, पशु चिकित्सा विभाग एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए।

उक्त शिविरों में नामान्तरकरण के 1731, विभाजन के 20, नवीन पास बुक-172, पास बुक आदिनांक-335, खातेदारी अधिकार-172 जाति व मूल निवास-441 एवं अन्य प्रकार के प्रार्थना-पत्र 2244 का निराकरण किया गया तथा 5 मामले विचाराधीन रहे।

(3) उक्त शिविरों में 5120 व्यक्तियों ने अपनी समस्या रखी और इनमें से 5115 मामलों का शिविर में समाधान किया गया। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "ख")

(4) जिला कलक्टर द्वारा नियमानुसार दिनांक 23.9.2000 को नादौती, 16.10.2000 को टोडाभीम व सहराकर तथा 26.2.2001 को टोडाभीम समस्या समाधान शिविर आयोजित किया। इसी प्रकार नियमित रूप से भविष्य में समस्या समाधान शिविर जारी रखे जायेंगे।

परिशिष्ट "क"

समस्या समाधान शिविर दिनांक 16.5.2000 से 1.7.2000 तक
विधान सभा क्षेत्र—टोडाभीम

क्र.सं.	अभियान का दिनांक	नाम पंचायत तहसील टोडाभीम	नाम पंचायत तहसील नादौती
1	2	3	4
1.	16.5.2000	पाटौली	तालचिड़ा
2.	17.5.2000	सांकरवाड़ा	चिरावड़ा
3.	18.5.2000	भजेडा	भीलापाड़ा
4.	19.5.2000	पाछला	मेठे का पुरा
5.	20.5.2000	भनकपुरा	बड़ागांव
6.	22.5.2000	करीरी	बाडा-राजपुर
7.	23.5.2000	मातासुला	गडमोरा
8.	24.5.2000	खेड़ी	—
9.	25.5.2000	अजीजपुर	ढहरिया
10.	26.5.2000	मण्डेरू	—
		नागल मांडल	—
11.	27.5.2000	भैसा पट्टी	कैमरी
		पदमपुरा	
12.	29.5.2000	खोहरा	कुंजेला
13.	30.5.2000	गोरड़ा	राजाहेड़ा
14.	31.5.2000	मांचडी	रायसना
15.	1.6.2000	मोन्नोज	बरदाला
16.	2.6.2000	शहराकर/कमालपुरा	—
17.	3.6.2000	धवान	तेसगांव
18.	6.6.2000	उर्देन	सोप
19.	7.6.2000	महस्वा	—
20.	8.6.2000	रानोली	पाल
21.	9.6.2000	बालघाट	गढ़खेड़ा

1	2	3	4
22.	12.6.2000	भण्डारी	केमा
23.	13.6.2000	सोरेडा	बौसी
24.	14.6.2000	लपावली	—
25.	16.6.2000	मूडिया	—
26.	17.6.2000	कटाराअजीज	दलपुरा
27.	19.6.2000	सिघानियां	जीतकीपुर
28.	20.6.2000	नांगल शेरपुर	तिमावा
29.	21.6.2000	पहाड़ी	—
30.	22.6.2000	कन्जोली	बागौर
31.	23.6.2000	निसूरा/भोपुर	कैमला
32.	24.6.2000	शेक्षपुरा/किरवाडा	गुढाचन्द्रजी
33.	26.6.2000	महमदपुर	नादौती
34.	27.6.2000	जगदीशपुरा	धौलेटा
35.	28.6.2000	देवलेन	—
36.	29.6.2000	तिघरिया	सलावद
37.	30.6.2000	जौल/बोल	शहर
38.	1.7.2000	कुडावल	—

परिशिष्ट "ख"

जिला करौली में दिनांक 16.5.2000 से 30.6.2000 तक राजस्व अभियान का संचालन किया गया था। इस अभियान के दौरान विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम जिसमें तहसील टोडाभीम एवं नादौती सम्मिलित हैं, में प्रस्तुत विभिन्न समस्याओं एवं उनके निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है

	प्रकरण	प्राप्त	निस्तारण	शेष
1.	नामान्तकरण	1736	1731	5
2.	विभाजन	20	20	—
3.	नवीन पास बुक	172	172	—
4.	पास बुक आदिनांक	335	335	—
5.	खातेदारी अधिकार	172	172	—
6.	जाति व मूल निवास हेतु आवेदन	441	441	—
7.	अन्य विभागों से संबंधित समस्याएं	2244	2244	—
	योग	**5120**	**5115**	**5**

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में सड़क निर्माण पर व्यय

317. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 1 दिसम्बर, 1998 के बाद नई डामर/पीवर/स्टेट हाईवे/नेशनल हाईवे सड़क का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या इस वित्तीय वर्ष में विधान सभा क्षेत्र भिनाय में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी की मरम्मत हेतु राशि देने का सरकार का विचार है? यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस सड़क हेतु कब तक ?

उत्तर

(1) व (2) विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 1 दिसम्बर, 1998 के बाद जिन नई सड़कों का निर्माण किया है, उनका विवरण परिशिष्ट अ-1 में संलग्न है। इस विधान सभा क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत हेतु वर्ष 2000-2001 में क्रमशः रुपये 15.88 लाख तथा 20.39 लाख की राशि व्यय की गई। विवरण परिशिष्ट अ-1 एवं अ-2 में संलग्न है तथा वर्ष 2001-2002 में नई सड़कों के निर्माण हेतु रुपये 119.55 लाख की राशि का प्रावधान है विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है।

राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़क सुधार कार्य किये जाने का लक्ष्य है। तद्नुसार इस विधान सभा क्षेत्र की भी पुरानी सड़कों का मरम्मत कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "अ-1"

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में 1 दिसम्बर, 1998 के बाद नई सड़कों की स्थिति

क्र. सं.	सड़क का नाम	योजना	लम्बाई (किमी. में)	कार्य की लागत (लाखों में)	आवंटित राशि (लाखों में) वर्ष 2000-2001 में	व्यय राशि (लाखों में) (2000-2001)
1	2	3	4	5	6	7
1.	करांटी से बान्दनवाड़ा	नाबार्ड आर.आई.डी. एफ. 4	5.00	25.10	8.04	3.17
2.	सम्पर्क सड़क गुढाकलां	बी.एम.एस.पी.	2.20	18.00	6.00	2.93
3.	सम्पर्क सड़क दादिया मडाबरिया	एम.एन.पी.	6.00	14.50	1.50	0.30

1	2	3	4	5	6	7
4.	फतेहगढ़ सरसूदा स्यार	बी.एम.एस.पी.	4.00	9.50	9.50	1.47
5.	सम्पर्क सड़क गोठियाना	एम.एन.पी.	6.00	16.00	3.14	3.14
6.	जूनिया से हरपुरा	एम.एन.पी.	4.50	12.00	3.40	3.40
7.	सम्पर्क सड़क बिडला	बी.एम.एस.पी.	8.20	60.10	1.47	1.47
8.	सम्पर्क सड़क स्यार	बी.एम.एस.पी.	2.00	12.00	—	—
9.	सम्पर्क सड़क श्रीरामपुरा	बी.एम.एस.पी.	3.00	17.45	—	—
		योग	**40.90**	**184.65**	**33.05**	**15.88**

परिशिष्ट "अ-2"

वर्ष 2000-2001 में विधान सभा क्षेत्र भिनाय में पुरानी सड़कों की मरम्मत एवं पेच कार्यों पर आबंटित राशि एवं व्यय

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में) वर्ष 2000-2001	कार्य पर व्यय 31.3.2001 तक (लाखों में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
I- विशेष मरम्मत				
1.	सरवाड़ अराई परबतसर सड़क किमी. 6/2 में क्षतिग्रस्त पुलिया का पुनर्निर्माण	1.40	1.41	एस.आर.टू. सीडीवर्क
2.	सरवाड़ अराई परबतसर सड़क पर किमी. 18/0 से 20/0 में पेवर द्वारा डामरीकरण कार्य	6.75	6.75	
		8.15	8.15	
II- साधारण मरम्मत कार्य				
1.	अजमेर नसीराबाद विजयनगर सड़क किमी. 42/0 से 55/0 पर पेच व मरम्मत कार्य		0.89	
2.	सरवाड़ अराई किशनगढ़ परबतसर सड़क में पेच व मरम्मत कार्य		2.48	
3.	नसीराबाद केकड़ी देवली सड़क किमी. 15/2 से 27/0 में पेच व मरम्मत कार्य		1.53	
4.	विजयनगर केकड़ी सड़क किमी. 58/0 से 90/0 में पेच व मरम्मत कार्य		4.04	
5.	अजमेर श्रीनगर अराई मालपुरा सड़क किमी. 35/0 से 43/0 व 60/0 से 62/0 में पेच व मरम्मत कार्य		0.70	

1	2	3	4	5
6.	ब्यावर मसूदा बांदनवाड़ा सड़क किमी. 32/0 से 70/0 में पेच व मरम्मत कार्य		1.14	
7.	नसीराबाद डबरेला बोराडा सड़क में पेच व मरम्मत कार्य		0.23	
8.	बांदनवाड़ा भिनाय नागोला सड़क में पेच व मरम्मत कार्य		0.82	
9.	भिनाय टांटोती रोड में पेच व मरम्मत कार्य		0.24	
10.	ए.आर.टू. जोताया सड़क में पेच व मरम्मत कार्य		0.10	
11.	ए.आर.टू. गोयला टांटोती में पेच व मरम्मत कार्य साधारण मरम्मत कार्य		0.07	
	1 से 11 तक योग :— साधारण मरम्मत कार्य	**14.75**	**12.24**	
	I + II = कुल योग	**22.90**	**20.39**	

परिशिष्ट "ब"

वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विधान सभा भिनाय में नई सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्तावित राशि

क्र.सं.	सड़क का नाम	योजना का नाम	2001-2002 में प्रावधान (लाखों में)
1.	करोंटी से बांदनवाड़ा	नाबार्ड आरआईडीएफ-चतुर्थ	16.00
2.	सम्पर्क सड़क बिड़ला	बी.एम.एस.पी.	58.60
3.	सम्पर्क सड़क स्यार	बी.एम.एस.पी.	12.00
4.	सम्पर्क सड़क श्रीरामपुरा	बी.एम.एस.पी.	17.45
5.	सम्पर्क सड़क गुढ़ाकलां	बी.एम.एस.पी.	6.00
6.	फतेहगढ़ सरसुंदा स्यार	बी.एम.एस.पी.	9.50
			119.55

जिला भीलवाड़ा में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

318. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत शिक्षकों की सत्र 1999-2000 व 2000-2001 में सरकार के किस दिशा-निर्देशानुसार प्रतिनियुक्ति की गई ?

(2) उक्त पंचायत समिति के कितने अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति की गई और उनमें से कितने की प्रतिनियुक्ति निरस्त की गई एवं कितने अध्यापकों को अभी तक लगा रखा है या पुनः पदस्थापन स्थान पर भेज दिया गया है? क्या सरकार से पंचायत समिति के पास प्रतिनियुक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तथा दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर लगाने के निर्देश भी है ?

(3) क्या प्रतिनियुक्ति करने से पहले छात्र संख्या को मद्दे नजर रखा जाता है ?

(4) एक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति जिस विद्यालय के लिए की जाती है क्या वहां से दूसरे अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अन्य विद्यालय में भी कर सकते हैं? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

उत्तर

(1) पंचायती राज विभाग में अध्यापकों के प्रतिनियुक्ति करने के दिशा-निर्देश नहीं है। विद्यालय संचालन एवं शिक्षण व्यवस्था अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अल्पकाल के लिए विद्यालयों में लगाई गई थी।

(2) पंचायत समिति सहाड़ा में 8 अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति अन्य विद्यालयों में की गई थी। उक्त सभी अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी गई है।

(3) प्रतिनियुक्ति करने से पहले छात्र संख्या के मद्दे नजर रखा था।

(4) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर में प्रस्तावित नवीन ग्रिड सब स्टेशन

319. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितने 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कहां-कहां बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं इसकी अब तक की क्या प्रगति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2001-2002 में उक्त क्षेत्र में उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनाने प्रस्तावित व विचाराधीन हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूरा करने का विचार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में दांतली-पहाड़ी, लोयती एवं मोहम्मदपुर (तलवाड़) ग्रामों में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति जारी की गई है, इनमें से ग्राम दांतली पहाड़ी में 33/11 के.वी.

(ऊर्जा मंत्री)

सब-स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है तथा ग्राम लोयती में निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्राम मोहम्मदपुर (तलवाड़) में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र के उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों को निर्माण हेतु वर्ष 2001-2002 के उप प्रसारण प्रोग्राम में सम्मिलित कर लिया गया है तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार पूर्ण किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम होलावास एवं बड़ौद में 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाने के प्रस्ताव के आर्थिक एवं तकनीकी साध्यता की जांच की जा रही है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर इसकी स्वीकृति जारी की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम भानूदा में संचालित सरकारी छात्रावास

320. श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्राम भानूदा में सरकारी छात्रावास संचालित है ?

(2) यदि हां, तो संचालित भवन का मासिक किराया कितना और कब से है ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार का स्वयं का निर्मित छात्रावास भवन भानूदा में है ?

(4) यदि हां, तो फिर किराये के मकान में छात्रावास चलाने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भवन का मासिक किराया 1584/- रुपये प्रतिमाह है व दिनांक 1.1.93 से है।

(3) जी, हां।

(4) भवन जर्जर हालत में होने के कारण रहने लायक नहीं है।

बागीदौरा (बांसवाड़ा) में जल ग्रहण योजना में कार्यरत मजदूरों को देय पारिश्रमिक

321. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1994 से 2000 तक जलग्रहण एवं भू-संरक्षण योजना अन्तर्गत कितने मजदूरों ने कार्य किया ? उक्त मजदूरों को प्रतिदिन के हिसाब से कितनी राशि दी गई ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा में वर्ष 1994 से 2000 तक जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा कुल 103 गांवों में

(कृषि मंत्री)

जलग्रहण विकास कार्यों पर 42630 मजदूरों ने कार्य किया। उक्त मजदूरों को जल ग्रहण कमेटी/यूजर्स समिति को दिये गये टास्क के आधार पर वर्ष 1994-95 में प्रभावी मजदूरी दर 22 रुपये के विपरीत औसतन 22 रुपये, वर्ष 1996-98 के दौरान प्रभावी मजदूरी दर 32 रुपये के विपरीत औसतन 27 रुपये तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान प्रभावी मजदूरी पर 44 रुपये के विपरीत औसतन 35 रुपये प्रतिदिन का भुगतान किया गया ग्रामवार, अवधिवार नियोजित श्रमिकों की संख्या, प्रतिदिन भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बी. डी. एम. चिकित्सालय कोटपूतली (जयपुर) में ब्लड बैंक की स्थापना

322. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बी.डी.एम. अस्पताल कोटपूतली (जयपुर) में "ब्लड बैंक" स्थापित किये जाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई?

(2) उक्त अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना कब तक हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 2000-2001 के बजट अभिभाषण में कोटपूतली व महुवा में "ब्लड बैंक" खोलने के लिए 30-30 लाख रु. की राशि (कुल 60.00 लाख) का प्रावधान रखने की घोषणा की थी। किन्तु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त घोषणा की किन्यान्विति नहीं हो सकी।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

कोटा संभाग के समस्या समाधान शिविर

323. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या जन अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999 व 2000 में कोटा, बूंदी व बारां जिले में जिला प्रशासन द्वारा किस उद्देश्य से समस्या समाधान शिविरों या विकास शिविरों का आयोजन किया गया?

(2) उक्त समस्या समाधान शिविरों में किस-किस विभाग से सम्बन्धित

(श्री रामप्रताप)

कितने-कितने आवेदन समस्या समाधान या विकास शिविरों में प्रस्तुत हुये और उक्त प्राप्त आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किस-किस कारण अभी तक नहीं किया गया है तथा अब कब तक निस्तारण कर दिया जावेगा ?

(4) क्या उक्त आवेदनों के निस्तारण में कोई विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 व 2000 में कोटा, बूंदी व बारां जिले में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत समिति एवं भू-अभिलेख निरीक्षक मुख्यालय पर स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए समस्या समाधान या विकास शिविरों का आयोजन किया गया।

(2) उक्त समस्या समाधान शिविरों में जिला कलक्टर, कोटा के पास 5474 आवेदन प्राप्त हुए और जिनमें से 5144 का निस्तारण किया है। विभागवार सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

जिला कलक्टर, बूंदी के पास 2252 आवेदन प्राप्त हुए जिनका सभी का निस्तारण किया जा चुका है। विभागवार सूचना परिशिष्ट "ख" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

जिला कलक्टर, बारां को 8768 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका सभी का निस्तारण किया जा चुका है। विभागवार सूचना परिशिष्ट "ग" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) जिला कलक्टर, कोटा के पास शेष रहे 330 आवेदन पत्रों हेतु संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। शेष आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र कर दिय जावेगा।

जिला कलक्टर, बूंदी एवं बारां द्वारा समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

(4) जी नहीं। शेष रहे आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलम्ब नहीं हो पा रहा है, बल्कि संबंधित विभागों के स्तर पर निस्तारण की कार्यवाही जारी है।

परिशिष्ट "क"

जिला कलक्टर, कोटा

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्त आवेदन	निस्तारण	शेष
1	2	3	4	5
1.	विकास डीआरडीए	123	111	12
2.	राजस्व	3408	3340	68
3.	पीएचईडी	216	199	17
4.	विद्युत	139	123	16
5.	समाज कल्याण	88	88	—
6.	परिवहन विभाग	35	34	01
7.	रसद विभाग	30	20	10
8.	पुलिस विभाग	52	40	12
9.	सा. नि. विभाग	104	94	10
10.	सिंचाई विभाग	81	40	41
11.	सैटलमेंट	01	01	—
12.	पशुपालन विभाग	07	06	01
13.	कोषालय	11	11	—
14.	शिक्षा विभाग	21	11	10
15.	कृ. उ. मण्डी समिति	10	08	02
16.	स्वास्थ्य विभाग	74	68	06
17.	दूरसंचार	12	06	06
18.	वन विभाग	07	05	02
19.	कृषि विभाग	02	02	02
20.	बैंक्स	04	04	—

1	2	3	4	5
21.	जिला परिषद	14	06	08
22.	लीड बैंक	13	10	03
23.	एस.सी.डी.सी.	06	06	—
24.	उद्योग विभाग	06	06	
25.	महिला विकास अभि.	03	03	—
26.	पंचायत समितियां (5)	760	702	58
27.	एस. डी. ओ. एवं ए.सी.एम (5)	88	69	19
28.	क्रय विक्रय सह. समिति	18	16	02
29.	खनिज विभाग	04	04	—
30.	नगरपालिकाएं (3)	14	12	02
31.	नगर निगम	01	—	01
32.	कलेक्ट्रेट	10	06	04
33.	रोजगार	18	18	—
34.	सी.ए.डी.	40	31	09
35.	सरपंच बनेठिया	03	03	—
36.	सीएक्सीएल गढेपान	01	01	—
37.	अन्य	50	40	10
कुल		**5574**	**5144**	**330**

परिशिष्ट "ख"

जिला कलक्टर, बूंदी

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्त आवेदन	निस्तारण	शेष
1	2	3	4	5
1.	राजस्व विभाग	1360	1360	—
2.	विद्युत	100	100	—
3.	जलदाय	265	265	—
4.	विकास अधिकारी पं. समितियां	222	222	—
5.	वन विभाग	18	18	—
6.	सिंचाई विभाग	31	31	—
7.	समाज कल्याण विभाग	14	14	—
8.	सा. नि. विभाग	70	70	—
9.	शिक्षा विभाग	24	24	
10.	ग्रामीण विकास अभिकरण	21	21	—
11.	स्वास्थ्य विभाग	20	20	—
12.	परिवहन विभाग	05	05	—
13.	परियोजना अधिकारी अनो. शिक्षा	02	02	—
14.	दूरसंचार	04	04	—
15.	पुलिस विभाग (गृह)	18	18	—
16.	ब्लाक शिक्षा अधिकारी	18	18	—
17.	जिला परिषद	16	16	—
18.	भू-संरक्षक विभाग	10	10	—
19.	कृषि विभाग	01	01	—
20.	महिला एवं बाल विकास	08	08	—

1	2	3	4	5
21.	ग्राम पंचायत	02	02	—
22.	रसद विभाग	07	07	—
23.	कोषाधिकारी	01	01	—
24.	नगरपालिका	06	06	—
25.	कृ. उ. मण्डी समिति	01	01	—
26.	बैंकिंग	02	02	—
27.	आयुर्वेद विभाग	02	02	—
28.	सहायता विभाग	02	02	—
29.	पशुपालन विभाग	01	01	—
30.	आबकारी विभाग	01	01	—
	कुल योग	**2252**	**2252**	—

परिशिष्ट "ग"

कलक्टर, बारां

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्त आवेदन पत्र	निरतारण	शेष
1.	राजस्व विभाग	6506	6506	—
2.	विकास विभाग	1490	1490	—
3.	समाज कल्याण विभाग	22	22	—
4.	उद्योग विभाग	695	695	—
5.	चिकित्सा विभाग	50	50	—
6.	विद्युत विभाग	5	5	—
	योग	**8768**	**8768**	—

अम्बाला-फतेहपुर-चूरू राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु प्राप्त राशि

324. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अम्बाला से फतेहपुर वाया हिसार चूरू नेशनल हाईवे नम्बर 65 स्वीकृत है ?

(2) गत दो वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उक्त सड़क हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ?

(3) क्या स्वीकृत राशि का उपयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त राशि का उपयोग अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त सड़क (फतेहपुर-झुंपा अनुभाग) हेतु गत दो वर्षों में 971.75 लाख की राशि स्वीकृत की गई।

(3) उक्त स्वीकृति में से 170.64 लाख का उपयोग कर लिया गया है। रुपये 378.01 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.1.2001 को ही केन्द्र द्वारा जारी की गई है, उस कार्य का टेंडर भी स्वीकृत कर दिया गया है, कार्य शीघ्र ही कर लिया जावेगा। रुपये 438.17 लाख की स्वीकृतियां भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार स्वीकृति से 15 प्रतिशत अधिक की दरें होने के कारण निरस्त कर दी गई है।

(4) स्वीकृत कार्यों पर आबंटित राशि का उपयोग कर लिया गया है तथा जिन कार्यों की स्वीकृति निरस्त की गई है, उनमें किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रश्न-पत्रों की छपाई में अनियमितता

325. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, बोर्ड अजमेर के विगत सत्र के वार्षिक परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की छपाई में भारी अनियमितता उजागर हुई ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं की जांच किसने की या कौन कर रहा है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रश्न-पत्रों की छपाई में कागज घटिया क्वालिटी का उपयोग किया गया ? क्या कागज की गुणवत्ता की जांच करायी गई ? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रश्न-पत्र दो रंगों की स्याही से छपाने का प्रावधान था, जिसकी पालना नहीं की गई ? यदि हां, तो पूर्व के वर्षों में छपे प्रश्न-पत्रों की प्रति और वर्ष 1999-2000 में छपे प्रश्न-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) (i) जी नहीं।

(ii) जी, हां।

(iii) प्रयुक्त कागज की जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(3) प्रश्न पत्रों की छपाई में प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर रंगीन टाइटल वाली पट्टी लगाने का प्रावधान था परन्तु समय की अत्यधिक कमी एवं परीक्षाओं की सन्निकटता को दृष्टिगत रखते हुए ही निविदा स्वीकृति हेतु निर्धारित समिति द्वारा फर्म से किए नेगोशिएशन के बाद की गई अनुशंसा पर अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्वीकृति से उक्त रंगीन के स्थान पर काली पट्टी लगाने की अनुमति दी थीं। फर्म द्वारा तद्नुसार काली पट्टी मुद्रित की गई थी। वर्ष 1999 व वर्ष 2000 में छपाये गये प्रश्न पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम कलदरी (सिरोही) का विद्युतीकरण

326. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सिरोही के कलदारी आदिवासी क्षेत्र में बिजली पहुंचाने के लिए भूमि देने की एवज में वन विभाग ने कितनी राशि की मांग की है?

(2) क्या उक्त राशि जोधपुर विद्युत निगम द्वारा वन विभाग को अदा कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त मामला किस स्तर पर विचाराधीन है और कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला सिरोही में कालिंदरी आदिवासी क्षेत्र में विद्युत पहुंचाने के लिए वन विभाग की भूमि उपयोग में लिये जाने के कारण वन अधिकारी सिरोही ने 4.90 हैक्टेयर में वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति हेतु 148225/- रु. की मांग की है।

(2) जोधपुर विद्युत वितरण निगम ने वन विभाग द्वारा मांगी गई राशि के बारे में वन विभाग से अतिरिक्त जानकारी देने का अनुरोध किया था, परन्तु वन विभाग द्वारा अभी तक वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः वांछित जानकारी के अभाव में अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है।

(3) उक्त मामला वन विभाग के स्तर पर विचाराधीन है। वन विभाग से वांछित सूचना प्राप्त होने पर, स्वीकृति जारी कर मामले का निस्तारण कर दिया जावेगा।

कस्तूरबा श्रमिक जन कल्याण समिति अजमेर को अनुदान

327. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्तूरबा श्रमिक जन कल्याण समिति अजमेर को संक्षिप्त पाठ्यक्रम सरकार द्वारा चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी? यदि हां, तो कब? स्वीकृति-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्था द्वारा संक्षिप्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम कब से कब तक कितनी समयावधि के लिए चलाया गया? उक्त समयावधि के लिए संस्था को कितनी अनुदान राशि का भुगतान करना था?

(3) क्या अनुदान राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा यह योजना संचालित नहीं की जाती। कस्तूरबा जन कल्याण समिति, अजमेर को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली की स्वीकृति पत्र संख्या एफ 4-4/राज/97-सी.सी. दिनांक 16.10.97 द्वारा अक्टूबर, 97 से मई, 99 तक की अवधि में संचालित करने की अनुमति दी गई थी। प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) संस्था द्वारा संक्षिप्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम दिनांक 1.11.97 से 20.4.99 तक 17 माह 20 दिन संचालित किया गया। जिसमें स्वीकृति पत्र में दी गई शर्तों की पूर्ण पालना करने पर स्वीकृत राशि के विरुद्ध 87,438 रुपये अनुदान राशि का भुगतान करना होता।

(3) संस्था को प्रथम किस्त के रूप में 15000 रुपये की राशि दिनांक 19.6.99 को निर्गत की गई थी। संस्था द्वारा मूल स्वीकृति पत्र के बिन्दु संख्या 10 की पालना की गई। अतः संस्था को शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

घटिया जिप्सम आपूर्ति में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

328. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 2000-2001 में राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लि. द्वारा कृषि विभाग राजस्थान को किसानों को अनुदानित दर पर कृषि भूमि के रिक्लेमेशन के लिए वितरण करने हेतु कुल कितने लाख टन जिप्सम पाउडर सप्लाई किया गया व उक्त जिप्सम पाउडर की शुद्धता का प्रतिशत क्या था?

(2) उक्त जिप्सम में भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार कितनी शुद्धता को मान्य किया हुआ है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(3) क्या यह सही है कि आर.एस.एम.एम. द्वारा सप्लाई किया गया जिप्सम पाउडर एकदम घटिया क्वालिटी का था?

(4) क्या यह भी सही है कि सप्लाई किये गये जिप्सम पाउडर के आर.एस.एम.एम. द्वारा तैयार माल के सैम्पल लिये गये व उसकी जांच करवायी गयी? जांच का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आर.एस.एम.एम. द्वारा जो घटिया स्तर का जिप्सम पाउडर कृषि विभाग को सप्लाई किया गया वह कृषि विभाग द्वारा कितने जिलों के किसानों के खेतों में लैण्ड रिक्लेमेशन के लिए उपयोग में लिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि घटिया क्वालिटी के कारण खेतों में आवश्यक परिणाम नहीं आये व किसानों को उचित लाभ नहीं हुआ?

(7) क्या आर.एस.एम.एम. की अक्षमता के कारण राज्य सरकार द्वारा जो करोड़ों रुपये का अनुदान उक्त सम्बन्ध में दिया गया, वह बेकार चला गया? क्या उक्त नुकसान के लिए दोषी आर.एस.एम.एम. अधिकारियों व कृषि विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच करवाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 मे राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल द्वारा कृषि विभाग के किसानों को अनुदानित दर पर कृषि भूमि के रिक्लेमेशन व तिलहनी व दलहनी फसलों में पौषक तत्व के रूप में उपयोग करने हेतु 72743.60 मै. टन जिप्सम पाउडर की सप्लाई की गई है, उक्त जिप्सम पाउडर की शुद्धता (केल्शियम सल्फेट) का प्रतिशत 70 से अधिक था।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार जिप्सम में कम से कम 70 प्रतिशत केल्शियम सल्फेट की शुद्धता को मान्य किया हुआ है।

(3) जी नहीं, आर.एस.एम.एम. द्वारा सप्लाई किया हुआ जिप्सम पाउडर 70 से 72 प्रतिशत शुद्धता का था।

(4) जी हां, आर.एस.एम.एम. के जिप्सम आपूर्ती करने से पूर्व प्रत्येक आपूर्ती संस्थाएं जिप्सम के प्रत्येक लौट की गुणवत्ता का परीक्षण करवाती हैं तथा उक्त जिप्सम की शुद्धता भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार पाई जाने के पश्चात् ही विभिन्न जिलों में आपूर्ति की जाती है। जांच में जिप्सम की शुद्धता का प्रतिशत 70 से 72 पाया गया है।

(5) जी नहीं, आर.एस.एम.एम. द्वारा घटिया स्तर का जिप्सम पाउडर सप्लाई नहीं किया गया, उप जिला सादुलशहर में 150 मै. टन जिप्सम की मात्रा में शुद्धता कम पाई गई थी जिसे तुरन्त प्रभाव से कृषि

(कृषि मंत्री)

विभाग द्वारा आपूर्ती संस्थाओं को वापस कर दिया गया तथा किसानों में अमानक जिप्सम का वितरण नहीं कराया गया।

(6) जी नहीं, जिप्सम के खेतों में उपयोग से अच्छे परिणाम मिले हैं तथा किसानों को लाभ हुआ है।

(7) जी नहीं, सरकार द्वारा आर.एस.एम.एम. की मार्फत जिप्सम पर जो अनुदान दिया गया है उससे कृषकों को लाभ हुआ है। अतः कोई जांच करवाना प्रस्तावित नहीं है। भविष्य में गुणवत्ता हेतु राजकीय प्रयोगशालाओं द्वारा जांच किए गए जिप्सम पर ही अनुदान दिया जावेगा।

राजकीय चिकित्सालय हिण्डौली में स्त्री रोग विशेषज्ञ का रिक्त पद

329. **श्री नाथूलाल गुर्जर** (हिण्डौली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तहसील मुख्यालय हिण्डौली के अस्पताल में डाक्टरों के कितने पद रिक्त हैं? क्या स्त्री विशेषज्ञ का पद भी रिक्त है? यदि हां, तो रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

तहसील मुख्यालय हिण्डौली में डाक्टरों के पद रिक्त नहीं हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत नहीं है।

जिला नागौर के महिला एवं बाल विकास कार्यालय में रिक्त पद

330. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो नागौर जिले में कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारियों के पद कब कब से रिक्त हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पद कब तक किस प्रक्रिया से भरे जायेंगे तथा इतनी संख्या में इतने पद रिक्त रहते हुये विभाग के कार्य पर क्या कोई असर पड़ा है?

(3) क्या इतनी बड़ी संख्या में पद रिक्त रहते हुये भी विभाग का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है? यदि हां, तो इतने अधिक पद सृजित करने का क्या आधार है।

उत्तर

(1) जी, हां। रिक्त पदो की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला नागौर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति से भरा जा चुका है। सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जायेंगे। महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

को भरने के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को सामान्य प्रशासन विभाग से उपलब्ध करवाए गए अधिशेष कर्मचारियों से भरा जा रहा है। पद रिक्त होने से विभाग का कार्य प्रभावित हो रहा है।

(3) जी, नहीं। पद रिक्त होने से कार्य प्रभावित हो रहा है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	नगर परियोजना	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5
1.	डेगाना	परियोजना अधिकारी	1	9.8.2001 से
		महिला पर्यवेक्षक	2	3 वर्ष से
		वरिष्ठ लिपिक	1	1 वर्ष से
2.	जायल	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	2	7 वर्ष से
		वरिष्ठ लिपिक	1	7 वर्ष से
		महिला पर्यवेक्षक	3	7 वर्ष से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	7 वर्ष से
3.	मेड़ता	कनिष्ठ लिपिक	1	4.9.98 से
		महिला पर्यवेक्षक	3	1 पद 1.4.98 से 1 पद 31.10.98 से 1 पद 1.11.2000 से
4.	डीडवाना	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	3	2 पद लम्बे समय से 1 पद 11/2000 से
		महिला पर्यवेक्षक	7	6 पद 1996 से 2 पद 1997 से 1 पद 1998 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	लम्बे समय से

1	2	3	4	5
5.	मूण्डवा	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	1997 से
		वरिष्ठ लिपिक	1	11/2000 से
		कनिष्ठ लिपिक	2	3 वर्ष
		महिला पर्यवेक्षक	2	11/2000 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	1999 से
6.	मकराना	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	16.12.94 से
		कनिष्ठ लिपिक	2	1 पद 17.1.2000 से 1 पद 24.1.2001
		वरिष्ठ लिपिक	1	15.11.2000 से
		महिला पर्यवेक्षक	5	4 पद 16.12.94 से 1 पद 6.9.98 से
		वाहन चालक	1	12.8.99 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	12.8.99 से
		चौकीदार	1	12.3.99 से
7.	परबतसर	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	12.12.2000 से
		वरिष्ठ लिपिक	1	27.8.2000 से
		महिला पर्यवेक्षक	1	1994 से
		वाहन चालक	1	8/1999 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	8/1999 से
		चौकीदार	1	8/1999 से
8.	लाडनूं	कनिष्ठ लिपिक	1	12.8.99 से
		महिला पर्यवेक्षक	6	1 पद 30.11.99 से 5 पद प्रारम्भ से
		वाहन चालक	1	12.8.99 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	12.8.99 से

1	2	3	4	5
		कार्यालय सहायक	1	12.8.1999 से
		चौकीदार	1	12.8.1999 से
9.	नागौर	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	2	15.6.2000 से
		सांख्यिकी सहायक	1	15.6.2000 से
		कनिष्ठ लिपिक	3	15.6.2000 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	15.6.2000 से
		चौकीदार	1	15.6.2000 से
10.	कुचामन सिटी	सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	1	15.6.2000 से
		सांख्यिकी सहायक	1	15.6.2000 से
		कनिष्ठ लिपिक	2	15.6.2000 से
		महिला पर्यवेक्षक	9	15.6.2000 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2	15.6.2000 से
		चौकीदार	1	15.6.2000 से
11.	रियांबाड़ी	महिला पर्यवेक्षक	1	1.9.1995 से
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	22.1.2000 से

अधिशासी अभियन्ताओं की पदोन्नति में अनियमितताएं

331. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सहीं है कि 47 सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता के पद पर लगाया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(2) उक्त 47 पदोन्नत सहायक अभियन्ता में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने अभियन्ता पदोन्नत हुए? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि 140 अभियन्ताओं को वर्ष 1997 में नियमों के तहत पदोन्नत किया गया था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नत सहायक अभियन्ताओं में से अधिकांश को उपेक्षित किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन दोषी है?

उत्तर

(1) जी, हां। इन सहायक अभियन्ताओं को कार्योत्तर व्यवस्था (वर्किंग अरेन्जमेन्ट) के आधार पर लगाया गया है।

(2) उक्त 47 सहायक अभियन्ताओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी पदोन्नत नहीं किये गये हैं। अनुसूचित जाति/जनजातियों के अभ्यर्थियो का नाम जोन-आफ कंसीडरेशन में नहीं आ पाने के कारण पदोन्नत नहीं किये गये हैं।

(3) जी, हां। वर्ष 1997 (1.1.1997 से 31.12.97) में नियमों के तहत 538 अभियन्ताओं को पदोन्नत किया गया पदवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1997 (1.1.1997 से 31.12.97) में अभियन्ताओं की की गयी पदोन्नति का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	की गयी पदोन्नति की संख्या
1.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता	7
2.	अधीक्षण अभियन्ता से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	9
3.	अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता	11
4.	अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	2
5.	सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल)	11
6.	सहायक अभियन्ता (विद्युत) से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत)	1
7.	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल)	451
8.	कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) से सहायक अभियन्ता (विद्युत)	15
9.	कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	31
	योग	538

जिला बांसवाड़ा में व्याख्याताओं का पदस्थापन

332. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विषयवार वेतन पर (व्याख्याता) पदोन्नतियां दी गयी हैं? यदि हां, तो उनमें जिला बांसवाड़ा में कितनी पदोन्नतियां विषयवार की गयी हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पदोन्नतियों कर पदस्थापन अन्य जिलों में दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) उक्त व्याख्याताओं का पदस्थापन अन्य जिलों में करने के उपरान्त कितने संशोधन किये गये?

(4) क्या संशोधन के बाद राज्यादेशों की पालना नहीं की गई?

(5) क्या यह सही है कि बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागीदौरा में अंग्रेजी व्याख्याता के एक पद पर तीन व्याख्याताओं को पदस्थापन किया गया एवं रिक्त होने पर पुनः संशोधन किये गये? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) भाग 1 के अनुसार।

(3) भाग 2 के अनुसार।

(4) भाग 3 के अनुसार।

(5) जी, हां। व्याख्याताओं का तत्काल पदस्थापन करने की कार्यवाही त्वरित गति से जारी रहने से समयाभाव में राज्य स्तर पर व्याख्याताओं के कार्यग्रहण की सूचना समय पर संकलित न हो पाने की दशा में तीन व्याख्याताओं के पदस्थापन आदेश जारी हो गये थे, परन्तु कार्यग्रहण की सूचनाएं उपलब्ध होने पर उनके संशोधित आदेश भी जारी करने पड़े।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-531 की सूची)

BIOCHEMISTRY CENTRAL LAB
S.M.S. HOSPITAL, JAIPUR

Patient's Name

Age Sex

Diagnosis Referred by Dr.

Poor/Sr. Citigen/Rtd. Person/Widow/Handicapped Person/Destitute Person/BPL

S.No.	INVESTIGATION	COST
1	2	3
1.	Blood Sugar	15/-
2.	Blood Sugar P.P.	15/-
3.	30 Mln.	15/-
4.	1.00 Hrs.	15/-
5.	1.30 Hrs.	15/-
6.	2.00 Hrs.	15/-
7.	2.30 Hrs.	15/-
8.	Serum Urea	20/-
9.	Serum Creattinine	20/-
10.	Serum Uric Acid	30/-
11.	Serum Calcium	30/-
12.	Serum Phosphorus	30/-
13.	Serum Iron	50/-
14.	Serum TIBC	50/-
15.	Serum Total Proteins	15/-
16.	Serum Albumin	15/-
17.	Serum Electolytes	60/-

1	2	3
18.	Ionicalcium	60/-
19.	Sithium	60/-
20.	S.Total Billrubin (a) Direct	30/-
	(b) Indirect	30/-
21.	S.G.O.T.	20/-
22.	S.G.P.T.	20/-
23.	S.Alk. Phophatase	30/-
24.	Acid. Phosphatase	20/-
25.	Serum L.D.H.	80/-
26.	Serum C.P.K.	80/-
27.	Serum C.P.K.M.B.	80/-
28.	Serum G.G.T.	80/-
29.	Serum Amylase	50/-
30.	Serum Liapase	50/-
31.	Total Lipids	180/-
32.	Trigycerides	60/-
33.	Total Cholesterol	20/-
34.	HDL Cholesterol	30/-
35.	Serum Ferritin	120/-
36.	Glycoted Hb.	100/-
37.	CSF/Pleural/Ascitic Fluid	60/-

Total Cost	
Cost of Consumables	**Rs. 5/-**
Grand Total	

PATHOLOGY CENTRAL LAB

S.M.S. HOSPITAL, JAIPUR

Patient's Name

Age. Sex.

Referred by Dr.

Poor/Sr. Citizen/Rtd. Person/Widow/Handicapped Person/Destitute Person/BPL

S.No.	Investigation	Cost
40.	Heamoglobin	5/-
41.	Total Leucocyte Count	10/-
42.	Differential Leucocytec	10/-
43.	Total Red Blood Cells	10/-
44.	ESR	5/-
45.	Pheral Blood Film	15/-
46.	Platelet Counts	10/-
47.	Bleeding Time	5/-
48.	Clotting Time	5/-
49.	Pack Cell Volume	10/-
50.	Complete Blood Count	50/-
51.	Urone Exam. Complete	10/-
52.	Stool Examination	5/-
53.	Semen Examination	10/-
54.	TEC	10/-
55.	VEC Body Fluid	5/-
56.	Body Fluid Cill Count (P/Specify)	10/-
57.	Bence-Jones Protein-Urine	5/-
TOTAL COST		
COST OF CONSUMERS		5/-
GRAND TOTAL		

CLINICAL MICROBIOLOGY CENTRAL LAB

S.M.S. HOSPITAL, JAIPUR

Patient's Name Referred by Dr.

Age. Sex Urban/Rural

Diagnosis Reg.No.

Free/AFS

Poor/Sr. Citizen/Rtd. Person/Widow/Handicapped Person Dedtitute Person/BPL

S.No.	INVESTIGATION	COST
1.	Widal	25/-
2.	Brucella Test (Brucellosis)	150/-
3.	Paul Brunnel Test	25/-
4.	V.D.R.L. Test (Qualitive)	15/-
5.	V.D.R.L. Test (Quantitative)	25/-
6.	Anti Streptolysin O Tite (ALSC)	60/-
7.	Anti Streptolysin O Tite (For each dilution)	30/-
8.	"C" Reactive Protein (CRP)	30/-
9.	Rheumatoid Factor (RF)	30/-
10.	Pregnancy Test Urine HCG (Qualitative)	30/-
11.	Pregnancy Test Urine HOG (Quantative)	20/-
12.	Dengue Test Igm Antibodies (Rapid)	400/-
TOTAL COST		
COST OF CONSUMABLE		**Rs. 5/-**
GRAND TOTAL		

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-532 की प्रति)

Doctor's Legal Liability

Introduction :

On seeing so many tentacles of Law surrounding a medical man one is bound to get frightened, confused and even frustrated to some extent. To avoid legal confrontation and also that he may not become easy victim of traps laid down by unscrupulous person it is essential for the members of the medical profession to be oriented regarding their obligations and responsibilities from purely legalistic points of view. In all civilized countries the right to practice medicine is subject to the law of the land, which protects the community from quacks, guards against indiscriminate use of dangerous drugs and cautions the medical practitioners against unethical practices and medical malpraxis.

Doctor-Patient Relationship and Liability :

On the basis of Doctor-Patient relationship doctor's can be grouped into two broad categories :

(i) Those engaged or employed by clinics or hospitals run by the Government, local authorities, private trusts etc. all known as public clinics or public supported clinics.

(ii) Private practitioners—Those who have contractual relationship with their patients.

The answer to the question of Doctor's liability would depend on which of the two categories the concerned doctor's falls, though in final analysis, the nature of the liabilities would be the same, as the medical manowes his duty to exercise a reasonable degree of skill and knowledge even when a patient is treated free of charge.

Doctor's right to Decline to Treat a Patient

With reference to Doctor's liability, the first and foremost question that would arise is whether a Doctor has a right to decline to treat a patient :

Generally speaking a medical practitioner serving on the staff of a government hospital or charitable trust, is bound to render professional service to every patient approaching the institution.

There is no legal obligation on the private practitioner to accept any and every patient that happens to go to him because in the field of a contract, no one is under an obligation to enter into a contract which is a relationship arising out of free volition or consent of parties. As no patient can be compelled to be treated by a particular doctor, no doctor can likewise be coerced into entering into a contract with any patient. However, item No. 13 of the code of Medical Council of India which reads as "The patient must not be neglacted", enjoined on the doctor an .... patient arbitrarily or capriciously especially inemergancy situation. To this there are certain exceptions under which a doctor may decline :

(1) If he himself is not well or free.

(2) To a patient with whom he had already bad blood or strained relations.

(3) In odd hours i.e. hours other than earmarked by him for his profession.

(4) There is no legal obligation to answer a call to visit the patient at his place of residence.

(5) At any rate, he can legitimately turn down the offer of a visit in hours of night on the ground of incidents of robbing doctor's at night.

(6) If the treatment he is going to administer involves known risk to life and safety and the patient declines go give his written informed consent to undergo that risk..

Legal Positions and Govt. Instructions in an Emergency Case/Situation

The legal position as clarified by the Hon'ble Supreme Court in their judgement in the criminal writ petition No. 270 of 1988 of Pt. Parmanand Katara Vs Union of India and others :

It is held that Article 21 of the Constiution casts the obligation on the sate to preserve life. Every doctor whether at a government hospital or otherwise has the professional obligation to extend his services with due expertise for protecting life. The obligation being total absolute and paramount, laws of procedure whether in statuies or otherwise which would interfare with the discharge of this obligation cannot be suatained and must, therefore, give under Article 32 of the Constitution of India way. The matter is extremely urgent and brooks no delay to remind every doctor of his total obligation and assure him of the position that he does not contravene the law of the land by proceeding to treat the injured victim on his appearance before him either by himself or being carried by others. Zonal regulations and classifications can not also operate as fetters in the process of discharge of the obligation and irrespective of the fact whether under instructions or rules, the victim has to be sent elsewhere or how the police shall be contacted, the guidelines indicated in the 1985 decision of the committee is to become operative.

Further that a private hospital maintaining emergancy services may be held liable for refusal of medical care in the case of unmistakable emergancy if the patient has relied on a well established custom of the hospital to render aid to emergency patient.

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-533 की सूची)

औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा दुकानों के किये गये निरीक्षणों की वर्षवार सूची

वर्ष	दुकानों की संख्या
1997-98	7735
1998-99	7197
1999-2000	7247
कुल किये गये निरीक्षण	**22179**

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-538 का विवरण)

कार्यालय-अधीक्षक सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर

क्र. सं.	नाम उपकरण	कब से खराब है	इस चिकित्सालय में खराब पड़े उपकरणों की सूची में मरम्मत के लिए किये गये प्रयास
1	2	3	4
1.	हेमोडायलेसिस मशीन बैक्सटर	7/2000	आचार्य एवं विभागाध्यक्ष नेफ्रोलोजी विभाग के सूचना प्राप्त होने पर मै. हैल्थकेयर प्रोडक्ट, नई दिल्ली को मशीन की मरम्मत के लिए निवेदन किया गया एवं इस बाबत फर्म द्वारा प्रस्तुत मरम्मत एस्टीमेट रु. 110880/- पार्ट्स बदलने बाबत अनुमोदित किया गया। फर्म का इंजीनियर मशीन की मरम्मत करने के लिए नहीं आया है। दिनांक 12.4.01 को भी स्मरण पत्र जारी किया जा चुका है।
2.	हेमोडायलेसिस मशीन कॉब	3/2000	विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर फर्म मै. गेम्बो लि. चेन्नई को मशीन की मरम्मत कराने के लिए निवेदन किया गया व पार्ट्स बदलने का एस्टीमेट रु. 27100/- को अनुमोदित किया गया लेकिन इन पार्ट्स को बदलने से भी मशीन को फर्म का इंजीनियर चालू नहीं कर सका एवं अन्य पार्ट्स पम्प एसेम्बली के लिए रु. 82,160/- का एस्टीमेट पुनः प्रस्तुत किया, फर्म से जानकारी की गई है कि वे इस कार्यालय को अवगत करावे कि इन पार्ट्स को बदलने के पश्चात् मशीन कार्य करेगी व गारण्टी क्या होगी। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 2.4.01 के द्वारा बताया है कि मशीन पुरानी होने के कारण कार्य करने की गारण्टी वे नहीं दे सकते वे पार्ट्स जो जरूरी हैं, का एशोरेंस दे सकते हैं। मशीन को सही कराने का कार्य प्रगति पर है।

1	2	3	4
3.	आर.ओ. सिस्टम	3/2000	विभाग द्वारा प्राप्त होने पर मै. रस्तोगी सर्जिकल प्रा. लि., दिल्ली को मशीन की मरम्मत के लिए कहा गया है लेकिन उनका इंजीनियर नहीं आया है। दिनांक 12.4.2001 को स्मरण पत्र जारी किया गया।
4.	फेकोइमल्सी-फिकेशन मशीन	9/2000	फर्म के इंजीनियर द्वारा मशीन को जांच के पश्चात् हैण्ड पीस आदि को बदलने की आवश्यकता बताई गई है जिसकी प्रोफुल इंवाइस प्राप्त कर फर्म मै. मयूर एन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली तथा नेत्र विभाग के प्रमुख से इस बाबत जानकारी प्राप्त की गई कि जो हैण्ड पीस आदि क्रय किये जा रहे हैं वे प्रोपर्टी नेचर के हैं एवं इससे कम दर पर किसी को नहीं बेचे गये हैं। फर्म का एस्टीमेट रु. 142000/- को अनुमोदित किया जाकर सप्लाई शीघ्र करने बाबत 16.3.2001 को कहा गया व स्मरण पत्र 12.4.2001 को जारी किया गया है फेको मशीन सही कंडीशन में है मात्र प्रोब की आवश्यकता है।
5.	ब्हडमैसएनलाइजर सीबाफाविग	3/2000	इस मशीन को सही कराने के लिये मै. ऑयर डायग्नोस्टिक, बड़ौदा से प्रयास किये जा रहे है लेकिन फर्म का इंजीनियर मशीन को सही करने नहीं आ रहा है। फर्म से प्रयास किये जा रहे है स्मरण पत्र 12.4.01 को दिया गया।
6.	इलैक्ट्रोला-इटएनालाइजर	6/2000	इस मशीन के लिए इलैक्ट्रोड्स की आवश्यकता है जो विभाग को उपलब्ध कराये जा रहे है। फर्म मै. निकोलस पिरामल, दिल्ली का इंजीनियर मशीन को सही करने/रख रखाव करने नहीं आ रहा है। इस बाबत न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है।

1	2	3	4
7.	(स्ट्राइकर) ड्रील	8/98	उक्त ड्रील को मरम्मत करने हेतु फर्म द्वारा दिल्ली भेजने हेतु कहा गया। अतः 17.9.98 को उक्त ड्रील मशीन मै. निकोलस पिरामल इण्डिया लि., नई दिल्ली को भेज दी एवं शीघ्र मरम्मत करने हेतु स्मरण पत्र दि. 2.2.99, 25.9.99, 8.5.2000 एवं 30.6.2000 को इस कार्यालय के आर्थोपेडिक आपरेशन थियेटर के प्रभारी श्री कालूराम वर्मा को ड्रील ठीक करवाने हेतु दिल्ली भेजा गया लेकिन ड्रील ठीक नहीं हो पायी एवं पुनः दिनांक 28.3.2001 को स्मरण पत्र भेजा गया इसके उपरान्त भी जब फर्म द्वारा ड्रील मरम्मत नहीं की है। अतः विदेशी फर्म को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.4.2001 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए भारतीय प्रतिनिधि को निर्देशित करने हेतु निवेदन किया जा चुका है।
8.	पीसी-3 ईसीजी मशीन	6/94	सम्बन्धित फर्म मै. कार्डियाट्रेस इलेक्ट्रोनिक लि., नई दिल्ली को लगातार निवेदन के पश्चात् भी उनका इंजीनियर ठीक करने हेतु नहीं भेजा एवं मशीन को उनके दिल्ली वर्कशाप में भेजने हेतु लिखा गया लेकिन विभागाध्यक्ष कार्डियोलोजी विभाग द्वारा उक्त फर्म का पिछला अनुभव देखते हुए मशीन भेजने की सहमति नहीं बताई। अतः फर्म को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक-1814 दिनांक 12.4.2000 द्वारा लिखा गया है कि इंजीनियर को रु. 4000/- डी.डी. मशीन के निरीक्षण के पश्चात् जयपुर में ही दे दिया जावेगा।

1	2	3	4
9.	आपरेशन टेबल	11/99	विभागाध्यक्ष प्लास्टिक सर्जरी द्वारा खराब होने की सूचना देने पर दिनांक 17.11.99 को मै. देहली सर्जिकल एण्ड ड्रेसिंग प्रा. लि., नई दिल्ली को इंजीनियर भेजने हेतु लिखा पुनः स्मरण पत्र दिनांक 6.5.2000 को लिखने पर फर्म द्वारा अपने पत्र क्रमांक 27412 जो दिनांक 20.5.2000 को प्राप्त हुआ द्वारा सूचित किया कि उनको इस टेबल का 10% शेष भुगतान जब्त कर लिया गया। अतः इस भुगतान के पश्चात् ही सर्विस इंजीनियर भेजना संभव होगा। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.7.2000 के द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवा दिया। इसके साथ ही वेलमोन्ट आपरेशन टेबल हेतु अधिकृत प्रतिनिधि मै. देहली होस्पिटल सप्लाई प्रा. लि., नई दिल्ली को भी इंजीनियर भेजने हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.7.2000 के द्वारा लिखा गया एवं पुनः स्मरण पत्र दि. 18.8.2000 को फर्म के इंजीनियर द्वारा टेवल का निरीक्षण करने के पश्चात् कुछ स्पेयर पार्ट्स बदले जाने का एस्टीमेट रु. 78,500/- प्रस्तुत किया जिसका भुगतान कर फर्म को ठीक करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 14.12.2000 को आदेश जारी कर दिया गया था। प्रति उत्तर में फर्म ने अपने पत्र दि. 7.3.2001 के द्वारा सूचित किया कि विदेशी फर्म को (स्पेयर पार्ट्स हेतु) सप्लाई आदेश दे दिये हैं स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होते ही रिपेयर कार्य कर दिया जावेगा।
10.	पेन्टेक्स गेस्ट्रोस्कोप एफ.जी.-29 एक्स	25.4.2000	25.4.2000 को उपकरण खराब होने के पश्चात् ही फर्म मै. साउथ इण्डिया सर्जीकल कं., नई दिल्ली के पास रिपेयर हेतु भेज दिया। फर्म के इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के पश्चात् रिपेयर एस्टीमेट रु. 58,500/- का इस कार्यालय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 7.5.2000 के द्वारा अनुमोदन एवं मरम्मत करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई तत्पश्चात् स्मरण पत्रों से उपकरण ठीक कर भेजने का

1	2	3	4
			निवेदन किया जाता रहा इस क्रम में दि. 8.9.2000 एवं इस कार्यालय आदेश दि. 19.9.2000 के द्वारा डा. हुकम चन्द सेठी को उक्त उपकरण लाने हेतु दिल्ली भेजा गया लेकिन उपकरण ठीक कर नहीं लौटाया गया। पुनः स्मरण. पत्र दि. 15.11.2000, 23.11.2000, 14.2.2001 एवं 29.3.2001 द्वारा फर्म को सूचित किया कि जब तक उपकरण ठीक कर नहीं लौटाया जाता है तब तक फर्म का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा। लेकिन उसके उपरान्त भी फर्म ने ना तो उपकरण लौटाया, ना ही इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण दिया है।
11.	रेपिड आटोक्लेव	1/2001	संबंधित फर्म मेडेक्स इण्डिया प्रा. लि., नई दिल्ली का रिपेयर हेतु इंजीनियर भेजने हेतु निवेदन कर दिया गया है इसके उपरान्त स्मरण पत्र दि. 12.4.2001 को भेजा गया है लेकिन अभी इंजीनियर का आना अपेक्षित है।
12.	इण्ड्रो-6	9/94	गारण्टी अवधि के दौरान मै. आदर्श सेल्स सर्विस, जयपुर द्वारा उपकरण कई बार ठीक कर दिया गया था, किन्तु मशीन पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पायी परिणामस्वरूप मशीन गारण्टी अवधि में ही खराब रही। फर्म को ठीक करने हेतु चिकित्सालय स्तर से कई बार लिखा गया। अन्तिम बार दिनांक 26.2.96 को फर्म ने लिखा कि इंजीनियर 15.3.96 को रिपेयर कार्य शुरू करेगा। इंजीनियर की अभिशंसा पर फर्म ने रु. 52,600/- + टैक्स के रिपेयर एस्टीमेट दिया। चूंकि उपकरण गारण्टी अवधि में था। अतः फर्म को बिना किसी कीमत के उपकरण ठीक करने हेतु कहा गया। पुनः फर्म को दिनांक 17.9.96 एवं 24.9.96 को भी पत्र लिखा गया कि बिना कीमत पर मरम्मत नहीं करने पर उपभोक्ता न्यायालय में ले जाया जायेगा। चूंकि जवाब में फर्म ने लिखा कि दो-तीन बार पार्ट्स बदलने के पश्चात् भी विभाग द्वारा

1	2	3	4
			पश्चात् भी विभाग द्वारा उपकरण को सुचारू रूप से कार्य में नहीं लेने के कारण खराब हुआ है। अतः बिना कीमत के उपकरण को ठीक करना सम्भव नहीं है। प्रकरण विभाग प्रमुख को भेजा गया। विभाग प्रमुख ने मामले को उपभोक्ता न्यायालय में ले जाने हेतु सिफारिश की। विभागाध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार प्रकरण को तैयार कर विधि शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। तद्नुसार मै. आदर्श सेल्स सर्विस, जयपुर के विरुद्ध दिनांक 10.12.98 को जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच (द्वितीय) में दावा दायर किया जा चुका है। डा. विनय तोमर, सहायक आचार्य, यूरोलॉजी विभाग को इस केस का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इस कार्यालय के पत्रांक-1315 दिनांक 15.9.99, 13.7.99, 7.9.99, 9.12.99, 28.2.2000, 19.9.2000 एवं दिनांक 19.3.2001 के द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर मामला निपटारे हेतु लिखा गया लेकिन अभी न्यायालय द्वारा निर्णय अपेक्षित है।
13.	आईसीपा मोनीटर हारीजन-2000	6.1.98	उपकरण खराब होने की सूचना विभागाध्यक्ष से प्राप्त होने के पश्चात् फर्म को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.1.98 द्वारा उपकरण ठीक करने हेतु लिखा गया। किन्तु विदेशी फर्म द्वारा भारतीय प्रतिनिधि बदले जाने के कारण मूलपत्र वापस आ गया। तत्पश्चात् बार-बार विदेशी फर्म को लिखने के पश्चात् नये भारतीय प्रतिनिधि के बारे में पत्र दिनांक 20.1.99 द्वारा सूचित करने के पश्चात् नये भारतीय प्रतिनिधि मै. Omran Medical Pvt. Ltd., Mumbai को पत्र दिनांक 2.4.99 के द्वारा इंजीनियर भेजने हेतु निवेदन किया गया एवं अपने पत्र दिनांक 12.4.99 के द्वारा भुगतान एवं वार्षिक रख-रखाव अनुबन्ध के बारे में लिखा एवं इंजीनियर के निरीक्षण चार्ज रु. 10,000/- का अनुमोदन कार्यालय के पत्र दिनांक 1.6.99 के

1	2	3	4
			द्वारा कर दिया गया एवं फर्म के इंजीनियर ने आकर उपकरण पर रिपेयर कार्य किया एवं अपने पत्र दिनांक 14.6.99 के द्वारा सूचित किया कि पावर सप्लाई यूनिट जो कि US$ 1150/- की है को ठीक करने का रु. 24000/- के भुगतान की मांग की। अतः विभागाध्यक्ष की टिप्पणी लेने पर अवगत करवाया गया कि दिनांक 7.6.99 को फर्म का इंजीनियर आया एवं रिपेयर कार्य किया एवं उसे दूसरे दिन पुनः उपकरण का सफल प्रदर्शन करने हेतु कहा लेकिन इंजीनियर बिना प्रदर्शन के ही वापस चला गया। अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.7.99, 7.9.99 के द्वारा पुनः इंजीनियर भेजने हेतु लिखा। लेकिन फर्म अपना पूर्ण भुगतान की मांग करती रही और इंजीनियर को पुनः नहीं भेजा। इस क्रम में पुनः पत्र दिनांक 29.2.2000, 31.3.2000 को लिखा गया। तत्पश्चात् विदेशी फर्म को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 23.9.2000 द्वारा अपने भारतीय प्रतिनिधि को उपकरण की मरम्मत करने हेतु निर्देश देने के लिए लिखा, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुनः M/s Omran Medical Pvt. Ltd., Mumbai को पत्र दिनांक 12.10.2000 को लिखा लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अन्त में भारत सरकार का संस्थान M/s Central Scientific Instrument Organisation को उपकरण का अवलोकन कर रिपोर्ट हेतु इस कार्यालय के पत्र दिनांक 22.2.2001, 27.3.2001 लिखा गया। संस्थान के इंजीनियर द्वारा उपकरण का अवलोकन कर लिया गया है लेकिन रिपोर्ट अभी अपेक्षित है जिसके लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.4.2001 को स्मरण पत्र दे दिया गया है।

1	2	3	4
14.	कार्डियक-मोनीटर (Lohamier)	1/2001	विभाग से सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 3.2.2001 को फैक्स द्वारा फर्म को इंजीनियर भेजने हेतु लिखा एवं पुनः स्मरण पत्र फैक्स द्वारा दिनांक 8.3.2001 एवं 12.4.2001 को जारी किया गया लेकिन अभी फर्म द्वारा उपकरण की मरम्मत अपेक्षित है।
15.	ऑपरेशन टेबल (2) बॉयोडेक्स एवं बेलमेन्ट		विभाग से खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर पत्र दिनांक 18.8.2000 के द्वारा फर्म द्वारा निरीक्षण करने के पश्चात् रिपेयर एस्टीमेट दिनांक 25.9.2000 को रु. 34,500/- एवं 78,500/- बॉयोडेक्स एवं बेलमेन्ट टेबल का क्रमशः प्रस्तुत किया, जिसे विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के उपरान्त इस कार्यालय के पत्र दिनांक 9.2.2000 के द्वारा रिपेयर एस्टीमेट के अनुमोदन के साथ ही रिपेयर करने का आदेश प्रसारित कर दिया गया। उक्त क्रम में फर्म के पत्र दिनांक 7.3.2001 द्वारा सूचित किया है कि विदेशी फर्म से स्पेयर पार्ट्स प्राप्त होते ही मरम्मत कार्य शुरू कर दिया जावेगा। विदेशी फर्म से स्पेयर पार्ट्स अपेक्षित है।
16.	माईक्रोबेन्ट-वेन्टीलेटर	11/2000	विभाग से सूचना प्राप्त होने पर फर्म के इंजीनियर द्वारा निरीक्षण करने पर कुछ कंजूमेबल एवं कम्प्रेशर बदलने हेतु सिफारिश की। अतः कंजूमेबल के लिए इस कार्यालय के दिनांक 16.11.2000 को आदेश जारी कर दिये गये है। दिनांक 11.4.2001 को उक्त कंजूमेबल प्राप्त हो गये हैं। कम्प्रेशर आयात करने हेतु फर्म से अनुबन्ध पत्र मांगा गया था जो दिनांक 17.3.2001 को प्राप्त हो गया है। अतः कम्प्रेशर आयात करने हेतु शीघ्र ही लेटर ऑफ क्रेडिट स्थापित की जा रही है।

ह०/—
अधीक्षक
सवाई मानसिंह चिकित्सालय
जयपुर।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-539 की सूची)

जिला पाली के अस्पतालों में कार्यरत, खराब एवं कण्डम योग्य मशीनों का संस्थावार संख्या विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	कार्यरत	खराब	कण्डम योग्य
1.	बांगड़ चिकित्सालय, पाली	3	2	2
2.	राजकीय चिकित्सालय, सोजत सिटी	1	—	—
3.	रैफरल चिकित्सालय, जैतारण	1	—	—
4.	रैफरल चिकित्सालय, बाली	1	—	—
5.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर	1	—	—
6.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निमाज	1	—	—
7.	रैफरल अस्पताल, बगड़ी नगर	1	—	—
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसूरी	1	—	—
9.	रैफरल अस्पताल, सादड़ी		—	—
10.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रानी	1	—	—
11.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तख्तगढ़	1	—	—
12.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खारची	1	—	—

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-541 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र भादरा के गांवों की सूची जिन्हें अभी सड़क से जोड़ा जाना बाकी है

क्र.सं.	गांव का नाम	वर्ष-1991 की जनगणना के आधार पर आबादी
1	2	3
(अ)	1000 से अधिक आबादी वाले गांव	
1.	मेहराना (पं.मु.)	3296
2.	अलायाला (पं.मु.)	1077
3.	पच्चरवाली	1000
(ब)	500 से 1000 तक की आबादी वाले गांव	
1.	2 बी.बी.एम.	558
2.	9 बी.एच.डी.	586
3.	राखी	645
4.	हूनतपुरा	810
5.	चोबारा	685
6.	मलकास	784
7.	मेहलिया	641
8.	शियोराताड़ा	988
9.	1 एन.टी.आर.	529
10.	गुन्जासरी	646
11.	रामसरा	727
12.	जगासरी छोटी	755

1	2	3
13.	लखनवास	867
14.	डूगरसिंहपुरा	753
15.	चानण	752
16.	मुन्दडिया बड़ा पं.मु.	916
17.	जगासरी बड़ी	951
18.	3 एम.एस.आर.	636
19.	चोटडा खालसा	750
(स)	**500 से कम आबादी वाले गांव**	
1.	10 एन.टी.आर.	10
2.	4 बी.आर.डब्ल्यू.	8
3.	5 बी.आर.डब्ल्यू.	40
4.	3 बी.आर.डब्ल्यू.	80
5.	1 बी.आर.डब्ल्यू.	57
6.	2 बी.आर.डब्ल्यू.	16
7.	3 एन.टी.आर.	170
8.	7 एन.टी.आर.	117
9.	5 एन.टी.आर.	74
10.	4 एन.टी.आर.	65
11.	2 एन.टी.आर.	65
12.	5 डी.पी.एन.	7
13.	2 डी.पी.एन.	58
14.	3 डी.पी.एन.	198
15.	1 डी.पी.एन.	450
16.	5 बारानी	35

1	2	3
17.	जगासरी बड़ी	951
18.	3 एम.एस.आर.	636
19.	चोटड़ा खालसा	750
(स)	**500 से कम आबादी वाले गांव**	
1.	10 एन.टी.आर.	10
2.	4 बी.आर.डब्ल्यू.	8
3.	5 बी.आर.डब्ल्यू.	40
4.	3 बी.आर.डब्ल्यू.	80
5.	1 बी.आर.डब्ल्यू.	57
6.	2 बी.आर.डब्ल्यू.	16
7.	3 एन.टी.आर.	170
8.	7 एन.टी.आर.	117
9.	5 एन.टी.आर.	74
10.	4 एन.टी.आर.	65
11.	2 एन.टी.आर.	65
12.	5 डी.पी.एन.	7
13.	2 डी.पी.एन.	58
14.	3 डी.पी.एन.	198
15.	1 डी.पी.एन.	450
16.	5 बारानी	35
17.	4 बारानी	25
18.	2 बारानी	78
19.	10 एस.डी.आर.	75
20.	8 एस.डी.आर.	29

1	2	3
21.	5 एस.डी.आर.	21
22.	7 एस.डी.आर.	78
23.	20 ए.एम.एस.	83
24.	19 ए.एम.एस.	15
25.	18 ए.एम.एस.	17
26.	4 एस.डी.आर.	44
27.	3 एस.डी.आर.	37
28.	2 एस.डी.आर.	38
29.	15 ए.एम.एस.	39
30.	19 ए.एम.एस.	26
31.	4 एम.आर.एन.	149
32.	7 एम.आर.एन.	1
33.	9 एम.आर.एन.	25
34.	6 एम.आर.एन.	25
35.	5 एम.आर.एन.	43
36.	3 एम.आर.एन.	50
37.	2 एम.आर.एन.	41
38.	8 ए.एम.एस.	84
39.	7 ए.एम.एस.	176
40.	6 ए.एम.एस.	88
41.	4 ए.एम.एस.	87
42.	2 ए.एम.एस.	301
43.	1 ए.एम.एस.	100
44.	3 ए.एम.एस.	218

1	2	3
45.	1 जे.एस.एल.	106
46.	2 सी.एच.एन.	40
47.	4 सी.एच.एन.	93
48.	1 सी.एच.एन.	67
49.	2 जे.जी.डब्ल्यू.	94
50.	3 सी.एच.एन.	75
51.	4 जे.जी.डब्ल्यू.	14
52.	1 जे.जी.डब्ल्यू.	9
53.	3 जे.जी.डब्ल्यू.	18
54.	5 जे.जी.डब्ल्यू.	7
55.	7 जे.जी.डब्ल्यू.	18
56.	8 जे.जी.डब्ल्यू.	7
57.	10 ए.एम.एस.	12
58.	11 ए.एम.एस.	9
59.	12 ए.एम.एस.	7
60.	6 बारानी	266
61.	2 बी.एच.डी.	12
62.	1 एम.एस.आर.	116
63.	2 डी.पी.एन.	21
64.	6 डी.पी.एन.	36
65.	1 जी.जी.एम.	61
66.	3 जी.जी.एम.	33
67.	5 एम.एस.आर.	119

1	2	3
68.	11 एम.एस.आर.	108
69.	10 एम.एस.आर.	63
70.	9 एम.एस.आर.	243
71.	8 एम.एस.आर.	446
72.	6 एम.एस.आर.	174
73.	4 एम.एस.आर.	258
74.	1 बी.एच.पी.	84
75.	3 बी.एच.डी.	82
76.	12 जे.जी.डब्ल्यू.	5
77.	9 जे.जी.डब्ल्यू.	29
78.	7 जे.एस.एल.	9
79.	6 जे.एस.एल.	8
80.	6 सी.एच.एम.	110
81.	5 जे.एस.एल.	157
82.	14 जे.जी.डब्ल्यू.	58
83.	13 जे.जी.डब्ल्यू.	20
84.	8 बारपनी (रूरल)	298
85.	4 बी.एच.डी.	82
86.	5 बी.एच.डी.	42
87.	1 के.आर.पी.	64
88.	करणपुरा बारानी	46
89.	6 बी.एच.डी.	76
90.	हाथीपुरा	10

1	2	3
91.	धानीखोखरान	247
92.	रामपुरा	368
93.	11 बी.एच.डी.	271
94.	गंगासिंहपुरा	237
95.	ढाणी स्वामीयान	182
96.	मोमनबास	426
97.	मुडेरिया छोटा	297

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-551 की सूची)

श्रीगंगानगर जिले में स्थापित 220/132/33 के.वी. सब-स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम
1	2
1.	220 के.वी. सब स्टेशन, सूरतगढ़
2.	132 के.वी. सबस्टेशन, श्रीगंगानगर
3.	132 के.वी. सब स्टेशन, उद्योग विहार (श्रीगंगानगर)
4.	132 के.वी. सब स्टेशन, पदमपुर
5.	132 के.वी., सब स्टेशन, अनूपगढ़
6.	132 के.वी., सब स्टेशन, धड़साना
7.	132 के.वी., सब स्टेशन, रजियासर
8.	33 के.वी. सब स्टेशन, अनूपगढ़
9.	33 के.वी. सब स्टेशन, रामसिंहपुर
10.	33 के.वी. (132 की धड़साना पर स्थापित
11.	33 के.वी. सब स्टेशन, नई मण्डी, धड़साना
12.	33 के.वी. सब स्टेशन, पुरानी मण्डी, धड़साना
13.	33 के.वी. सब स्टेशन, रावलामण्डी
14.	33 के.वी. सब स्टेशन, खाजूवाली
15.	33 के.वी. सब स्टेशन, सीसीहैड
16.	33 के.वी. सब स्टेशन, धमडवाली
17.	33 के.वी. सब स्टेशन, पदमपुर
18.	33 के.वी. सब स्टेशन, रिडमलसर
19.	33 के.वी. सब स्टेशन, बीझवायला
20.	33 के.वी. सब स्टेशन, छाजूवाला
21.	33 के.वी. सब स्टेशन, गजसिंहपुर
22.	33 के.वी. सब स्टेशन, रायसिंहनगर

1	2
23.	33 के.वी. सब स्टेशन, रामावाली
24.	33 के.वी. सब स्टेशन, बुद्धजोड़
25.	33 के.वी. सब स्टेशन, संगराना
26.	33 के.वी. सब स्टेशन, चक 42 एफ
27.	33 के.वी. सब स्टेशन, चक 5 ओ
28.	33 के.वी. सब स्टेशन, श्रीकरणपुर
29.	33 के.वी. सब स्टेशन, जोरावरसिंहपुरा
30.	33 के.वी. सब स्टेशन, जवाहरनगर
31.	33 के.वी. सब स्टेशन, शनिमंदिर
32.	33 के.वी. सब स्टेशन, रीको श्रीगंगानगर
33.	33 के.वी. सब स्टेशन, जे.सी.टी मिल, गंगानगर
34.	33 के.वी. सब स्टेशन, भगतसिंह चौक, गंगानगर
35.	33 के.वी. सब स्टेशन, एम.ई.एम. साधुवाली
36.	33 के.वी. सब स्टेशन, वनवासी
37.	33 के.वी. सब स्टेशन, लालगढ़
38.	33 के.वी. सब स्टेशन, मम्मूड़
39.	33 के.वी. सब स्टेशन, सादुलशहर
40.	33 के.वी. सब स्टेशन, चक 7 एम.एल.
41.	33 के.वी. सब स्टेशन, चूनागढ़
42.	33 के.वी. सब स्टेशन, गणेशगढ़
43.	33 के.वी. सब स्टेशन, खाटलवाना
44.	33 के.वी. सब स्टेशन, नेतावाला
45.	33 के.वी. सब स्टेशन, हिन्दूमलकोट
46.	33 के.वी. सब स्टेशन, चक 27 एफ (कमीनपुरा)
47.	33 के.वी. सब स्टेशन, केसरीसिंहपुर
48.	33 के.वी. सब स्टेशन, मिगावाला

1	2
49.	33 के.वी. सब स्टेशन, दलपतसिंहपुरा
50.	33 के.वी. सब स्टेशन, जैतसर
51.	33 के.वी. सब स्टेशंन, श्री विजयनगर
52.	33 के.वी. सब स्टेशन, आल इण्डिया रेडियो
53.	33 के.वी. सब स्टेशन, बिद्धवाल
54.	33 के.वी. सब स्टेशन, बीरमाना
55.	33 के.वी. सब स्टेशन, रजियासर
56.	33 के.वी. सब स्टेशन, रीको, सूरतगढ़
57.	33 के.वी. सब स्टेशन, सरदारगढ़वाला
58.	33 के.वी. सब स्टेशन, सूरतगढ़
59.	33 के.वी. सब स्टेशन, 2 डी.एम विजयनगर
60.	33 के.वी. सब स्टेशन, एयरफोर्स, सूरतगढ़
61.	33 के.वी. सब स्टेशन, केन्टोनमेंट सूरतगढ़
62.	33 के.वी. सब स्टेशन, गुस्सर मोडिया
63.	33 के.वी. सब स्टेशन, सरदारगढ़

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-552 का विवरण)

ALLOCATION OF POWER/CONSENT GIVEN BY STATE GOVERNMENT FOR VARIOUS PROJECTS

परिशिष्ट "1"

A. MEGA POWER PROJECTS

1. THERMAL/GAS PROJECTS

S. No.	Name of the Project/Executing Agency	Location	Capacity (MW)	Allocation/ Consent given (MW)	Tentative date of commissioning	Anticipared Generation Tariff (Rs./KWh)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rihand Stage-II (NTPC)	U.P.	2 × 500	95	200-05, 2005-06	N.A.	Consent was given by Govt. of Rajasthan. vide letter dated April, 7th, 1998.
2.	Anta Stage-II (NTPC)	Rajasthan	650	129	2004-06		
3.	Auriya Stage-II (NTPC)	U.P.	650	60	2004-06		
4.	Pipavav (Private)	Gujarat	2000	500	3.1/2-4 years after financial closure.	N.A.	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated July 2nd, 1999.
5.	CEPA (Private)	Orissa	6 × 660	1200	Ist unit - 36 months from Financial closure and subsequent units at 3 months interval there after.	Yet to be decided by PTC	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated May 5th, 1995.
6.	North Karanpura (NTPC)	Bihar	4 × 500	550	2006-07, 2007-08, 2008-09*	N.A.	Tentative allocation to NR is 2750 MW out of which combined consent for 20% given by Govt. of Rajasthan vide letter dated. April, 16th 1999.
7.	Kahal Gaon Stage-II (NTPC)	Bihar	3 × 500		2006-07, 2007-08*		
8.	Barh (NTPC)	Bihar	2 × 500		2006-07, 2007-08, 2008-09*		
9.	Savli (Vadodara) Sponsorer-IOC Stage-I & II (2 x 250 mw each)	Gujarat	4 × 250	500	Ist unit after 30 months from financial closure and IInd unit after 33 months (stage-I) Stage-II during Xth plan	2.25 (15 yrs. levelised) 2.28 (3rd yr.)	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter No. F.2(10) Energy/96/3591 Jaipur dated October 4th, 1999.
10.	Unchahar Stage-III (NTPC)	U.P.	1 × 660	500	2008-09*	N.A.	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated March, 15th, 2000
11.	Dadri stage-II (NTPC)	U.P.	1 × 660		2009-10*		
12.	Nabinagar (NTPC)	Bihar	1000	250	XIth Plan	N.A.	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated November 20th, 2000

TOTAL-A 3784

* Tentative Schedule subject to timely clearances & availability of inputs.

1	2	3	4	5	6	7	8
2. HYDEL PROJECTS							
1.	Chamera (NHPC) Stage-II	H.P.	300	30**	May-2004	3.65	Consent was given by GOR vide letter dated July 25th, 1998
2.	Kol Dam (Shared)	H.P.	800	504	6.1/2 Years From date of commencement	N.A.	MOU signed on June 30th, 1984
3.	Parvati (NHPC)	H.P.	2051	722	2009-10 (stage-II)	N.A.	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated August 11th, 1999
4.	Koteshwar (THDC) (J.V. of GOI & Govt. of U.P.)	U.P.	400	26**	3/2004	2.5072	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated July 2nd, 1999.
5.	Tehri (THDC) (J.V. of GOI & Govt. of U.P.)	U.P.	4 × 250	60**	3/2002 & subsequent units at an interval of 3 months each.	3.08	Consent was given by GOR vide letter dated December 3rd, 1999.
6.	Nathpa Jhakri (NJPC) (J.V. of GOI & Govt. of H.P.)	H.P.	6 × 250	99**	2000-2001	N.A.	Consent was given by GOR vide letter dated August 29th, 1998
7.	Dulhasti (NHPC)	J & K	3 × 130	39**	12/2003		
8.	Dhauli Ganga (NHPC) Stage-I	U.P.	280	28**	3/2006-05	2.35 (Ist Year) 2.30 (Vth Year (XXXVth year)	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated May 15th, 2000
9.	Allain duhangar (LNG Group)	H.P.	192/200	192/200	2006-07	3.32 (levelised, 40 years)	Consent was given by GOR vide letter dated Jan. 22nd, 2000.
10.	Tala (THPA)	Bhutan	1020	250	August/2004 (Ist Unit) and remaining units by March, 2005	App. Rs. 1.60	Consent was given by Govt. of Rajasthan vide letter dated May 15th, 2000.
			Total (B) 1950/1958				
			Grand Total (A + B) = 5734/5742				

** Tentative allocation of 10% assumed.

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-556 का विवरण)

कार्यालय सहायक अभियन्ता (वितरण)

जो. वि. वि. नि. लि., सादुलपुर

इस उप खण्ड द्वारा अब तक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया गया, सूची निम्नलिखित है :

क्र.सं	नाम	विद्युतीकृत दिनांक
1	2	3
1.	हरिजन बस्ती इन्द्रासर	31.3.87
2.	हरिजन बस्ती, भगेला	25.1.83
3.	हरिजन बस्ती, ठिठालखेता	31.3.97
4.	हरिजन बस्ती, पहाऊसर (इन्द्रा कालोनी)	15.1.83
5.	हरिजन बस्ती, भगेला (भंगी बस्ती)	20.1.83
6.	हरिजन बस्ती, किशनपुरा	31.1.89
7.	हरिजन बस्ती, ग्वालीसर	28.10.84
8.	हरिजन बस्ती, चैनपुरा छोटा	31.3.89
9.	हरिजन बस्ती, किसनापुरा	30.3.96
10.	हरिजन बस्ती, रामसराताल	26.2.93
11.	हरिजन बस्ती, डेण्डाखेड़ी	21.2.93
12.	हरिजन बस्ती, नांगल छोटी	31.10.84
13.	हरिजन बस्ती, ताम्बाखेड़ी	31.03.94
14.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं.23	15.02.72
15.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर नायक मौहल्ला	31.3.83
16.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं.1	9.12.77
17.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं.5	9.12.77

1	2	3
18.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 7.	9.12.77
19.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर रेगर बस्ती	9.12.77.
20.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 10	19.2.72
21.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 8	9.12.77
22.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 9	27.02.71
23.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 13	31.03.72
24.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 6	13.11.74
25.	हरिजन बस्ती, सादुलपुर वार्ड नं. 11	28.3.69

ह०/-
सहायक अभियन्ता (वितरण)
जो. वि. वि. नि. लि.,
सादुलपुर

कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण)

राज. राज्य विद्युत मण्डल, (सादुलपुर)

HARIJAN BASTI

S No.	Village	Code	HB	Dt. of HB Electrification	Scheme	Ref. code
1	2	3	4	5	6	7
1.	सांखू	3/2/138	हरिजन मौहल्ला	27.2.79	REC	013
2.	चांदगोठी	3/2/187	हरिजन मौहल्ला	30.3.80	REC	013
3.	चांदगोठी	3/2/187	हरिजन मौहल्ला W-9	30.3.80	REC	013
4.	रामपुरा	3/2/163	चमार बस्ती	21.6.81	REC	013
5.	रामपुरा	3/2/163	हरिजन मौहल्ला	21.6.81	REC	013
6.	थिरपाली बड़ी	3/2204	मौहल्ला चमारान	31.3.83	REC	013
7.	जीमा	3/2/181	हरिजन मौहल्ला	19.10.85	REC	013
8.	हमीरवास	3/2/170	W-2	30.11.85	REC	013
9.	हमीरवास	3/2/170	W-3	30.11.85	REC	013
10.	हमीरवास	3/2/170	W-4	30.11.85	REC	013
11.	हमीरवास	3/2/170	W-5	30.11.85	REC	013
12.	नीमा	3/2/181	चमार मौहल्ला	31.10.86	REC	013
13.	सांखू	3/2/138	मौहल्ला चमार W-2	20.11.86	REC	013
14.	सांखू	3/2/138	W-3	20.11.86	REC	013
15.	सांखू	3/2/138	W-4	20.11.86	REC	013
16.	नवां	3/2/184	हरिजन मौहल्ला W-4	30.11.86	REC	013
17.	नवां	3/2/184	W-5	30.11.86	REC	013
18.	हमीरवास	3/2/170	W-1	31.3.89	REC	013

1	2	3	4	5	6	7
19.	लम्बोर हिरनियान	3/2/106	चमारों का मौहल्ला	31.3.85	REC	013
20.	सरतरपुरा	3/2/169	रैगर बस्ती चमार	31.3.88	REC	013
21.	बासलाल सिंह	3/2/185	हरिजन मौहल्ला	20.7.82	REC	013
22.	बांगडवा	3/2/167	चमारान मौहल्ला	31.1.90	REC	013
23.	सांखू	3/2/138	चमारान मौहल्ला	31.1.90	REC	013
24.	कामावासी	3/2/143	चामारान मौहल्ला	31.1.90	REC	013
25.	खारीया	3/2/129	मौहल्ला चमारान	31.1.90	REC	013
26.	कान्धरान	3/2/98	मौहल्ला चमारान	30.11.91	REC	013
27.	हरपालूपतराम	3/2/99	मौहल्ला चमारान	30.11.91	REC	013
28.	नवां	3/2/184	मौहल्ला चमारान	30.3.96	REC	013
29.	हरपालूरामसुख	3/2/101	मौहल्ला चमारान	31.3.97	REC	013
30.	भोजाण			31.3.99	R.M.N.P/179	323
31.	राधाबड़ी			31.3.99	सांसद के कोटे DRDA	

ह०/—
सहायक अभियन्ता (ग्रामीण)
जो. वि. वि. नि. लि., सादुलपुर

परिशिष्ट-12

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-557 का विवरण)

(1) जिले में संचालित छात्रावासों की सूचना

क्र.सं.	नाम छात्रावास व स्थान	छात्र संख्या
1	2	3
(1)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, समदड़ी	45
(2)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, सिणदरी	25
(3)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, सिवाना	90
(4)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, धोरीमन्ना	55
(5)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बाड़मेर	50
(6)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गुंगा	25
(7)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, मोकलसर	25
(8)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, पादरू	25
(9)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, पाटोदी	25
(10)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, चौहटन	110
(11)	राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, बाड़मेर	40
(12)	राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, बालोतरा	50
(13)	राजकीय अनु. जनजाति छात्रवास, बाकासर	30
(14)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गडरारोड	70
(15)	राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, बाड़मेर	25
(16)	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास, पचपदरा	30
(17)	राजकीय अनुसूचित जाति (कन्या) छात्रा. बाड़मेर	25
(18)	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, सिवाना	25

परिशिष्ट "ख"

(2) जिले में रिक्त पदों वाले छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	नाम छात्रावास	रिक्त की तिथि	वैकल्पिक व्यवस्था कर्मचारी का नाम मय पद
1	2	3	4
1.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, बाड़मेर	1.2.97	(1) श्री बंशीलाल, व. लिपिक
2.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, गूंगा	4.1.97	(2) श्री दुर्गादान, अध्यापक
3.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, मोकलसर	1.9.92	(3) श्री नरशाराम, अध्यापक
4.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, पादरू	22.3.97	(4) श्री तुलसाराम, छात्रा. अधीक्षक, (अतिरिक्त चार्ज)
5.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, पाटोदी	30.7.91	(5) श्री रामचन्द्र, अध्यापक
6.	राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, चौहटन	2.9.97	(6) श्री चतुराराम, अध्यापक
7.	राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, बालोतरा	2.5.98	(7) श्री डूंगराराम, अध्यापक
8.	राजकीय अनु. जनजाति छात्रावास, बाकासर	26.11.92	(8) श्री इन्द्राराम, अध्यापक
9.	राजकीय अनु. जाति छात्रा. गडरारोड	18.8.91	(9) श्री रमेश खटी, अध्यापक
10.	राजकीय विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास, पचपदरा	1.12.95	(10) श्री कृष्णकुमार नागर, अध्यापक
11.	राजकीय अनु. जाति (कन्या) छात्रावास, बाड़मेर	1.7.93	(11) बन्द

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-560 की सूची)

परिशिष्ट "1"

दो वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं की सूची

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति का नाम
1.	श्री शिवराज सिंघल	नैनवां
2.	श्री अजय भार्गव	तालेड़ा
3.	श्रीमती मंजू शर्मा	के. पाटन
4.	श्री सत्यनारायण नागर	तालेड़ा

परिशिष्ट "2"

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

क्रमांक : 149 दिनांक : 18.10.2000

श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर, (विकास)

बून्दी (राज.)

विषय :— श्री शिवराज सिंघल कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, नैनवां को आरोप पत्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निर्माण कार्य निरीक्षण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र समीक्षा में श्री शिवराज सिंघल कनिष्ठ अभियन्ता, पंचायत समिति, नैनवां को दोषी पाया जाता है।

अतः जिसके अनुसरण में आरोप-पत्र प्रस्ताव श्रीमान् की सेवा में जारी करने हेतु भिजवाये जा रहे हैं। जिससे भविष्य में निर्माण कार्य उपयुक्त गुणवत्ता के साथ समय पर सम्पादित सम्पन्न हो सके।

"सादर"

ह०/-
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, नैनवां

कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

आरोप-पत्र

श्री शिवराज सिंघल कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति, नैनवां के विरुद्ध पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 299 (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) नियम 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र :—

(1) सांसद कोष योजना में निर्मित रा. उ. प्रा. शाला बम्बूली में कमरा निर्माण स्वीकृत वर्ष 1995 जो पूर्ण हो चुका है एवं इसी विद्यालय का कमरा व बरामदा स्वीकृत वर्ष 1997 जो अपूर्ण है में घटिया किस्म के निर्माण फलस्वरूप दीवारें फट गई हैं एवं छत वर्षा के मौसम में बहुत ज्यादा टपकती है।

(2) आश्वासित रोजगार योजना में निर्मित शिक्षा कर्मी विद्यालय ग्राम, खोलाडा में निर्मित कमरा व बरामदा स्वीकृत वर्ष 1997 एवं प्रा. शाला बामन गांव में कमरा व बरामदा स्वीकृत 1997 बरसात के मौसम में इतने टपकते हैं जिससे कमरे पानी से भर जाते हैं।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173 (3) के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता पं.स. निर्माण कार्य में घटिया निम्न गुणवत्ता के कार्य के लिए उत्तरदायी है। अतः इसके लिए आप व्यक्तिशः दोषी हैं।

(3) वर्ष 1999-2000 से 18 राजीव गांधी पाठशाला भवन निर्माण पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन रजलावता, सुवान्या, तलवास, डोडी, पीपल्या, जजावर आदि ग्राम पंचायतों की पाठशालाओं का पूर्णता प्रमाण-पत्र काफी समय अर्से के पश्चात् भी आज दिनांक तक जारी नहीं किया है। सांसद कोष योजना में निर्मित सैकण्डरी स्कूल भजनेरी में कमरा निर्माण जो वर्ष 1995 में स्वीकृत हुआ था पूर्ण हो जाने एवं दसवां वित्त आयोग मद स्वीकृत खरंजा निर्माण ग्राम जैतपुर पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी आज दिनांक तक पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। इसके लिए आप व्यक्तिशः दोषी हैं।

(4) आप द्वारा एम. बी. में 0 माप दिनांक अंकित नहीं की जाती है। इसके अभाव में वास्तविक कार्य कब पूर्ण होता है मालूम नहीं चलता है। इसके लिए आप व्यक्तिशः दोषी हैं।

ह०/-
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, नैनवां

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-563 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

परियोजना घाटोल के अन्तर्गत भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

1.	हरिजन बस्ती (घाटोल)	25.	पादर
2.	छतरीपाड़ा	26.	कराना
3.	आमलीओटा	27.	चिरावाला (गढ़ा)
4.	देवदा	28.	टामटिया-II
5.	बड़ाना (भगोरापाड़ा)	29.	खाकरीया गढ़ा
6.	धनेलापाड़ा	30.	बड़ी मांदली
7.	पड़ोलीगोर्धन	31.	सांगोली
8.	जेदला-II	32.	बीरपुरा
9.	दौलतसिंह का गढ़	33.	ओडवाल
10.	कारियापाड़ा	34.	गणेशपुरा
11.	खपेरा	35.	बामनपाड़ा-II
12.	सवनिया (दलपुरा)	36.	दूदका
13.	बड़ीपड़ाल	37.	चरणा भुंडवई
14.	छोटीपड़ाल	38.	नागदेला
15.	नाथूखेड़ी	39.	चन्दूजी का गढ़ा
16.	हावड़ी	40.	नागनसेल-I
17.	मकनपुरा	41.	नागनसेल-II
18.	डागल	42.	सिंगपुरा
19.	डूंगर	43.	सवा का पाड़ा-I
20.	मोटागांव-I	44.	सवा का पाड़ा-II
21.	चेकला	45.	गनोड़ा-II
22.	मोटागांव-III	46.	वेलूपाडा (बुड़ा)
23.	चान्दू का वेल	47.	मियासा
24.	कसनपुरा (केसरपुरा)	48.	काली का पाड़ा

परियोजना पीपलखूंट के अन्तर्गत भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

1.	बड़ा	13.	भैं
2.	कुरापाड़ा	14.	ढेचला
3.	कुशलपुरा	15.	रोहनिया
4.	सिदड़ी महुड़ी	16.	माण्डली
5.	मोवाई	17.	हरो-I
6.	महुआल	18.	हरो-II
7.	खोरापाड़ा	19.	नालपाड़ा
8.	झरबलिया	20.	बडलीखेड़ा
9.	नायन	21.	माण्डली
10.	बोरी-I	22.	करवी
11.	टामटिया	23.	पीपलदा-I
12.	रूजड़ी	24.	भमेड़ी

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-564 की सूची)

बाल विकास परियोजना अन्तर्गत जिला अकाल राहत अध्यक्ष को भिजवाये गये आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1.	सबलपुरा
2.	कालब कला
3.	अमरपुरा
4.	राइको की ढाणी
5.	चेनपुरा
6.	रेलडा
7.	चांग
8.	फतेह खेड़ा
9.	पचानपुरा
10.	नोहरा खुर्द
11.	रावणिया
12.	रामपुरा कलां
13.	भैसिया
14.	ससधना
15.	जगमालपुरा
16.	आसण
17.	बिराठीया खुर्द
18.	पिपलिया कलां

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-565 की सूची) परिशिष्ट "1"

माडा योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, बस्सी में चयनित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम (पंचायत समिति, बस्सी)	क्र.सं.	ग्राम का नाम (पंचायत समिति, बस्सी)
1.	हरचन्दपुरा उर्फ बालावाला	26.	महाराजपुरा
2.	विजय मुकुन्दपुरा उर्फ हीरावाला	27.	रतनपुरा
3.	हरध्यानपुरा	28.	देवापुरा
4.	चकघाटी	29.	त्रिलोकपुरा
5.	घाटी मीना (खो घाटी)	30.	बीलवा खुर्द
6.	घाटा	31.	फिलसन सिहारीपुरा
7.	हरड़ी	32.	भोन्यावाला
8.	दयारामपुरा	33.	श्यामपुरा
9.	भटेसरी	34.	चैनपुरा
10.	बूड़थल	35.	चक श्यामपुरा
11.	कानड़वास	36.	बाद चारणवास
12.	रायसिंहपुरा	37.	झर
13.	दूदावाला	38.	चोरवाड़ा
14.	लसाड़िया गोकलपुरा	39.	टोड़ा घाटा
15.	सिन्दोली	40.	बिराजुपुरा
16.	सांख	41.	भांकरी
17.	विशनसिंहपुरा	42.	अखेपुरा
18.	रूपपुरा	43.	मनोहरपुरा
19.	बसेड़ी	44.	चक श्यामपुरा उर्फ ढेड़पुरा
20.	पीपलानाई	45.	ढिढ़ोल
21.	खीजूरिया ब्राह्मण	46.	श्यामपुरा उर्फ ढेढपुरा
22.	केशूपुरा	47.	चतरपुरा
23.	अभयपुरा	48.	बाढ़ महादेवपुरा
24.	गंगारामपुरा	49.	मूंडली
25.	खिजुरिया अहिरान	50.	शंकरपुरा

क्र.सं.	ग्राम का नाम (पंचायत समिति, बस्सी)
51.	काशीपुरा
52.	चतरपुरा
53.	बाढ़ रामरखपुरा
54.	नांगलकरना
55.	रामपुरावास उर्फ देवगांव
56.	रामरखपुरा
57.	विमलपुरा
58.	देवगांव
59.	खातीपुरा
60.	रामसिंहपुरा
61.	रूपपुरा
62.	मोरण्डी
63.	करणगढ़
64.	चांदपुरा
65.	चपड़िया
66.	लालगढ़
67.	किशनपुरा
68.	गुढ़ामीना
69.	चारणदास
70.	चिन्तौड़ी
71.	निमोरा
72.	खोरी
73.	चकपोतली
74.	दोपुर
75.	झांझवाड़
76.	कानेठा
77.	भटेरी
78.	कानपुरा

क्र.सं.	ग्राम का नाम (पंचायत समिति, बस्सी)
79.	पाटन
80.	उगावास
81.	धीणड़ का वास
82.	खोराण्यावली
83.	रामपुरा उर्फ चण्डालीया
84.	लालपुरा
85.	बावड़ी का वास
86.	मन्दरूपपुरा
87.	चकमाधोगढ़
88.	बिहारीपुरा
89.	ग्वालिनी
90.	केलावाला
91.	चकतूंगा
92.	भूदरपुरा
94.	लालपुरा
94.	अखेपुरा
95.	सिया का वासा
96.	हिम्मतपुरा
97.	अणतपुरा
98.	माध्यावाला
99.	सांवलियावाला
100.	चक लवाण
101.	जयराम का वास
102.	चकदेवरी
103.	टिड्डीवाला
104.	अप्रेटा
105.	कानेटी

परिशिष्ट "1"

पंचायत समिति चाकसू के ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम (पंचायत समिति)
1.	रामचन्द्रपुरा
2.	मण्डावरी
3.	बाढ़ महाराजपुरा
4.	चक महाराजपुरा
5.	जगदीशपुरा
6.	श्री किशनपुरा
7.	चंक्र श्री किशनपुरा
8.	चंक्र श्री किशनपुरा
9.	बलरामपुरा
10.	नन्दलालपुरा
11.	महेशपुरा
12.	नेहनुपुरा
13.	जगरामपुरा
14.	बावनपुरा
15.	कुन्यालपुरा
16.	रलावता
17.	फाकरिया
18.	मालपुरिया
19.	अजमेरपुरा
20.	नांगललाड़
21.	देवलाला
22.	बाजड़ा
23.	श्यामपुरा
24.	ललकपुर पुगरी
25.	थूनी

क्र.सं.	ग्राम का नाम (पंचायत समिति चाकसू)
26.	केशवपुरा
27.	विनोकी लालपुरा
28.	रामनगर
29.	कुणालपुरा
30.	महाराजपुरा
31.	हीरापुरा
32.	झेड का वास
33.	झापदा फैला
34.	गढ़ का पाड़ा
35.	त्रिलोकीनाथपुरा
36.	विमलपुरा डोबला
37.	ठीकरिया मीनान
38.	सम्पतपुरा
39.	धर्मपुरा
40.	बाढ़ चौहान
41.	भिडिभ्या वास
42.	परमानन्दपुरा उर्फ
43.	मण्डालिंया
44.	खेजड़ी खुर्द
45.	महाराजपुरा
46.	बाढ़ यादगारपुरा
47.	बड़ी नाथपुरा
48.	बाढ़ मुरलीपुरा
49.	रमजानीपुरा

परिशिष्ट "2"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में गत पांच वर्षों में माडा योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	कार्य	स्थान	स्वीकृति दिनांक	राशि	पूर्ण/ अपूर्ण
1.	बस्सी	हैण्ड पम्प स्थापना	रा.उ.प्रा. शाला, झर	25.3.97	40,000	पूर्ण
2.	बस्सी	हैण्ड पम्प स्थापना	जगदीश मेम्बर की ढाणी, मारटडी	31.3.97	40,000	पूर्ण
3.	बस्सी	हैण्ड पम्प स्थापना	खोड़ी की ढाणी, लालगढ़	97-98	40,000	पूर्ण
4.	चाकसू	हैण्ड पम्प स्थापना	रामगनर गुमलाड़ो की ढाणी	17.10.2000	45,000	अपूर्ण
5.	चाकसू	हैण्ड पम्प स्थापना	कोटखावदा ढण्ड की ढाणी	29.12.2000	45,000	अपूर्ण
6.	बस्सी	आश्रम छात्रावास निर्माण	ग्राम ग्वालिनी, पंचायत माधोगढ़	18.3.2000	33.37 लाख	अपूर्ण
7.	बस्सी	बस्ती विद्युतीकरण	ग्राम त्रिलोकपुरा, ग्राम पंचायत मनोहरपुरा	22.11.95	65,000	पूर्ण
8.	बस्सी	बस्ती विद्युतीकरण	ग्राम बसेड़ी, पंचायत खीजुरिया, ब्राह्मणान	18.9.2000	1,65,000	अपूर्ण

परिशिष्ट "3"

माडा योजनान्तर्गत संचालित कार्यक्रमों की सूची

1.	अंशपूंजी अनुदान
2.	आश्रम छात्रावासों का संचालन
3.	ब्लास्टिंग द्वारा कुएं गहरे करवाना
4.	एनीकट एवं वाटर शैड
5.	जलोत्थान सिंचाई योजना
6.	डीजल पम्पसैट
7.	जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण
8.	आश्रम छात्रावासों की मरम्मत
9.	शैक्षणिक प्रोत्साहन
10.	आश्रम छात्रावासों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण
11.	लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन
12.	हैण्ड पम्प लगाना
13.	व्यावसायिक शिक्षा प्रोत्साहन
14.	उच्च शिक्षा हेतु छात्राओं को प्रोत्साहित करना
15.	कम्प्यूटर ट्रेनिंग

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-566 का विवरण)

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हनुमानगढ़

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अगस्त, 2000 से 15 मार्च, 2001 तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान	कार्यकारी संस्था	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति		व्यय राशि	कार्य की स्थिति
				राशि		राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	उच्च प्रा. वि. में कमरा नि. केहरवाला	पंचायत समिति	105-29/11.9.2000	1.00 लाख	105-29/11.9.2000	1.00 लाख	0.40 लाख	प्रगति पर
2.	वाचनालय निर्माण, ढाबा	पंचायत समिति	105-29/11.9.2000	1.50 लाख	105-29/11.9.2000	1.50 लाख	0.60 लाख	प्रगति पर
3.	वाचनालय निर्माण-ढोलनगर	पंचायत समिति	105-29/11.9.2000	1.50 लाख	105-29/11.9.2000	1.50 लाख	0.60 लाख	प्रगति पर
4.	रा. मा. वि. में कमरा बरामदा, नाथवाना	पंचायत समिति	105-29/11.9.2000	1.00 लाख	105-29/11.9.2000	1.00 लाख	0.40 लाख	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	कारपेंटिंग आफ रोड-वार्ड नं.-7, हनुमानगढ़	नगर पालिका	282-85/13.10.2000	2.61 लाख	282-85/13.10.2000	2.61 लाख	1.07 लाख	प्रगति पर
6.	रा. प्रा. वि. में एक कमरा मय बरामदा कोहला	पंचायत समिति	282-85/13.10.2000	1.07 लाख	282-85/13.10.2000	1.07 लाख	0.60 लाख	प्रगति पर
7.	रा. उ. प्रा. वि. एक कमरा मय बरामदा नि. ज्वालासिंह	पंचायत समिति	833-51/14.12.2000	1.00 लाख	833-51/14.12.2000	1.00 लाख	0.40 लाख	प्रगति पर
8.	रा. उ. प्रा. वि. एक कमरा मय बरामदा नि.–गाहडू	पंचायत समिति	833-51/14.12.2000	1.00 लाख	833-51/14.12.2000	1.00 लाख	0.40 लाख	प्रगति पर
9.	सामुदायिक केन्द्र-13 एच.एम.एच.	पंचायत समिति	833-51/14.12.2000	1.50 लाख	833-51/14.12.2000	1.50 लाख	0.60 लाख	प्रगति पर
10.	आयुर्वेदिक औषधालय नि.– झडावाली	पंचायत समिति	833-51/14.12.2000	1.00 लाख	833-51/14.12.2000	1.00 लाख	0.40 लाख	प्रगति पर
11.	कोहला फार्म की चारदीवारी निर्माण कोहला प.न.126/312 से 126/315 से 128/315 तक	पंचायत समिति	1104-6/4.1.2001	5.00 लाख	1104-6/4.1.2001	5.00 लाख	2.00 लाख	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	कोहला फार्म की चारदीवारी निर्माण कोहला पन.145/297 से 145/298 से 146, 298 से 146/301 से 147/301 से 147/ 305.2	पंचायत समिति	1117-20/4.1.2001	10.00 लाख	1117-20/4.1.2001	10.00 लाख	4.00 लाख	प्रगति पर
13.	कोहला फार्म की चारदीवारी निर्माण कोहला एस.एस.डब्ल्यू. नहर से 126/304 से126/312	पंचायत समिति	1121-24/4.1.2001	8.00 लाख	कार्य प्रगति पर	8.00 लाख	3.20 लाख	प्रगति पर
		योग		**36.18 लाख**		**36.18 लाख**	**14.67 लाख**	

ह०/—
अति. कलक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
हनुमानगढ़

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हनुमानगढ़

विधान सभा क्षेत्र हनुमानगढ़ में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत कराये जाने अगस्त 1 से 15 मार्च तक स्वीकृत कार्यों का विवरण

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान	कार्यकारी संस्था	प्रशासनिक स्वीकृति		वित्तीय स्वीकृति		व्यय राशि	कार्य की स्थिति
				राशि		राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	रा. उ. प्रा. वि. की मरम्मत का कार्य सतीपुरा	पंचायत समिति	526/29.11.2000	0.43	526/29.11.2000	0.43	0.43	पूर्ण
2.	22 एमजेडी. में विद्युतीकरण मानुका	जोविविनिलि	526/29.11.2000	0.60	526/29.11.2000	0.60	0.60	पूर्ण
3.	कब्रिस्तानों एक कमरा, बरामदा नि. 13 एचएमएच	पंचायत समिति	302/10.10.2000	1.00	302/10.10.2000	1.00	1.00	पूर्ण
4.	रा. उ. प्रा. वि. में एक कक्ष व बरामदा नि. 20 एल. एल. डब्लू	पंचायत समिति	302/10.10.2000	1.00	302/10.10.2000	1.00	1.00	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	रा. उ. प्रा. वि. में एक कमरा व बरामदा-22 एस.एस.डबल	पंचायत समिति	302/10.10.2000	1.00	302/10.10.2000	1.00	0.50	प्रगति पर
6.	पाइप लाइन आसाराम पुत्र खेता राम के घर से सोहन लाल डांगी के घर तक वार्ड नं. 5 डबलीपेमा	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.10	826/15.1.2001	0.10	0.00	प्रगति पर
7.	गोगा मेड़ी से गुरुद्वारा तक वार्ड नं. 7 पाइप लाइन का. डबलीपेमा	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.06	826/15.1.2001	0.06	0.00	प्रगति पर
8.	हैण्ड पम्प श्मशान भूमि चक 3 एम.ओ.डी.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.30	826/15.1.2001	0.30	0.00	प्रगति पर
9.	हैण्ड पम्प गुरदयालसिंह के घर के पास - 3 एम.ओ.डी.	पीचएचईडी	826/15.1.2001	0.30	826/15.1.2001	0.30	0.00	प्रगति पर
10.	डी.सी.ब्री. कुएं का नि. एवं पाइप लाइन 29 एस. एस. डब्ल्यू.	पीएचईडी	826/15.1.2001	3.70	826/15.1.2001	3.70	0.00	प्रगति पर
11.	हैण्ड पम्प वार्ड नं. 36 धाणक धर्मशाला के पास हनु.ज.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.30	826/15.1.2001	0.30	0.00	प्रगति पर
12.	हैण्ड पम्प वार्ड नं. - 36 वाल्मिकी मन्दिर के पीछे हनु.ज.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.30	826/15.1.2001	0.30	0.00	प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	पाइप वाटर वर्क्स देवी लाल के घर से - 23 एन.डी.आर.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.50	826/15.1.2001	0.50	0.00	प्रगति पर
14.	पाइप लाइन-42 एस.एस.डब्ल्यू.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.35	826/15.1.2001	0.35	0.00	प्रगति पर
15.	पाइप लाइन एवं जी. एल. आर. बांवरियों की ढाणी	पीएचईडी	826/15.1.2001	1.44	826/15.1.2001	1.44	0.00	प्रगति पर
16.	हैण्ड पम्प नि. 29 एस.एस.डब्ल्यू.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.30	826/15.1.2001	0.30	0.00	प्रगति पर
17.	हैण्ड पम्प नि. 32 एस.एस.डब्ल्यू.	पीएचईडी	826/15.1.2001	0.30	826/15.1.2001	0.30	0.00	प्रगति पर
	योग			11.98		11.98	3.53	

ह० /—
अति. कलक्टर (विकास)
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
हनुमानगढ़

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-568 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

जनजाति महिला विकास संस्थान, मैनुपरा द्वारा सांसद योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों में)	हस्तान्तरित राशि (लाखों में)	व्यय राशि (लाखों में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1.	दौसा-सवाईमाधोपुर मुख्य सड़क से महिला विद्यापीठ के रास्ते का निर्माण एवं डामरीकरण कार्य।	99-2000	2.46	2.46	2.46	पूर्ण
2.	ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनुपरा में छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण।	99-2000	10.00	7.50	3.816	प्रगति पर
3.	तालाब सफाई एवं पाल निर्माण कार्य मैनपुरा।	2000-01	1.00	1.00	1.00	पूर्ण
4.	मैनपुरा ग्राम में पीने के पानी की टंकी वर्ष मवेशियों के पीने के पानी की खेड (गोगोर रोड़ पर ग्रामीण महिला विद्यापीठ की बाउण्ड्री के पास)।	2000-01.	0.28	0.21	0.28	पूर्ण
5.	देवस्थान से पीपली साजोड़ बडोला तक ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य।	2000-01	2.847	2.847	2.847	पूर्ण

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-569 का विवरण) परिशिष्ट-1

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्यक्रम अन्तर्गत संसदीय क्षेत्र जालौर में व्यय नहीं की जा सकी राशि का विवरण :

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	सिरोही जिला	जालौर जिला	कुल राशि
1.	1993-94	1.87	3.125	4.995
2.	1994-95	23.30	55.85	79.15
3.	1995-96	(-) 3.47	21.96	18.49
4.	1996-97	17.55	4.662	22.212
5.	1997-98	(-) 9.09	(-)41.44	(-) 50.53
6.	1998-99	(-) 15.08	26.968	11.888
7.	1999-2000	(-) 0.46	54.60	54.14
8.	2000-2001	82.90	(-) 37.96	44.94
		97.52	87.765	185.285

परिशिष्ट "2"

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत सिरोही विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
1993-94		
	— शून्य —	
1994-95		
(1)	वाटर सप्लाई स्कीम, जोगपुरा	4.99 लाख
(2)	छिबागांव से देवो का वेरा सड़क निर्माण एप्रोचरोड टू गौतमजी	10.00 लाख
(3)	एप्रोचरोड पाडीव पर कामेरी रिवर पुलिया निर्माण कार्य	09.00 लाख
1995-96		
	— शून्य —	
1996-97		
(1)	ग्राम कालंद्री-हस्तिनापुर स्कूल में दो कमरे निर्माण कार्य	1.82 लाख
(2)	आयुर्वेदिक औषधालय बरलूट की चारदीवारी निर्माण कार्य	0.95 लाख
(3)	वाटर सप्लाई स्कीम सारणेश्वरजी	3.62 लाख
1997-98		
(1)	कब्रिस्तान सिरोही की चारदीवारी निर्माण	4.61 लाख
(2)	मोहबतनगर की तालाब दीवार निर्माण	0.65 लाख
(3)	कुम्हारवाड़ा सिरोही में हैण्ड पम्प	0.45 लाख
(4)	मेघवालवास रामपुरा में डामर सड़क निर्माण	3.50 लाख
(5)	बरलूट गांव में रामदेव मंदिर तक डामर सड़क	3.91 लाख

1	2	3
1998-99		
(1)	ग्राम मनोरी में दो हैण्ड पम्प निर्माण कार्य	1.23 लाख
(2)	ग्राम पाडीव में घवरी भाकरी भीलो बस्ती पर एक हैण्ड पम्प निर्माण	0.60 लाख
(3)	ग्राम उधमण में सदीबाई मेगवाल द्वारा निर्मित प्याउ के पास एक हैण्ड पम्प	0.62 लाख
(4)	राडबर चूली छीबीगांव मार्ग पर एक हैण्ड पम्प	0.59 लाख
(5)	सेजारवाड़ा सिरोही में एक हैण्ड पम्प कार्य	0.62 लाख
(6)	ग्राम ओडा में विकेश्वर माहदेव मंदिर समीप एक हैण्ड पम्प	0.72 लाख
(7)	प्राइमरी स्कूल मण्डवारिया की प्याउ एवं चारदीवारी निर्माण कार्य	0.53 लाख
(8)	एप्रोचरोड टू श्मशानघाट इन विलेज मकरोडा	0.35 लाख
(9)	श्मशानघाट सिरोही की चारदीवारी निर्माण	5.61 लाख
(10)	जल योजना हालीवाड़ा	2.97 लाख
(11)	खरंजा निर्माण कार्य, मांडानी	4.45 लाख
1999-2000		
(1)	काम्बेश्वरजी शिवगंज डामर रोड कार्य	10.00 लाख
(2)	रा.प्रा.वि. खाडियावास में दो कमरे निर्माण कार्य, शिवगंज	2.52 लाख
(3)	रा.उ.प्रा.वि. रामपुरा में दो कमरे निर्माण	2.15 लाख
(4)	रा.उ.प्रा.वि. पालडी (आर) में दो कमरे निर्माण	2.15 लाख
(5)	रा.प्रा.वि. पीपलकी में दो कमरे निर्माण	2.15 लाख
(6)	रा.प्रा.वि. नवाखेड़ा में दो कमरे निर्माण	2.15 लाख
(7)	नाली निर्माण कार्य रामपुरा	2.10 लाख
(8)	रा.सी.मा. वि. जावाल में तीन कमरे निर्माण	4.60 लाख

1	2	3
(9)	गर्ल्स कालेज सिरोही की चारदीवारी निर्माण	5.00 लाख
(10)	रा.उ.प्रा.वि. सरतरा में एक कमरा निर्माण	1.09 लाख
(11)	भूतगांव में बरसाती पानी निकासी नाला निर्माण	3.00 लाख
2000-2001		
(1)	गंगावेरी एनीकट निर्माण कृष्ण गंज	10.00 लाख
(2)	रा. कालेज ओडिटोरियम निर्माण	10.00 लाख
(3)	मेगवालवास पुराना जोयलर में एक हैण्ड पम्प	0.56 लाख
(4)	महादेव मंदिर के समीप के नयाजोयलर में	0.56 लाख
(5)	हीरागर बस्ती राजकीय विद्यालय जावाल में एक हैण्ड पम्प	0.50 लाख
(6)	मेगवाल बस्ती बरलूट में एक हैण्ड पम्प	0.50 लाख
(7)	ग्राम उड सार्वजनिक पेच के का बोरिंग कार्य	प्रशासनिक स्वीकृत
(8)	ग्राम रनियाखेड़ा से अंदौर तक पाइप लाइन	प्रशासनिक स्वीकृत
(9)	ग्राम जावाल में गोलरोड की साइडवाली गली में सी.सी. रोड एवं पुलियों का निर्माण	1.40 लाख
(10)	राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के पास से कंसारिया मार्बल से मगनलाल मकान तक सीमेंट रोड सिरोही	0.75 लाख
(11)	नयावास सिरोही में एक हैण्ड पम्प निर्माण	0.50 लाख

पूरक सूचना

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का विवरण वर्षवार निम्न है

वर्ष	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि
1993-94	—	—
1994-95	3	23.99 लाख
1995-96	—	—
1996-97	3	6.39 लाख
1997-98	5	13.15 लाख
1998-99	11	18.29 लाख
1999-2000	11	36.91 लाख
2000-2001	11	24.77 लाख
योग	**44**	**123.50 लाख**